राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] ग्यारहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का नवां दिवस [संख्या : 6

शुक्रवार,

31 मार्च, 2000

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री सांवर लाल।

अप्रमाणित बीज/खाद/कीटनाशक की उपलब्धता पर रोक

153. श्री सांवर लाल (मिनाय) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार किसानों को समय पर प्रमाणित बीज/खाद व कीटनाशक उपलब्ध कराने की व्यवस्था करती है? यदि हां, तो किस प्रकार व किस-किस के माध्यम से?

(2) क्या इस वर्ष आने वाली खरीफ फसल की बुवाई हेतु उक्त प्रमाणित बीज/खाद/कीटनाशक उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने कोई योजना बनायी है? यदि हां, तो किस प्रकार की? किस-किस क्षेत्र में कौन-कौनसा बीज/खाद कब कहां-कहां कितनी मात्रा में आवश्यक है और उपलब्धता कब कहां-कहां कितनी-कितनी रहेगी?

(3) किसानों को अप्रमाणित बीज/खाद व कीटनाशक की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या कोई प्रयास किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या व कैसे?

कृषि मंत्री (श्री तैय्यब हुसैन): (1) जी, हां। फसल बुवाई के पूर्व जिलों से प्रमाणित बीजों की मांग प्राप्त कर, मांग के अनुरूप बीज आपूर्तिकर्ताओं से विचार-विमर्श कर बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। प्रमाणित बीज वितरण का कार्य राजस्थान राज्य बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, कृभको, तिलम संघ, केन्द्रीय राज्य फार्म निगम, सहकारी संस्थाएं एवं निजी बीज संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है।

(श्री तैय्यब हुसैन)

नियन्त्रित उर्वरक (यूरिया) की मांग भारत सरकार को खरीफ के लिये माह फरवरी में एवं रबी मौसम हेतु अगस्त में प्रस्तुत की जाती है। भारत सरकार द्वारा निर्मातावार/माहवार यूरिया का आवंटन राज्य के लिये निर्धारित किया जाता है। अनियंत्रित उर्वरकों जैसे डाई अमोनियम फास्फेट (डीएपी), म्यूरेट आफ पोटाश (एमओपी), सिंगल सुपर फास्फेट(एसएसपी), मिश्रित उर्वरक एवं अन्य की आपूर्ति निर्माताओं द्वारा कृषि विभाग के निर्देशानुसार उनके विक्रय तंत्र के माध्यम से की जाती है। किसानों को खाद सहकारी एवं निजी विक्रय तंत्र के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है।

किसानों को समय पर कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिये राज्य भर में सहकारी व निजी विक्रय केन्द्र स्थापित हैं। इन विक्रय केन्द्रों पर कीटनाशक रसायनों की उपलब्धता विभिन्न कीटनाशक रसायन निर्माताओं द्वारा की जाती है एवं इन विक्रय केन्द्रों के माध्यम से कृषक आवश्यकतानुसार कीटनाशक रसायन क्रय करते हैं।

(2) जी हां, खरीफ 2000 के लिए भी जिलों से प्राप्त बीजों की मांग की आपूर्ति हेतु योजना बीज आपूर्तिकर्ताओं से विचार-विमर्श कर तैयार कर ली गयी है। खरीफ 2000 हेतु करीब 2.02 लाख क्विंटल विभिन्न किस्मों के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना है। क्षेत्रवार बीजों की मांग परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। खरीफ बीजों की उपलब्धता मई, 2000 के द्वितीय सप्ताह तक अथवा बुवाई से पूर्व सुनिश्चित कर ली जाती है।

नियंत्रित उर्वरक यूरिया का आवंटन राज्य की आवश्यकतानुसार निर्मातावार भारत सरकार द्वारा खरीफ 2000 हेतु (अप्रैल से सितम्बर) 5.10 लाख मैट्रिक टन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त परिशिष्ट–2 पर वर्णित आवश्यकतानुसार डीएपी 2.60 लाख मैट्रिक टन तथा अन्य उर्वरक 1.65 लाख मैट्रिक टन की आपूर्ति हेतु योजना बनायी गयी है। निर्माताओं से इन सभी उर्वरकों की आपूर्ति विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकतानुसार सुनिश्चित की जाएगी। योजना अनुसार निर्माताओं को आपूर्ति करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है।

खरीफ की फसल में पौध संरक्षण कार्य हेतु कीटनाशक रसायन उपलब्ध कराये जाने की जिलेवार बनायी गयी योजना परिशिष्ट–3 पर संलग्न है। योजना के तहत किसानों को इस खरीफ में 800 मैट्रिक टन (तकनीकी ग्रेड) पौध संरक्षण रसायनों को उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अनुरूप कीटनाशक रसायनों की आपूर्ति हेतु व्यवस्था सहकारी तथा निजी निर्माताओं एवं विक्रेताओं के माध्यम से की जाएगी।

(3) जी, हां। अमानक बीज, खाद व कीटनाशकों की बिक्री की रोकथाम के लिये गुण नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 198 अधिकारियों को

(श्री तैय्यब हुसैन)

उर्वरक व इतने ही बीज निरीक्षक तथा 260 अधिकारियों को कीटनाशक निरीक्षकों की शक्तियां प्रदान की गयी हैं जो अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र में कृषि आदान निर्माता/विक्रेताओं का निरीक्षण कर नमूने लेकर प्रयोगशालाओं को जांच हेतु भिजवाते हैं। प्रत्येक निरीक्षक के नमूने लेने के लक्ष्य व दिशा-निर्देश निर्धारित हैं। अमानक नमूने पाये जाने पर दोषी विक्रेता/निर्माता के विरुद्ध विभिन्न अधिनियमों के तहत कार्यवाही की जाती है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में खरीफ की फसल बहुत महत्वपूर्ण फसल है और राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में खरीफ की फसल ही होती है। कुछ जगह जहां पर इरिगेशन डिपार्टमेंट की व्यवस्था होती है वहां पर रबी की फसल होती है। राजस्थान के किसान मुख्यतः खरीफ की फसल पर ही निर्भर रहते हैं। मैंने माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि समय पर सर्टिफाइड किसानों को यह बीज उपलब्ध हो जाए, इसकी क्या व्यवस्था किसके माध्यम से होती है? हर वर्ष यह शिकायत होती है कि बीज की मांग आती है और बाद में आपके डिपार्टमेंट के अधिकारी बीज उपलब्ध करवाने की स्थिति में नहीं होते हैं। आपने खण्ड-एक में जवाब दिया है कि राष्ट्रीय बीज निगम; कृभको, तिलम संघ, केन्द्रीय राज्य फार्म निगम, सहकारी संस्थाओं एवं निजी बीज संस्थाओं के माध्यम से बीज वितरण किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा पर्टीकुलर सवाल यह है कि आप इतनी संस्थाओं का नाम देकर अंधेरे में रह जाते हैं। आपने क्या इनका अलग–अलग टार्गेट निश्चित कर रखा है कि इतना बीज यहां से लेंगे, इतना यहां से लेंगे और इतना यहां से लेंगे, इतनी कॉटन यहां से लेंगे। क्योंकि जितनी आवश्यकता होती है उतना बीज कुल-मिलाकर हो नहीं पाता और बाद में किसानों को महंगा बीज दो नम्बर में खरीदना पड़ता है। वह बीज भी शुद्ध मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है।

पहला सवाल तो मेरा यही है कि क्या आपने इनकी अलग-अलग मात्रा निर्धारित कर रखी है कि किस-किस के माध्यम से कितना-कितना बीज लेंगे?

दूसरा आपने कहा, खाद सहकारी और निजी विक्रय तंत्र के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यही कहना चाहता हूं कि इसमें भी आप निर्धारित कीजिए कि सहकारी संस्थाएं इतना खाद बांटेंगी। आपकी सहकारी संस्थाएं प्राइवेट व्यापारियों से मिलकर हाथ खड़े कर देती हैं और जरूरत पड़ने पर गांवों के अंदर डी.ए.पी. खाद का 100-125 रुपये का कट्टा 500-500 में भी नहीं मिलता। किसानों को मार सहनी पड़ती है, वे इसके लिए भागे फिरते हैं। फिर हम जन–प्रतिनिधियों को टेलीफोन करते हैं। जन-प्रतिनिधि अधिकारियों को

(श्री सांवर लाल)

कहते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है । गत वर्ष का प्रैक्टिकल अनुभव मैं आपको बता रहा हूं ।

इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है, क्या इसमें भी आपने कोई सुनिश्चित व्यवस्था की है कि कितना आप सहकारिता के माध्यम से बंटवाओगे और कितना प्राइवेट के माध्यम से ?

खण्ड-दो में आपने दिया है कि 2.02 लाख क्विंटल विभिन्न किस्मों के बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना है। उसके बाद में आपने परिशिष्ट-एक में दिया है कि जयपुर क्षेत्र में खाद्यान्न में 21.488 क्विंटल बीज की आवश्यकता है ।

मैं यह पर्टीकुलरली जानना चाहता हूं कि खरीफ के मौसम में किस-किस एरिए में कितना-कितना, कौन-कौन सा खाद्यान्न बोया जाता है और उसके हिसाब से कौन-कौनसे बीज की आवश्यकता होगी ? मक्का कहां पर ज्यादा जरूरी है, ज्वार कहां पर ज्यादा जरूरी है ? अब जयपुर क्षेत्र तो बहुत लम्बा-चौड़ा है, इसमें अजमेर जिला भी आपने जोड़ दिया । कई जिले इसमें हैं। राजस्थान की हालत यह है कि अजमेर जिले के एक हिस्से में कौनसी फसल होती है, दूसरे हिस्से में कौनसी फसल होती है । तो इसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है ?

कपास में आपने दिया 1470 क्विंटल, अब 1470 क्विंटल कपास इस जयपुर क्षेत्र के अंदर कहां-कहां पर होगी और इस कपास में कौन-कौनसी किस्म चाहिए ? गयी बार हम +++ हम को चाहिए बीकानेरी नरमा और वहां पर लोग कह रहे हैं कि आप तो देशी कपास बो लीजिए ।

मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र के लोगों की मांग के हिसाब से आप बीज प्रोवाइड करेंगे । या आपके अधिकारी यह कह देंगे कि यह नहीं है यह बो लीजिए । इसके बारे में आप की क्या राय है, इसके बारे में भी हमको बताओ । आपने यह जनरल सूचना दी है, इस जनरल सूचना का हमारे लिए कोई अर्थ नहीं निकल रहा है । हम यह नहीं जान पा रहे हैं कि किस–किस क्षेत्र में कौन-कौनसे सर्टिफाइड बीज कहां-कहां पर आवश्यक हैं । जयपुर खण्ड में फुलेरा में अलग फसल बोयी जाती है; दूदू में अलग बोयी जाती है । आपने क्या इसका अलग-अलग सर्वे करवाया कि नहीं करवाया ? गयी बार आपकी जानकारी में होगा, बिलाड़ा में और कई जगह घोटाले हुए । इनको रोकने के बारे में क्या व्यवस्था है ?

एक आपने कहा कि हमने इतने निरीक्षण अधिकारियों को शक्तियां दीं, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक साल के दौरान आपके अधिकारी और निरीक्षकों

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सांवर लाल)

ने कितने सेम्पल पकड़े और उसमें से कितने दोषी पाये गये ?

श्री अध्यक्ष : आप स्पेसिफिक सप्लीमैंट्री पूछिये ।

श्री तैय्यब हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य से यह अर्ज करना चाहता हूं कि सारी चीजों को अच्छे ढंग से देखने की कोशिश की जा रही है और कहां कितना बीज किसको देना है, इसके लिए भी कर रहे हैं । हमारी तरफ से कोशिश यह है कि हम वक्त पर दें ।

मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि पिछली साल बीज की मात्रा हमने बढ़ायी है । यह भी मैं आपके मार्फत सदन से अर्ज करना चाहता हूं कि बीज पहले जिन कीमतों पर मिल रहा था उसकी कीमत भी हमने घटायी है और हर जगह पर जितना भी कहीं था, उसको किया गया है । खाद और बीज के नमूने हमने हर जगह लिये हैं ।

मुझे आपको इन्फार्म करते हुए खुशी है कि पिछले राज में जो डी.ए.पी. की बहुत ज्यादा परेशानी थी, इस दफा डी.ए.पी. के बारे में या और किसी खाद के बारे में कहीं से कोई कमी नहीं है, हमने उसको पूरा किया है । इस तरह से जहां-जहां भी जो चीज जरूरी है वह दी गयी है । आप फरमाएं तो मैं पूरा डिटेल अर्ज कर दूं । सेम्पल्स का भी कर दूं; माननीय सदस्य सेम्पल का पूछ रहे थे । सीड के 97-98 में नमूने एनेलाइज किये गये 3000....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो इसी साल का बता दीजिये ।

श्री तैय्यब हुसैन : पिछले साल का मुकाबला करेंगे ना आप । इस दफे जो सब स्टैण्डर्ड पाये गये वे थे सीड में 1.3 फर्टीलाइजर में 1.3, पेस्टिसाइड में 6.6, जो आज तक का सबसे कम पाया गया । हमने अपने महकमे की चुस्ती दुरुस्ती से इस बात का कंट्रोल रखा कि कहीं इस तरह की शिकायतें न हों । यह रिकार्ड की बात है । पिछले सालों का आप कहें तो 10 साल का रिकार्ड है, मैं सारा पढ़ कर बता दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप यह बता दीजिये कि सैम्पल लिये कितने ?

श्री सांवर लाल : इसमें आप यह भी बता दें, कितने और कहां-कहां से किस–किस के सैम्पल लिये ?

श्री तैय्यब हुसैन : आपने जनरल बात पूछी है, मैंने आपको जनरल अर्ज कर दिया है । अगर आप कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहो तो आपका स्वागत है, पूछ लीजिये, मैं आपको जवाब दे दूंगा ।

श्री सांवर लाल : मंत्री महोदय, मेरे सवाल तो बिलकुल स्पेसिफिक हैं, आप उनके जवाब दीजिये ।

श्री तैय्यब हुसैन : नहीं, जैसा आपने पूछा है वैसा मैंने जवाब दे दिया है। मेरे पास पूरा रिकार्ड मौजूद है, मैं आपको पूरा बता सकता हूं।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, किसानों से सम्बन्धित कोई बात आती उसको जनरलाइज कर के कह रहे हैं कि आपने पूछा जो जवाब दे दिया। मैंने पूछा जो कौनसा जवाब दे दिया, आप बता दीजिये। कपास के अन्दर बीकानेरी नरमा कितना बीज तैयार कर रहे हैं जे–34 कितना कर रहे हैं, देसी कपास कितना कर रहे हैं, यह भी बता दो। कब-कब इसकी जरूरत पड़ेगी ? अजमेर जिले में कब बोया जाएगा, गंगानगर और हनुमानगढ़ में कब बोया जाएगा ? अजमेर में अगर बोया जाएगा तो कौन–कौनसे इलाके में बोया जाएगा ? यह बता दो आप।

श्री तैय्यब हुसैन : एक मिनट। मैं अर्ज कर रहा हूं, जैसा भी है हमने आपको सारा स्टेटमैंट डीटेल दे दिया है। इसके अलावा आपको पूछना है तो आप नोटिस दे दीजिये, मैं आपको जवाब दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप बता दीजिये, कौनसा बीज कब बोया जाता है ?

श्री तैय्यब हुसैन : आपके पास डीटेल एनेक्सचर्स हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, पता ही नहीं है कौनसी फसल कब बोयी जाती है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, किसानों के हितों का संरक्षण सरकार कैसे करेगी, यह हम जानना चाहते हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : अध्यक्ष महोदय, प्रॉपर जवाब दिलवायें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत स्पष्ट जवाब चाहा था नरमे के बारे में पूछा .. (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्रीजी से पूछना चाह रहा हूं कि बिलाड़ा में जो ....(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : इसको इतने हल्के ढंग से लिया जा रहा है। अगर डुप्लीकेट बीज....(व्यवधान) तो राजस्थान और हिन्दुस्तान की अर्थ–व्यवस्था तबाह हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बीज की गुणवत्ता के बारे में मैं पूछना चाह रहा हूं, स्पेसिफिक प्रश्न है।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह भी बताने का कष्ट करें कि केन्द्र सरकार ने कितना पैसा खाद और बीज पर बढ़ाया है ? यूरिया पर कितना बढ़ाया है ? डी.ए.पी. पर केन्द्र सरकार ने कितना बढ़ाया है जिसके कारण किसानों की कमर तोड़ दी है। क्या मंत्री महोदय इसके लिए केन्द्र सरकार को कुछ

(श्री रामस्वरूप)

लिख रहे हैं ? आप कोई प्रस्ताव पारित कर रहे हैं ? किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है इसके बारे में कोई कार्यवाही हो रही है क्या ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये ।

श्री रामस्वरूप : मंत्री महोदय, इसके बारे में भी विचार करें । यह जो लगातार केन्द्र सरकार पैसा बढ़ाती चली जा रही है इसकी भी कोई कार्यवाही हुई है, अध्यक्ष महोदय ?

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बीज की गुणवत्ता के बारे में क्वेश्चन करना चाह रहा हूं ।

श्री रामस्वरूप : खाद के पैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, किसानों के बीज के पैसे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं । डी.ए.पी. खाद बढ़ा । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बीच में व्यवधान नहीं, बैठिये ।

श्री रामस्वरूप : मंत्रीजी, बताइये, क्या विचार हो रहा है ? केन्द्र सरकार आंख मींचकर बढ़ा रही है ।

श्री तैय्यब हुसैन : मैं बता रहा हूं, आप सुन लो ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बैठ जाओ, +++ करते हो ।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं । ये कौन होते हैं मुझे बैठाने वाले ? आप कौन होते हो मुझे बैठाने वाले ? मैं किसानों का बेटा हूं किसानों की बात करूंगा, आप सेठों के हो सेठों की बात करते हो । (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, इन्हें आप रोको, बिना इजाजत के खड़े हो जाते हैं । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : जितने भी बेचने वाले हैं सब सेठ लोग हैं । उन सेठ लोगों के आप लाइसेंस छीनिये, सारे लाइसेंस रद्द कर दो इनके ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह क्या है ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : सेठों को लाइसेंस दे रखे हैं आपने । खाद, बीज सारे फर्जी बेचते हैं ये लोग । (व्यवधान) किसानों की बात करते हो, शर्म आनी चाहिए आपको । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या है, अध्यक्ष महोदय ? यह क्या हो रहा है ?

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, इसमें केन्द्र सरकार कहां से आ गयी ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । रामस्वरूपजी मीणा, बिराजिये आप । आप भी बिराजें, आहूजाजी ।

श्री रामस्वरूप : सेठों के पास जितने भी लाइसेंस आपने दे रखे हैं, सब लाइसेंसों को आप कैंसिल कर दो । इनके समय के दिये हैं, आप नये लाइसेंस दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये । श्री कटारियाजी ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, बहुत विनम्रता से यह निवेदन है कि प्रश्न काल बहुत छोटा सा समय होता है लेकिन बिना बात के, कोई विषय नहीं होता और विवाद खड़ा कर समय बरबाद करते हैं ।

माननीय सदस्य ने बहुत सीधा प्रश्न पूछा है कि नरमे के बारे में कितनी मांग थी और उसकी तुलना में आपने कहां-कहां नरमे का कितना बीज उपलब्ध करवाया । अब इसमें कोई बात नहीं थी, उसी की सीमा में था । वह बता दीजिये आप, कौनसा मांगा था उन्होंने और कौनसा आपने उपलब्ध करा दिया ?

श्री तैय्यब हुसैन : अध्यक्ष महोदय, जयपुर क्षेत्र में 1470 क्विंटल, भरतपुर क्षेत्र में 700 क्विंटल, कोटा क्षेत्र में 100, भीलवाड़ा क्षेत्र में 960, उदयपुर, जोधपुर और श्रीगंगानगर क्षेत्र 4151...., (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यह तो लिखा हुआ है ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मांग कितनी थी ? मंत्री महोदय, केवल लिखा हुआ पढ़ने से काम नहीं चलेगा ।

श्री तैय्यब हुसैन : यह सारी डीटेल है, और क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि वहां की लोकल डिमांड कौनसे बीज की थी, कहां पर कितनी थी और उसकी तुलना में आपने कितना दिया ? वहां की लोकल डिमांड कौनसे बीज की थी ?

श्री तैय्यब हुसैन : आपने शायद पढ़ा नहीं । हमने आपस में सबसे विचार-विमर्श कर यह किया है कि जो जहां की जरूरत है उसको ही पूरा करने की कोशिश की जाय ।

टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पूछा है वह भी सुन लीजिये । (व्यवधान) यह है कि यूरिया पर पिछले साल कीमत थी 4000 और इस साल बढ़ा दी गयी है 4600 । (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, यह क्या जवाब दे रहे हैं मंत्री महोदय ? (व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : डी.ए.पी. की पिछले साल कीमत थी 8900, जो बढ़ा दी गयी है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, इतनी तगड़ी कीमतें बढ़ी हैं, +++ आने की बात है। +++ किसान विरोधियों। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ मत करो; सम्बन्धित प्रश्न का जवाब दो। इर्रेलिवेंट जवाब मत दीजिये। अध्यक्ष महोदय, इर्रेलेवेंट जवाब नहीं चाहिए; रेलेवेंट जवाब चाहिये। (व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : पिछले साल थी 3700। (व्यवधान) एस.एस.पी. पर सब्सिडी पिछले साल थी 900 और इस साल 800 कर दी है।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, यह लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। मंत्री महोदय; मैंने आप से यह पूछा है कि कपास का कौन–कौनसी कैटेगरी का बीज इस जयपुर क्षेत्र का जो आपने बताया है; कहां-कहां पर कितने-कितने की आवश्यकता है? उसमें जे-34 कितना है, बीकानेरी नरमा कितना है, देसी कपास की मांग कहां-कहां पर कितनी है और कहां-कहां पर उपलब्ध है, कब-कब से चालू करेंगे? यह बिलकुल पर्टीकुलर सवाल है।

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बीज निगम द्वारा जो बीज पैदा किये जाते हैं वे थैलियों में जो पैक किये जाते हैं; उनकी गुणवत्ता पर प्रश्न करना चाहता हूं। बिलाड़ा में जो कपास पैदा किया गया है, 81 काश्तकारों के बीज पैदा करने के लिए अनुदान दिया गया था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गुणवत्ता के बारे में माननीय मंत्रीजी उत्तर दे चुके हैं।

श्री सांवर लाल : कोई उत्तर नहीं है; अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कोई उत्तर नहीं है; अध्यक्ष महोदय। तैयारी कर के आये नहीं हैं; मंत्रीजी की तैयारी नहीं है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय; अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित सवाल है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : केवल कपास से सम्बन्धित है।

श्री सांवर लाल : अगर समय पर व्यवस्था नहीं होती तो किसान बर्बाद हो रहा है; इस साल और बर्बाद होगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तैयारी कर के आये नहीं, पता है नहीं।

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो बीज थैलीयों में पैक किया जाता है उसकी गुणवत्ता के लिए प्रश्न करना चाहता हूं। (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर।

श्री सांवर लाल : मेरा पर्टीकुलर सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। (व्यवधान) श्री दिलावरजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, इतना ही निवेदन था कि कपास के बारे में लोकल डिमांड किस-किस प्रकार के बीज की थी ? कितनी-कितनी मांग थी, उसकी एवज में आपने कितना-कितना उपलब्ध करा दिया ? ज्यादा नहीं तो आप जयपुर के बारे में कह रहे हो, जयपुर की लोकल डिमांड कौनसे बीज की कितनी थी और उसकी एवज में आपने कितना-कितना उपलब्ध करा दिया ? दूसरा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, आप केवल जयपुर को ही कंसंट्रेट करना चाहते हैं तो जयपुर जिले की लोकल डिमांड कितनी थी, किस प्रकार के बीज की थी और उसके एवज में आपने कितना बीज कहां-कहां उपलब्ध करा दिया?

श्री तैय्यब हुसैन : अध्यक्ष महोदय, यह कपास की किस्में आर.जी. 8, बीकानेर नरमा, आर.एस टी. 9 और दूसरी वैरायटीज, यह तकरीबन 5000 क्विंटल बीज उपलब्ध कराया गया था। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मांग कितनी थी? (व्यवधान) मांग बताओ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : केवल लिखा हुआ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। कहां-कहां से कौनसे प्रकार का बीज मांगा गया और आपने कितनी सप्लाई की ? (व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : हम तो कितना बीज उपलब्ध कराते हैं उसकी बात करते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ....(व्यवधान) ऐसा कहने से तो काम नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : फिर क्या करेंगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कितने माननीय सदस्य एक साथ खड़े हो रहे हैं ? आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री तैय्यब हुसैन : वह मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि वह हम आपस में विचार-विमर्श करके देते हैं और वह आपको बता दिया कि कपास डिस्ट्रिक्ट पाइंट 1470 क्विन्टल बीज.... (व्यवधान).

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न किसानों से संबंधित है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, आप बैठिए।

श्री सांवर लाल : किसानों से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जवाब दिलवाइए आप। जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। दे रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : प्रश्न किसानों से सम्बन्धित है। आप भी किसान हैं, जो उत्तर दे रहे हैं वे भी किसान हैं। अगर यह स्थगित हो जाए और आगे ये तैयारी करके आएं तो ठीक रहेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, तैयारी है।

श्री सांवर लाल : ऐसे किसानों का कोई भला नहीं होगा। टाइम पर खाद बीज की व्यवस्था होनी चाहिए। कहां-कहां पर कौनसा बीज चाहिए, कोई इनके पास रिकार्ड नहीं है। यह जवाब सिर्फ गोलमाल है इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि बाद में फिर ये तैयारी करके आएं कि पर्टीकुलर क्षेत्र में कौनसे कितने बीज की व्यवस्था ये करेंगे, कब से व्यवस्था करेंगे, कहां क्या फसल बोई जाती है। अभी स्थगित कर दें।

श्री केसाराम चौधरी : बीज की गुणवत्ता पर मेरा सप्लीमेंट्री है।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी पर अक्षमता का....

श्री अध्यक्ष : दायमाजी, आप बैठिए। श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बीज के मामले में शिकायतें हैं कि मांग से कम बीज मिलता है, समय पर नहीं मिलता है और प्रमाणित बीज के बजाय लोगबाग धोखे से किसानों को लूटते हैं। उसकी जांच के लिए आपने कुछ व्यवस्था बतायी है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जांच के लिए जो आपने अधिकारी लगा रखे हैं उनके द्वारा कितनी–कितनी जांच की गयी और उनमें कितने लोगों का चालान और सजा गलत बीज के कारण से हुई ? यह आप संख्या बताएं तो हमें पता लगेगा कि आप इफैक्टिव हैं कि नहीं हैं। और दूसरा, मांग और सप्लाई के बीच जो गैप है वह कितना बड़ा है ? उसको पूरा करने के लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री केसाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गुणवत्ता के सम्बन्ध में स्पेसिफिक प्रश्न करना चाह रहा हूं।

श्री तैय्यब हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि सीड के बारे में 1999–2000 में 3227 का एनालाइसिस किया गया है जिसमें से 3092 स्टैण्डर्ड पाये गये और सब स्टैण्डर्ड 45 पाये गये। इसी तरह के फर्टिलाइजर में 4228 थे जिनमें से 4173 स्टैण्डर्ड और 55 सब स्टैण्डर्ड पाये गये। पेस्टीसाइड्स 1301 थे जिनमें से स्टैण्डर्ड 1214 और 87 सब स्टैण्डर्ड पाये गये।

जैसा कि मैंने अर्ज किया था, इस साल 6.6, 1.3 और 1.3 है जो पिछले सालों के मुकाबले में बहुत कम परसेंटेज सब स्टैण्डर्ड पाये गये हैं। जो भी पाये गये हैं उनके चालान भी किये गये और अदालत में भी..

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, स्टैण्डर्ड और सब स्टैण्डर्ड का पिछले साल को याद कर रहे हैं, हम यह चाहते हैं कि इस वर्ष क्या व्यवस्था कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मेरा पर्टीकुलर सवाल था उसका जवाब नहीं दिया गया है। कहां-कहां कौनसा बीज मिलेगा,

(श्री सांवर लाल)

कब मिलेगा, इसकी कोई जानकारी इसमें नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर सांवर लालजी, आज इस सदन में दूसरों के भी प्रश्न हैं।

श्री सांवर लाल : सर, इसको स्थगित करवा दें। जानकारी भी आएगी।

श्री अध्यक्ष : स्थगित नहीं होगा।

डा. किरोड़ी लाल : किसानों के हित का मामला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बहुत डिटेल में उत्तर दिया है। एनेक्सचर लगाये हैं, परिशिष्ट भी लगाये गये हैं साथ में।

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सप्लीमेंटरी बीज की गुणवत्ता के बारे में करना चाह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मूल प्रश्न की जो आत्मा थी वह आत्मा ही मार दी इन्होंने। मूल प्रश्नकर्ता के प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के जवाब में किसानों के प्रति मैंने कोई संवेदनशीलता नहीं देखी। माननीय मंत्री महोदय ने जो दिया है....

श्री अध्यक्ष : आप क्वेश्चन आवर को व्यवस्थित चलने दीजिए।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां काटन के बीज की आज की तारीख में आवश्यकता शुरू हो गयी है, क्या व्यवस्था कर रहे हैं आप? कितनी आवश्यकता होगी? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वश्चन। श्री यशवन्त सिंह रामू।

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमेंटरी प्रश्न है। जो बीज आप दे रहे हैं उसकी गुणवत्ता के बारे में पूछना चाह रहा हूं। बिलाड़ा में गत वर्ष कपास के लिए 51 काश्तकारों को अनुदानित बीज दिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में मंत्रीजी उत्तर दे चुके हैं, आप बैठिए।

श्री केसाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बीज की गुणवत्ता का सवाल है। जो बीज दिया जा रहा है वह नकली दिया जा रहा है। काश्तकारों को थैलियों में पैक किया जा रहा है। बिलकुल काम का बीज नहीं है और काश्तकारों को लूटा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, गुणवत्ता के लिए प्रश्न करना चाह रहा हूं, स्थगित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : गुणवत्ता के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में दिया है। श्री यशवन्त सिंह रामू। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : किसानों के जीवन और मरण का सवाल है।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार ने जो कीमतें बढ़ायी हैं खाद की, उससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय; किसानों के जीवन और मरण का प्रश्न होता है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नये सदस्य आये हैं इनको तो सुनें। पुराने बीच-बीच में बोलते रहते हैं। कृषि मंत्री गुणवत्ता के बारे में जवाब नहीं दे रहे हैं। कृषि मंत्री फेल हैं जवाब देने में।

श्री केसाराम चौधरी : किसानों के जीवन और मरण का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, बीज की गुणवत्ता के सम्बन्ध में प्रश्न करना चाह रहा था और आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्त सिंह (रामू)।

विधान सभा क्षेत्र नदबई के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

154. श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) में कितने पशु चिकित्सालय कहां-कहां पर कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालयों में चिकित्सा कर्मियों की कमी के कारण वे सुचारू रूप से सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त कमी को कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा ?

राज्य मंत्री, पशुपालन (श्री हरिसिंह) (कुम्हेर)) : (1) विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) में तीन पशु चिकित्सालय क्रमशः नदबई, लखनपुर, व खेड़ली गड़ासिया में संचालित किये जा रहे हैं। बरखेड़ा में 1999-2000 में नवीन पशु चिकित्सालय खोले जाने की स्वीकृति जारी कर दी गयी है।

(2) जी नहीं, पशु चिकित्सालयों के अधिकांश पद भरे हुए हैं। पशु चिकित्सालय बरखेड़ा वर्ष 1999-2000 में नया खोला गया है। नई भर्ती पर रोक के कारण वर्तमान में पदों को नहीं भरा जा सका है। भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध के हटने पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कब तक इस भर्ती से रोक हट जाएगी ? दूसरा, इस पशु चिकित्सालय को खोले हुए एक वर्ष हो गया। मैं जानता था कि पिछली बार आपकी मजबूरी थी, तत्कालीन वित्त मंत्री जी आपकी बात नहीं मानते थे लेकिन अब तो वित्त मंत्री महोदय आपके फेवर के आ गये हैं, इनके समय में पशुपालन चिकित्सालय में भर्ती की जाएगी या नहीं ? या कोई नया तीसरा ही वित्त मंत्री आकर इस पशु चिकित्सालय में भर्ती करेगा ? यह बताने का कष्ट करें कि कब तक भर्ती की जाएगी, इसको एक साल हो गया है ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय सदस्य जी, जैसा कि आपको जानकारी है; वर्तमान सरकार को बागडोर बहुत ही गम्भीर फाइनेंशल सिंट्रजेंसी में मिली है। सरकार उसे कम करने का अथक् प्रयास कर रही है। जैसे ही हम प्रयास कर पाएंगे, उस पर से प्रतिबन्ध हटने के बाद निश्चित रूप में बहुत जल्दी ही भर देंगे।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : मंत्री महोदय, कब तक प्रतिबन्ध हट जाएगा, यह तो बताइये आप।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आप भरोसा रखिए, सब काम जल्दी होगा।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : भरोसा रखते-रखते एक साल हो गया। या तो खोलते ही नहीं और जब खोल दिया तो वहां अधिकारी नहीं बैठा रहे हो। नियुक्ति कीजिए। ट्रेनिंगशुदा स्टाफ बैठा हुआ है। आपके पास पैसा नहीं है, जनता इस बात को नहीं जानती।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही सब काम होगा।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आप समय बता दीजिए। एक साल हो गया है। इन पांच सालों में स्टाफ पहुंच जाएगा कि नहीं?

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा) : अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पशु चिकित्सालय में भर्ती नहीं कर रहे हैं। मेरा यह निवेदन है कि ये तो आठ साल में एक भी नहीं खोले और इस सरकार ने 400 खोले होंगे। ये एक ही नहीं खोले। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आठ साल में इन्होंने नहीं खोले। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा क्योंकि बड़ा गम्भीर सवाल है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि फाइनेंशल स्थिति ठीक नहीं थी तो फिर केवल नाम के लिए पशु चिकित्सालय खोलकर सरकार क्या कहना चाहती है? एक साल के बाद जो पशु चिकित्सालय खुले हैं उनमें आज तक कर्मचारी नहीं आये तो फिर इस तरह से पशु चिकित्सालय खोलने का क्या अर्थ है? उससे जनता को और किसानों को क्या लाभ हुआ है, मकसद क्या है, मंत्री महोदय बताएं।

श्री अध्यक्ष : अमराराम जी, आप बैठिए। प्रश्न नदबई तहसील के बारे में है।

श्री अमराराम (धोद) : मैं नदबई का ही पूछ रहा हूं। मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, नई नियुक्तियों पर पाबन्दी थी। ऐसा कहने से ....(व्यवधान) सैंक्शनशुदा बजट में प्रोविजन किये गये हैं कि इतने पशु चिकित्सालय और 400 उप केन्द्र खोले जाएंगे। जब सैंक्शन नहीं दी गई तो किस बात के लिए खोले गये? उनसे किसानों को क्या लाभ हुआ? केवल वाह वाही लूटने के लिए चिकित्सालय खोले गये हैं। नियुक्ति पर लगी हुई पाबन्दी प्रोविजन होने के बाद भी क्यों नहीं हटायी? यह कब हटा दी जाएगी और नयी नियुक्ति कब हो जाएगी? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जिन पशु चिकित्सालयों में कमी है, जिस प्रकार शिक्षा विभाग के अन्दर हमने कुछ व्यवस्था की है, कुछ नयी पोस्टें भी मगर.. (व्यवधान) आप सुनिये।

श्री अमराराम (धोद) : सुनाई नहीं दे रहा है ना।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप कृपया सुन लें। आवाज आपको निश्चित रूप से सुनाई दे रही होगी।

श्री अध्यक्ष : हां, स्पष्ट ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हम जहां भी पशु चिकित्सालय खाली हैं राजस्थान के अंदर इसको आपस में चर्चा करके शीघ्र ही व्यवस्था करेंगे, यह मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वश्चन ।

श्री सांवर लाल : क्या समानीकरण योजना शिक्षा विभाग में लागू की इसी प्रकार व्यवस्था करेंगे आप या कोई नयी पोस्टें देंगे ?

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद ।

अलवर जिले के उद्योगों में स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार

155. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) (श्री जगमाल सिंह के स्थान पर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला अलवर के औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी, बहरोड़, शाहजहांपुर एवं मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर में किस–किस उद्योग में कितने-कितने व्यक्ति रोजगाररत हैं ? उनमें अलवर जिले के कितने हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि किसी उद्योग को अनुज्ञा पत्र जारी करते समय क्षेत्रीय व्यक्तियों को रोजगार देने के संबंध में शर्त अनुज्ञा पत्र में दर्ज की जाती है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या जिन किसानों की भूमि किसी उद्योग हेतु अवाप्त की जाती है उनके परिवारों के व्यक्तियों को उक्त उद्योगों में रोजगार दिया जाता है ? यदि हां, तो अलवर जिले में कितने व्यक्तियों को किस-किस उद्योग में नियुक्ति दी गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन (श्री हरिसिंह) (कुम्हेर) : (1) जिला अलवर के औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी, बहरोड़, शाहजहांपुर एवं एम.आई.ए. अलवर में रोजगाररत व्यक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है :–

औद्योगिक क्षेत्र का नाम	रोजगाररत व्यक्तियों की संख्या	अलवर जिले के व्यक्तियों की संख्या
1. भिवाड़ी	21778	7648
2. बहरोड़	2727	1198
3. शाहजहांपुर	1420	430
4. एम.आई.ए., अलवर	3561	2431

उद्योगवार सूची संलग्न है ।

(श्री हरिसिंह) (कुम्हेर)

(2) जी नहीं ।

(3) उद्योग विभाग की सूचना के अनुसार उद्योग हेतु भूमि रीको द्वारा अधिग्रहण की जाती है किन्तु किसानों की भूमि उद्योग हेतु अवाप्त करते समय उनके परिवार के लोगों को उन उद्योगों में रोजगार दिये जाने की कोई शर्त नहीं होती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

डा. चन्द्रभान : सवाल तो सही पूछा करो ।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, श्रमिक तो श्रम से सम्बन्धित है । भूमि अवाप्ति का नहीं है मजदूरों का सवाल है । अगर सवाल गलत पूछ लिया था, माननीय सदस्य ने गलती कर दी.... (व्यवधान) सवाल को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था । (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, श्रमित किया गया है । सारे ठेकेदार लोकल हैं । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय सदस्य से पहले बोल रहे हो । (व्यवधान) बगैर नियम के खड़े हो जाते हो । यह कौनसा नियम है जो आप खड़े हो गये ? पूछने लग गये सीधे सवाल वैसे ही ।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, बिना आपकी अनुमति के जो लोग बोलें उनकी बात रिकार्ड नहीं होनी चाहिए। नहीं तो प्रश्नकाल का कोई महत्व ही नहीं है । आपसे अनुमति लेकर हम बोलते हैं, आप जिसको इजाजत दें उसी की बात आनी चाहिए रिकार्ड पर । कोई भी खड़ा होकर क्वेश्चन को डाइवर्ट कर देता है ।

मैं निहायत अदब के साथ आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो सवाल पूछना चाहता हूं । पहले एक बार यह चर्चा चली थी कि जिन काश्तकारों की जमीन ली जाती है चाहे वह जयपुर विकास प्राधिकरण लेता है चाहे गवर्नमेंट की रीको लेती है; कोई भी एजेंसी लेती है तो उसका कुछ न कुछ पार्ट एंड पार्सल उस किसान को या जो भी स्वामी होता है उसको दिया जाता है । इसी तरीके से तो पहले भी बात चली थी ।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अपनी जमीन देता है वह इस आशा और विश्वास के साथ देता है कि इसका कुछ न कुछ लाभ अगर औद्योगिक विकास हुआ तो हमको भी मिलेगा । क्या आप ऐसा प्रावधान इसमें सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता मिले ? यदि करने जा रहे हैं तो कब तक कर देंगे और यदि नहीं कर रहे हैं तो उसका क्या कारण है ? क्यों नहीं करना चाहते ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : जी नहीं, इस समय ऐसा कोई विचार विचाराधीन नहीं है ।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हमारी सरकार किसानों की जो जमीन होती है वह सस्ती से सस्ती उद्योगपतियों को मुहैया

(श्री जगत सिंह दायमा)

करवाती है। बिजली हमारे किसानों को नहीं मिलती उसके बावजूद हम बिजली देते हैं, उल्टे उनका जो प्रदूषण है वह भी हम सहन करते हैं, तो कम से कम यह बात तो आनी चाहिए। शर्त अगर नहीं रखी है तो रखी जानी चाहिए। बिजली हम सस्ती देते हैं, जमीन सस्ती देते हैं, प्रदूषण हम झेलते हैं उसके बाद भी अगर लोकल व्यक्तियों को इसमें नौकरी नहीं दी जाती है तो ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए। एक बात और है, अध्यक्ष महोदय। यह समझ में आता है कि जो कुशल कारीगर हैं, अर्द्ध कुशल कारीगर हैं, हो सकता है वे नहीं मिलें उद्योगपतियों को, परन्तु ऐसा नहीं है कि मजदूर भी नहीं मिले। यह बात विश्वास काबिल नहीं है। हमारे जो लोकल कार्यकर्ता हैं, जो लोकल लोग हैं उनको ये लोग जानबूझ कर रोजगार नहीं देते।

इसलिए मैं सरकार से विनम्र शब्दों में निवेदन करता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवाल वास्तव में अहम है। उद्योग लगा देते हैं उसकी सारी सुविधाएं स्थानीय लोग देते हैं, बिजली देते हैं, जमीन देते हैं इसके बावजूद भी श्री सीमेंट फैक्ट्री है ब्यावर के पास में, सारे मजदूर बाहर से लाते हैं। साल में तीन-चार बार..

श्री अध्यक्ष : अलवर जिले के सम्बन्ध में क्वेश्चन है।

श्री हीरासिंह चौहान : अलवर की ही बात नहीं है, कामन है यह। It is common for all the places in Rajasthan.

यह सब जगह का सवाल है, सब जगह उद्योग लगते हैं। स्थानीय लोगों को लगाते नहीं हैं, बाहर के लोग आते हैं, वे मारे मारे फिरते हैं इसलिए सरकार को कोई न कोई नीति निर्धारित करनी चाहिए। जिस समय लाइसेंस दिया जाए, जिस समय परमीशन दी जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं। दूसरे प्रांतों से, कहीं तो बिहार से आ रहे हैं, कहीं उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं और हमारे राजस्थान के बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार.. (व्यवधान) गरीब लोग मारे मारे फिरते हैं। इसके लिए कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए, अन्यथा उद्योग लगाने से कोई फायदा नहीं है। बाहर के लोग तो उद्योगों से अपना रोजगार पा रहे हैं और हमारे यहां के लोग बेकार फिर रहे हैं। रोजगार मांगने पर लाठीचार्ज होता है, झगड़ा होता है दुनिया भर की अव्यवस्थाएं वहां पर फैलती हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, ने जो उत्तर दिया है वह भ्रमित करने वाला है। (व्यवधान) एक भी परमानेंट लेबर अलवर जिले में बहरोड़ शाहजहांपुर,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

नीमराना, भिवाड़ी या अलवर का नहीं है। ये सारे ठेकेदार...(व्यवधान) के ऊपर है। एक एक श्रमिक...(व्यवधान) सारे श्रमिक ठेकेदारी के अन्तर्गत काम करते हैं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : यह नीति की बात है इसलिए ...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : श्रम मंत्री जी जवाब दें कि उद्योगों में परमानेंट लेबर कितनी है और मस्टर-रोल पर लेबर कितनी है। एक भी श्रमिक वहां पर परमानेंट नहीं है, सारे ठेकेदारी पर काम करते हैं। चाहे वह बहरोड़ है, चाहे वह नीमराना है, चाहे वह शाहजहांपुर है, चाहे भिवाड़ी है, चाहे अलवर है, चाहे राजगढ़ है, चाहे खैरथल है, सारे उद्योगों में ठेकेदारी पर काम करने वाले श्रमिक हैं, एक भी उद्योग में काम करने वाला परमानेंट नहीं है। कृपया बताएं कि परमानेंट लेबर कितनी है? एक भी लेबर परमानेंट नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब मंत्रीजी दें।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने का कोई मामला राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा जटिल मुद्दा है और वह कहावत है ना 'घर का पूत कंवारा डोले पड़ोसी के फेरा' आप उसको चरितार्थ करने जा रहे हो।

मैं आसन के जरिये माननीय उद्योग मंत्री जो यहां विराजमान हैं उनसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान के लोग भुखमरी की हालत में पड़ौस के राज्यों में रोजगार के लिए जाते हैं। वहां उनके साथ बदसलूकी की जाती है, उनके साथ दूसरे तरीके का व्यवहार किया जाता है।

मेरा सवाल यह है कि आप इसमें, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिले, ऐसा प्रावधान करिये। नहीं है तो आप इस पर विचार करिये। उद्योग मंत्री जी, इस पर विचार करके ऐसा कोई न कोई समायोजन इसमें लाइये कि स्थानीय लोग जो इसमें बर्बाद होते हैं, जिनकी जमीन जाती है, जिनको बड़ी आशा होती है कि औद्योगिक विकास होने से लाभ मिलेगा उनको प्राथमिकता मिले। अगर प्रावधान नहीं है तो इसमें आप समायोजन इस तरीके का करिये।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह सवाल उद्योग विभाग से जुड़ा हुआ है, पर इसका एक हिस्सा जरूर श्रम विभाग से जुड़ा हुआ है। माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित नहीं हैं जिन्होंने यह सवाल किया है।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं उपस्थित हूं और मेरा क्षेत्र है इसमें, बहरोड़ और शाहजहांपुर। भिवाड़ी का मैं रहने वाला हूं.... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष जी ने अलाउ किया तो यह तो कह ही नहीं

(मोहम्मद माहिर आजाद)

सकते कि सदस्य उपस्थित नहीं हैं। ऑथोरिटी लैटर के आधार पर माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे अलाउ किया है, मैंने सवाल पूछा है। अब यह सदन की सम्पत्ति बन गयी है, आपको इसका उत्तर देना चाहिए।

डा. चन्द्रभान : इसलिए, अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने सप्लीमैंटरी की है मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जिन उद्योगों के बारे में आपने जानकारी चाही है वे कोई सहकारी उद्योग तो हैं नहीं, सब निजी उद्योग हैं और निजी उद्योगों के सम्बन्ध में....

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय मंत्री महोदय, यह बात गलत है आपको। (व्यवधान) यह जवाब हो ना कार्य करने का है।

श्री हीरासिंह चौहान : सरकार के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। निजी उद्योगों में इस प्रकार की व्यवस्था की जाए, इसी पर सवाल किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : किसानों को सस्ती बिजली देते हो, हमारे किसानों की आप सस्ती जमीन देते हो उसके बावजूद हमें नौकरी नहीं मिलती तो इसमें कहां की अच्छी बात है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी बोल रहे हैं, आप बैठिये।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, यही नहीं हरियाणा में.... (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने जो उद्योग नीति लागू की थी उस उद्योग नीति में इस तरह का कोई प्रावधान रखा था क्या सरकार ने ? माननीय श्रम मंत्रीजी यह बताने का कष्ट करें।

श्री हीरासिंह चौहान : पिछली सरकार ने कोई पार्ट छोड़ दिया तो यह सरकार करने में काम्पीटेंट नहीं है क्या ? सारा पिछली सरकार ही करती क्या ?

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : आपकी पिछली सरकार ने तो सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री बंद कर दी थी, बात कर रहे हो आज आप। कोस रहे हैं सारे मजदूर कि आपकी सरकार ने सीमेंट फैक्ट्री बंद कर दी। आपने कहा था कि इसमें धुंआ निकलवा देंगे.... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : सारा देश एक है कन्याकुमारी से कश्मीर तक। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : +++ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूप मीणा, ज्ञानदेव आहूजा, प्लीज टेक योर सीट।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : पिछले साल में 4 हजार उद्योग बंद हो गये। (व्यवधान) इण्डस्ट्री को +++

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आज सारा देश एक है। कन्या-कुमारी से कश्मीर तक जुड़ा हुआ है, द्वारका से नागालैण्ड तक जुड़ा हुआ है। भिवाड़ी में हरियाणा का, झुन्झुनू का मजदूर आकर काम नहीं कर सकता? देश के लाखों मजदूर अरब कंट्रीज में काम कर रहे हैं। गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं, फ्रांस और जर्मनी में जा रहे हैं। आप भिवाड़ी के लड़ रहे हो कि वहां पर अलवर ही अलवर के होंगे। (व्यवधान) कितनी सकुचित स्थिति है, अध्यक्ष महोदय। ऐसा प्रश्न पूछा ही नहीं जाना चाहिए था। जितना लोकलिज्म हम सोच रहे हैं, अध्यक्ष महोदय इतने लोकलिज्म में हम जाएंगे तो कैसे देश की एकता को बनाये रखेंगे, कैसे सामूहिक भावना पैदा करेंगे? आज जरूरत इस बात की है कि सारे मुल्क की एक भावना पैदा हो और ये फिरकापरस्ती, लोकलिज्म फैला रहे हैं। ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए। राजस्थान एक है, देश एक है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : ऐसा नहीं पूछा जाना चाहिए? हमारे लोग पंजाब में जाते हैं वहां गोलियों का शिकार होते हैं, आसाम में जा रहे हैं वहां गोलियों के शिकार होते हैं। आप लोग ऐसी बातें करते हो तो यह इर्रेलेवेंट है बिलकुल। (व्यवधान) कैसे रेलेवेंट है। हम सस्ती बिजली देते हैं। (व्यवधान) और हमारे बच्चों को जानबूझकर नहीं लगाया जाता। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : भिवाड़ी में भिवाड़ी के लोग ही काम नहीं करेंगे। क्या बात कर रहे हैं। भिवाड़ी के लोग हैं ...(व्यवधान) सारा देश एक है, राजस्थान एक है।

श्री जगत सिंह दायमा : क्या मतलब हुआ इस बात का, देश एक है वर्ल्ड एक है? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो हमारी निजी औद्योगिक नीति है उसमें लाइसेंस देने की....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, खड़े मत रहिये।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं तो खड़ा हूं इस बात के लिए। यह सवाल ऐसा है कि इस बात के लिए मैं बैठ नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष : बैठिये बैठिये।

डा. चन्द्रभान : जो नई उद्योग नीति है, नीति कोई सरकार बनाती है वह 10 साल, 15 साल के लिए बनाती है और उसमें बारबार संशोधन करना कोई जरूरी नहीं है। अब तो उदारीकरण का वक्त है,

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. चन्द्रभान)

अध्यक्ष महोदय और उसमें हमारे राज्य में भी किसी इण्डस्ट्री को कोई लाइसेंस देने की आवश्यकता नहीं है। उस पर कोई पाबंदी हम नहीं लगाते, क्योंकि हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे यहां पर पनपें। जब कोई उद्योग लगेगा, निश्चित रूप से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी जो जानकारी दी है माननीय मंत्री जी ने, उसमें भी उन लोगों को रोजगार मिला है। अब कितना मिलना चाहिए कितना नहीं मिलना चाहिए, वह अलग बहस का मुद्दा हो सकता है।

दूसरी बात जो आप कह रहे हैं किसान से जमीन लेते हैं, रीको लेती है, लेते हैं तो उसको मुआवजा दिया जाता है। (व्यवधान) सुनिये।

श्री जगत सिंह दायमा : फिर आप कहोगे जगतसिंह बीच में। बहरोड़ के पास हाई-वे के ऊपर 60 हजार रुपये बीघा। 60 हजार में आप छोटी-सी दुकान नहीं दे सकते, 60 हजार रुपये का मुआवजा है, आप बताइये इसको।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, रीको ने जहां-जहां जमीन खरीदी है....

श्री जगत सिंह दायमा : 60 हजार रुपये में खोका नहीं दे सकते आप और किसानों को दे रहे हैं 60 हजार रुपये बीघा, जो जमीन उपजाऊ है। इन्होंने कर दिया यह काम, कम से कम आप तो कह दो कि हम सुधार देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री जगत सिंह दायमा, बैठिये आप। आप हर वक्त हो....

श्री जगत सिंह दायमा : मेरा क्षेत्र है, मुझे दुःख है इस बात का कि मेरा क्षेत्र है। (व्यवधान) 12 पंचायतें बहरोड़ की मेरे विधान सभा क्षेत्र... (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, रीको किसान को पूरे दाम देता है। बिजली का जहां तक सवाल है किसानों के मुकाबले में उद्योगों को मंहगी बिजली दी जाती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये बैठिये।

श्री जगत सिंह दायमा : ....(व्यवधान) पैंनी, हमजापुर, मोहम्मदपुर, कांकरा, शहरपुर ये सारे के सारे गांव ऐसे हैं....

श्री अध्यक्ष : आप आसन की बिना अनुमति के अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं और भाषण दे रहे हैं। नैक्स्ट क्वश्चन।

श्री जगत सिंह दायमा : यह भाषण है क्या ? भाषण तो जब मैं दूंगा तब पत्थर भी फाड़ दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

नागौर शहर में वक्फ बोर्ड की भूमि पर निर्मित सिनेमा हाल

156. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नागौर शहर

डा. किरोड़ी लाल : यहां काहे के लिये कहेंगे; मंत्रीजी तो कार्यालय में बुला रहे हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : क्या टोंक की शिकायत आयी है आपके पास ? इनके कार्यालय में मैं पहुंचूं तो इनके कार्यालय का ताला बंद रहता है ये ज्यादातर विदेश में घूमते हैं।

श्री रामस्वरूप : वे हज करने गये थे, कौन कहता है घूमने गये थे ? वे हज करने के लिये गये, आप कहते हो घूमने के लिये गये थे। उनके जीवन का एक उद्देश्य होता है उसके लिये गये थे। वे हाजी हैं, हज करने गये थे, घूमने नहीं गये थे।

श्री जगत सिंह दायमा : हाजी लोग कभी असत्य नहीं बोलते। आप मुझे बताइये, क्या इसका भी ज्ञान आपको नहीं है कि आपको शिकायत मिली है ? इतना भी ज्ञान है या नहीं है ? इतनी भी नालेज नहीं है तो फिर क्या कहा जाए इनको ?

श्री रामस्वरूप : वे जवाब नहीं देंगे। दे दिया सही जवाब देना था जो।

श्री जगत सिंह दायमा : शिकायत मिली है कि नहीं मिली है आपको ? आपका लिखा हुआ एक पत्र हमारे पास है, जो टोंक की शिकायत आपके पास में आयी है उसके बाद में आपने....

श्री रामस्वरूप : उन्होंने सही जवाब दे दिया। अब हाजी हो चुके हैं, अब गलत जवाब नहीं देंगे चाहे कितना ही कहो आप।

श्री जगत सिंह दायमा : अब सही बात है ये हाजी हो गये हैं इसलिये मालूम नहीं है और मालूम नहीं है तो जवाब भी नहीं दिया जाएगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वक्फ मंत्रीजी से दो सवाल पूछना चाहता हूं।

पहला यह कि यह सम्पत्ति राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार वक्फ सम्पत्ति थी। वक्फ सम्पत्ति की निगरानी के लिये कोई न कोई कमेटी बनायी जाती है। जब इसकी किस्म परिवर्तन करके इसको पिक्चर हाल के लिये अलाट कर दिया गया उस समय इस सम्पत्ति की देख–रेख कौन कर रहा था ? उसने इस कार्यवाही के खिलाफ क्या कार्यवाही की, मैं आपसे पहला सवाल तो यह जानना चाहता हूं।

दूसरा, सबसे पहले यह बात आपके नोटिस में कब आयी कि इस वक्फ सम्पत्ति पर पिक्चर हाल बना दिया गया है ? यह जानकारी आपके पास आने के बाद आपने क्या कार्यवाही की ?

तीसरी चीज, आप जो बात कह रहे हैं कि संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बैठेगी और वह इस पर जांच करके उचित निर्णय लेगी, क्या कोई

(मोहम्मद माहिर आजाद)

कमेटी आपने बना दी है ? यदि बनायी है, तो कब बनायी है और नहीं बनायी तो कब बनाएंगे ? कृपया अवगत कराएं।

श्री जगत सिंह दायमा : ये दोनों ही हाजी हैं।

श्री अध्यक्ष : कह चुके हैं कमेटी कांस्टीट्यूट कर दी है।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, कांस्टीट्यूट नहीं की। कब की, बताएं। तारीख बताएं।

दूसरा यह कि इनके नोटिस में कब आया कि इस वक्फ सम्पत्ति के ऊपर क्या हुआ ? वक्फ सम्पत्ति के लिये कमेटी ये बनाएंगे कि वक्फ बोर्ड बनाएगा, जरा जानकारी दें इसके बारे में।

श्री जगत सिंह दायमा : इसके बारे में आप आफिस में आ जाइये उनके। आफिस में आ जाइये, मैंने कह दिया, साहब।

मोहम्मद माहिर आजाद : उत्तर तो दिलाइये, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) कृपया, मेरा तो स्पेसिफिक प्रश्न है इसका उत्तर आना चाहिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कमेटी कांस्टीट्यूट कर दी।

श्री रामस्वरूप : आप साथ–साथ थे वहीं पूछ लेते प्रश्न को। यात्रा में साथ-साथ थे।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, कब बनायी है, यह तो बता दें।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्षजी, ये इतने उतावले हो रहे हैं अपने प्रश्न के लिये, माननीय सदस्य पहले भी सत्र में थे, क्या इन्होंने यह चिन्ता जतायी ?

मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या सवाल हुआ ? अध्यक्ष महोदय, यह क्या सवाल हुआ ? यह सवाल आज लगा है। हर बार सवाल बनाकर दिया है.... (व्यवधान) सवाल लिस्ट होता है जिस दिन सवाल लगता है, उतावले की बात फिर कहां आ गयी ? यह गलत बात.... (व्यवधान) क्या उतावलापन है ? अपनी भाषा को संयमित करिये आप। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अब इन्होंने सत्य में उलझा कर रखा है आपको। सच कितना कड़वा होता है। सत्य कहा है इन्होंने, यह कड़वा होता है।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपके पास जानकारी नहीं है, तो आप हाथ जोड़कर आसन से माफी मांग लें कि मेरे पास जानकारी नहीं है, मैं जानकारी उपलब्ध करके दे दूंगा। इस तरीके की भाषा का उपयोग मत कीजिये। आप पढ़े-लिखे आदमी हैं, You are not an illiterate person. You are a highly educated person. You should give the answer properly.

श्री अब्दुल अजीज : प्रश्न माननीय हरजीरामजी बुरड़क साहब ने पूछा है और प्रश्न के हर हिस्से का माकूल जवाब पेश किया गया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने तो यह पूछा है कमेटी कब बनायी। मैंने यह पूछा है यह बात आपकी जानकारी में कब आयी कि इस वक्फ सम्पत्ति के ऊपर पिक्चर हाल बन गया है।

श्री जगत सिंह दायमा : जब ये हज करने गये तब।

मोहम्मद माहिर आजाद : जानकारी में आने के बाद आपने क्या कार्यवाही की? मेरा सवाल मूल प्रश्नकर्ता से अलग हटकर सप्लीमैंट्री प्रश्न है, इसका जवाब दीजिये।

श्री अब्दुल अजीज : देखिये, 16 साल हुए इस सिनेमा हाल को बने हुए....

श्री जगत सिंह दायमा : क्या हो गया? फिर इतिहास लिखा जा रहा है।

श्री अब्दुल अजीज : यह विवाद वक्फ बोर्ड और राज्य सरकार के बीच में चल रहा है इसलिए इस वक्त जो उचित था उसका जवाब मेरे पहले जवाब में है कि मैंने एक इंक्वायरी कमेटी मुकर्रर की है जिस में डिवीजन कमिश्नर, चेयरमैन वक्फ बोर्ड, सर्वे कमिश्नर और कलेक्टर नागौर सम्मिलित होंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : कब की है? यह इंक्वायरी कमेटी कब बनायी है, मैं यही तो जानना चाह रहा हूं।

श्री अब्दुल अजीज : और आज घोषणा कर रहा हूं कि बना दी गयी है, बना दी गयी है।

मोहम्मद माहिर आजाद : तारीख बताइये, कब बनायी है।

श्री अब्दुल अजीज : इसकी रिपोर्ट आएगी तो आपको शीघ्रातिशीघ्र....

मोहम्मद माहिर आजाद : आज बनायी है प्रश्न आने के बाद। वाह, बहुत बढ़िया। (व्यवधान) कब बनायी है?

श्री अब्दुल अजीज : आपने सुना ही नहीं था पहला जवाब।

श्री जगत सिंह दायमा : काम्पीटेंट मंत्री हैं हमारे, ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

जिला बारां में पंचायती राज के चुनावों में अस्थायी नियुक्तियां

157. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों हेतु बारां जिले में अस्थाई कर्मचारियों की भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे यदि हां, तो कब तथा आवेदन की अंतिम तिथि क्या थी? उक्त कार्य हेतु दिनांक 20/21 जनवरी, 2000 को कितने

(श्री मदन दिलावर)

आवेदन पत्र प्राप्त हुए और 21 जनवरी, 2000 को प्राप्त आवेदन पत्रों में से कितने व्यक्तियों को अस्थायी नियुक्ति दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि आवेदन पत्र देने की अंतिम तिथि से पूर्व ही अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती कर दी गयी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि भर्ती होते ही यह भी बता दिया गया कि तुम्हें किस मतदान टोली में कहां लगाया जा रहा है ?

(3) क्या इससे चुनावों की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री सी.पी. जोशी) : (1) जी हां। आवेदन आमंत्रित करने हेतु दिनांक 18-1-2000 को विज्ञप्ति जारी की गयी थी एवं आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 21-1-2000 थी। 613 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। दिनांक 21-1-2000 को 6 अस्थायी कर्मी रखे गये।

(2) वास्तव में स्थिति इस प्रकार है कि आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि से पूर्व चयन कमेटी द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से चुनाव सम्बन्धी अत्यंत जरूरी कार्य यथा स्टोर में मतदान दलों हेतु बैग्स जमाने, लेखा सम्बन्धी कार्य हेतु एवं परिवहन प्रकोष्ठ हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से दिनांक 19-1-2000 से ही अस्थायीकर्मी रख लिये जाएं। यह गलत है कि भर्ती होते ही मतदान दल के सदस्यों को यह बता दिया गया था कि उन्हें किस मतदान दल में कहां लगाया जा रहा है।

(3) जिले में पंचायत आम चुनाव निष्पक्ष सम्पन्न हुए हैं।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, 18-1-2000 को अखबार में विज्ञप्ति दी गयी, 19-1-2000 को छपी। उसमें लिखा हुआ है कि 21 तारीख तक अंतिम तिथि है, अस्थायी कर्मचारी अपना आवेदन दे सकते हैं। 19 तारीख को फिर यह निर्णय ले लिया गया कि अब दरख्वास्त तो नहीं ली जाए, पहले दरख्वास्त आ गयी उन्हीं को भर्ती कर लिया जाए। तो इस चयन कमेटी को पहले ध्यान क्यों नहीं आया, फिर यह क्यों किया गया ?

दूसरा यह कि जिन अस्थायी कर्मचारियों को भर्ती करने के लिये विज्ञापन निकाला था उसमें क्या रेट थी प्रतिदिन की और बाद में उनको क्या भुगतान किया गया ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी कहा गया है कि निष्पक्ष हुए हैं, तो फिर जिला परिषद् के वार्ड नं. 10 की पेटी में वार्ड नं. 5 के 600 वोट क्यों निकले ? इसका क्या कारण था ? फिर बूंदी में 9 साल के एक लड़के ने मतदान पेटी में वोट कैसे डाला ? बूंदी में एक मतदान अधिकारी एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कैसे बनाया ?

(श्री मदन दिलावर)

माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के द्वारा एक सूची दी गयी थी, उस सूची में कहा गया था कि इन लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को मतदान दलों में अस्थायी कर्मचारी की नियुक्ति दे दी जाए ताकि ये हमारे हिसाब से वोट डाल सकें। क्या यह भी सच नहीं है कि अब की बार वोटर से अपना हस्ताक्षर नहीं करवाया गया और बिना गिने इस प्रकार से दिये गये ? मैं इसका जवाब जानना चाहता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल तो निर्वाचन मंत्रीजी से संबंधित है, पंचायती राज मंत्रीजी से संबंधित ही नहीं है। इलेक्शन तो पंचायत के हों चाहे म्यूनिसिपैलिटिज के हों, स्टेट इलेक्शन आफिसर के निर्देशन में होते हैं। निर्वाचन मंत्रीजी यहां मौजूद हैं, पंचायत राज मंत्री जी से संबंधित ही नहीं है। Who is appointed as an Election Officer ? इलेक्शन आफिसर एज ए कलेक्टर थोड़े ही काम करता है, एज ए जिला निर्वाचन अधिकारी काम करता है। मेरी राय में यह सवाल माननीय निर्वाचन मंत्रीजी से संबंधित है उनको उत्तर देना चाहिये। पंचायती राज से इसका कन्सर्न ही नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (निर्वाचन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निर्वाचन मंत्री हूं लेकिन मैं लोक सभा और विधान सभा के चुनाव के लिये ही निर्वाचन मंत्री हूं, पंचायती राज के छोटे चुनावों के लिये नहीं हूं।

श्री सी.पी.जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए बड़ी तकलीफ है कि जिस पंचायती राज चुनाव अधिकारी की नियुक्ति तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के समय में हुई अमर सिंहजी राठौड़, इनकी निष्पक्षता पर उन्हीं की पार्टी के आदमी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मुझे तकलीफ इस बात की है कि उनकी निष्पक्षता पर आज बी.जे.पी. के लोग आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान) जिस आदमी को ...(व्यवधान)

(12.00 बजे)

श्री मदन दिलावर : यह अमरसिंह हमसे संबंधित नहीं है। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : निष्पक्ष मानकर लगा रहे...(व्यवधान) माननीय सदस्य ने पूछा कि....(व्यवधान) उनको क्या रेट दी गयी।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय मंत्री महोदय, आप जवाब सही दें अन्यथा भाई साहब कपड़े फाड़ देंगे अपने भी और दूसरों के भी। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, 9 साल के बच्चे को खुद लेकर आये थे.... (व्यवधान) आप ही लेकर आये थे 9 साल के बच्चे को और आज यहां शिकायत कर रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, इनके समझ में आता नहीं है, ऊपर से निकल जाती है। बैठ जाएं।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, 19 तारीख के अखबार में एक विज्ञप्ति जारी की कि 21 तारीख अंतिम तारीख है और अस्थायी कर्मचारी 21 तारीख तक अपना आवेदन दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री मदन दिलावर : आवेदन का टाइम दिया 19 तारीख को और आवेदन देने गये उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। बारां में बड़ा भ्रष्टाचार करके चुनाव कराये हैं। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के लोगों ने पहले सूची दे दी कि किसको मतदान केन्द्र पर लगाना है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त, प्रश्न काल समाप्त। (व्यवधान) श्री मदन दिलावर, आसन पैरों पर है, आप बैठिये।

श्री रामस्वरूप : दिलावरजी, कांग्रेस का नाम लेना छोड़ दें। आप बार-बार कांग्रेस की बुराई करते हो ... (व्यवधान) आप बस प्रश्न करिये।

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूप मीणा, बैठिये।

श्री रामस्वरूप : बार-बार कांग्रेस की बात मत करो, प्रश्न करो अपना।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 206

(स्थगित)

ईंट भट्टों की प्रशमन योजना से हानि

207. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा ईंट भट्टों के लिए कोई प्रशमन (कंपाउंड स्कीम) योजना लागू की गई है? यदि हां, तो कब से तथा किन-किन शर्तों पर।

(2) क्या नवीन प्रशमन स्कीम 1999 में न्यूनतम ईंट भट्टों की संख्या कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई? यदि हां, तो कितनी।

(3) क्या न्यूनतम ईंट भट्टों की संख्या के बराबर ईंट भट्टों का प्रशमन हो गया है? यदि नहीं, तो इस स्कीम से कितनी राजस्व हानि हुई? राशि प्रशमन किये जाने वाले भट्टा मालिकों/फर्मों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार राजस्व हानि को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रशमन (कंपाउंड) स्कीमों में वर्णित शर्तों के अनुसार वापस लेने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 8-6-99 एवं 21-1-2000 की अधिसूचनाओं द्वारा ईंट भट्टों के लिए प्रशमन योजनाएं आरम्भ की गई थी। योजनाओं की शर्तों के अवलोकनार्थ अधिसूचना दिनांक 8-6-99 एवं दिनांक 21-1-2000 की प्रतियां संलग्न हैं।

(2) जी हां। न्यूनतम ईंट भट्टों की संख्या 700 रखी गई थी।

(3) जी नहीं। चूंकि वर्ष 1999 की स्कीम का विकल्प नहीं लेने वाले ईंट भट्टों व्यवहारियों को 12 प्रतिशत बिक्री कर एवं इस पर 15 प्रतिशत अभिभार राज्य सरकार में जमा कराना अनिवार्य है। अतः इस कारण से राजस्व का कोई हानि नहीं हुई है।

(4) वर्ष 1999 ईंट भट्टों की प्रशमन स्कीम के अधीन 29-2-2000 तक विकल्प देने वाले व्यवहारियों को ही उक्त स्कीम का लाभ देय है तदुपरांत उक्त स्कीम प्रभावी नहीं है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

प्रश्न संख्या 208

(स्थगित)

प्रश्न संख्या 209

(स्थगित)

लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर आऊट होने पर परीक्षार्थियों को मुआवजा

210. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में लोक सेवा आयोग द्वारा सरकारी सेवाओं के लिए आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर आऊट होने से तथा बार बार परीक्षाओं को आगे बढ़ाने से प्रदेश के नौजवानों में घोर असंतोष एवं निराशा का माहौल पैदा हुआ है ? इससे बेरोजगारों के धन एवं समय की बरबादी के लिए कौन जिम्मेदार है ?

(2) क्या सरकार राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षार्थियों को सरकार की गलती की वजह से पुनः परीक्षा देने हेतु मुआवजा अदा करेगी ?

(3) उक्त प्रकरण में दोषी कौन है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) परीक्षा वापस कराने में सरकार पर कितना भार पड़ेगा ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान का प्रश्न-पत्र आउट होने

(कार्मिक मंत्री)

के कारण सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान की परिक्षा निरस्त करनी पड़ी तथा परीक्षार्थियों की सुविधाओं हेतु राज्य सरकार द्वारा नियमों में परिवर्तन के कारण परीक्षा तिथि में फेर बदल करना पड़ा। इसके कारण हो सकता है कुछ अभ्यार्थियों को असुविधा हुई हो लेकिन नियमों में परिवर्तन के कारण काफी बड़ी संख्या में अभ्यार्थियों को इस महत्वपूर्ण परीक्षा में बैठने का लाभ भी प्राप्त हुआ है।

(2) जी नहीं।

(3) पर्चा आउट प्रकरण में आयोग द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक, अजमेर के मार्फत दर्ज कराई गई जिसका अनुसंधान सी.आई.डी. (सी.बी.) द्वारा किया गया। सी.आई.डी. (सि.बी.) द्वारा उक्त प्रकरण में निम्न व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमें बनाये गये तथा न्यायालय में इनके विरुद्ध चालान पेश कर दिये गये हैं :-

1. श्री प्रतापसिंह मीणा, क.लि., राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

2. श्री नाथूलाल मीणा, हाल निवासी दिल्ली।

3. श्री राजेन्द्र सिंह, हाल निवासी दिल्ली प्रेस मैनेजर।

4. श्री चन्द्र शेखर, निवासी अजमेर।

5. श्री अनिल मीणा, निवासी अजमेर।

(4) परीक्षा वापस कराने में राजस्थान लोक सेवा आयोग पर लगभग 32.00 लाख रुपये का व्यय भार पड़ा।

सीनियर हायर सैकण्डरी खींवाड़ा (पाली) में स्टेडियम निर्माण

211. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में स्टेडियम निर्माण बाबत क्या मानदण्ड निर्धारित हैं ? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार के समक्ष उच्च माध्यमिक विद्यालय, खींवाड़ा जिला-पाली में स्टेडियम निर्माण की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में स्टेडियम का निर्माण भारत सरकार की अनुदान योजना के अन्तर्गत स्वयं राज्य सरकार अथवा निजी संस्था दोनों के द्वारा कराया जा सकता है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अनुदान योजना की प्रति परिशिष्ट-'क' सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी नहीं। भारत सरकार की अनुदान योजना के अन्तर्गत विद्यालयों में स्टेडियम निर्माण का प्रावधान नहीं है। विद्यालयों में केवल खेल मैदानों का विकास, एथलेटिक ट्रेक, इण्डोर स्पोर्ट्स हाल एवं

(राज्य मंत्री, खेलकूद)

तरणताल के निर्माण/विकास का कार्य कराये जाने का प्रावधान है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला भीलवाड़ा में खेल स्टेडियम निर्माण

212. डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा): क्या खेल कूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र एवं उपखण्ड गंगापुर जिला भीलवाड़ा तथा पंचायत समिति रायपुर (भीलवाड़ा) में खेल कूद एवं अन्य क्रीडाओं में ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने हेतु क्रीडास्थल (स्टेडियम) निर्माण की मांग लम्बे समय से चल रही है? क्या सरकार दोनों स्थानों पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति देगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। दोनों स्थानों पर उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने तथा स्टेडियम निर्माण हेतु भारत सरकार की अनुदान योजना के अन्तर्गत विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही स्टेडियम निर्माण के लिए विचार किया जाना सम्भव होगा।

बौंली (सवाईमाधोपुर) में कैम्प कोर्ट की स्थापना

213. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य सरकार की अधिसूचना के क्रम में जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के पत्रांक 99/104-7 दिनांक 30 जनवरी, 1999 के द्वारा कैम्प कोर्ट माह के प्रथम व द्वितीय सप्ताह में दो-दो दिवस एवं तृतीय, चतुर्थ सप्ताह में तीन-तीन दिवस तहसील मुख्यालय बौंली पर रखे जाने के निर्देश प्रदान किये थे? यदि हां, तो तब से अब तक कितने कितने कैम्प लगाये। माहवार विवरण-सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अभी तक बार एसोसिएशन बौंली तथा जनता की कैम्प नहीं लगने के संबंध में शिकायतें बराबर मिल रही हैं? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही करेगी।

उत्तर

(1) जी हां। जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 30-1-99 के द्वारा सहायक जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर का कैम्प कोर्ट प्रत्येक माह के प्रथम व द्वितीय सप्ताह में दो-दो दिवस एवं तृतीय एवं चतुर्थ सप्ताह में तीन–तीन दिवस तहसील मुख्यालय बौंली पर लगाये जाने के निर्देश दिये हैं। उक्त निर्देशों के अनुसरण में उक्त

(राजस्व मंत्री)

न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा तहसील मुख्यालय बौंली पर निम्न दिनांकों को कैम्प आयोजित किया गया:-

1. 17-4-99
2. 15-5-99
3. 5-6-99

(2) जी हां। अभिभावक संघ, बौंली एवं जनप्रतिनिधियों से निर्धारित समय पर कैम्प नहीं लगने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में कैम्प कोर्ट लगाया जाए, इसे सुनिश्चित करने के निर्देश जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर को दिये गये हैं।

पटवार सर्किल खानपुरा (बून्दी) में लम्बित पत्थर गढ़ी प्रकरण

214. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पटवार सर्किल खानपुरा तहसील नैनवां जिला बूंदी में वर्ष 1997 में पत्थरगढ़ी/सीमाज्ञान करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए हैं? यदि हां, तो किसकी ओर से किस तारीख को? नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने प्रकरण में पत्थर गढ़ी/सीमाज्ञान किस तारीख को करवाया जा चुका है तथा बकाया के संबंध में कब तक करवा दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सीमाज्ञान के लिए की गई पत्थर गढ़ी के पत्थर मौके पर मौजूद हैं? यदि नहीं, तो इस बाबत क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) पटवार सर्किल खानपुरा तहसील नैनवां में सीमाज्ञान के 12 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। सूची परिशिष्ट-'ब' संलग्न है।

(2) सीमाज्ञान हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से 2 प्रार्थना पत्रों में क्रमशः श्री लक्ष्मणसिंह, पा. सूरसिंह राजपूत कोरमा में दि. 17-8-97 को तथा श्री बद्रीलाल पा. भंवरलाल नाई कोरमा में दिनांक 27-9-97 को सीमाज्ञान करवा दिया गया है। शेष 10 प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही 15 दिन में किए जाने के निर्देश जिला कलेक्टर बून्दी को दिये गये हैं।

(3) आवेदन पत्र सीमाज्ञान के प्राप्त होने से सीमाज्ञान ही करवाया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

जिला बाड़मेर, जैसलमेर एवं बीकानेर में भूमिहीन कृषकों के कब्जे

215. श्री अमीन खान (शिव) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बाड़मेर/जैसलमेर/बीकानेर में भूमिहीन किसानों के सिवाय चक भूमि पर कितने व्यक्तियों के कब्जे हैं ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) उक्त जिलों में सिवाय चक भूमि पर काबिज लोगों में अनुसूचित जाति/जन जाति के कितने हैं ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) भूमिहीन किसानों के सिवाय चक भूमि कब्जे की जिलेवार स्थिति (सूची) निम्न प्रकार है:-

जिला	कब्जे किये जाने वाले भूमिहीन किसानों की संख्या
बाड़मेर	879
जैसलमेर	345
बीकानेर	शून्य

(2) भूमि पर काबिज लोगों में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की जिलेवार स्थिति निम्न प्रकार है:-

जिला	अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की संख्या
बाड़मेर	348
जैसलमेर	303
बीकानेर	शून्य

उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के समक्ष दर्ज राजस्व वादों का निस्तारण

216. डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जुलाई, 1998 से 29 फरवरी, 2000 तक उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के समक्ष कितने राजस्व वाद दर्ज हुये ? उक्त दौरान पूर्व के कितने वाद थे और दोनों को मिलाकर कितने वादों का निस्तारण उक्त अवधि में किया गया ?

(2) उक्त संबंध में सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित है ? उक्त अवधि में उक्त मानदण्डों के अनुसार वादों का निस्तारण नहीं करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जुलाई, 1998 से 29 फरवरी, 2000 तक उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर में 186 राजस्व वाद दायर हुए तथा पूर्व के 237 वाद विचाराधीन थे। उक्त अवधि में 215 राजस्व वादों का निस्तारण किया गया।

(2) उपखण्ड अधिकारी के लिए प्रतिमाह 10 वादों के निस्तारण का मानदण्ड निर्धारित है। उक्त अवधि में वादों का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड से अधिक रहा है।

भू-संरक्षण एवं जल ग्रहण अभियन्ताओं का वेतन भुगतान

217. श्री मदन दिलावर (अटरू): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) भू-संरक्षण एवं जल ग्रहण विकास विभाग में किस-किस स्तर के कितने अभियन्ता कब से पद स्थापन आदेशों की प्रतिक्षा में हैं और वर्तमान में उक्त अभियन्ता कहां अपनी उपस्थिति दे रहे हैं?

(2) क्या इनको वेतन का भुगतान नियमित किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त अभियंताओं को पदस्थापन नहीं करने के क्या कारण है? अब उक्त अभियंताओं के वेतन का भुगतान कब तक किया जावेगा?

उत्तर

(1) भू-संरक्षण एवं जलग्रहण विकास विभाग ने दिनांक 15-3-2000 की स्थिति अनुसार उप निदेशक स्तर के 4, सहायक कृषि अभियन्ता स्तर के 18 अभियन्ता संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार आदेशों की प्रतिक्षा में है। इनकी वर्तमान उपस्थिति का विवरण भी संलग्न परिशिष्ट-1 के कालम 7 में अंकित है।

(2) इनको वेतन का भुगतान नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है क्योंकि प्रकरण सरकार के पास विचाराधीन है जिसका निपटारा होते ही भुगतान कर दिया जावेगा।

(3) विभाग का पुनर्गठन किया जा रहा है और उसके अनुसार उनका पदस्थापन पदों की स्थिति के अनुसार शीघ्र कर दिया जावेगा। तत्पश्चात् इनका वेतन भुगतान भी तुरन्त कर दिया जावेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

कोटा शहर में खाद्य पदार्थों की जांच

218. श्री मदन दिलावर (अटरू): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कोटा शहर में खाद्य पदार्थों की

(श्री मदन दिलावर)

जांच करने की प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई ? उक्त प्रयोगशाला में 1 जनवरी, 1999 तक कितने अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत रहे ?

(2) अब उक्त प्रयोगशाला की क्या स्थिति है ?

(3) क्या उक्त अधिकारियों व कर्मचारियों को अन्यत्र भेज दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) अब हाड़ौती क्षेत्र में उक्त जांच कार्यों को कौन कर रहे हैं ? क्या अन्यत्र अधिकारियों को भेजने से जांच प्रभावित नहीं हो रही है ?

उत्तर

(1) कोटा शहर में खाद्य पदार्थों की जांच कराने की प्रयोगशाला की स्थापना 1960 में की गई।

जनवरी 1999 तक निम्न अनुसार अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत रहे :-

1. सार्वजनिक विश्लेषक	एक
2. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	एक
3. वरिष्ठ लैब टैक्नीशियन	एक
4. लैब टैक्नीशियन	तीन
5. कनिष्ठ लिपिक	एक
6. लैब असिस्टेंट	दो
7. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	एक

(2) विभाग के पास जन विश्लेषक उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त प्रयोगशाला में दिनांक 26-5-99 से जांच कार्य बन्द है।

(3) विभाग के पास सार्वजनिक विश्लेषक उपलब्ध नहीं होने के कारण पद रिक्त है। प्रयोगशाला में विश्लेषण कार्य नहीं होने के कारण कर्मचारियों को जोन में रिक्त पदों पर समायोजन की कार्यवाही की जा रही है।

(4) खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच हेतु केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर में भिजवाया जा रहा है।

राज्य में वार्ड बॉय के रिक्त पदों पर नियुक्ति

219. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक ने आदेश क्रमांक 639 दिनांक 13-4-99 को समस्त जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारीगण को आदेश दिया कि वार्ड बाय के पद पर राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक एफ 5(30) चिस्वा/ग्रुप-3/97 दिनांक 20-3-99 के द्वारा 615 रिक्त पदों पर वार्ड बाय की नियुक्ति की जावे ? क्या उसमें जिलेवार रिक्त पदों की संख्या भी दर्शायी गई ?

(2) आदेश में दर्शाये 23 जिलों में से

(श्री हीरासिंह चौहान)

किस-किस जिले में कितनी-कितनी नियुक्तियां दी गई ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आदेशानुसार अब तक नियुक्तियां नहीं देने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या उक्त आदेश के अन्तर्गत सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारीगण को माननीय उच्च न्यायालय के राम प्रताप प्रकरण में विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए वार्ड बाय की नियुक्ति देने का निर्देश था ? यदि हां, तो पाली जिले के माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्देश से ओंकारलाल गुर्जर वार्ड बाय प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र बर व मदनलाल हरिजन वार्ड बाय केन्द्र कानूजा को इस संदर्भ में नियुक्ति के निवेदन पर अब तक क्यों नहीं नियुक्ति दी गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) आदेश में वर्णित 23 जिलों में से किसी भी जिले में नियुक्तियां नहीं दी गई।

(3) वर्तमान में नियुक्ति पर प्रतिबन्ध है।

(4) जी हां। जब नियुक्तियां की जायेगी तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की विधिवत पालना सुनिश्चित की जावेगी।

सामान्य चिकित्सालय जालोर के आवास गृह

220. श्री गणेशीराम मेघवाल (जालोर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जालोर के सामान्य चिकित्सालय में डाक्टरों, कम्पाउण्डरों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये कितने आवास गृह मौजूद हैं ?

(2) उक्त आवास गृहों में कौन-कौन निवास कर रहे हैं ?

(3) क्या वर्ष 1980 के बाद उक्त आवास गृहों हेतु विभाग से कोई राशि आवंटित की गई है ? यदि हां, तो कितनी राशि आवंटित हुई तथा उससे कितने आवास गृह बनाये गये और उनमें कौन रहते हैं ?

उत्तर

(1) जालोर जनरल अस्पताल में वर्तमान में एक डाक्टर, दो कंपाउण्डरों एवं तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आवास गृह हैं।

(2) उक्त आवास गृहों में निम्न अधिकारी एवं कर्मचारी निवास कर रहे हैं:-

1. डा. पी.एस.जोधा
2. श्री कल्याण लाल गुप्ता
3. श्री हड़मता राम
4. श्री हीरालाल

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

5. श्री नारायण

6. श्री प्रभाती लाल

(3) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

जिला रोजगार कार्यालय भीलवाड़ा में दर्ज बेरोजगार

221. डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला भीलवाड़ा में रोजगार कार्यालय द्वारा गत पांच वर्षों में कितने व्यक्तियों को सरकारी कार्यालयों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में किन-किन पदों पर रोजगार उपलब्ध करवाया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में गत एक वर्ष में 31 दिसम्बर, 1999 तक कितने बेरोजगारों के नाम दर्ज हुए? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला रोजगार कार्यालय द्वारा बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए क्या कोई नीति/नियम बने हुए हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला भीलवाड़ा में रोजगार कार्यालय द्वारा गत पांच वर्ष में 1649 व्यक्तियों को सरकारी कार्यालयों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में रोजगार उपलब्ध करवाया गया। वर्षवार व पदवार सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त जिले में गत एक वर्ष में 31 दिसम्बर, 1999 तक 4878 बेरोजगारों के नाम दर्ज हुए हैं। संख्या विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) रोजगार कार्यालयों का संचालन रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 एवं निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 आदि में वर्णित नियमों के अनुसार किया जाता है, जो खुले बाजार में उपलब्ध है। समय समय पर केन्द्रीय रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा एवं विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों एवं परिपत्रों के अनुसार भी कार्यवाही सम्पादित कराई जाती है। यहां उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल याचिका संख्या 11646-11724/95 के मामले में दिनांक 22-8-96 को निर्णय दिया है कि नियोजकों द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती करने से पूर्व रोजगार कार्यालय से नाम मंगाने के साथ साथ ही उन रिक्त स्थानों का समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर रेडियो तथा दूरदर्शन के रोजगार समाचार बुलेटिनों से प्रसार-प्रचार कराकर भी आवेदन पत्र मांगे जावें। अतः ऐसे आशार्थी जिनका नाम रोजगार कार्यालयों में वरिष्ठता के कारण नियोजकों को नहीं भेजा जा सका हो, या जो पंजीकृत नहीं हो, वे भी सीधे ही

(श्रम मंत्री)

नियोजकों को अपने प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु पात्रता बनाये रख सकते हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय इटावा(कोटा) में व्याख्याताओं के रिक्त पद

222. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय इटावा जिला कोटा में व्याख्याताओं के पद लम्बे समय से रिक्त चल रहे हैं?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, इटावा जिला-कोटा में 3 (तीन) व्याख्याताओं के पद अप्रेल 1999 से रिक्त चल रहे हैं।

(2) जी हां। नियमानुसार पदोन्नति को प्रक्रिया पूर्ण होने व सीधी भर्ती पर रोक हटने के उपरान्त उक्त पदों को भरा जा सकेगा।

अध्यापकों की नियुक्ति में गृह जिले हेतु बोनस अंक

223. श्री गणेशी राम मेघवाल (जालोर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पूर्व में अध्यापकों की नियुक्ति के लिये गृह जिले के आवेदनकर्ता को गृह जिले के बोनस अंक दिये जाते थे?

(2) क्या सरकार, राजस्थान के शिक्षा की दृष्टि से अति पिछड़े जिलों के छात्रों को अध्यापक नियुक्ति के समय उनके गृह जिले के बोनस अंक देने का विचार रखती है? यदि हां, तो गृह जिले के बोनस अंकों के क्या मानदण्ड होंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) बोनस अंक देने की वैधता का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

राज्य में घोषणानुसार नये विद्यालयों की स्थापना

224. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार ने गत बजट सत्र के

(श्री हरजीराम बुरड़क)

समय घोषणा की थी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक; माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जायेंगे? यदि हां, तो घोषणा के अनुसार कितने-कितने विद्यालय खोलने थे और कितने-कितने खोले गये ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार ने घोषणा से कम विद्यालय खोले हैं ? यदि हां, तो क्या बाकी रहे विद्यालय अब खोले जायेंगे ? यदि हां; तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गत बजट सत्र में 11764 राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएँ खोली गयी। प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय निम्न विवरणानुसार क्रमोन्नत किए गये हैं :–

क्रमोन्नत किया	प्रावधान	खोली गई
प्रावि को उप्रावि में	1000	814
उप्रावि को माध्यम में	400	399
माध्य. को उ.मा.वि. में	200	199

(2) जी हां। घोषणा की अपेक्षा 186 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 1 माध्यमिक और 1 उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नति द्वारा आरम्भ करने शेष हैं जो विचारार्थ है।

भीमाधां बांध से प्रस्तावित सिंचाई

225. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सितम्बर-अक्टूबर, 1999 में माननीय सिंचाई मंत्री महोदया ने अजमेर, पाली, जोधपुर व अन्य संभाग में क्षेत्रों के विधायक गण को उनके द्वारा नये बांध बनाने व निर्मित बांधों से सिंचाई हेतु नयी नहरें निकालने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो उक्त तिथि की मीटिंग के बाद किस–किस कार्य को पूर्ण किया गया ?

(2) क्या उक्त मीटिंग में जिला राजसमंद की तहसील भीम में निर्मित कच्याधा बांध में 18 फुट पानी प्रतिवर्ष अनुपयोगी रहने की जानकारी देने पर इस बांध के पानी को सिंचाई उपयोग हेतु कोट किराना बेलपना की तरफ गत वर्षों में निर्मित नहर को पूर्ण करने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई ? अब कब तक यह करा दी जावेगी ?

(3) क्या वर्ष 1969 से 1992 की समयावधि में अजमेर-पाली सीमा पर जस्सा खेड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 8 के समीपस्थ भीमाधां बांध का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा करवाया गया था ? क्या उक्त बांध में 40 फुट पानी बिना उपयोग के पड़ा रहता है ? क्या सरकार इस बांध के पानी की उपयोगिता बनाने के लिए इसमें राजस्व

(श्री हीरासिंह चौहान)

गांव बगडी में नहर निकाल कर तथा अजमेर जिले की तारागढ़, खेड़ा, दाती, बागलिया, नया गांव, केरलोहा राजस्व गांवों को लिफ्ट योजना से पानी देकर बांध की उपयोगिता बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 2045 तक जल संसाधनों के लिए एक समग्र योजना बनायी है इस संदर्भ में विधायकगणों से निर्मित एवं प्रस्तावित बांधों के विषय में विस्तृत चर्चा कर समीक्षा की गयी थी एवं तदनुसार सुझावों में समावेश कर लिया गया है। वित्तीय साधनों की उपलब्धता के आधार पर क्षेत्रवार वरीयता के आधार पर कार्यों को सम्पादित किया जाना प्रस्तावित है।

(2) कडियादेह बांध की भराव क्षमता के उपयोग का अध्ययन किया गया है। इस बांध की भराव क्षमता 50.50 एम.सी.एफ.टी. है जिसके मापदण्ड के अनुसार 151 हैक्टर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है। इस बांध का कुल सिंचित क्षेत्र 190 हैक्टेयर है अतः कडियादेह बांध की नहर को आगे बढ़ाना व्यवहारिक नहीं है।

(3) जी हां, भीमादेह बांध का निर्माण अकाल राहत, एन.आर.ई.पी., जे.आर.वाई इत्यादि के तहत करवाया गया था जिसकी ऊंचाई 42 फीट एवं भराव क्षमता 34 एम.सी.एफ टी. है। संग्रहित जल के उपयोग का अध्ययन किया गया। आर्थिक, भौतिक एवं तकनीकी आधार पर नहर निकालना उपादेय नहीं है।

प्रश्न संख्या 226

(स्थगित)

विधान सभा क्षेत्र जालौर के भेटाला बांध की मरम्मत

227. श्री गणेशीराम मेघवाल (जालोर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जालोर में भेटाला बांध की दीवार टूट गई है जिससे बरसात का पानी निकल जाता है ? क्या सरकार इस बांध को मरम्मत करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) उक्त बांध की दीवार कितने वर्ष से टूटी हुई है ? उक्त दीवार को लम्बी अवधि तक भी ठीक नहीं कराये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, सहायता विभाग को आपदा राहत कोष मद से भेटाला बांध का जीर्णोद्धार करने हेतु दिनांक 27-6-98, 27-10-98, 20-7-99 व 20-8-99 के द्वारा प्रस्ताव भेजे गये थे जिसकी स्वीकृति

(सिंचाई मंत्री)

अपेक्षित है। आवश्यक बजट उपलब्ध होने पर बांध की मरम्मत की जावेगी।

(2) उक्त बांध वर्ष 1990 में अतिवृष्टि से टूट गया था। उक्त बांध के मरम्मत हेतु सहायता विभाग द्वारा बजट उपलब्ध नहीं कराने के कारण ठीक नहीं करवाया जा सका।

वर्ल्ड बैंक से पशुधन हेतु प्राप्त दवाइयों में से जिला पाली को आवंटन

228. श्री केसाराम चौधरी (खारची): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पशुधन विकास बोर्ड को दवाइयों की खरीद हेतु वर्ल्ड बैंक से कितने रुपये की दवाइयां पूरे राजस्थान के लिए प्राप्त हुई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला पाली के पशु चिकित्सालयों में निःशुल्क दवाइयां कितनी–कितनी भेजी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) पशु चिकित्सालय मारवाड़ जंक्शन को कितनी दवाइयां दी और उसके द्वारा किन-किन लोगों को निःशुल्क उपचार हेतु दवाइयां दी गई ?

उत्तर

(1) पशुधन विकास बोर्ड को दवाइयों की खरीद हेतु वर्ल्ड बैंक द्वारा कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(2) पाली जिले के सभी पशु चिकित्सा संस्थाओं को वर्ष 1999-2000 में 2,68,214/- रु. की औषधियां निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। सूची–'क' संलग्न है।

(3) वर्ष 1999-2000 में पशु चिकित्सालय मारवाड़ जंक्शन को 6357/-रुपये की औषधियां उपलब्ध कराई गई। प्रभारी, पशु चिकित्सालय, मारवाड़ जंक्शन द्वारा 183 पशु पालकों को 3842/- रु. की औषधियां निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। सूची 'ख' संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम पंचायत रींगड़(नागौर) में निर्मित पंचायत घर की जांच

229. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत रींगड़ पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर ने पंचायत घर निर्माण में करीबन एक लाख रुपये का घोटाला किया था जिसकी जांच सरकार ने कराई और जांच रिपोर्ट भी सरकार को प्राप्त हो गई? यदि हां, तो कब तथा उक्त रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ? जांच रिपोर्ट व उस पर की गई कार्यवाही की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) क्या जांच रिपोर्ट के आधार पर फर्जी कार्यवाही करके लाख रुपये का गबन करने के मामले में सरकार उनके विरुद्ध फौजदारी मामला दर्ज कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) अब इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कब तक किस-किस के विरुद्ध करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। इस सम्बन्ध में कराई गई प्रारम्भिक जांच की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। जांच में पाये आरोपों पर सरपंच का स्पष्टीकरण मांगा गया। सरपंच द्वारा आरोपों का खण्डन करने पर विस्तृत जांच करने हेतु अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नागौर को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है।

(2) सरपंच के विरुद्ध विस्तृत जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) विस्तृत जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

जिला बून्दी में फर्जी शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र की जांच

230, श्री भासीलाल मेघवाल(पाटन): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले में फर्जी शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने वाले अध्यापकों के सम्बन्ध में जांच की गई है ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा कब तथा किस–किस अध्यापक बाबत ? ऐसे अध्यापकों के वर्तमान नियुक्ति स्थान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि नान्ता शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र से परीक्षा उत्तीर्ण करने का गलत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके राजकीय प्राथमिक विद्यालय रानीपुरा (पंचायत समिति हिण्डोली) में नौकरी प्राप्त करने वाले अध्यापकों के पक्ष में निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट के आधार पर जांच कार्यवाही समाप्त की गई है ? यदि हां, तो प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अध्यापकों को शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिली अंकतालिका की भी जांच करवाई गई है ? यदि हां, तो अंकतालिका एवं जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें तथा नहीं, तो क्यों ?

(श्री घासीलाल मेघवाल)

(4) क्या सरकार किसी वरिष्ठ अधिकारी से उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने वाले 115 अध्यापकों की जांच हेतु श्री जगदीश शर्मा शिक्षा प्रसार अधिकारी, हिण्डोली को अधिकृत किया गया है। जांच अधिकारी से जांच ब्योरा अपेक्षित है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। जांच कार्यवाही विचाराधीन है। जांच परिणाम आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(4) जांच कार्यवाही विचाराधीन है।

पंचायत समिति हिण्डौन के पूर्व सरपंचों से बकाया राशि की वसूली

231. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति हिण्डौन जिला करौली के पूर्व सरपंचों पर वर्ष 1985 से 1999 तक विकास कार्यों हेतु दी गई राशि कितनी-कितनी कब–कब से बकाया चल रही है ? उक्त सरपंचों के नाम राशि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पूर्व सरपंचों से विकास कार्यों हेतु दी गई राशि को जो कि विकास कार्यों में व्यय नहीं हुई है उसे ब्याज सहित वसूल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? उक्त राशि वसूल करने के लिए अब तक क्या–क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिन पूर्व सरपंचों पर विकास कार्यों के विरुद्ध दी गई राशि बकाया है उनकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। वसूली हेतु समय समय पर सम्बन्धित सरपंचों को नोटिस जारी किये गये हैं। सरपंच अलीपुरा के विरुद्ध एफ.आई.आर. पुलिस थाना हिण्डौन में दर्ज करवा दी गई है। सरपंच मण्डावरा के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

जिला भीलवाड़ा के जलग्रहण एवं भू-संरक्षण कार्य

232. डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(डा. रतन लाल जाट)

(1) पंचायत समिति क्षेत्र सहाड़ा तथा रायपुर जिला भीलवाड़ा में जलग्रहण एवं भू-संरक्षण कार्य कहां-कहां चल रहे हैं ? उक्त कार्य किस एजेन्सी के माध्यम से करवाये जा रहे हैं ? अब तक कुल कितनी राशि का कार्य हो चुका है और कितने कार्य शेष हैं ?

(2) क्या उक्त पंचायत समितियों में अन्य स्थानों पर भी कार्य करवाने के प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो कहां कहां ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति सहाड़ा एवं रायपुर जिला भीलवाड़ा में जलग्रहण एवं भू-संरक्षण के जो कार्य स्वीकृत किये गये हैं उनकी सूचना निम्नानुसार है:-

पं. समिति	क्र सं.	जलग्रहण क्षेत्र का नाम	कार्यकारी एजेंसी	स्वीकृत राशि	फरवरी, 2000 तक व्यय राशि	शेष राशि
सहाड़ा क्षेत्र	1.	मालोली	विकास अधिकारी पं.स. सहाड़ा	13.95	4.75	9.20
	2.	बघेरा	"	18.74	3.35	15.39
	3.	भरक	"	8.40	4.19	4.21
	4.	सरगांव	"	18.56	6.36	12.20
	5.	गठिला	"	20.00	7.54	12.46
		योग		79.65	26.19	53.46
रायपुर क्षेत्र	1.	जोगरास	पं.स. रायपुर	19.60	3.56	16.04
	2.	बाडी	"	19.60	5.07	14.53
	3.	भींटा	"	17.64	5.68	11.96
	4.	परवली	"	19.60	3.88	15.72
	5.	नारायण खेड़ा	"	19.60	3.81	15.79
		योग		96.04	22.00	74.04

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(2) ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत सुनिश्चित रोजगार योजना में 1-4-1999 से जलग्रहण विकास के नवीन कार्य लिया जाना भारत सरकार द्वारा प्रतिबन्धित कर दिया गया है । अतः ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

जिला परिषदों को आवंटित राशि

233. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य सरकार ने जिला विकास अभिकरण द्वारा चलाई जा रही कुछ योजनाओं को जिला परिषदों को स्थानान्तरित की है ? यदि हां, तो कौन-कौनसी योजनाएं कब-कब से ?

(2) क्या उक्त योजनाओं के संचालन के लिये जिला परिषदों को सरकार ने राशि भी स्थानान्तरित की है ? यदि हां, तो कौन–कौनसी जिला परिषद् को कब-कब कितनी-कितनी राशि किन-किन योजनाओं में ? उक्त योजना के स्थानान्तरित करने व संचालन के सम्बन्ध में जो सरकार ने आदेश जारी किये हैं उनकी प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में से निम्नांकित योजनाओं को 1-4-99 से स्थानांतरित की हैं:--

1. बत्तीस जिला बत्तीस काम
2. निर्बन्ध राशि योजना
3. ग्रामीण विकास केन्द्र योजना
4. मेवात क्षेत्रीय विकास
5. डांग क्षेत्रीय विकास योजना
6. अपना गांव अपना काम
7. बायोगैस कार्यक्रम
8. वानप्रस्थ योजना
9. बन्धुआ पुर्नवास कार्यक्रम

(2) जी हां । विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जिला परिषदों को जब-जब जितनी जितनी राशि जिन-जिन योजनाओं में हस्तांतरित की गयी का विवरण संलग्न परि.-1 के अनुसार है । उक्त योजनाओं के स्थानांतरित करने व संचालन के सम्बन्ध में जारी आदेशों की प्रतियां संलग्न परि. 2-14 पर है ।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

मीरा कन्या महाविद्यालय संगरिया (हनुमानगढ़) को देय अनुदान

234. श्री के.सी. बिश्नोई (संगरिया) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) मान्यता प्राप्त संस्थाओं के लिये

(श्री के. सी. बिश्नोई)

सहायता अनुदान प्राप्त करने हेतु क्या शर्तें/प्रक्रिया हैं ? मीरा कन्या महाविद्यालय संगरिया जिला हनुमानगढ़ को किस वर्ष से कितना अनुदान दिया जा रहा है ? क्या उक्त संस्था के अनुदान पर लेने से पूर्व सभी शर्तों एवं प्रक्रिया की पालना कराई गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त महाविद्यालय का लेखा परीक्षा/निरीक्षण कब किया गया ? क्या लेखा परीक्षा/निरीक्षण के बिना ही सहायता अनुदान जारी रखा जा सकता है ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ? लेखा परीक्षा/निरीक्षण/रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(3) गैर सरकारी महाविद्यालय खोलने हेतु मानदण्ड क्या हैं ? मीरा कन्या महाविद्यालय संगरिया कितनी ऐकड़ भूमि पर बना हुआ है तथा कुल कितने कमरे बने हुये हैं ? क्या नियमों के अनुसार एक महाविद्यालय के परिसर में माध्यमिक विद्यालय चलाया जा सकता है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ?

(4) वर्ष 1999-2000 में किन-किन सहायता प्राप्त संस्थाओं का अनुदान बढ़ाया गया ? क्या सरकार मीरा कन्या महाविद्यालय संगरिया का अनुदान बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उक्त महाविद्यालय नियमों के अनुसार सभी शर्तें पूरी करता है ?

(5) मीरा शिक्षा समिति संगरिया के अध्यक्ष का कार्यकाल कब समाप्त हुआ ? कार्यकाल समाप्ति के पूर्व ही संस्था के चुनाव क्यों नहीं करवाये ? संस्था द्वारा समय पर चुनाव नहीं करवाने पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त संस्था द्वारा नियमों के अनुसार चुनाव नहीं करवाने पर संस्था के चुनाव पर रोक लगायी थी ? यदि हां, तो चुनाव पर रोक होने के कारण चुनाव निष्प्रभावित एवं अवैधानिक होने के कारण सरकार ने संस्था के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

(7) क्या सरकार ने मीरा शिक्षा समिति, संगरिया के बारे में प्राप्त शिकायतों के बारे में जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ से जांच कराने का निर्णय लिया ? यदि हां, तो जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर क्या प्रशासक नियुक्त करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(8) क्या यह सही है कि मीरा कन्या महाविद्यालय, संगरिया में छात्राओं के रहने के लिए कोई छात्रावास बना हुआ है? यदि हां, तो उक्त छात्रावास परिसर में कहां बना हुआ है तथा किस वर्ष बनकर तैयार हुआ एवं किस वर्ष कितनी-कितनी छात्राएं रही ? उक्त छात्रावास में कितने कमरे हैं और प्रत्येक छात्रा से कितनी फीस वसूली जाती है ? छात्रावास की किस-किस वर्ष में कौन वार्डन रही ? क्या संस्था को छात्रावास वार्डन का भी अनुदान दिया जाता रहा है? यदि हां, तो कितना ?

उत्तर

(1) मान्यता प्राप्त संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता, अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 10 एवं 11 में उल्लेखित हैं। मीरा कन्या महाविद्यालय, संगरिया (हनुमानगढ़) को वर्ष 94-95 से 70% अनुदान दिया जा रहा है।

जी हां। उक्त संस्था को सहायता अनुदान सूची पर राज्य में महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए निर्धारित नीति एवं संस्था के पास उपलब्ध संसाधनों का द्रुतगति से विकास हेतु शर्तों की पूर्ति करने पर लिया गया।

(2) उक्त महाविद्यालय के लेखों की परीक्षा/निरीक्षण अन्तिम बार दिनांक 25-3-2000 को किया गया।

जी नहीं। बिना लेखों के अन्तिमीकरण के अनुदान जारी नहीं रखा जा सकता।

(3) गैर सरकारी महाविद्यालय खोलने हेतु मानदण्डों का उल्लेख राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता, अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 (1) के परिशिष्ट-2 प्रावधित है। मीरा कन्या महाविद्यालय संगरिया 5,778 वर्ग गज अर्थात 1.2 एकड़ भूमि पर बना हुआ है। इसमें कुल 27 कमरे बने हैं। जी हां। यदि पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो तो नियमों में महाविद्यालय के परिसर का माध्यमिक विद्यालय के संचालन हेतु कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(4) वर्ष 1999–2000 में किसी भी सहायता प्राप्त संस्थाओं का अनुदान नहीं बढ़ाया गया। सहायता प्राप्त संस्थाओं का अनुदान नियमों में गठित अनुदान समिति की अभिशंषा पर ही बढ़ाया जाता है। अतः समिति की अभिशंषा प्राप्त होने पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर अनुदान बढ़ाने पर विचार किया जा सकेगा।

(5) मीरा शिक्षा समिति संगरिया के अध्यक्ष का कार्यकाल दिनांक: 19-5-99 को समाप्त हुआ। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम 1993 के नियम 23 (1) ज के अन्तर्गत 3 वर्ष बाद चुनाव नहीं करवाये गये। कार्यवाही विचाराधीन है।

(6) जी हां। संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जांच प्रक्रिया विचाराधीन है।

(7) जी हां। प्राप्त रिपोर्ट पर कार्यवाही विचाराधीन है।

(8) जी हां। उक्त छात्रावास महाविद्यालय परिसर में स्थित नहीं है। छात्रावास वर्ष 1996 में बन कर तैयार हुआ। वर्षवार रहने वाली छात्राओं की संख्या निम्न प्रकार है:–

(उच्च शिक्षा मंत्री)

वर्ष	छात्राओं की संख्या
1996-97	224
1997-98	240
1998-99	186
1999-2000	172

छात्रावास में 53 कमरे हैं। प्रत्येक छात्रा से रु. 1000/- वार्षिक फीस वसूल की जाती है। छात्रावास की वार्डन शुरू से ही श्रीमती प्रनीता रही है। जी नहीं।

हिण्डौन (करौली) में भू-संरक्षण हेतु आवंटित राशि

235. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : क्या भू-संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1995 से 1999 तक हिण्डौन जिला करौली में भू-संरक्षण यूनिट ने कितनी–कितनी राशि, किस-किस जगह एवं किन-किन कार्यों के लिए आवंटित की है? ग्राम एवं प्रति यूनिट व्यय राशि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त यूनिटों में अनियमितता होने की शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो सरकार ने उन पर अब तक क्या कार्यवाही की?

उत्तर

(1) कार्यों हेतु राशि का आवंटन भू संरक्षण यूनिट द्वारा नहीं किया जाता है। राशि का आवंटन विभाग/सरकार द्वारा किया जाता है। वर्ष 1995 से 1999 तक हिण्डौन, जिला करौली में भू संरक्षण यूनिट को रा.ज.प्र.वि, परियोजनान्तर्गत 149.04 लाख रुपये, जे.आर.वाई. अन्तर्गत 7.75 लाख रुपये, माडा अन्तर्गत 5.77 लाख रु. ई.ए.एस. अन्तर्गत 50.66 लाख रु. की राशि आवंटित की गई। जगह एवं कार्यवार आवंटित राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। उक्त राशि भू संरक्षण कार्यों पर व्यय की गई है।

(2) यूनिट हिण्डौन जिला करौली के सहायक अभियंता के विरुद्ध एक शिकायत विभाग को की गई है। उक्त शिकायत की जांच हेतु विभाग द्वारा पत्रांक एफ-4(728) निजभूस/जांच/99/1036–38 दिनांक 9-7-99 के द्वारा संयुक्त निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, कोटा को प्राथमिक जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। साथ ही उन्हें यह भी निर्देश दिये गये कि वह शिकायतकर्ता से विस्तृत विवरण प्राप्त कर लें। जांच प्रगति पर है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

राज्य में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा

236. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या मत्स्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में देश की तुलना में जलाशयों का क्षेत्र 6.15 प्रतिशत एवं 3.33 लाख हैक्टर स्थित है फिर भी मछली उत्पादन देश की तुलना में मात्र .55 प्रतिशत है ? यदि हां, तो कम उत्पादन के कारण क्या हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में गत वर्षों में जलाशयों का क्षेत्रफल बहुत बढ़ा पर मत्स्य उत्पादन उसकी तुलना में नहीं बढ़ा अपितु कम हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इस रोजगार उपलब्ध कराने वाले कार्य को नवीनता एवं वैज्ञानिकता देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । राजस्थान में देश की तुलना में जलाशयों का क्षेत्र लगभग 4.21 प्रतिशत है तथा जलाशयों एवं तालाबों का क्षेत्रफल लगभग 3.00 लाख हैक्टर है । यह सही है कि राजस्थान में मछली उत्पादन देश की तुलना में मात्र 0.55 प्रतिशत है । कम उत्पादन का मुख्य कारण प्रदेश में सामयिक एवं पर्याप्त वर्षा का अभाव होना है । वर्षा की अनिश्चितता एवं अनियमितता के कारण अधिकांश जलाशयों में पूर्ण भराव नहीं हो पाता है । इसके अतिरिक्त जलाशयों में सिल्ट भर जाने के कारण डेड स्टोरेज में कमी आई है ।

(2) जी नहीं । प्रदेश में गत वर्षों में मछली पालन उपयुक्त जलाशयों का क्षेत्रफल बहुत नहीं बढ़ा है । जहां तक मत्स्य उत्पादन का प्रश्न है, गत 5 वर्षों में वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक मत्स्य उत्पादन में प्रतिवर्ष वृद्धि हुई है । इसके पश्चात वर्ष 1998-99 से 1999-2000 में वर्षा की कमी के कारण तालाबों के सूखने एवं जलस्तर कम रह जाने के कारण उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है । इसके अतिरिक्त मत्स्य पालक विकास अभिकरण समाप्त कर दिये जाने के फलस्वरूप अभिकरणों के अन्तर्गत तालाबों में होने वाले मत्स्य उत्पादन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है ।

(3) जी हां । यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था । मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री हरीश कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नावां के गांवों में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में ।

(2) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक

(श्री अध्यक्ष)

विद्यालय, बोरावड़ (मकराना) में 12वीं कक्षा का रसायन विज्ञान का प्रश्न पत्र आउट होने की कथित घटना के संबंध में।

(3) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से करौली के धाधुरेट खनन क्षेत्र से डकैतों द्वारा चार जनों का अपहरण किये जाने की कथित घटना के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :–

(1) डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से बगरू थानान्तर्गत देह शोषण की एक घटना के आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य की ओर से राज्य कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन नये सिरे से तैयार करने एवं भ्रष्ट कर्मचारियों की सूची बनाने के मुख्य मंत्री के कथित वक्तव्य से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री सांवर लाल, सदस्य की ओर से राजस्थान में बागरिया जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। क्रम संख्या–1 पर अंकित प्रस्ताव के प्रस्तावक डा. किरोड़ी लाल को प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

श्री किरोड़ी लाल।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन पूरे विश्व में विश्व महिला दिवस मनाया जा रहा था उस दिन राजस्थान में एक ऐसी

(12.05 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कलंकित करने वाली घटना, इस राजस्थान की सरकार के नाम पर एक धब्बा लगाने वाली घटना राजस्थान की धरती पर घटित हुई। बगरू थाने में एक कमजोर समाज की श्रीमती सावित्री नाम की महिला जिसकी उम्र 18 से 19 वर्ष थी, उसको बदमाशों ने उठाया और एक मार्च से पांच मार्च तक बेखौफ होकर उस युवती के साथ बलात्कार करते रहे।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले दिन उस महिला को एक जीप चालक उठाकर ले गया

(डा. किरोड़ी लाल)

था। रात भर उसको अपने घर पर रखा, खेत पर रखा। इस बात की सूचना बगरू पुलिस को दे दी गयी थी लेकिन बगरू थाने ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब इस महिला को ठीकरिया बस स्टैण्ड पर ट्रक वालों ने उठाया और उसके साथ दो दिन तक मुंह काला किया। वे उसे बगरू औद्योगिक क्षेत्र में छोड़ गये तो दिन दहाड़े, दुपहरी में इस महिला को बदमाश खींचकर ले गये। इसके कपड़े फाड़ दिये और इसके साथ बदसलूकी की।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं अपराधी इतने बेखौफ थे कि जब उसको घसीटकर ले जा रहे थे उसकी सूचना पुलिस को दी तो पुलिस उन अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं जुटा पायी। जिस औद्योगिक इकाई में उसे ले गये थे वह पुलिस मुख्यालय में जन-सम्पर्क अधिकारी हैं, उनकी आनन्द उद्योग नाम की फर्म है। वहां पर यह घटना घटित हुई है और उसका मैनेजर इसमें इनवाल्व है। उसके मैनेजर को तब तक गिरफ्तार नहीं किया गया जब तक अखबार में यह खबर नहीं छपी। मुख्य अभियुक्त जो कि उसको लेकर गये थे, वे आज भी बेखौफ उस इलाके में घूम रहे हैं।

जिस पत्रकार ने यह खबर छापी, इस काले कलंक को उजागर करने की कोशिश की, उस पत्रकार को जो बदमाश अभी तक पकड़े नहीं गये हैं, उनकी तरफ से धमकी दी जा रही है कि हम तुम्हारे बच्चे को उठा लेंगे; हम तुमको उठाकर ले जाएंगे; तुम्हारे परिवार को बर्बाद करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के इस राज में लोकतंत्र की रक्षा करने वाली प्रेस पर हमला हो रहा है और गहलोत साहब उठकर यहां से जा रहे हैं।

मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिस पत्रकार ने इस जघन्य अपराध को उजागर किया, जिस अखबार ने उजागर किया उसको कांग्रेस के राज में धमकी दी जा रही है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह काला कलंक है इस सरकार के नाम पर। विश्व महिला दिवस मनाया जा रहा है उस दिन ऐसी घटना हो कि एक नहीं, पांच-पांच दिन तक एक महिला का देह शोषण गुंडों, बदमाशों द्वारा किया जाए और ऐसे उद्योग में किये जाए जिसका पुलिस मुख्यालय से संबंध है।

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस मुख्यालय के श्री बिलोची जो उद्योग में साझेदार हैं; जिनके नाम से उद्योग है, उनके कारण से यह पूरा प्रकरण अभी दबा हुआ है और इसमें जो 2-3 मुख्य अभियुक्त बचे हुए हैं उन पर राजस्थान की पुलिस हाथ नहीं डालना चाहती।

मैं राजस्थान के गृह मंत्री से कहना चाहूंगा कि कोई अपराधी कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो; पुलिस के मुख्यालय में बैठने वाला व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो

(डा. किरोड़ी लाल)

अगर उसके कारण से ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करेंगे तो आपको राजस्थान की जनता माफ करने वाली नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस स्थगन प्रस्ताव के द्वारा मैं यही मांग करना चाहता हूं, कि अखबार वालों ने इस प्रकार का उजागर किया है, उन पत्रकारों को जिन्होंने धमकी दी है उनको भी गिरफ्तार किया जाए । जो बाकी अपराधी शेष हैं, उनकी पुलिस से सांठ-गांठ है । पुलिस की सांठ-गांठ के बारे में मैं आपको बताता हूं, जिस थानेदार को सूचना दी थी वह थानेदार आज तक उसी थाने में तैनात है । उस थानेदार के खिलाफ आज तक इसलिए कार्यवाही नहीं हो पाई कि उसके पुलिस मुख्यालय से सीधे सम्पर्क हैं ।

मैं मांग करना चाहता हूं कि ऐसे थानेदार के खिलाफ कार्यवाही की जाए जिसको समय पर सूचना दी पर उसने उन बदमाशों को गिरफ्तार नहीं किया । ऐसे उद्योग के खिलाफ भी कार्यवाही की जाए जिसमें जघन्य अपराध किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और हुई है कि नक्शा मौका पुलिस मुख्यालय के दबाव के कारण बदल दिया गया और यह बताया गया कि यह घटना बगल के उद्योग में हुई है, आनन्द उद्योग में नहीं हुई । बगल का उद्योग 2 साल से बंद है और पुलिस ने नक्शा मौका बदल दिया । गृह मंत्रीजी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि घटना की जगह बदल डाली, नक्शा मौका बदल डाला; इसलिए जिस आई.ओ. ने यह कार्यवाही की है उसके खिलाफ कार्यवाही करने की महती आवश्यकता है ।

दूसरी बात और कि उस महिला को पकड़ कर ले गए, उसको शराब पिलाई । यह बहुत शर्म की बात है कि शराब पिला-पिला कर पांच-पांच दिन तक एक महिला को रौंदते रहे और राजस्थान की सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी ।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि सबके खिलाफ कार्यवाही की जाए । प्रेस को आपके राज में धमकी मार रही है पुलिस, गुण्डे-अपराधी जो बेखोफ होकर घूम रहे हैं धमकी मार रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जानी चाहिए, इतना मैं कहना चाहता हूं ।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी बागरिया जाती को एस.सी., एस.टी. में लेने के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया था । बागरिया बहुत गरीब कौम है । मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे एक मिनट बोलने दिया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव । श्री मदन दिलावर (व्यवधान) श्री मदन दिलावर । माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष व्यवस्था दे चुके हैं, उसमें आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है । श्री मदन दिलावर । (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय व्यवस्था देकर आपकी इस बात को निरस्त

(श्री उपाध्यक्ष)

कर चुके हैं; आपको बोलने की अनुमति नहीं दी। बात समाप्त हो गई।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला आया है कि भारत सरकार के कारखाने में....

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव निरस्त किया जाता है उस पर आसन द्वारा प्रस्ताव मूव करने वाले को दो मिनट बोलने की अनुमति दी जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी बोल रहे हैं और आप भी बोल रहे हैं, एक बोलो न।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं बोल रहा हूं। एक मिनट, भारत सरकार के कारखाने में सोने से बने सिक्के....

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट बोलने की हमको भी अनुमति दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय व्यवस्था दे चुके हैं, कैसे बोलने देंगे ?

श्री शिवनाथ सिंह : एक बड़ा काण्ड झुन्झुनू में उजागर हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष व्यवस्था दे चुके हैं, उसके बाद बोलने की अनुमति आप मुझसे मांग रहे हैं, कैसे दे दूं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : स्थगन प्रस्ताव निरस्त होता है तो कम से कम अपनी भावना व्यक्त करने का मौका दिया जाता है।

श्री शिवनाथ सिंह : जो सिक्के बांटे गए हैं वे फर्जी पाए गए हैं, यह अल्प बचत योजना को बहुत बड़ा धक्का है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं अनुमति नहीं मांग रहा हूं, मैं सिर्फ ...

श्री शिवनाथ सिंह : यह कहां से हुआ कैसे हुआ, कैसे फर्जी सिक्के आए ? जो फर्जी सिक्के हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप किस प्रश्न पर बोल रहे हैं, काहे पर बोल रहे है ?

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, बागरिया बहुत गरीब जाती है। बावरी और बागरिया में कोई फर्क नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं इन्फार्मेशन दे रहा हूं, इन्फार्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष : किस पर बोल रहे हैं और किसकी अनुमति से बोल रहे हैं आप ? विराजो।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं इन्फार्मेशन दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है।

श्री शिवनाथ सिंह : इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए, प्लीज ।

श्री शिवनाथ सिंह : भारत सरकार के कारखाने से कैसे ये फर्जी सिक्के आए; इसकी जांच होनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय; सदन में यह परम्परा रही है कि जिस स्थगन प्रस्ताव को आसन निरस्त करता है उस पर मोशन मूव करने वाले को दो मिनट बोलने की अनुमति दी जाती है ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन में परम्परा यह है कि माननीय अध्यक्ष ने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है और आपका प्रस्ताव निरस्त कर दिया । इसलिए आपको बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती, सदन में यह परम्परा है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रस्ताव निरस्त कर दिया मेरा, यह सही है....

श्री उपाध्यक्ष : बोलने की अनुमति भी नहीं दी है ।

श्री शिवनाथ सिंह : बोलने की अनुमति तो दी है ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं दी, उन्होंने मना कर दिया ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हम जानते हैं कि जो प्रस्ताव निरस्त करते हैं उस पर देते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : जिनको इजाजत दी है, उसको बोलने दिया, आपको मना कर दिया ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने यही सोचा कि इनका मोशन पहला था, इसलिए जिनका मोशन पहला था....

श्री उपाध्यक्ष : आपके दोनों के स्थगन प्रस्तावों पर बोलने की अनुमति नहीं दी; केवल माननीय किरोड़ी लालजी को दी, जिनको बोलने दिया ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ऐसा तो नहीं हो सकता ।

श्री उपाध्यक्ष : I can not allow you.

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप दबाव नहीं करें, वह ठीक है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं दबाव नहीं कर सकता, सारी ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं बोलूंगा भी नहीं लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव निरस्त किया जाता है उस पर प्रस्ताव मूव करने वाले को दो मिनट बोलने की अनुमति आसन से मिलती है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझ रहा हूं इस बात को लेकिन आसन ने व्यवस्था दी हो नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह परंपरा है इस सदन की ।

श्री उपाध्यक्ष : आसन ने दी ही नहीं है अनुमति, यही तो मैं कह रहा हूं आपको।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह परम्परा है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : परम्परा है लेकिन परम्परा यह भी है कि आसन के आदेश की पालना की जाए।

श्री हरिसिंह (महुआ)(मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध कर रहा हूं कि परम्परा यह भी है....

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव देते हैं उसके पीछे हमारी भावना यही होती है कि विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम उसको सदन में रखना चाहते हैं। अपने यहां ऐसी व्यवस्था हुई कि स्थगन प्रस्ताव को एक बार जानकारी के लिए सम्बन्धित मंत्री के पास भेजा जाता है। जिस समय इसको रिजैक्ट करते हैं या और कुछ भी करते हैं, उस समय निश्चित रूप से माननीय सदस्य को अपनी भावना रखने का अवसर मिलता है। नहीं तो फिर हम जिस दिन स्थगन प्रस्ताव रखते हैं उसी दिन जद्दोजहद में लगेंगे कि हमारा तो भेजने की जरूरत ही नहीं है। हमने इस लिए व्यवस्था की थी सिस्टम में कि हमारा हाउस ठीक प्रकार से चले। अगर हमने यह नई व्यवस्था की तो कल से हम लोगों को स्थगन प्रस्ताव जिस समय रखा जाएगा और पढ़ा जाएगा, उसी समय जद्दोजहद में लगना पड़ेगा कि हम तो इस पर आज ही अपने विचार रखेंगे। फिर तो सदन का कोई मतलब नहीं रहेगा।

इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस विषय पर एक बार फिर से गहनता से विचार करें। स्थगन प्रस्ताव आप रिजैक्ट भी करें, कोई बात नहीं लेकिन माननीय सदस्य को अपनी बात उस विषय में कहने का जरूर अवसर दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आप शायद इस बात को समझ नहीं रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठाया है उसके सम्बन्ध में मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं, निश्चित रूप से माननीय कटारियाजी और व्यासजी जो कह रहे हैं, नवीं विधान सभा तक यह परम्परा रही कि जो भी स्थगन प्रस्ताव रिजैक्ट होता था उसके एवज में हमको दो मिनट अपनी बात कहने की सदन में इजाजत मिलती थी।

लेकिन दसवीं विधान सभा में माननीय भाभड़ाजी जब इस आसन पर विराजमान थे, तब यह व्यवस्था आपसे विचार-विमर्श कर उन्होंने ही समाप्त की और इसके बदले में 295 इन्ट्रोड्यूस किया और पर्ची वाला सिस्टम भी चलाया। अब जो महत्वपूर्ण विषय हैं, तुरन्त जिनको लेना अध्यक्ष महोदय उपयुक्त समझते हैं, पर्ची पर उसको इजाजत दे देते हैं।

आज भी बानवास से आने वाले माननीय सदस्य को इजाजत दी है। यह

(श्री हरिसिंह)

295 जो इण्ट्रोड्यूस हुआ है वह उसी के बदले में टाइम की बचत करने के लिए यहां विधान सभा में व्यवस्था रखी है। कटारियाजी, आपको स्वयं को जानकारी है, नई–नई परम्पराएं, नई-नई व्यवस्थाएं अगर हर बार डालेंगे तो ठीक नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से झालावाड़ के राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत एक चिकित्सक द्वारा कथित फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। श्री मदन दिलावर। (व्यवधान) श्री मदन दिलावर। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, 28 तारीख को आपने मेरा नाम काल आउट किया था।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आज जो विषय रखा है उसका दो दिन बाद महत्व ही नहीं रहेगा। जैसे पेपर आउट होने की बात है, परीक्षा हो गयी फिर क्या मतलब है ? फिर भी हमने उस बात को स्वीकार किया कि चलो उसका जवाब आकर हमको इस बारे में कुछ कहने का मौका मिलेगा। अगर हम परीक्षा के प्रश्न पत्र आउट होने के बाद भी इसको दफन कर देंगे तो इस विषय का महत्व ही क्या रहेगा ? हम कोई इसमें जद्दोजहद नहीं करना चाहते लेकिन मैं आप से प्रार्थना करना चाहता हूं कि विषय वस्तु के महत्व के कारण निश्चित रूप से अवसर मिले तो फिर हम उसी दिन बोलने के लिए आग्रह करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप समझ नहीं रहे हैं मेरी बात को।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं बात समझ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष महोदय जब ये उसी वक्त उठाते। अध्यक्ष जी व्यवस्था देकर चले गए, अब आप कह रहे हैं कि इसको चेंज करो, मेरे लिए यह पासीबल नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्षजी ने मेरा नाम पुकारा था।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : (1) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से झालावाड़ के राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत एक चिकित्सक द्वारा कथित फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) डा. रतन लाल जाट, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा में पेयजल की विकट समस्या के संबंध में।

(3) प्रो. सांवर लाल, सदस्य की ओर से जिला अजमेर की पंचायत समिति भिनाय व मसूदा में अतिवृष्टि/बाढ़ से क्षतिग्रस्त

(श्री उपाध्यक्ष)

परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण का भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में।

(4) श्री गणेशी लाल मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जालोर की ग्राम पंचायत लेटा का मतदान केन्द्र खुमा की ढाणी में करने के संबंध में।

(5) श्री अमीन खान, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर की पेयजल योजनाओं को बिजली समय पर नहीं मिलने के संबंध में।

(6) श्री हरीश कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नावां की विद्युत समस्या के संबंध में।

(7) श्री अमराराम, सदस्य की ओर से बाड़मेर क्षेत्र में पेयजल संकटग्रस्त क्षेत्रों में हैण्डपम्प खुदवाने के संबंध में।

(8) श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य की ओर से अकाल राहत कार्यों में मेट लगाने की व्यवस्था सरपंचगण के परामर्श से करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री अबरू खां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के कतिपय गांवों में मीठे पेयजल की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

(10) श्री कन्हैया लाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी के तूंगा में 132 के.वी.जी.एस.एस. को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य की ओर से जिला डूंगरपुर में अकाल राहत कार्यों के तहत स्वीकृत कुओं की ब्लास्टिंग राशि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में।

(12) श्री गोवर्द्धन कल्ला, सदस्य की ओर से जैसलमेर क्षेत्र की इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की वितरिकाओं में पानी छोड़ने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री मदन दिलावर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी का यह वक्तव्य कि गोपनीय रिपोर्ट दुबारा लिखायी जाएगी ....(व्यवधान) बिलकुल कह दिया है। यह अखबार में दिया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया। कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दिया है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : : उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह लोक महत्व का प्रश्न है। यह लाखों कर्मचारियों के हित से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें । I can not allow.

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, बलात्‌ करने का प्रश्न नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : और काहे का प्रश्न है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष : किस नियम के तहत आपका व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि..

श्री उपाध्यक्ष : किस नियम के तहत? प्लीज । (व्यवधान) नहीं, नहीं, व्यवस्था का नहीं है ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अभी मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने सवाल उठाया और मंत्री महोदय ने उस सवाल का उत्तर दिया कि इस प्रकार का वक्तव्य नहीं दिया। इसका मतलब मंत्रीजी का वक्तव्य आने के बाद इस सदन की सम्पत्ति हो गई, बहस चालू हो गई इसकी । हमारा अधिकार है यह तो ।

श्री उपाध्यक्ष : काहे पर चालू हो गई?

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, कोई गलत बोलेंगे तो उसको टोकने का अधिकार है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : काहे पर बहस चालू हो गई ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नियमों, प्रक्रियाओं में लिखा हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष : नियम बताओ न ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कौनसे नियम है, नियम पढ़कर बताओ । कोई नियम नहीं है । बताइए आप नियम, कोट कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी बातें मत करो ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कोट कीजिए आप ।

श्री उपाध्यक्ष : कोट कीजिये आप । आप कोट करिए नियम को । Please quote the rule.

माननीय मदन दिलावर ।

मोहम्मद माहिर आजाद : कोई जवाब तो देना ही है । रिकार्ड पर आया है । उन्होंने कहा कि ऐसा कोई स्टेटमेंट मुख्य मंत्रीजी ने दिया ही नहीं । नियम 50 में जब कोई मंत्री कोई भी बयान या स्टेटमेंट दे देता है तो सदस्यों को उस पर सवाल उठाने का तो अधिकार है ।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी ने कहां उत्तर दिया ? कहां दिया उत्तर ?

मोहम्मद माहिर आजाद : सप्लीमेंटरी है, वे कह रहे हैं नहीं दिया मुख्य मंत्री जी ने । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कहां दिया उत्तर मंत्रीजी ने ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : सवाल नहीं, स्पष्टीकरण है ।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह 6 लाख राज्य कर्मचारियों का मुद्दा है; 6 लाख एम्प्लाइज का सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष : इनके प्रश्न का उत्तर कहां दिया ? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय; आप धैर्यपूर्वक विचार कीजिए, स्ट्राइक को इन्होंने अगर सफलतापूर्वक फेस किया तो बहुत अच्छी बात है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप..

श्री सुरेन्द्र व्यास : लेकिन आज कर्मचारियों को एंटेगोनाइज कर रहे हैं । एक विजेता का रूप धारण करके आपने यह कह दिया कि गोपनीय प्रतिवेदन दूसरा मंगवाएंगे, सी.आर. दूसरी मंगवाएंगे, यह कोई बात हुई, उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री उपाध्यक्ष : आप मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय; मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं; आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो । (व्यवधान) ऐसा कोई है नहीं । आप कोट करो कुछ है तो ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या कह रहे हैं आप ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, जो ये बात कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, भास्कर के अंदर आया है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : है ना, आप बीच में क्यों कह रहे हो ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : भास्कर के अन्दर आया है ।

श्री उपाध्यक्ष : आया होगा, How does it matter ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : स्टेटमेंट तो मुख्य मंत्रीजी का है ।

श्री उपाध्यक्ष : आया होगा ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ये कह रहे हैं कि नहीं आया ।

श्री उपाध्यक्ष : आप कहना क्या चाहते हो ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार की तरफ से..

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपको बोलने की अनुमति माननीय अध्यक्ष ने नहीं दी, इसलिए मैं नहीं दे सकता।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, बोलने का प्रश्न नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : डिस्कशन का सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आई विल नाट अलाउ। आप अध्यक्ष महोदय से जब बोल लेते, इजाजत ले लेते उनकी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय ने मना नहीं किया, अध्यक्ष महोदय चले गये।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, आप चेम्बर में जाकर बात कर लीजिए। अनुमति देते हैं तो I will allow. Otherwise I will not allow you.

माननीय दिलावर जी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : आई विल नाट अलाउ। माननीय दिलावर जी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एम्पलायर और एम्प्लाई के बीच में बहुत बड़ा गैप हो जाएगा तो एस्टेब्लिशमेंट फेल हो जाएगा। राज्य सरकार के प्रशासन को...

श्री उपाध्यक्ष : आप किसी और तरीके से इसको उठा लीजिए, कोई जल्दी नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : I understand your difficulty but try to understand my difficulty also.

श्री सुरेन्द्र व्यास : Sir, you will appreciate, there are lakhs of government employees.

श्री उपाध्यक्ष : आप किसी और जरिये से उठा लीजिए इसको।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या स्टेटमेंट देते हैं वे।

श्री उपाध्यक्ष : Come in some other way.

श्री सुरेन्द्र व्यास : आर्टिकल 311 का प्रोटेक्शन मिला हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आप समझ ही नहीं रहे हो और आप बोले जा रहे हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आज मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि हम नये सिरे से सी.आर. भरवाएंगे। यहां तक भी कहा उन्होंने....

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा नहीं कहा, उपाध्यक्ष महोदय। इनको गलतफहमी हो गई। कोई ऐसा स्टेटमैंट जारी नहीं किया। यह बात यहीं खत्म हो जाती है। ये कह रहे हैं कि मुख्य मंत्रीजी ने कोई स्टेटमैंट दिया, मैं कहता हूं नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : यह इश्यू ही नहीं है, there is no issue before the House.

श्री बुलाकीदास कल्ला : मुख्य मंत्रीजी ने कोई स्टेटमैंट ही नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : दिलावर जी, बोलिए प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मुख्य मंत्रीजी ने दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप शुरू कीजिए। (व्यवधान) अब जाने दीजिए।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

झालावाड़ के राजकीय चिकित्सालय में एक चिकित्सक द्वारा तैयार कथित फर्जी मेडिकल रिपोर्ट

श्री मदन दिलावर (प्रटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 11-9-99 को गिरधारी पुत्र नन्दालाल जाति मीणा, उम्र 35 वर्ष निवासी काजिल्या, थाना इकलेरा जिला झालावाड़ का चोट प्रतिवेदन इकलेरा राजकीय चिकित्सालय में बनाया गया था। उस व्यक्ति के साथ कंवर लाल मीणा पुत्र पुरीलाल मीणा निवासी धरोल के साथ मारपीट में चोटें आयी थीं। राजकीय चिकित्सालय इकलेरा में गिरधारी मीणा की चोटों को प्राणघातक बताया गया। यह चोट प्रतिवेदन पूर्णतया गलत व दुराग्रह से ग्रसित होकर तथा डा. हेमराज मीणा, चिकित्साधिकारी द्वारा रिश्वत लेकर बनाया गया है। इस संबंध में कंवर लाल पुत्र पुरीलाल मीणा निवासी धरोल तहसील इकलेरा जिला कलेक्टर, एस.पी. झालावाड़ चिकित्सा मंत्री महोदय, संयुक्त निदेशक कोटा, निदेशक व सचिव, चिकित्सा विभाग को गुहार कर चुका है, परन्तु किसी के द्वारा भी कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं की गयी है। इस चोट प्रतिवेदन में दर्शाये गये तथ्य पूर्णतया गलत हैं क्योंकि–

1. चोट दिनांक 11-9-99 को आयी, तथा इसके डिस्पैच की तारीख 11-8-99 दर्शायी गयी है।

2. उक्त व्यक्ति थाने में रात्रि 11.00 बजे प्राथमिकी रिपोर्ट के अनुसार एफ आई आर. दर्ज कराने हेतु उपस्थित हुआ तथा उसका मेडिकल परीक्षण का समय भी 11 बजें ही दर्शाया गया है।

3. चोट संख्या एक व दो को प्राण-घातक होना बताया गया है जो कि परीक्षण रिपोर्ट में साफ दिख रहा है कि पहले इसे शार्प लिखा है बाद में इसे काट-काट कर 'इन्जरस टू लाइफ' लिखा है। जब यह चोट प्रतिवेदन इकलेरा में दो चिकित्सकों द्वारा

(श्री मदन दिलावर)

तैयार किया गया था तो कटिंग पर केवल डा. हेमराज मीणा के हस्ताक्षर हैं तथा कटिंग को अटैस्ट भी नहीं किया गया है। दूसरे चिकित्सक डा. जितेन्द्र शर्मा द्वारा न तो कटिंग पर हस्ताक्षर किये गये हैं, न ही उन्हें इस बाबत बताया गया है।

4. उक्त व्यक्ति स्वयं पैदल चलकर थाने रिपोर्ट दर्ज कराने गया है। 11 बजे रिपोर्ट में उक्त व्यक्ति को सिर की चोट के कारण प्राणघातक स्थिति में बताया गया है। किन्तु उसका होश का स्तर भी नहीं लिखा गया तथा गंभीर एवं प्राणघातक सिर की चोट से ग्रसित व्यक्ति को दो दिन पश्चात् हास्पिटल से छुट्टी भी दे दी गयी है।

5. उक्त प्रतिवेदन में रोगी की दायीं आंख की पुतली में 'नोट रिएक्टिंग टू लाइट' लिखा है तथा आंख की पुतली के विषय में कुछ नहीं लिखा है। 'पुपिल नोट रिएक्टिंग टू लाइट' केवल मृत अवस्था में ही पायी जाती है। जीवित अवस्था किसी अन्य किसी भी प्रकार की सिर की चोट में नहीं हो सकती। इस विषय में किसी भी विशेषज्ञ न्यूरो सर्जन की राय ली जा सकती है।

6. मेडिकल बोर्ड में तीन चिकित्साधिकारी होना जरूरी है जबकि डा. हेमराज मीणा ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके एक डा. जितेन्द्र शर्मा को मिलकर बिना उच्चाधिकारी को सूचना दिये फर्जी मेडिकल बनवाया है।

अतः उपरोक्त मामले की विशेषज्ञ चिकित्सकों से पुनः जांच करवाकर मेडिकल रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करें तथा डा. हेमराज मीणा के खिलाफ कठोर कार्यवाही करें ताकि कोई भी चिकित्सक गलत मेडिकल रिपोर्ट बनाने की हिम्मत न कर सके।

श्री उपाध्यक्ष : डा. रतन लाल जाट।

सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र जिला भीलवाड़ा में विकट पेयजल समस्या

डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत मेरा प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में पेयजल की विकट समस्या है। कई गांव ऐसे हैं जिनमें पेयजल की व्यवस्था नहीं है। देश को आजाद हुए 53 वर्ष हो गये हैं, देश इक्कीसवीं सदी में प्रवेश करने को अग्रसर है फिर भी ग्रामवासियों को सरकार द्वारा पेयजय उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। आने वाली गर्मी के मौसम में यह समस्या अत्यन्त उग्र रूप धारण कर लेगी। समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो ग्रामीणों एवं पशुधन के प्यासे मरने की नौबत आ जाएगी।

उपरोक्त विधान सभा क्षेत्र का गंगापुर कस्बा जो लगभग 20 हजार की आबादी का है, वहां तीन दिन में एक बार पानी भी मुश्किल से मिल रहा है। भाजपा शासन में स्वीकृत इस कस्बे की लगभग 5 करोड़ की पेयजल योजना जिस के तहत

(डा. रतन लाल जाट)

मातृकुंडिया से पानी लाना है, अभी तक खटाई में पड़ी हुई है। ऐसी जानकारी मिली है कि इस योजना के लिये वर्षों पहले खरीदे गये पाइप भी कहीं अन्यत्र भेजे जा रहे हैं।

इसी विधान सभा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण पेयजल योजना जिसके तहत रायपुर के लड़की बांध से पानी लाकर लड़की, रामा पीपा का खेड़ा, मण्डोल, बोराणा तथा रायपुर कस्बे को पानी देना है, लम्बे समय से राज्य सरकार के विचाराधीन है। इस योजना को तुरन्त स्वीकृत किया जाकर उपरोक्त गांवों में पेयजल की समस्या का समाधान किया जाए।

मैं आपके माध्यम से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री जी का इन गांवों की गम्भीर पेयजल समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हैण्डपम्प व ट्यूबवैल अधिकतर सूखने लग गये हैं। पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है। काफी हैण्डपम्प खराब पड़े हैं। हैण्डपम्प के पाइपों की कमी है; हैण्डपम्प मिस्त्रियों की कमी है। अभी से ही आपातकालीन योजना के लिए पैसा स्वीकृत कर व्यवस्था करायी जाए। नए हैण्डपम्प के पाइप व पानी के टैंकरों की आवश्यकतानुसार शीघ्र व्यवस्था कर समस्या का समाधान करवाने की कृपा करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवर लाल।

भिनाय व मराई पंचायत समितियों में अतिवृष्टि से नष्ट परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण का भुगतान नहीं

श्री सांवर लाल (भिनाय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राहत मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि अजमेर जिले की पंचायत समिति भिनाय व मराई में काफी समय से अतिवृष्टि/बाढ़ से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के पुन: निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृतियां जारी कर कार्य करवाये गये। शिकायतों की जांच हो चुकी है परन्तु उक्त भुगतान अभी तक नहीं किया गया।

मैं जन हित में सरकार से आग्रह कर रहा हूं कि अविलम्ब भुगतान करवाकर मुझे भी जानकारी देने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गणेशीराम मेघवाल।

(अनुपस्थित)

श्री अमीन खान।

बाड़मेर जिले की पेयजल योजनाओं के लिए समयानुसार पर्याप्त विद्युत आपूर्ति नहीं

श्री अमीन खान (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख है कि बाड़मेर जिले की पेयजल योजनाओं को बिजली डिजाइन स्कीमों के अनुसार नहीं मिल रही है जिससे पेयजल योजनाएं 3-4

(श्री अमीन खान)

घण्टे से ज्यादा नहीं चल पाती है जिससे काफी ग्रामों में पानी नहीं पहुंचता है जिस से लोगों में भारी असंतोष है। बाड़मेर जिले के ग्राम उंडू के स्रोत से 360 ग्रामों व ढाणियों को पानी पहुंचाने की योजना है, मगर पिछले 6 माह से आधे गांवों में भी पानी नहीं पहुंचता है क्योंकि ग्राम उन्डू भीमाड़ कानासर में कृषि कनेक्शन ज्यादा होने से पेयजल योजनाओं को बिजली नहीं मिलती है।

अतः मैं आपकी व सदन की मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले के तहसील शिव मुख्यावास पर 132 के.वी. ग्रिड स्टेशन का शीघ्र निर्माण कराया जाए। जलदाय विभाग को सुचारु रूप से बिजली नहीं मिल रही है अतः जनहित में शीघ्र शिव में 132 के.वी. का ग्रिड स्टेशन निर्माण कराया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरीशचन्द्र।

नावां विधान सभा क्षेत्र में विद्युत समस्या

श्री हरीशचन्द्र (नावां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नावां विधान सभा क्षेत्र में विद्युत समस्या के कारण व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया नियम 295 में विशेष उल्लेख प्रस्ताव रखना चाहता हूं।

कुचामन सिटी में 220 के.वी. सब-स्टेशन बनना स्वीकृत है, परन्तु भूमि विवाद अभी तक सुलझाया नहीं गया है इसलिए काम रुका पड़ा है। चितावा में 132 के.वी. सब-स्टेशन नया बना है। यहां 20 एम.वी.ए से अधिक लोड है परन्तु मात्र 12.5 एम.वी.ए पावर ट्रांसफार्मर रखा है जिससे विद्युत सप्लाई पूरी नहीं हो रही है। यहां 12.5 एम.वी.ए. का एक नया ट्रांसफार्मर और शीघ्र रखने की आवश्यकता है। नावां व कुचामन सिटी नगरपालिका क्षेत्र में नमक की झील के पास छोटी कृषि भूमि व बाटियों के कृषि कुओं में केवल ऊपर का झारे का पानी कम मात्रा में है। गहरा करने से खारा पानी हो जाता है जो कृषि योग्य नहीं है। ऐसे लोगों के कृषि कनेक्शन सिटी लाइन के होने से कम बिजली उपयोग के बावजूद इन कृषि कुओं से डोमेस्टिक रेट से व मिनिमम चार्ज के आधार पर भारी बिल बनाकर वसूली की जा रही है। इतनी बड़ी राशि जमा कराने की क्षमता इन कृषकों की नहीं है। कृषि कनेक्शन दर में परिवर्तन करना न्यायोचित नहीं है जिससे गरीब काश्तकार परेशान हैं।

राज्य विद्युत मंडल द्वारा घरों में विद्युत कनेक्शन करने के सम्बन्ध में जारी परिपत्र क्रमांक-आर.एस.ई.बी./पी.एस./सी.एच/डी.सी.ओ./सी-1 डी-2625 दिनांक 12-9-99 की अनुपालना में कुचामन सहायक अभियंता एवं नावां सहायक अभियन्ता क्षेत्र में नगरपालिका क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक एक भी विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया जबकि कुचामन सहायक अभियन्ता को ग्राम खोरन्डी एवं कुचामन

(श्री हरीशचन्द्र)

शहर वार्ड नम्बर 5 के आवेदकों के सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों से भी निर्देश दिला दिये गये हैं। इस प्रकार विद्युत विभाग द्वारा उत्पन्न समस्या का समाधान नहीं करने से आम गरीब लोग व काश्तकार काफी परेशान हैं। कृपया राज्य सरकार शीघ्र निदान कर समाधान करे।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विशेषकर कुचामन सिटी में 220 के.वी. का सब-स्टेशन बनाया जाए। केवल कुचामन के लिए ही नहीं, आसपास के पूरे क्षेत्र को इसकी आवश्यकता है इसलिए इसका शीघ्र काम चालू कराया जाए।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के क्षेत्र में चितावा में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन को इसी माह मार्च 25 को विधिवत प्रारम्भ कर दिया गया है। वहां पर 12.5 एम.वी.ए. के एक दूसरे नये ट्रांसफार्मर की भी स्वीकृति कर दी गयी है, तीन माह में ट्रांसफार्मर लगकर चालू भी हो जाएगा। कुचामन में 220 के.वी. का ग्रिड सब-स्टेशन लम्बे समय से स्वीकृत है लेकिन भूमि का विवाद है।

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा, यहां भी थोड़ा सहयोग करें। मैंने जिला कलेक्टर से बात की है, आशा है इसी माह यह विवाद सुलट जाएगा। मण्डल की कोशिश है कि अप्रेल के माह में ही यहां पर हम कार्य प्रारम्भ कर देंगे। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि 220 के. वी. ग्रिड सब-स्टेशन से लाइन बिछाने का काम करीब-करीब पूरा हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम (पचपदरा)

बाड़मेर के पेयजल संकटग्रस्त ग्रामों में हैण्ड पम्प

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अंतर्गत आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस वर्ष बाड़मेर क्षेत्र में भयंकर अकाल है। इस अकाल की घड़ी में पचपदरा तहसील के ग्राम बड़नामा जागीर, बड़नामा चारणोत और रोडवा खुर्द में पेयजल का भारी संकट है।

उक्त ग्रामों में अतिशीघ्र पेयजल के संकट को दूर करने के लिए बड़नामा जागीर की ढाणियों में सात हैण्ड पम्प, बड़नामा चारणोत में दो हैण्ड पम्प और रोडवा खुर्द में चार हैण्ड पम्प खुदवाये जाएं। इन ग्रामों की सरहद में पीने योग्य जल है। कुछ वर्षों पूर्व बड़नामा जागीर के रोमुखां सिन्धी मुसलमान की ढाणी में हैण्ड पम्प खोदा गया था। वहां आज पचास से अधिक परिवार पानी पी रहे हैं। रोडवा खुर्द में भी दो हैण्ड पम्प खोदे गये, वहां

(श्री ग्रमराराम चौधरी)

पर पानी मीठा है। बड़नामा जागीर ग्रौर बड़नामा चारणोत में पीने योग्य पानी है।

इन ग्रामों में हैण्ड पम्प में पर्याप्त पानी मिलेगा। ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के ग्रधिकारियों द्वारा जो पूर्व में रिपोर्ट पानी नहीं होने की दी गयी थी, यह रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं है क्योंकि वहां एक हैण्ड पम्प जो रिमूखां की ढाणी खोदा गया था वहां पचास से ज्यादा घरों के लोग पेयजल लाभान्वित हो गये हैं।

ग्रत: मैं ग्रापके माध्यम से श्रीमान से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार को ग्राप निर्देश दिलावें कि शीघ्र ही उक्त पेयजल के संकट वाले क्षेत्रों में हैण्ड पम्प युद्ध स्तर पर खुदवाकर वहां की जनता ग्रौर मवेशियों की प्यास बुझाए ताकि उनको पलायन नहीं करना पड़े। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंह जी।

ग्रकाल राहत कार्यों में मेट लगाने की व्यवस्था सरपंचों के परामर्श से

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं ग्रपने ग्रापको बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूं कि ग्रकाल राहत मंत्री जी यहां पर विराजमान हैं। मैं उनसे ग्रपेक्षा करूंगा कि विषय की गम्भीरता को देखते हुए सदन को कुछ ग्राश्वस्त करें।

महोदय, नियम 295 के ग्रंतर्गत राहत कार्यों में सभी विभागों की एजेन्सियों को मेट लगाने की व्यवस्था सरपंच के परामर्श से सुनिश्चित करने के क्रम में निवेदन निम्न प्रकार से है—

1. कि राजस्थान राज्य में ग्रब तक 26 जिलों में 23,406 गांवों को ग्रभाव ग्रस्त घोषित सरकार द्वारा किया गया है तथा पंचायत समितियों, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन विभाग, सिंचाई विभाग, भू-संरक्षण विभाग इत्यादि को कार्य निष्पादन एजेंसी बनाकर माह ग्रप्रेल, 2000 से 30 जून, 2000 तक कम व ज्यादा ग्रकाल राहत कार्य प्रारंभ किये जाएंगे।

2. उक्त कार्यों के मौके पर मेट निर्धारित कर कार्य करवाये जाएंगे। लेकिन राज्य सरकार द्वारा मेट निर्धारण के कोई निर्देश विभागाध्यक्षों व एजेंसियों को ग्रब तक नहीं दे रखे हैं जिससे चयनित परिवार के व्यक्ति व ग्रति निर्धन परिवार के श्रमिक कार्य पर नहीं लग पाते हैं। गरीब व रोजगार पाने की प्रथम वरीयता पाने वाले व्यक्ति या परिवार कार्य पाने से वंचित रह जाते हैं तथा सामान्य साधन सम्पन्न परिवार के लोग कार्य पर लग जाते हैं जिससे गांवों का वातावरण ग्रशांत बनता है। उन वंचित परिवारों की कोई सुनवाई नहीं हो पाती है जिससे विषम परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं।

3. इन सारी विषमताग्रों को दूर करने व गरीब परिवार व चयनित परिवारों को कार्य पर लगाने के लिए केवल मात्र स्थानीय नव-निर्वाचित सरपंचगण से सम्बन्धित

(श्री हीरासिंह चौहान)

एजेंसी द्वारा मेट निर्धारित करने के निर्देश देकर इस व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सकता है क्योंकि सरपंच गांव का जिम्मेदार व उत्तरदायी व्यक्ति होता है। सरपंच के साथ प्रत्येक वार्ड के 10 से 15 वार्ड पंच होते हैं। कार्य प्रारंभ होते ही सरपंचगण वार्ड पंचों से अपने अपने वार्ड के गरीब परिवारों को प्राथमिकता से राहत कार्यो पर लगा सकेंगे। मेट को सीधा विभाग द्वारा लगाने से न तो श्रमिक संख्या की जानकारी गांव वालों को मिलती है तथा न विभाग द्वारा लगाया मेट गांव के गरीबों व पंचायत के प्रति जिम्मेदार होता है। इस कारण से राहत कार्यो पर सम्बन्धित सरपंचगण के परामर्श से ही मेट लगाने की व्यवस्था जनहित में सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

आशा है, राहत मंत्री महोदय मेट लगाने की व्यवस्था यथाशीघ्र सरपंचगण के परामर्श से करने के निर्देश फर्माएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मंवरू खान।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह पूरे राजस्थान के श्रमिकों से सम्बन्धित है, जनहित का सवाल है। विभाग मेट लगाए लेकिन सरपंच से परामर्श लेकर लगाए ताकि गांव के सारे श्रमिक काम पर लग जाएं; केवल इतना ही निवेदन है। ऐसा नहीं है कि सरपंच ही मेट लगाएं; विभाग उससे परामर्श करके लगाए जिससे अति गरीब और चयनित परिवार के लोग उन कामों पर लग सकें। अन्यथा बड़ा व्यवधान पैदा हो रहा है। मनमाने ढंग से लगेंगे। आज कम या ज्यादा राहत कार्य खोलते हैं उनसे भी लोगों को कोई राहत नहीं मिलेगी। मैं आश्वासन चाहता हूं, माननीय राहत मंत्री जी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मंवरू खान।

(अनुपस्थित)

श्री कन्हैया लाल मीणा।

बस्सी क्षेत्र के तूंगा में 132 के.वी. ए.जी.एस.एस. की स्वीकृति

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के जरिये आपका ध्यान विद्युत विभाग की ओर दिलाना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी में भारतीय जनता पार्टी के राज में आठ घंटे से ज्यादा बिजली मिलती थी, इसलिए उतनी बिजली मानते हुए किसानों ने उतनी ही भूमि में फसल बोई थी। उन्होंने सोचा था कि कांग्रेस राज में मुझे बिजली ज्यादा मिलेगी। लेकिन हुआ उसका उलटा।

आज किसानों को मात्र चार घंटे की सप्लाई दी जा रही है। उसमें भी अनेक बार ट्रिपिंग आयी जिससे किसानों की सैकड़ों मोटरें जल गयीं तथा खेतों में पानी सप्लाई नहीं होने से आधी से ज्यादा फसल बेकार हो गयी। तूंगा, हिम्मतपुरा, सांवलियावाला, माध्यावाला, अभयपुरा, प्रयोगढ़ बल्लूपुरा, लालपुरा, बुड़रपुरा, तूंगी, दणाऊ खुर्द, दणाऊ कलां, मोरण्डी, चपड़िया,

(श्री कन्हैया लाल)

गढ़, दूबली, पृथ्वीपुरा, रजबास, गवालनी माधोगढ़, बिहारीपुरा, चक माधोगढ़, टेड्यावाला, गुमानपुरा आदि गांवों में तो फसल करीब-करीब चौपट हो चुकी है। शेष बची फसल को बचाने हेतु मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि मात्र 15 दिन के लिए यदि आप इस क्षेत्र में कम से कम 8 घंटे सप्लाई दिन में और दिलाने के आदेश देवें तो शेष बची फसल किसान प्राप्त कर सकते हैं।

साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो सप्लाई दौसा से हो रही थी उसे बस्सी से ही जोड़ने के आदेश पूर्व में दे भी रखे हैं, उन्हें शीघ्र क्रियान्वित कराने की कृपा करें। तूंगा हेतु प्रस्तावित जी.एस.एस. 132 के.वी. जो तहसील चाकसू, लालसोट, जमवारामगढ़ व दौसा क्षेत्र के 33-33 के.वी. ग्रिड जी.एस.एस. तूंगा से 10 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है, उससे हजारों कृषकों को लाभ मिलेगा। कृपया उक्त 132 के.वी. जी.एस. एस. को भी स्वीकृत करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी।

(अनुपस्थित)

श्री गोवर्द्धन कल्ला।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जैसलमेर क्षेत्र की वितरिकाओं में पानी छोड़ना

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत सदन का ध्याना-कर्षित करना चाहता हूं कि जैसलमेर जिले के इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में इस वर्ष बड़े पैमाने पर कृषि भूमि का आवंटन हुआ है। यह क्षेत्र रेतीला है जहां सिचाई हेतु अधिक पानी की आवश्यकता है। इस रबी की बुवाई के समय पानी के अभाव में कुल आवंटित क्षेत्र के मात्र 46 प्रतिशत में बुवाई हो सकती है। पांच लाख रुपये में एक 25 बीघा का मुरब्बा लेने वाले काश्त-कार को चार किश्त में पूरी रकम चुकानी पड़ती है। जब बुवाई नहीं कर सके तो उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना कठिन है। बुवाई के बाद सिचाई हेतु बारी बांधी गई जिससे किसी भी काश्तकार को समय पर पूर्ण सिचाई सुविधा प्राप्त नहीं हो सकी। हनुमानगढ़ जिला जहां सिचाई कई वर्षों से हो रही है, जैसलमेर क्षेत्र को उसके बराबर करके क्षेत्र के साथ अन्याय हुआ है। वर्त-मान में फसलें पकने पर हैं, जहां एक सिचाई सुविधा की आवश्यकता है वहां पानी नहीं मिलने से फसलों में खराबा हो रहा है।

अतः निवेदन है कि जैसलमेर क्षेत्र को इंदिरा गांधी नहर परियोजना की

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

सभी वितरिकाओं में पानी छोड़ा जाए जिससे फसलें पक सकें। इस योजना में मात्र दो हजार क्यूसेक पानी की आवश्यकता होगी जो दो सप्ताह तक चल कर फसलों को पका सकेगी। आशा है नहर विभाग पानी छोड़कर काश्तकारों को राहत देने का प्रयास करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

पर्चों के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

अल्प बचत योजना में शासन द्वारा जारी सोने के सिक्कों की शुद्धता

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से अल्प बचत करता है और पैसा बचाकर अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए देखता रहता है। अल्प बचत विभाग ने एक कंचन मिलेनियम उपहार योजना, 2000 चलाई। टी.वी. पर बड़ा अच्छा लगता है जब क्षण भर उसका विज्ञापन आता है और गायब हो जाता है।

उस योजना के अन्तर्गत बगड़ जो कि झुन्झुनूं जिले का एक कस्बा है, वहां पर एक लाख रुपये एक व्यक्ति ने निवेश किये थे। ज्योतिप्रकाश नाम का अभिकर्ता है वह उस मिलेनियम उपहार योजना के प्रोत्साहनस्वरूप जो दो सोने के सिक्के 2-2 ग्राम के सरकार की तरफ से देय होते हैं, उन सिक्कों को लेकर बगड़ गया और बगड़ में उस निवेशक को दिये। उस निवेशक ने अपनी पत्नी को दे दिये कि इन दोनों सिक्कों को अच्छी तरह से रख लेना, सोने के हैं। जब उसने रगड़ कर देखा तो पता चला कि सोने के सिक्के नहीं हैं, रांगे के सिक्के हैं। उसने पति को कहा कि कौनसे ठग से ठगे आ रहे हो, थोड़ा इनको देखो तो सही। वह भागा-भागा ज्योतिप्रकाश के पास गया। ज्योतिप्रकाश जो अभिकर्ता था, उसने अपने पास के सिक्कों को देखा तो वे भी रांगे के, यानि कथीर के निकले। वह भागा-भागा बगड़ आया, तो बगड़ में वहां जो अधिकारी हैं उनके पास भी और सिक्के पड़े हुए थे, उन्होंने रगड़ कर देखा तो वे भी कथीर के निकले।

क्या यह सरकार अल्प बचत करने वाले को सोने के सिक्के की बजाय धोखाधड़ी करके कथीर के सिक्के पकड़ा रही है? यह बड़ी पारदर्शी सरकार है, इसको कितना धन्यवाद दिया जाए कि सोने के बदले में लोगों को रांगे के सिक्के पकड़ा रही है। टी.वी. पर विज्ञापन किया जाता है वह इतना आकर्षक होता है–मिलेनियम उपहार योजना, 2000 में निवेश कीजिये और 50 हजार के निवेश पर दो सोने के सिक्के लीजिये। यह देखकर ताज्जुब हुआ कि राजस्थान की जनता को लूट हो रही है और यह सरकार मौन होकर इस जनता को लूट रही है।

मैं समझता हूं कि इस प्रकरण की पूरी जांच होनी चाहिए कि इसमें कौन-कौन अधिकारी शामिल हैं, कौन-कौन लोग शामिल हैं, ये सिक्के कहां से आये, किसने

(श्री मदन दिलावर)

इस प्रकार की गड़बड़ की। उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। नहीं तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अल्प बचत योजनाओं पर से जनता का विश्वास उठ जाएगा और यदि अल्प बचत योजनाओं से जनता का विश्वास उठ गया तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का विकास ठप्प हो जाएगा क्योंकि अल्प बचत योजना में जो पैसा आता है उससे राजस्थान का विकास होता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप खुद बोलोगे अभी। किरोड़ी लाल जी, आप खुद बोलोगे अभी।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, यह ...

श्री उपाध्यक्ष : डोंट डिस्टर्ब।

श्री मदन दिलावर : मैं पढ़कर नहीं दे रहा हूं, यह लो।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। माननीय मंत्रीजी। आर्डर, आर्डर। इनको पूरा करने दीजिये।

श्री मदन दिलावर : मेरी बात सुन लीजिये।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको सूत्र पता है कि ये कहां बने हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये सिक्के कहां बने, इसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं तो इतना निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता के साथ इससे बड़ी लूट और कोई नहीं हो सकती और अल्प बचत योजनाओं में पैसा नहीं आया तो राजस्थान का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच कराना बहुत आवश्यक है कि कौन-कौन अधिकारी शामिल हैं, कौन-कौन ऐसे +++ हैं जिन्होंने इस प्रकार का यह काम किया है और जनता के साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी की है। यह उस महिला का अपमान नहीं है क्या?

यदि वह 5-6 दिन हाथ में रख लेती, घर पर रख लेती और 10-15-20 दिन बाद सुनार के यहां जाकर उसको तुड़वाकर उसके जेवर पहनती तो क्या उसके रिश्तेदारों में उसकी हंसाई नहीं होती कि कथीर के जेवर पहनकर यहां आई है, कहां से लाई है। फिर आप सब जाकर उसको पकड़ते कि बताइये कि यहां तुम्हारे पास सोने के सिक्के कथीर के कैसे हुए, तुम्हारे खिलाफ क्यों नहीं रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। भगवान ने उसकी सुन ली, बहुत जल्दी सुन ली कि

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री मदन दिलावर)

इसको हाथों-हाथ पता चल गया अन्यथा बहुत बड़ा हादसा उस महिला के साथ हो जाता। मेरा निवेदन है कि इसकी पूरी जांच कराई जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र जी राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह लगता है कि यह सरकार खोटे सिक्के चलाने की सरकार है....

श्री उपाध्यक्ष : आपको क्या लगता है; आप अपनी पर्ची पर बोलो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात कहूं, वह सही है परंतु जो गम्भीर विषय माननीय मदन जी दिलावर ने उठाया है....

श्री उपाध्यक्ष : वह हो गई ना बात।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ सवाल है। नहीं, यह स्पष्ट होना चाहिए कि अल्प बचत योजनाओं में जो लोग धन जमा कराते हैं, उसके बदले में हमें ऋण मिलता है....

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी पर्ची पर बोलिये ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सारे राजस्थान की अल्प बचत योजनाएं समाप्त हो जाएंगी; लोगों का सरकार के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा (व्यवधान) मंत्री महोदय को इस का स्पष्टीकरण देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : वह बोल रहे हैं ना। आप रुको तो वह बोलें ना। (व्यवधान) आप बैठो तो वह बोलें ना। वह बोल रहे हैं ना। वह जवाब दे रहे हैं ना। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : ...जो लोग अल्प बचत योजनाओं में पैसा लगा रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में सरकार की तरफ से कोई न कोई घोषणा तो होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सांवर लाल : ..लोगों को नकली सिक्के देकर लूट रही है; उपाध्यक्ष महोदय, तो कौन पैसा लगाएगा; आप बताइये। राजस्थान की योजनाएं ठप्प हो जाएंगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी बोल रहे हैं ना, उनका जवाब सुनिये आप।

श्री सांवर लाल : सरकार को इस विषय को गम्भीरता से लेना चाहिए।

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, आप द्वारा, आश्वासन देने के बाद में सरकार नकली सिक्के देने जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आप जवाब सुनना चाहते हैं या नहीं ?

श्री हीरासिंह चौहान : जवाब तो सुन लेंगे; उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन यह मामला बहुत गम्भीर है।

श्री उपाध्यक्ष : तो वह बोल रहे हैं ना। गम्भीर है इसीलिए तो बोल रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : ....रिजर्व बैंक की मोहर लगी हुई है वे सिक्के लोगों को दिये जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह बोल रहे हैं। आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : खोटा सरकार है; खोटी सरकार है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय; जवाब दें; देखें +++ यह खोटी सरकार है; खोटी सरकार है। +++ क्या जवाब देगी ? सबसे झूंठी सरकार है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री परसादी लाल (राज्य मंत्री, अल्प बचत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय; माननीय सदस्य ने जो महत्वपूर्ण सवाल उठाया है मैं उनको इस सवाल को उठाने के लिए धन्यवाद देता हूं। यह वास्तव में बहुत ही गम्भीर मामला है। यह मामला आज ही मेरी जानकारी में आया है। आने के बाद मैंने कलेक्टर; झुंझुनूं से इस संबंध में सुबह सात बजे बात की और फाइनेंस सैक्रेटरी, डाइरेक्टर स्माल सेविंग सभी को इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए, पूरी जानकारी के लिए कहा है कि आप इसकी पूरी जानकारी से सरकार को अवगत कराएं।

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, हम भारतीय स्टेट बैंक से सोना खरीदते हैं और भारत सरकार की मिंट है बम्बई में जहां पर एक ही जगह सिक्कों का निर्माण होता है; गवर्नमेंट आफ इण्डिया की बम्बई वाली मिंट से हम सिक्कों की ढलाई कराते हैं; जहां पर सोने के सिक्कों की गारंटी है। हर सिक्के के ऊपर लिखा हुआ है कि 99.5 प्रतिशत उसकी गारंटी है कि वह सोना है। इस तरह का हर सिक्के पर अंकित है। यह बड़ा गम्भीर मामला है।

इस संबंध में जो भी दोषी लोग होंगे; पूरी जानकारी लेकर सदन को अवगत कराऊंगा। यह बड़ा गम्भीर मामला है और इसके ऊपर मैं अलग से अपना स्टेटमेंट दूंगा ताकि राजस्थान की जनता में यह भ्रम नहीं फैले कि. हमको असली सोने के सिक्के की जगह नकली सिक्के दिये जा रहे हैं। कोई भी इसमें दोषी होगा, बड़े से बड़ा अधिकारी भी दोषी मिला; सरकार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी। जिस भी जांच एजेंसी से जांच कराने की आवश्यकता होगी; माननीय सदस्य जिससे भी जांच कराने के लिए कहेंगे, उससे जांच कराई जाएगी। यह राजस्थान के लिए बड़ा अहम मुद्दा है; उच्च एजेंसी से हम इसकी जांच कराएंगे, हम पूरे प्रकरण को देंगे। इसमें हमको कोई नहीं है, हमारी सरकार पूरी तरह पारदर्शी है। जिस अधिकारी का भी हाथ

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री परसादी लाल)

होगा, पूरी जानकारी लेकर मैं सदन को अवगत कराऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ, धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कब तक अवगत करा देंगे ?

श्री परसादी लाल : मैं आपको कल तक अवगत करा दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र सिंह जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने झूंठ शब्द का प्रयोग किया है उसको एक्सपंज कराएं।

श्री जुगल काबरा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सिक्कों का मामला भारत सरकार से संबंधित है इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसके बारे में भारत सरकार को भी अवगत कराएं कि उनके यहां तो कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमराराम जी।

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमने हमारे अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि सिक्कों का वितरण तुरन्त रोक दिया जाए। कलेक्टर, झुंझुनूं ने भी रोक दिया है। यहां पर डाइरेक्ट्रेट में जो हमारा स्टाक है, सभी कलेक्टर्स को निर्देश दे दिये गये हैं कि सिक्कों को जब तक पूरी जांच नहीं हो जाए, हर सिक्के की जांच नहीं हो जाए, सिक्के जनता को वितरित नहीं करें। हमने जनता से जो दो ग्राम सोने का सिक्का देने का वायदा किया है, उसके लिए सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है।

भारत सरकार की टकसाल पर आज तक भी किसी ने भी प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया है। हमको भी पूरा विश्वास है कि उस मिंट से जो सिक्का बना है वह असली सोने का सिक्का है। हम उस पर कोई सवालिया निशान नहीं लगा रहे हैं। यह कहां गड़बड़ी हुई है, किसने गड़बड़ी की, इसकी पूरी जानकारी लेकर मैं हाउस को अवगत कराऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र सिंह जी। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर।

अकाल राहत कार्य की न्यूनतम मजदूरी

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, 10 जनवरी को राजस्थान सरकार ने 23406 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया। उसके साथ ही राजस्थान अफेक्टेड एरिया (सस्पेंशन आफ प्रोसीडिंग) एक्ट, 1952 के अन्तर्गत पूरे राजस्थान में सब तरह की ऋण वसूलियां बंद करने का काम अपने आप हो जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत मंत्री जी यहां

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बिराजमान हैं, आपने इसी पवित्र सदन में यह कहा था कि राजस्थान में सब प्रकार की ऋण वसूली बन्द हो गई।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, फरवरी माह के अन्दर वसूलियों का अभियान चलता है। जितने भी सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक हैं उनके एम.डी. और जिला कलेक्टर के पास ज्यादा से ज्यादा वसूली करने के लिए यही सरकार की तरफ से परिपत्र जाता है। मैं इस परिपत्र को आपकी आज्ञा से टेबल करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से निर्देश प्राप्त होने के पश्चात चूरू सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड के अधिशासी अधिकारी दिनांक 10-3-2000 को यानी 10 मार्च को एक परिपत्र सारे व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समितियों को जारी करते हैं और उसमें यह कहते हैं कि आप द्वारा ऋण वसूली अभियान में रुचि नहीं ली गई है, जानबूझकर लापरवाही बरती जा रही है, जरिये नोटिस आपको आगाह किया जाता है कि 24-3-2000 तक विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें। इसका अर्थ यह है कि 24 मार्च तक निर्धारित लक्ष्य इन्होंने आबंटित कर रखे हैं। और दूसरी तरफ, मंत्री महोदय, आपने कहा था कि वसूलियां स्थगित हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यही सरकार फैसला कुछ करती है दुर्भाग्य इस बात का है कि यह सरकार वह है जो पहले कहती थी कि नौकरशाह पर हमारी बहुत बड़ी पकड़ है। इस सरकार ने एक बार यही फैसला कर दिया, फैक्ट्स फाइल में गुम होकर रह जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए कि आपने अभावग्रस्त गांव घोषित कर दिये, उसके बाद भी अभियान किस प्रकार चलाया गया। आपकी आज्ञा से मैं यह परिपत्र भी टेबल करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात और निवेदन करना चाहता हूं। अभी सरकार ने 16 फरवरी को अकालग्रस्त इलाकों में अकाल राहत कार्य खोलने की घोषणा की। 7 मार्च को शासन सचिव (सहायता) एक परिपत्र जारी करते हैं, जिसमें यह कहते हैं कि सभी कार्यकारी संस्थाओं द्वारा राहत कार्यों के मूल्यांकन और तखमीना तैयार करने हेतु श्रम विभाग, राजस्थान द्वारा 2–6–1999 को राहत कार्यों के संबंध में जारी अधिसूचना को आधार बनाया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, 7 मार्च को जो परिपत्र जारी होता है, चूरू के जिला कलेक्टर इसको 16 मार्च को सारी पंचायत समितियों को भेजते हैं और ये निर्देश दिये जाते हैं कि जो अधिसूचना 2 जून, 1999 की है उसके आधार पर मजदूरी का भुगतान टास्क बेसिस पर किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे पास अधि-

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सूचना है; वह मैं टेबल करना चाहूंगा। उसके अन्दर लिखा है; साधारण मिट्टी का कार्य है मय निशान लगाते हुए, खुदी हुई मिट्टी को 30 फीट तक ले जाने के लिए; डेढ़ मीटर ऊंचा उठाना, 2.19 घन मीटर, 44 रुपये। उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी काम हैं; सारों के अन्दर न्यूनतम मजदूरी 44 रुपये है और सरकार कह रही है कि हमने न्यूनतम मजदूरी को बढ़ा दिया है। चूंकि के अन्दर जितने भी काम अकाल राहत में स्वीकृत हुए हैं, मैटीरियल कम्पोनेंट तो उसमें है नहीं, परन्तु मजदूरी के लिए जो तखमीना तैयार किया गया है, वह 44 रुपये से किया गया है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, अकाल राहत मंत्रीजी बिराजमान हैं, इन दोनों विषयों पर आप बताएं कि आप करना क्या चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि वसूली स्थगित होगी, उधर वसूली का अभियान चलता है। आप कहते हैं कि टास्क पर हमने न्यूनतम मजदूरी तय कर दी, उधर 44 रुपये मजदूरी से भुगतान करने का तखमीना बनाने के लिए आप परिपत्र जारी करते हैं। ये दोनों तरह की बातें

(13.00 बजे)

भगवान के लिए न करें। इस बात को तो आप मन में रखें कि आज राजस्थान किस हालत से गुजर रहा है। गरीब को उसकी न्यूनतम मजदूरी, जिसके लिए आपने घोषणा पत्र में कह कर बड़ी वाहवाही लूटी है, वह दिलाने की व्यवस्था तो करें।

मैं चाहता हूं कि उसके बारे में आप जरा हमें बताएं और सदन को विश्वास में लें। आप सारे जिला कलेक्टर्स को स्पष्ट निर्देश दें कि किस आधार पर तो तखमीना बनना चाहिए और ऋण वसूली का काम अगर आपने बंद किया है तो उसके पश्चात् ऋण वसूली क्यों की जा रही है। इस तरह की लापरवाही बरतने वाले और मैं कहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग जानबूझ कर आपके निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं। इन सारी बातों को, मंत्री महोदय, आप स्पष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : यह किसानों से संबंधित मामला है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर; आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वसूली स्थगित है....

श्री सांवर लाल : सरकार टारगेट बढ़ा-बढ़ा कर वसूली करने में लगी है।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्षजी, मजदूरों को लीड नहीं दी जा रही है जिससे कम मजदूरी आती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह जवाब दे रहे हैं न।

श्री हीरासिंह चौहान : दिन भर मजदूर अपनी मजदूरी पर रहता है, उसको न्यूनतम मजदूरी....

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठें, मंत्रीजी बोल रहे हैं न। आर्डर, आर्डर। माननीय हीरा सिंहजी, मंत्रीजी बोल रहे हैं, बैठो न आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले भूतपूर्व चिकित्सा मंत्री श्री राजेन्द्र सिंहजी ने....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोआपरेटिव के यह ही हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : श्री राजेन्द्र सिंह साहब ने यह प्रश्न उठाया कि जो लोन कोआपरेटिव बैंक से दिये जाते हैं उनकी वसूली में अनियमितता है और उसमें जल्दबाजी है और किसानों के साथ में....

श्री सांवर लाल : यह नहीं कहा, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री खेतसिंह राठौड़ : न्याय नहीं हो रहा है, उनसे जबरदस्ती वसूली की जा रही है। यह भी आपने कहा है कि वसूली की तारीख इन्होंने तय की है, 22 या 23 मार्च के पहले-पहले अगर वसूली नहीं की गई तो उस अधिकारी के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। यह श्रीमुख से आपने फर्माया है।

मेरा निवेदन यह है कि कोआपरेटिव डिपार्टमैंट कोई ऐसा सरकारी डिपार्टमैंट तो है नहीं कि जिसमें काम हो और उसके बाद में जांच हो। हमको नाबार्ड से पैसा मिलता है और मार्च की 31 तारीख के पूर्व हमने कैसी वसूली की है उसी आधार पर अगले साल वह हमको कर्जा देता है। इसलिए कुछ तो हमको वसूलियां करनी ही पड़ेंगी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वाह, साहब। फिर यह बात+++ है कि स्थगित कर दी। आप वसूली कर रहे हैं। किसानों से वसूलेंगे।

श्री सांवर लाल : आप अकाल पीड़ित जनता के साथ क्या कर रहे हैं?

श्री बुलाकीदास कल्ला : +++ शब्द एक्सपंज किया जाए साहब, असंसदीय है, निर्णय आये हुए हैं।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता अकाल से प्रभावित हो रही है, मर रहे हैं लोग, गांव छोड़ रहे हैं, पशु मर रहे हैं, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। यह परम्परा रही है राजस्थान की कि जब भी अकालग्रस्त गांव घोषित हुआ है, वहां पर कर्जे की वसूली स्थगित की गई है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : श्रीमान्, विराजिये।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सांवर लाल : माननीय मंत्री महोदय, अगर किसानों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है, नाबार्ड को पैसा देने के लिए आप अलग से विकल्प कीजिये। सरकार की तरफ से कीजिये, पर आज किसान पैसा नहीं दे सकता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रोफेसर सांवरलालजी, आप मंत्रीजी को सुनना चाहते हैं या नहीं ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, लोग भूख के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, भूख के कारण फांसी के फंदे पर लटक रहे हैं और आप उनसे वसूलियां कर रहे हैं, उनके घर को नीलाम कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, लोग मर रहे हैं, मेरी बात को सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप इनका जवाब सुनना चाहते हैं या नहीं ?

श्री मदन दिलावर : उन मरने वालों से आप वसूलियां करेंगे ? उनके बच्चे तड़प रहे हैं, क्या आप उनसे वसूलियां करेंगे ? क्या आप उनसे शार्ट वसूलियां करना चाहते हैं ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : आप उनको सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते हैं ?

श्री मदन दिलावर : यह एक गंभीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : आप उनको सुनना चाहते हैं या नहीं, माननीय सदस्य ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : । उपाध्यक्ष महोदय, सबसे मजाक किया है। गैर गम्भीर जवाब खेतसिंह जी राठौड़ साहब देते हैं। पहले भी इन्होंने कहा कि मैं लोक सभा, विधान सभा चुनाव का मंत्री हूं, निचले स्तर का नहीं हूं। पंचायतों की मजाक उड़ाते हैं। उस दिन तो हमारे सभापति महोदय की सब लोगों ने खिंचाई इस बात को की थी कि आप पंचायतों की मजाक उड़ा रहे हैं, आज इन्होंने पंचायत चुनाव की मजाक उड़ाई और अब मजाकिया जवाब देते हैं। खड़े होकर मजाक के अलावा कुछ करते नहीं इतने बुजुर्ग होते हुए।

माननीय मंत्री महोदय, जरा गंभीरता से जवाब दें। हम इनसे गम्भीरता की आशा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं उपाध्यक्ष महोदय। इसलिए जरा गम्भीरता से जवाब देवें; कपड़े नहीं फाड़ें दिलावर को देख कर। हमारे मदन दिलावर तो भावुक हैं लेकिन आप तो भावुक नहीं हैं न।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी; माननीय सदस्य इस मामले में... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, चर्चा समाप्त।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सदस्य इस मामले में झूंठे उलझे हुए हैं, एक राठौड़ को....

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन। (व्यवधान) आप सुनना ही नहीं चाहते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, सुनना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सुनना चाहते हैं तो आप बैठिये न फिर। आप सुनना ही नहीं चाहते, मर्जी आये जो बोलते हैं, क्या बात हुई यह ? Keep the House in order. हां तो सुनिये फिर।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय; मैंने बहुत आदर के साथ निवेदन किया तो उनके माननीय सदस्य कहते हैं कि यह तो मजाक कर रहे हैं। मैंने कोई मजाक की बात कही ही नहीं। मैं तो आपसे यह निवेदन कर रहा था कि यह प्रक्रिया है और इस तरह से कुछ लोन जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वसूली भी होती है। अभी मैंने यह नहीं कहा था कि उनसे जबरदस्ती की जा रही है और यह हो रहा है। आपने जो हम पर चार्जेज लगाये हैं, मैं अजमेर में था उस वक्त श्रीमान् भूतपूर्व अकाल मंत्रीजी भी वहां मौजूद थे। उस मीटिंग के अंदर यह सवाल उठाया गया कि हमारे यहां जो शार्ट टर्म लोन है उसकी भी वसूलियां जारी हैं। अपने नियमों के अनुसार जो अकालग्रस्त इलाका या अभावग्रस्त इलाका घोषित कर दिया जाता है उसका जो शार्ट टर्म लोन है वह मीडियम टर्म में कनवर्ट हो जाता है।

इसलिए हमने उसी वक्त यह एलान कर दिया कि इस लोन को जो शार्ट टर्म है, खेती के लिए किसानों ने लिया था, इस साल खेती हुई नहीं और अकाल पड़ गया; इस लोन को मीडियम टर्म में कनवर्ट कर दिया जाए। और वह कर दिया गया। समझे न आप। उसके आर्डर भी जारी हो गये। आप वापस पधारेंगे या आप इस हफ्ते में कल-परसों छुट्टी पर पधार रहे हैं तो आप मालूम करके आना। ये बिलकुल आर्डर हो गये हैं और सब जगह पहुंच गये हैं, यह लोन आपसे मीडियम टर्म में ले लिया गया है। एक बात। दूसरा निवेदन यह है..(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मंत्री महोदय, एक निवेदन कर रहा हूं। जो लांग टर्म और मिड टर्म है...(व्यवधान) मीडियम टर्म और लांग टर्म है, अब अप्रेल, मई और जून में पैसा दे नहीं सकते क्योंकि यह फाप भी हमारे किसानों की हुई नहीं है रबी की; इसलिए आपसे अनुरोध है कि मीडियम टर्म लोन है, लांग टर्म लोन है; इनको भी इस वर्ष कम से कम अप्रेल से तो स्थगित करवा दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : लांग टर्म लोन जो है वह ट्रैक्टर्स है या कुछ ऐसी चीजों पर हमने दिया है, ट्रक खरीदे हैं। अब वे तो ट्रक चलते हैं....

श्री सांवर लाल : मैं ट्रक की नहीं कह रहा, ट्रैक्टर....

श्री खेतसिंह राठौड़ : ट्रैक्टर भी चलता है, उससे कमाई भी है और वह

(श्री खेतसिंह राठौड़)

काफी बड़ा लोन है। अगर यों हम बढ़ाते रहे तो ट्रैक्टर की कीमत तो वह यों ही खा जाएगा।

श्री सांवर लाल : खाएगा नहीं, साहब।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कोआपरेटिव बैंक आप ही का बैंक है, मेरा इससे कोई खास ताल्लुक नहीं है। किसानों के लिए है, किसानों की बेहतरी के लिए है। इसलिए आपकी और मेरी दोनों की समझ यही होनी चाहिए कि जो दे सकता है उससे लिया जाए। जिसकी हालत....

एक माननीय सदस्य : जो दे सकता है उससे लिया जाए, मगर किसानों के कुर्कियां तो नहीं निकाली जाएं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जिसकी हालत बहुत ही नाजुक है उसके साथ अन्याय नहीं किया जाए, उसका आगे पोस्टपोन कर दिया जाए।

एक माननीय सदस्य : मतलब अखबारों में कुर्कियां तो न निकाली जाएं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ये दोनों काम; जो आपने अच्छे सुझाव दिये हैं उनको मैं मंजूर करता हूं।

एक माननीय सदस्य : उनसे वसूलियां की जाएं। जो दे सकते हैं वे तो दे दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गई न बात। आप के प्रश्न का जवाब आ गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय मंत्रीजी ने पूरी बात नहीं की, मेरा निवेदन एक ही है कि आपने अजमेर में निर्देश दिये उसके पश्चात यह जो परिपत्र मैं टेबल कर रहा हूं, उसमें 24 तारीख....

श्री उपाध्यक्ष : आप समझे ही नहीं बात इनकी। इन्होंने अजमेर में चर्चा की और फिर आकर इन्होंने निर्देश दिये, वह कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनके निर्देश की पालना कहां हो रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये न, वह कह रहे हैं कि आप जब चूक जाओगे तब आप को आर्डर मिल जाएंगे। यह कह दिया न इन्होंने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, अब तक वसूली हो रही है न ? अब आपने स्थगित की है न ?

श्री उपाध्यक्ष : यह कह दिया न इन्होंने।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह आर्डर है; यह खेतसिंह राठौड़ के हाथ का है; राजेन्द्र सिंह राठौड़ का नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह खेतसिंह जी राठौड़ का है और आपकी चलती नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर राम प्रताप । (व्यवधान) भार्डर, भार्डर प्लीज । (व्यवधान)

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : राजेन्द्र सिंहजी राठौड़, भाप बड़े राठौड़ साहब के घर जाकर बता दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

श्री महेश जोशी : नहीं, नहीं भाप बिलकुल गम्भीर नहीं हैं इस मामले में। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : इसमें बहुत बाकी है।

श्री उपाध्यक्ष : भाप बिराजें, प्लीज। प्रोफेसर सांवरलाल जी, बिराजिये प्लीज।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे टाइम भी मिनिमम वेज साठ रुपये भकाल राहत में तत्काल प्रभाव से हमने लागू की है इसलिए हमारी भापसे यही प्रार्थना है कि मिनिमम वेज चाहे योजनाओं में हो, चाहे भकाल राहत के काम में हो, चाहे विधायक फण्ड से हो, उसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन....

श्री उपाध्यक्ष : भापने सम्भवतया या तो मंत्रीजी ने जो स्टेटमैंट पढ़ा हाऊस में, उसको ध्यान में रखा नहीं....

श्री सांवर लाल : नहीं, बढ़ाया नहीं, साहब ।

श्री उपाध्यक्ष : कह चुके हैं यह बात पहले ।

श्री सांवर लाल : भब भी बढ़ाया नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : He has already said it.

श्री सांवर लाल : फेमिन चल रहा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साठ रुपये करके ... नहीं होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : भार्डर, भार्डर। डाक्टर राम प्रताप। (व्यवधान) भार्डर प्लीज।

श्री सांवर लाल : मंत्री महोदय दे रहे हैं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : भाप तो बैठें, मुझे ध्यान है वह खड़े हैं जो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (भकाल राहत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, चूरू से भाने वाले माननीय सदस्य जिलाधीश के जिस भादेश को यहां चर्चा कर रहे हैं, मैंने भपना स्टेटमैंट दिया था तब स्पष्ट संकेत दिये थे कि मिनिमम वेजेज को हम 44 रुपये से बढ़ा कर 60 रुपये करने जा रहे हैं। उसके भादेश की जानकारी जिलाधीश को उस वक्त तक नहीं थी। भब जानकारी दे दी गई है भौर उसी भनुरूप काम किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : डा. रामप्रताप ।

आपरेशन पिंक द्वारा विस्थापित बूथधारक दीपक भाटिया की तलाश

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दीपक भाटिया नाम का एक नौजवान जिसकी टौंक फाटक के पास में बूथ थी, वह अण्डे और कोल्ड ड्रिंक बेचकर अपना और अपने परिवार का पालन–पोषण करता था । पिछली 6 मार्च को आपरेशन पिंक के नाम पर इस गरीब आदमी का मंजूरशुदा बूथ तहस–नहस कर दिया गया । यह गरीब आदमी था जिसने 42 हजार रुपये उधार लेकर अपना धन्धा शुरू किया था । उसकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि वह हर महीने पांच सौ रुपये ब्याज के रूप में जिससे कर्ज लिया था, उसको चुका रहा था ।

ऐसी परिस्थिति में उसको इतनी मानसिक वेदना हुई कि वह 6 मार्च से गायब है । आज इस बात का पता नहीं है कि वह जिन्दा है या महेन्द्र मीणा की तरह उसने भी आत्महत्या कर ली ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं और चेतावनी भी देना चाहता हूं कि यह जो आपने आपरेशन पिंक के नाम पर जगह-जगह तोड़-फोड़ की कार्यवाही की है, इसके इम्प्लीकेशंस बड़े लम्बे समय तक रहेंगे ।

यह तोड़-फोड़, माननीय उपाध्यक्ष महोदय; मेरा आपसे विशेष तौर पर आग्रह है कि आप उन जगहों पर जाकर देखिये, किस तरीके से भयावह स्थिति लगती है । वहां से आदमी गुजरता है तो जैसे किसी देश ने दूसरे देश पर हमला किया हो । जैसे कोई बम्बार्डमैंट किया गया हो, इस तरह की स्थिति बना दी गई । आपने मानसिक चिकित्सकों की यह राय निश्चित तौर पर अखबारों में या रेडियो और टेलीविजन पर सुनी होगी या देखी होगी कि उड़ीसा में भूकम्प आया था उसकी वजह से वहां इतनी भारी तादाद में लोग मानसिक रोग से ग्रसित हुए जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता ।

जिनके परिवार उजड़े हैं, जिनके मां-बाप ने आत्महत्याएं की हैं या गुम हो गये हैं उन बच्चों की मानसिक स्थिति का आप अंदाजा लगाइये और उसका कितना नुकसान होगा इसका भी आप अंदाजा लगाइये । मैं अतिक्रमण के खिलाफ नहीं हूं लेकिन इस तरीके से जो लोग बेरोजगार किये जा रहे हैं, इस तरीके से जो लोग उजाड़े जा रहे हैं....

श्री महेश जोशी : आप कह रहे हैं कि अतिक्रमण के खिलाफ नहीं हूं ।

श्री रामप्रताप : अतिक्रमण को हटाने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूं उस भावना को समझने का प्रयास करिये । बाकी के सारे समझ रहे हैं और मुझे बोलने की इजाजत दी गई है ।

एक माननीय सदस्य : ....(व्यवधान) अतिक्रमण करो तो अब अतिक्रमण तो हटाना ही पड़ेगा । जो 10 साल में बीज बोये हैं, जो गलत बीज बो दिये हैं....

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : आप प्रतिक्रमण ही बोले हैं।

श्री रामप्रताप : आप विराजिये, आपके लिये भी सामान है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिक्रमण हटाये जाएं लेकिन वे गरीब लोग जो सुबह से लेकर शाम तक अपनी रोजी–रोटी कमाकर आटा खरीद कर लाते हैं ऐसे लोगों को विस्थापित करने से पहले इस कल्याणकारी सरकार को उनकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। आज की तारीख में उस आदमी की औरत असहाय है जो विकलांग भी है। दर-दर की ठोकरें खाती घूम रही है। उसके सामने दो किस्म की भयंकर समस्याएं आयी हुई हैं। एक तरफ उसके सामने पेट का सवाल है; दूसरी तरफ उसका पति पिछली 6 तारीख से गायब है। हर जगह जाकर उसने प्रयास किये।

मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि उस औरत को जो उसका जे. डी. ए. से मंजूरशुदा बूथ वापस दिया जाए, जिसकी रसीद और परमीशन का लैटर मेरे सामने है। इस तरीके से सारी चीजें सही होने के बावजूद इसे तोड़ा गया, इससे ज्यादा मानसिक वेदना उसको क्या होगी ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूं कि इस बेसहारा औरत को वह बूथ वापस दिया जाय और साथ में मुआवजा दिया जाए। उसके पति की तलाश करने में पूरा-पूरा सहयोग दिया जाए कि आया वह जिन्दा है या उसने आत्महत्या कर ली। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीतमल जी।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, उसका पति 6 मार्च से गायब है, गृह मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, वह जिन्दा है या मर गया कम से कम इतनी जानकारी तो दें। (व्यवधान) फिर बोलने का कोई मतलब ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट। आर्डर आर्डर।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, ये कुछ प्रकरण तो सामने आ गये, लेकिन बहुत-से ऐसे प्रकरण हैं ... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, बीना माटिया आत्महत्या करने पर उतारू हो रही है; उसके पास कोई साधन नहीं बचा है। बहुत गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात को गम्भीरता से ले रही है सरकार; आप विराजिये। आप बैठें तो सही।

श्री मदन दिलावर : गम्भीरता से नहीं ले रही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। गृह मंत्री जी को इस पर वक्तव्य देना चाहिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह आपरेशन पिंक है या ड्रिंक है, पहले यह बताए सरकार। ऐसे तोड़-फोड़ करते हैं जैसे शराब पीकर तोड़-

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

...की हो। तो यह आपरेशन पिंक है या ड्रिंक है ?

श्री मदन दिलावर : ....(व्यवधान)... दीपक माटिया कहां है, यह बताया जाए। यह बहुत गम्भीर मामला है, आप इसका जवाब दिलवाएं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आपरेशन पिंक है या ड्रिंक है, पहले यह बताइये। यह ऐसी तोड़-फोड़ की है +++ और शराब पीकर बुलडोजर चलाता हो। यह आपरेशन पिंक नहीं है, यह सरकार का आपरेशन ड्रिंक है। +++ तोड़-फोड़ की गई है। राजस्थान में भयावह स्थिति पैदा की गई है, इमरजेंसी से भी ज्यादा खतरनाक। इमरजेंसी में तो तिये-पांचे का पता लग गया था +++ को, लेकिन इनको भी पता लग जाएगा। यह जो तोड़-फोड़ की है मैं इसका नाम आपरेशन ड्रिंक देता हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सदन में या संसार में नहीं हैं उनके बारे में जो बात यहां बोली गयी है उसको एक्सपंज किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्य, परसों आपके सामने यह बात तय हो चुकी है कि इस गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आने वाला है तो अभी आप इस पर क्यों बहस कर रहे हो ? कोई सैंस ही नहीं है इसमें। विराजिये आप।

श्री मदन दिलावर : हम तो यह जानना चाहते हैं कि श्री दीपक भाटिया जिन्दा है या उसने आत्महत्या कर ली, वह कहां है।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

श्री रामप्रताप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब देने के लिए निश्चित तौर पर माननीय मंत्री महोदय बाध्य नहीं हैं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं लेकिन यह मानवीय मूल्यों से जुड़ा हुआ इतना संवेदनशील मामला है...

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो नोट कर लिया है सरकार ने।

श्री रामप्रताप : नोट क्या, कुछ तो इसका जवाब आना चाहिए, मेरा इतना ही निवेदन है आपके माध्यम से।

श्री उपाध्यक्ष : स्टेटमेंट आ रहा है न इसका। श्री जीतमल जी। आर्डर; आर्डर प्लीज।

श्री मदन दिलावर : उसकी पत्नी बीना माटिया आत्महत्या करने पर उतारू

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री मदन दिलावर)

हो रही है और आप यह कह रहे हैं कि नोट कर लिया। सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इतना अत्याचार तो अकबर और बाबर ने भी नहीं किया, गजनवी ने भी नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप देखिये, बार-बार हर बात पर इतना चेयर को डिफाई करेंगे तो चलेगा नहीं। आप समझने की कोशिश कीजिये और मेहरबानी करके चेयर से कोओपरेट कीजिये। प्लीज कोओपरेट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम तो पूर्णतया आपका सहयोग करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, सहयोग कर रहे हैं तो फिर यह तरीका नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ..और सदन की गरिमा बनाये रखना चाहते हैं पर कुछ विषय इतने संवेदनशील हो जाते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आप स्वयं तय कर चुके हैं इस बात को। You are party to it.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ....इतना ही निवेदन था कि उसका....

श्री उपाध्यक्ष : आप तय कर चुके हैं कि स्टेटमेंट आएगा उस वक्त परसों, तो फिर इस पर बहस क्या कर रहे हैं ? आप अपनी पार्टी के लोगों को समझाइये इस बात को।

एक माननीय सदस्य : समझदार हो वह तो समझेगा।

बांसवाड़ा की माही परियोजना हेतु बजट प्रावधान

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले में बहुउद्देशीय माही बजाज सागर परियोजना लम्बे समय से अपूर्ण पड़ी हुई है। पिछली बार राजस्थान की लोकप्रिय कांग्रेस सरकार ने अपना बजट पेश किया था उस वक्त भी हम यह आशा लगा कर बैठे थे कि सन् 1984 से जो माही का काम अपूर्ण पड़ा हुआ है, यह सरकार आने के बाद इस प्रोजेक्ट को पूरा कराने में महती भूमिका निभाएगी।

लेकिन पिछली बार भी राज्य सरकार ने हमें इतनी बड़ी परियोजना के लिए एक कौड़ी नहीं दी। माननीय उपाध्यक्ष जी, बांसवाड़ा जिले की सबसे बड़ी माही परियोजना जिससे वहां के लाखों किसानों का जीवन जुड़ा हुआ है, इस बार के बजट में भी राजस्थान की सरकार ने एक कौड़ी हमें नहीं दी है।

मैं इस सदन के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहूंगा कि अगर दूसरा सत्र बीतने के बावजूद भी यह राज्य सरकार बांसवाड़ा के दक्षिणी छोर में बसे हुए

(श्री जीतमल खांट)

सारे आदिवासियों के साथ में इस तरह से खिलवाड़ करेगी और आपने जो घोषणा पत्र तैयार किया था आने वाले बजट में उसके मुताबिक अगर हम लोगों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी तो मैं सोमवार से इसी सदन में धरने पर बैठूंगा।

मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप लोगों ने लोक कल्याणकारी योजना के नाम पर थोथी घोषणाएं देकर वहां के लोगों का वोट लेने का काम किया है, हम लोग यहां पर बैठकर बातें कर रहे हैं, आज उस इलाके में जाकर देखिए क्या हालत है। लोग-बाग अपने पेट के लिये गुजरात में पलायन कर रहे हैं। वहां आपको एक टीम भेजनी चाहिये और मालूम करना चाहिये कि जनता के क्या हालात हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मांही प्रोजेक्ट का काम आप अपने हाथ में लेंगे तो वहां के काश्तकार अकाल की पीड़ा से हमेशा-हमेशा के लिये मुक्त हो सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्रीजी अभी हमारे बीच में उपस्थित नहीं हैं लेकिन हमारे इस माही प्रोजेक्ट पर आप पुनर्विचार करें और हमारे लिये थोड़ा बहुत देने का आप प्रयास करें अन्यथा हम जिले के सारे के सारे विधायक इस सदन में धरने पर बैठेंगे, जब तक हाउस चलता रहेगा हम बैठने का काम करेंगे। धन्यवाद।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का प्रतिवेदन वर्ष 1998-99

श्री उपाध्यक्ष : श्री तैय्यब हुसैन।

श्री तैय्यब हुसैन (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित दो वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 की धारा 32 (4) के अन्तर्गत राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99, एवं

राजस्थान राज्य बीज निगम लि. का प्रतिवेदन वर्ष 1998-99

2. कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड का 21वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल इन्दौरा।

राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन लि. का प्रतिवेदन वर्ष 1998-99

श्री हीरालाल इन्दौरा (राज्य मंत्री, खनिज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज

(श्री हीरालाल इन्दोरा)

अधिनियम, 1956 की धारा 619–ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 सदन की मेज पर रखता हूं।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल मीणा।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:–

बस्सी-तूंगा रोड़ से मंदरूपपुरा तक अपूर्ण सड़क को पूर्ण करने बाबत

1. जयपुर जिले की बस्सी-तूंगा रोड (लालगढ़ स्टैण्ड) से मंदरूपपुरा तक बनी अपूर्ण सड़क को पूर्ण करने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

बस्सी में महिला महाविद्यालय की स्थापना

2. बस्सी में महिला महाविद्यालय खोले जाने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

मुण्डली ग्राम, जयपुर से विभिन्न गांवों को जोड़ने वाली अपूर्ण सड़क को पूर्ण करने बाबत

3. जयपुर जिले के ग्राम मुण्डली से कोटखावदा वाया चपलपुरा, शंकरपुरा, बाड़, काशीपुरा, बास भगवतपुरा आदि गांवों को जोड़ने वाली अपूर्ण सड़क को बनाने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

बड़ी सादड़ी के पंचायत मुख्यालयों पर पक्की सड़क

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्न लिखित चार याचिकाएं सदन में उपस्थापित करता हूं:-

1. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के पंचायत मुख्यालयों की पक्की सड़कों से जोड़ने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

बड़ी सादड़ी में स्वीकृत 132 के.वी. जी.एस.एस. का निर्माण

2. चित्तौड़गढ़ जिले की तहसील बड़ी सादड़ी में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के स्वीकृत 132 के.वी. ग्रिड-सब स्टेशन की स्थापना के कार्य में विलम्ब होने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

सीतामाता जंगल के पानी का बहाव परिवर्तन

3. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के सीतामाता जंगल के पानी का बहाव बड़ी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सादड़ी और तलाऊ बांध करने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित ।

डूंगला तहसील चित्तौड़गढ़ के पानी को बांध बनाकर रोके जाने बाबत

4. चित्तौड़गढ़ जिले की तहसील डूंगला में वर्षा के पानी को प्रस्तावित विभिन्न बांध बनाकर रोकने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित ।

समिति का प्रतिवेदन

जन लेखा समिति के 24 प्रतिवेदन (31 से 47 व 22 से 28)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द जी कटारिया ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (सभापति, जन लेखा समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जनलेखा समिति, 1999-2000 के 24 प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूं:-

1. वर्ष 1991-92 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट खान एवं भू-विज्ञान विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 31वां प्रतिवेदन ।

2. वर्ष 1992-93 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट खान एवं भू–विज्ञान विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 32वां प्रतिवेदन ।

3. वर्ष 1993–94 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट खान एवं भू-विज्ञान विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 33वां प्रतिवेदन ।

4. वर्ष 1994-95 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट खान एवं भू-विज्ञान से संबंधित मामलों पर समिति का 34वां प्रतिवेदन ।

5. वर्ष 1995-96 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट खान एवं भू–विज्ञान से संबंधित मामलों पर समिति का 35वां प्रतिवेदन ।

6. वर्ष 1996-97 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट खान एवं भू–विज्ञान विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 36वां प्रतिवेदन ।

7. वर्ष 1991-92 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट भू-राजस्व विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 37वां प्रतिवेदन ।

8. वर्ष 1992-93 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट भू-

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

राजस्व विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 38वां प्रतिवेदन।

9. वर्ष 1988-89 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट आबकारी विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 39वां प्रतिवेदन।

10. वर्ष 1989–90 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट आबकारी विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 40वां प्रतिवेदन।

11. वर्ष 1990-91 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट आबकारी विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 41वां प्रतिवेदन।

12. वर्ष 1991-92 के लिए भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट आबकारी विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 42वां प्रतिवेदन।

13. वर्ष 1992-93 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट आबकारी विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 43वां प्रतिवेदन।

14. वर्ष 1993-94 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट आबकारी विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 44वां प्रतिवेदन।

15. वर्ष 1994-95 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट आबकारी विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 45वां प्रतिवेदन।

16. जनलेखा समिति, 1994-95 के 36 वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में खनिज एवं भू-गर्भ विभाग में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का 46वां परिपालनात्मक प्रतिवेदन।

17. जनलेखा समिति, 1995–96 के 75 वें प्रतिवेदन (दसवीं विधान सभा) में समाविष्ट खनिज एवं भू-गर्भ विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का 47 वां परिपालनात्मक प्रतिवेदन।

18. विनियोग लेखे 1992-93 में बताये गये दत्तमत अनुदानों तथा प्रभृत विनियोगों में अतिरेक के मामलों पर जनलेखा समिति (सिविल), 1999-2000 का 22 वां प्रतिवेदन।

19. जनलेखा समिति, 1985-86 एवं 1986-87 के 7वें एवं 11वें प्रतिवेदन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(आठवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक्) जनलेखा समिति (सिविल), 1999-2000 का 23वां प्रतिवेदन।

20. जनलेखा समिति, 1988–89 के 25 वें एवं 32 वें प्रतिवेदन (आठवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर जनलेखा समिति (सिविल), 1999-2000 का 24 वां प्रतिवेदन।

21. जनलेखा समिति, 1990-91 के 25वें प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही से संम्बन्धित (क्रियान्विति विषयक्) जनलेखा समिति (सिविल), 1999-2000 का 25वां प्रतिवेदन।

22. जनलेखा समिति, 1990-91 के प्रथम व द्वितीय प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई परिपालनात्मक कार्यवाही से संबंधित (क्रियान्विति विषयक्) जनलेखा समिति (सिविल), 1999-2000 का 26वां प्रतिवेदन।

23. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1989-90 के पैरा संख्या 3.2 कला एवं संस्कृति विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 27वां प्रतिवेदन।

24. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट शिक्षा विभाग से सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1993-94 के पैरा संख्या 3.2 से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 28 वां प्रतिवेदन।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद–विवाद। श्री वृद्धि चन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री लक्ष्मण सिंह रावत ने जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

(13.25 बजे)

(श्री हीरासिंह चौहान, सभापति, पदासीन)

सबसे पहले मैं राजस्थान सरकार को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है स्वच्छ शासन-प्रशासन को। स्वच्छ शासन-प्रशासन की बहुत ही आवश्यकता है और इस सम्बन्ध में अभी ठोस कदम भी उठाये जा रहे हैं। आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट द्वारा कुछ अधिकारियों के छापा मार कर करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति प्राप्त की गयी है। कुछ इंजीनियर्स भी उसमें शामिल हैं।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

मैं चाहता हूं कि यह कार्य जो एंटी करप्शन डिपार्टमैंट ने अपने हाथ में लिया है, और भी तीव्र गति से चले। बहुत से डाक्टर्स ने बहुत-सी सम्पत्ति इकट्ठी कर रखी है। इसी प्रकार बहुत-से आई. ए. एस. और आई.पी.एस अधिकारी हैं जिन्होंने बहुत-सी सम्पत्ति इकट्ठी कर रखी है।

इसी प्रकार राजनीतिज्ञ भी जिन्होंने बहुत सम्पति इकट्ठी कर रखी है। इस प्रकार के राजनीतिज्ञों के बारे में भी मैं यह चाहता हूं कि आप ठोस कदम उठाएं ताकि भ्रष्टाचार पर हम कुछ रोक लगा सकें। जो भी भ्रष्टाचार के मामले मुख्य मंत्री जी के सामने लाये गये हैं या और भी मंत्री महोदय के सामने हैं, वे इन भ्रष्टाचार के मामलों को बहुत गहराई से देखें और गहराई से देखकर अधिकारियों के विरुद्ध ठोस कदम उठाये जाएं। वे अधिकारी किसी भी प्रकार दवाब डालकर; मंत्री महोदयों पर भी दवाव डालकर मामलों को दबाने की कोशिश करते हैं।

मंत्री महोदयों से भी यह निवेदन है कि वे किसी भी प्रकार के कैसे भी दवाब में न आए। हमारे जितने भी मंत्री महोदय हैं, सबने अपनी सम्पत्ति का पूरा ब्योरा दिया है। मैं चाहूंगा कि यह जो पारदर्शिता है यह पारदर्शिता इनके लिये भी लागू हो जाए। सम्पत्ति का जो ब्योरा दिया गया है उसकी पूरी जानकारी हमारे पास हो ताकि हमें पता पड़े कि वास्तव में जो सम्पत्ति का ब्योरा दिया गया है वह सही है या नहीं। अन्यथा हमें कैसे पता पड़ेगा?

इसी प्रकार विधान सभा सदस्यों को भी सम्पति का ब्योरा देना चाहिये और उसकी भी पारदर्शिता होनी चाहिये ताकि जिन्होंने ब्योरा सही नहीं दिया है उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सके। चाहे वह एम.एल.ए. हो, मंत्री हो, कोई भी हो, उस के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके।

दूसरा कदम जो हमारी सरकार ने विशेष तौर से उठाया है वह है हड़ताल के सम्बन्ध में। सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल के द्वारा जो समस्याएं उठाई थीं उसमें बोनस का भी एक प्रश्न था। यह मैं भली-भांति कहना चाहता हूं, मैं इसमें दृढ़ हूं और गवर्नमैंट को भी दृढ़ होना चाहिये कि बोनस तो इनको किसी भी सूरत में नहीं दिया जाए। ये कौनसा लाभ अर्जित करते हैं? कौनसा विशेष लाभ अर्जित कर हमें दे रहे हैं? ये अपने कर्तव्यों का भी पालन कर दें तो भी हम तो बहुत समझेंगे।

लेकिन ये अपने कर्तव्यों के प्रति भी बहुत उदासीन हैं। इस प्रकार की स्थिति है कि अध्यापक अनुपस्थित रहते हैं, अपने कर्तव्य अदा नहीं करते हैं। बहुत-से कर्मचारी और अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि बोनस के बारे में अगर किसी भी गवर्नमैंट ने कोई निर्णय ले लिया हो तो उस निर्णय का कतई नहीं होना चाहिये। उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वे बोनस प्राप्त करें।

पंचायतों के चुनाव हुए, नगर-पालिकाओं के चुनाव हुए, विषम परिस्थितियां

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

थीं। विषम परिस्थितियों में भी हड़ताल के अवसर पर जिस प्रकार दृढ़ता के साथ राज्य सरकार ने काम किया वह प्रशंसनीय है, और उसके लिए मैं उनको धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूं।

मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि पंचायती राज के बारे में कुछ अधिकार दिये गये हैं और पंचायती राज मंत्री बहुत प्रगतिशील हैं। अभी जो अधिकार पंचायतों को दिये गये हैं और प्रमुख को जिला विकास अभिकरण का अध्यक्ष बना दिया गया है, इस प्रकार के और अधिकार देने की आवश्यकता है, जैसे महाराष्ट्र में दिये गये हैं, गुजरात में दिये गये हैं। अभी वित्तीय अधिकार नहीं हैं, प्रशासनिक अधिकार नहीं हैं, वे अधिकार दिये जाने चाहिये। अधिकार देकर इन संस्थाओं को मजबूत करना चाहिये, पंचायती राज को सुदृढ़ करना चाहिये, उन पर विश्वास करना चाहिये। जब हमने इनको कार्य सौंप दिया है, प्रमुख जिला परिषद को हमने चेयरमैन बना दिया है डी.आर.डी.ए. का तो उनको अधिकार भी दिया जाना चाहिये, विश्वास किया जाना चाहिए उन पर ताकि उन अधिकारों का वे अच्छी तरह से प्रयोग करके पंचायती राज के द्वारा अच्छी तरह विकास कर सकें। अवश्य ही यह व्यवस्था होनी चाहिए।

इसके बाद पंचायती राज के अंदर ग्राम पंचायत के सरपंच को भी अधिकार दिया गया है और उसे निगरानी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अध्यापकों के और कर्मचारियों के बारे में निगरानी समिति का वह अध्यक्ष है। जो अध्यापक पढ़ाते नहीं हैं, अनुपस्थित रहते हैं, अपने-अपने गांव में रहते हैं, विद्यार्थियों से काम कराते हैं और खुद काम नहीं करते हैं, ग्राम पंचायत के सरपंचों का कर्तव्य है कि वे उन पर निगरानी समितियों में अध्यक्ष के नाते बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करें। वे योग्यता के साथ काम करके सफलीभूत हों और पंचायती राज को सुदृढ़ कर सकें यही मेरी अभिलाषा है।

साथ ही, नगर पालिकाओं के बारे में एक निर्णय लिया गया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चुंगी को बंद करने के बारे में। वह निर्णय सही नहीं था, उसके कारण नगर पालिकाओं की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गयी। वे जो विकास के कार्य करना चाहती हैं वह कार्य वे समय पर नहीं कर पाती हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट में वाकई शक्ति या ताकत है तो वापस चुंगी वाली प्रथा चालू की जाए। अगर सामर्थ्य नहीं है तो कोशिश करके नगर पालिकाओं की स्थिति को सुदृढ़ करें, उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करें ताकि नगर पालिकाएं अपने क्षेत्र की उन्नति कर सकें और सड़कों का अच्छी तरह से निर्माण कर सकें। स्वच्छता का पालन करके नगर आदर्श बने, शहर आदर्श बने।

सभापति महोदय, अभी जयपुर में अतिक्रमण हटाने के बारे में जो कदम उठाये गये, वे वास्तव में सराहनीय कदम हैं। इसके बारे में मैं भारतीय जनता पार्टी को

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

कहना चाहता हूं उनके नेता भैरोंसिंह जी को विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि आप इस काम में रचनात्मक सुझाव दें, रचनात्मक सुझाव हमारी पार्टी मानने को तैयार है। हम यह जरूर चाहते हैं कि गरीब आदमी को इस प्रकार से नहीं हटाया जाए, उसकी व्यवस्था हो, उसके रिहैबिलिटेट किया जाये, परन्तु यह कार्यक्रम जो हाथ में लिया गया है, सराहनीय है, सुदृढ़ता का प्रतीक है।

मैं कहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी इस बारे में बहुत ही सजग और सुदृढ़ हैं और इसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिये, विरोध नहीं करना चाहिये। आज आपने सदन में जिस प्रकार का विरोध किया है, सदन में विरोध करने पर आपकी प्रशंसा जनता में बढ़ी नहीं है, जनता आपके विरुद्ध नहीं हुई है। जनता इस प्रकार के आन्दोलन खड़े करेगी। जनता अतिक्रमण को कभी भी सहन नहीं करेगी।

मै यह भी चाहता हूं कि अतिक्रमण कभी भी किसी भी सूरत में नहीं होने देने चाहिये। कोई भी अतिक्रमण होता है शहर में होता है, नगर में होता है, उस अतिक्रमण के लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध कदम उठाये जाने चाहिये। राज्य सरकार की कोई भी सम्पत्ति के ऊपर अतिक्रमण कर लो, नगर पालिका की, नगर निगम की सम्पत्ति के ऊपर अतिक्रमण कर लो, यह साहस किसी में नहीं होना चाहिये। किसी भी तरीके से किसी को भी भविष्य में अतिक्रमण करने का साहस नहीं होना चाहिये। यह स्थिति बननी चाहिये ताकि कोई भी किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं कर सके।

इसी प्रकार नियमन का है। शहरी क्षेत्र में कच्ची बस्तियों की जो जमीन है, उसके नियमन के बारे में भी हमारी गवर्नमेंट ने ठोस कदम उठाये हैं। उससे हमारी आय बढ़ी है, नगर पालिकाओं की आय बढ़ी है और उस बढ़ी हुई आय से नगर पालिकाओं की आर्थिक स्थिति सुधरी है। इसलिये यह नियमन की जो ठोस कार्यवाही है यह चलनी चाहिये। कोई भी अतिक्रमण करे, कच्ची बस्तियों में अतिक्रमण करे, कहीं पर भी अतिक्रमण करे, वह अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिये।

इसके साथ ही मैं अकाल के बारे में मेरे कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं। अभी अकाल के बारे में ठोस कदम उठाने के प्रयास किये जा रहे हैं परन्तु उनसे हम, हमारी जनता, हमारा किसान कतई संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि सबसे ज्यादा अकाल से प्रभावित कोई है तो वह बाड़मेर जिला है। बाड़मेर जिले के सब के सब गांव अकाल से प्रभावित हैं। इससे पहले शायद 1864 गांव में से सिर्फ 14 गांव अकाल से प्रभावित नहीं थे, बाकी सभी गांव अकाल से प्रभावित थे। अकाल से प्रभावितों के लिये मुझे समझ में नहीं आता कि अधिकारियों ने किस प्रकार के आदेश दिये। आज पशु चारे की व्यवस्था के लिये, पशु शिविर के काम के लिये तीन रुपये एक पशु, एक गाय की जो व्यवस्था करते हैं, तीन रुपये से पूरी

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

गाय के चारे की व्यवस्था हो सकती है क्या ? फिर बाद में आपने बढ़ाकर छह रुपये कर दिये तो छह रुपये भी अपर्याप्त हैं। 1987-88 में गाय के लिये चार रुपये की व्यवस्था की गयी थी। उसमें अब तिगुना भाव बढ़ गया है, 12 और 15 रुपये के बीच के बिना गाय के चारे की व्यवस्था करके उसका पोषण नहीं कर सकते। इस संबंध में गवर्नमेंट को सोचना चाहिये। हमारी जो इकोनोमी है, विशेष तौर से पश्चिमी राजस्थान की जो इकोनोमी है, वह पशुओं पर निर्भर है इसलिये पशुओं को बचाना हमारा कर्तव्य है। हमारी सरकार जब थी 1988 में, भरपूर मदद देकर किसी भी पशु को मरने नहीं दिया गया था। अब पशुओं की स्थिति खराब है, दयनीय है, बहुत-से पशु मर रहे हैं।

इसलिये अगर सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिये तो पशुओं को बचाने के लिये दी जानी चाहिये। आप 12 रुपये एक गाय के लिये और अगर छोटा पशु है तो उसके लिये 8 रुपये की व्यवस्था करें तब जाकर पशु बच सकते हैं और कैटल कैम्प्स कायम हो सकते हैं। कैटल कैम्प स्थापित करके पशुओं को बचाने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता है।

साथ में मैं पीने के पानी की समस्या के बारे में कहना चाहता हूं। पीने के पानी की समस्या के बारे में हमारे मंत्री जोधपुर जिले का तो पूरा ध्यान रखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर से पानी जाए। वहां भी कुछ एक क्षेत्रों का ही ध्यान रखते हैं। सबसे खराब स्थिति है तो वह बाड़मेर जिले की और बाड़मेर शहर की है। मैंने पहले भाषण दिया बजट पर उसको करीब 11 महीने होने को आये हैं, उसके बाद में कोई भी प्रगति नहीं की गई बल्कि बाड़मेर शहर की स्थिति बिगड़ी है। पहले हफ्ते में तीन दिन पानी मिलता था, अब दो दिन पानी मिलता है। पानी की क्वालिटी डिटीरियोरेट हो रही है। योजनाओं के अन्दर जो पाइप लाइन हैं वे 1994-95 की डली हुई हैं, कोई उससे भी बहुत पुरानी बनी हुई हैं। डायामीटर उसका कम पड़ रहा है और प्रेशर बनता नहीं है। हर तरह से स्थिति खराब है।

आज वास्तव में बाड़मेर क्षेत्र की आबादी करीब 85 हजार है और 1-2 वर्षों के अन्दर वह एक लाख होने जा रही है। यदि पेयजल का ध्यान नहीं रखा गया तो यह जितनी भी जनसंख्या है उसको यहां से हटना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। इस सम्बन्ध में 15 करोड़ रुपये की एक योजना प्रस्तुत हुई थी जब तक इन्दिरा गांधी नहर का पानी नहीं पहुंचे तब तक के लिए, लेकिन उस 15 करोड़ रुपये की योजना को कतई स्वीकार नहीं किया गया है।

इससे बड़ी संकट की स्थिति बाड़मेर शहर में है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थिति भयानक बनी हुई है। आज कोई भी गांव जो पिछले छोर का गांव है उसमें पानी कतई नहीं पहुंचता है। बहुत-सी योजनाएं

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

सुचारू रूप से चल नहीं रही हैं। अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्थिति ऐसी थी कि जब हड़ताल थी उस समय योजनाएं सुचारू रूप से चल रही थीं। जिन गांवों में पानी नहीं पहुंचता था वहां भी पानी पहुंचा क्योंकि उस वक्त में कलेक्टर ने सारी गाड़ियां लेकर इंजीनियर्स, ए.ईएन. वगैरह सबको तैयार किया और पानी पहुंचा। हम बार-बार मांग कर रहे हैं कि हमारे यहां हैल्पर्स की कमी है। हमारे यहां हैल्पर्स की भर्ती नहीं हो रही है।

हम बार-बार कहते हैं परन्तु हैल्पर्स की कमी की पूर्ति नहीं की जाती है। आज योजनाएं बढ़ गयीं, 10 वर्षों के अन्दर बहुत ज्यादा योजनाएं बढ़ गयीं परन्तु किसी को भी एम्प्लायमैंट नहीं दिया गया। जो रिटायर हुए उनके बाद उस जगह को भी नहीं भरा गया। तो स्थिति बहुत ही खराब है।

बिजली की स्थिति यह है कि कभी 4 घण्टे बिजली मिलती है, कभी 5 घण्टे बिजली मिलती है। गांव के कृषि के जो कनेक्शन हैं, वे पीने के पानी की योजनाओं के साथ दे दिये गये हैं। जैसे अभी श्री अमीन खां उंडू के बारे में जिक्र कर रहे थे। उसके कारण यह स्थिति हुई है कि उंडू से जो योजनाएं बनी हुई हैं उनमें करीब 150 गांव और 150ढाणियों में पीने के पानी का बड़ा भारी संकट पैदा हो गया है। हमने बहुत ज्यादा रिक्वैस्ट की तब जाकर अब कोशिश कर रहे हैं। 33 के.वी. लाइन उंडू के लिये मेरे ख्याल से जल्दी ही तैयार हो जाएगी। उसे शीघ्र तैयार करके यह बिजली का संकट मिटाया जाए ताकि बिजली और पीने के पानी की समस्या का हल हो सके।

इसके साथ-साथ यह भी जरूरी है कि जब तक बिजली वहां पर 20 घण्टे नहीं मिलेगी तब तक पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं हो सकता है। अभी गर्मी में और भी आंधियां आएंगी और आंधियां आएंगी तो पोल गिरेंगे। उसे ठीक करने के लिये, मेंटिनेंस के लिये अभी से कोई व्यवस्था करनी चाहिए, नहीं तो बड़ा भारी संकट पैदा होगा। बिजली के संकट के कारण पीने के पानी का भी भयंकर संकट पैदा हो जाएगा।

इसलिये इस संबंध में अभी से ही मेंटिनेंस की योजना बनाकर कदम उठाने चाहिए। परमानैंट सोल्यूशन के लिये मोहनगढ़ व बाड़मेर की योजना के लिये मैंने रिक्वैस्ट की थी। मैंने बार-बार कोशिश की कि इसका डिटेल सर्वे किया जाए। वह डिटेल सर्वे अभी हुआ नहीं है, कोई प्रोजैक्ट रिपोर्ट तैयार हुई नहीं है।

मैं मंत्री महोदय से जब बात करता हूं तो वे हर बार यही कहते हैं कि मैं करवा दूंगा, मैं जल्दी करवा दूंगा। अब कब करवा देंगे? अभी इन्हें कहेंगे तो कहेंगे कि बजट नहीं है, सर्वे किया नहीं गया। इस सम्बन्ध में युद्ध स्तर पर कार्य करके पीने के पानी की समस्या को हल करने का प्रयास होना चाहिए।

चिकित्सा क्षेत्र के बारे में भी मैं कुछ

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

कहना चाहता हूं। हमारे यहां 125 पद ए.एन.एम. के खाली हैं, 25 पद डाक्टर्स के खाली हैं। अभी गर्मी का टाइम है, अकाल की स्थिति है, भयंकर संकट पैदा होगा इसलिये अभी से प्रबन्ध करने चाहिए, नहीं तो बहुत-सी बीमारियां पैदा होंगी। आप इलाज कर नहीं पाएंगे, लोग मरेंगे, इस प्रकार की स्थिति पैदा होगी। इसलिये इस सम्बन्ध में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

एक मरु विकास कार्यक्रम जिसके लिये हमने बहुत कोशिश की थी जब मैं लोक सभा का सदस्य था। सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत मरु विकास योजना में 245 करोड़ का प्रावधान कराया गया था। अब इस वर्ष में उन्होंने क्या किया? यह शत-प्रतिशत केन्द्रीय सरकार की योजना बनी थी, पहाड़ी क्षेत्र के मुकाबले बनी थी। परन्तु अब जो दिल्ली में सरकार आयी है उसने इसमें 25 प्रतिशत की शर्त लगा दी कि इसमें 25 प्रतिशत हिस्सा देना पड़ेगा। यह 25 प्रतिशत हिस्सा नहीं देने पर हमारे मरु क्षेत्र की हालत बहुत खराब हो जाएगी। अभी तो योजना 4 वर्ष के लिये बनाई है, 57 करोड़ रुपये की उस योजना का आप इम्प्लीमैंटेशन करें। राजस्थान सरकार केन्द्र सरकार पर यह दबाव डाले कि जिस प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों में मंजूरी की थी उसी प्रकार मरु भूमि के लिये भी पूरी तरह से मदद करें, रेगिस्तानी क्षेत्र के विकास के लिये मदद करें ताकि रेगिस्तानी क्षेत्र का विस्तार कम हो सके, बंद हो सके। इस प्रकार का प्रयास करने की आवश्यकता है।

नवीं पंचवर्षीय योजना में भी इसको सम्मिलित करा कर, शत-प्रतिशत और इस के साथ में एनोमले इस्बैंड़ो को भी इसमें शामिल करके एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान कराना चाहिए ताकि हम रेगिस्तानी क्षेत्र विकास कार्यक्रम में आगे तरक्की कर सकें, और उन्नति कर सकें।

शिक्षा के क्षेत्र में हमने जो पाठशालाएं खोली हैं राजीव गांधी पाठशालाएं, उसका मैं स्वागत करता हूं। उसका लाभ हुआ है। एक तरफ तो लाभ हुआ है लेकिन दूसरी तरफ स्तर गिर रहा है। स्तर नहीं गिरना चाहिए। आज आप 12 सौ रुपये दे रहे हैं; वह अपर्याप्त है। जो न्यूनतम मजदूरी फेमिन के लिये आप घोषित करना चाहते हैं, कम से कम वह न्यूनतम मजदूरी तो उनको मिलनी चाहिए। वे अच्छी तरह से पढ़ाएं उसके लिये जरूरी है कि कम से कम न्यूनतम मजदूरी तो उनको मिले।

आज 68 रुपये प्रति दिन अगर मिल जाते हैं तो 2000 से कुछ ज्यादा हो जाता है और उसको एक सहारा मिल जाता है। प्राइमरी स्कूल के अध्यापक पढ़ाते नहीं हैं, मिडिल स्कूल का रिजल्ट बहुत-सी जगह शून्य रहा है, बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट शून्य रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने यह कार्य किया था कि उनको दूसरे जिलों में ट्रांसफर कर दिया था।

परंतु हमारी गवर्नमेंट उनको वापस ले आयी। ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

शिक्षा के क्षेत्र में अगर स्तर ऊंचा नहीं होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं होगा तो वे तरक्की नहीं कर सकेंगे।

अभी सैकण्डरी स्कूल हैं, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल हैं, वहां विज्ञान के अध्यापकों को, व्याख्याताओं को नहीं भेजा गया है। हमारी सिणधरी पंचायत समिति में सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल था उसमें विज्ञान विषय बंद हो गया, पचपदरा में बंद हो गया, चौहटन में बंद हो गया, धोरीमन्ना में बंद हो गया।

इस प्रकार विज्ञान के अध्यापकों को और व्याख्याताओं को नहीं भेजने से ग्रामीण क्षेत्र में विज्ञान का विषय बिलकुल समाप्त होने जा रहा है। आज जो टैक्निकल एजुकेशन के लिये आप कोशिश कर रहे हैं, मेडिकल और प्राइवेट कालेज के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इनकी कोई जरूरत नहीं है। उनको आप एम्प्लायमेंट नहीं दे पाते हैं। आज जो सिविल इंजीनियर्स हैं वे बेरोजगार हैं और उनको बिलकुल भी नौकरियां नहीं मिलती हैं। आप बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग कालेज मत खोलें जिनको एम्प्लायमेंट नहीं दे सकते हैं। जो भी खोले गये हैं उनमें भी इनको अगर आप एम्प्लायड कर सकें, तो बहुत है। वरना उनकी बहुत दुर्गति हो रही है। मैं इसके कतई पक्ष में नहीं हूं कि आप इस प्रकार से टैक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिये कालेज खोलें, वे अन–एम्प्लायड रहें और उनकी समस्या विकट से विकट हो।

एक समस्या जो विशेष तौर से हमारे बाड़मेर जिले, जैसलमेर जिले में....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए; काफी कह दिया आपने।

श्री वृद्धिचन्द जैन : बस खत्म कर रहा हूं।

जालोर जिले में यह समस्या है कि हमारे जो एस.टी.सी. बी.ए., बी.एड. पास हैं, उनमें कम्पीटीशन होता है और उस कम्पीटीशन में हमारी एजुकेशन अप-टू-डेट नहीं है। हम पीछे रहते हैं। ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है कि 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत राजस्थान के दूसरे जिलों के अध्यापक हमारे यहां आते हैं और फिर बाद में स्थानान्तरण कराकर चले जाते हैं और वे जगह रिक्त रहती हैं। पंचायत समिति, जिला परिषद सलेक्शन कमीशन पहले था, मैं जिला परिषद का जब प्रमुख था मैं चाहता हूं कि वह कायम किया जाए ताकि जिले के लोगों को एम्प्लाय कर सकें। नहीं तो हमारे जिले के लोगों को, बाड़मेर जिले के लोगों को हम एम्प्लाय नहीं कर सकते।

जैसलमेर जिले में भी इस प्रकार की समस्या है, जालोर जिले में भी यह समस्या है। हमारे यहां एक तो अकाल की स्थिति है और दूसरा इस प्रकार का निर्णय

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। उस निर्णय से हमारे यहां के अध्यापकों को सर्विसेज मिलती नहीं हैं। अब स्थिति यह हो रही है कि कोई बिहार से बी.एड. करके आ जाता है, कोई नागपुर में करके आ जाता है और उनका कोई स्टैण्डर्ड नहीं है। वे फर्जी सर्टिफिकेट लाते हैं और उनका एम्प्लायमैंट हो जाता है।

मैं तो कह रहा हूं कि राजस्थान के अलावा जितने भी दूसरे इंस्टीट्यूशन हैं बाहर के वहां से जो बी.एड. करके आते हैं या अन्य परीक्षाएं करके आते हैं उनको कतई मान्यता नहीं दी जानी चाहिए, उनकी मान्यता समाप्त कर दी जानी चाहिए।

एक और बात करके मैं समाप्त कर रहा हूं। सरस्वती नदी की खोज आप करने जा रहे हैं, सरस्वती नदी की खोज में आप पूरी शक्ति लगाएं पूरी ताकत लगाएं। सरस्वती नदी की खोज में हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी अगर उपलब्ध हो जाता है तो यह हमारे लिए वरदान साबित होगा। इन्दिरा गांधी नहर के बिना बाड़मेर जिले का, जैसलमेर जिले का, नागौर जिले का और जोधपुर जिले का कोई भी परमानेंट सोल्यूशन हो नहीं सकता, यही एक परमानेंट सोल्यूशन है। आज सिचाई को इतनी महत्ता नहीं दें बल्कि हमारे क्षेत्र में ड्रिंकिंग वाटर को महत्ता दें। इन्हीं शब्दों के साथ जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करते हुए उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री जुगल जी काबरा।

डा. किरोड़ी लाल : नम्बर हमारा था।

श्री सभापति : आएगा, आपका भी नम्बर आएगा।

श्री हरिसिंह (महुआ)(मुख्य सचेतक) : अपोजीशन का समय नहीं है। नहीं, अपोजीशन के पास अब बोलने का समय नहीं है। क्षमा चाहते हैं, आपकी तरफ से जो बोलेंगे माननीय डाक्टर साहब, किरोड़ी लालजी, उनका समय है, वे बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। काबरा साहब, बोलिए।

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर) : माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में मैं यहां खड़ा हुआ हूं। कल ही हमने राजस्थान की स्थापना का स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया। पिछले पचास वर्षों में देशी रियासतों के विलय से जो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप बना उसमें गणतंत्रात्मक पद्धति के द्वारा हमने राजस्थान की जो शासन व्यवस्था चलायी उसमें बहुत कुछ विकास के काम हुए। राजस्थान के निर्माण के समय जो हालात थे उनके अन्दर बहुत तब्दीली आयी है और आज हम उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां प्रदेश चहुंमुखी विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। इन 50 सालों में अधिकांश समय कांग्रेस पार्टी का शासन रहा,

(श्री जुगल काबरा)

तीन मर्तबा गैर-कांग्रेसी सरकार बनी।

पहली दफा 1977 में जनता पार्टी के शासन में गैर-कांग्रेसी सरकार बनी। जो सरकार बनी वह अन्तर्विरोधों से ग्रस्त थी और उस सरकार ने कोई ठोस निर्णय इस प्रदेश के विकास में नहीं लिया। बाद में जो दो दफा सरकारें यहां बनीं 1990 और 1993 में, वे सरकारें भी इसी तरह से चलती रहीं। भारतीय जनता पार्टी ने 1990 में जनता दल की साझेदारी से सरकार बनायी। जनता दल के टूटने के बाद भी किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाती रही किन्तु सरकार के अन्तर्विरोध में कोई कमी नहीं आयी और इसलिए प्रदेश के विकास की तरफ समुचित ध्यान नहीं दिया गया। 1993 में निर्दलीय मंत्रियों के सहयोग से जो सरकार बनी उसकी स्थिति भी वही रही और प्रदेश का आर्थिक ढांचा बुरी तरह से चर-मरा गया। कर्जे पर कर्जे लेते गये। ब्याज चुकाना मुश्किल होता गया किन्तु फिर भी वही व्यवस्था जारी रही। और आज हम इस हालात में हैं कि प्रदेश के विकास के लिए हमारे पास बहुत कम धनराशि उपलब्ध है।

इसलिए शासन में जो कोई भी पार्टी हो उसका यह दायित्व बनता है कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए सुविचारित तरीके से नीतियों का क्रियान्वयन हो और किसी के दबाव में नहीं आकर योजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाए।

सभापति महोदय, आज जो विषम वित्तीय स्थिति है वह पूरे प्रदेश के लिए चिन्ता का विषय बनी हुई है। पिछले विधान सभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने जब प्रदेश का शासन सम्भाला तभी से यह विषय आर्थिक स्थिति है। यह अपेक्षा की गयी थी कि इस विषय आर्थिक स्थिति का मुकाबला करने के लिए केन्द्र सरकार आगे आकर अन्य राज्यों की तरह राजस्थान को भी आर्थिक सहयोग प्रदान करेगी, किन्तु बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि केन्द्र सरकार ने राजस्थान की सरकार के साथ सौतेला व्यवहार किया। जो ओवर ड्राफ्ट इस सरकार को मिला शासन सम्भालने के समय, केन्द्र सरकार से तय हो गया था कि उसे मीडियम टर्म लोन में बदल दिया जाएगा। इसके बावजूद भी केन्द्र सरकार से प्रदेश को मिलने वाली राशि में से उसे काटना प्रारम्भ कर दिया।

और तो और, अकाल से निपटने के मामले में भी राजस्थान के साथ वही व्यवहार हुआ। पिछले साल राजस्थान की सरकार ने केन्द्र सरकार से अकाल से निपटने के लिए 960 करोड़ रुपये की मांग की थी किन्तु मात्र 21 करोड़ रुपये दिये गये जबकि दूसरे प्रदेशों को आपदा के हालात से निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने हमेशा मदद की। इस तरह राजस्थान के साथ में सौतेला व्यवहार किया गया। दुर्भाग्य से इस साल पुनः अकाल से हमें जूझना पड़ रहा है।

(14.00 बजे)

राजस्थान सरकार ने अकाल का मुकाबला

(श्री जुगल काबरा)

करने के लिये फिर योजना बनाकर भेजी। केन्द्र सरकार द्वारा भेजे गये अध्ययन दल आये, पूरे प्रदेश के अकालग्रस्त क्षेत्रों में आये।

जोधपुर संभाग में भी अध्ययन दल ने आकर स्थिति का जायजा लिया। पेयजल का संकट, पशुओं के चारे की स्थिति, रोजगार के हालात, इन सारी स्थितियों को देखकर उसने अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को दी। किन्तु आज तक केन्द्र सरकार द्वारा अकाल से मुकाबला करने के लिये राज्य को कोई ठोस सहायता उपलब्ध नहीं करायी गयी है जिसके कारण हालात भयावह बने हुए हैं। पूरे प्रदेश में अकाल की भयंकर स्थिति बनी हुई है और सभी क्षेत्रों से आने वाले माननीय सदस्य अकाल का मुकाबला करने के लिये राज्य सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। जब भी दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही, इन तरह की आपदाओं से मुकाबला करने के लिए केन्द्र ने आगे आकर मदद की।

मैं स्मरण दिलाना चाहूंगा, सभापति महोदय, सन् 1986-88 के अंदर भी इसी तरह के हालात बने थे। देश के प्रधान मंत्रीजी ने सड़क मार्ग से राजस्थान के कई इलाकों का दौरा किया और राजस्थान को भरपूर सहयोग और सहायता दी जिसके कारण विभिन्न क्षेत्रों के अन्दर चारे के डिपो खुले, पशुओं के लिये शिविर लगाये गये, पेयजल आपूर्ति का प्रबन्ध किया गया और रोजगार की व्यवस्था की गयी।

किन्तु आज स्थिति उलटी बनी हुई है। राजस्थान सरकार को केन्द्र से किसी तरह की मदद नहीं मिल रही है फिर भी राज्य सरकार अपने संसाधनों से अकाल का मुकाबला करने का प्रयास कर रही है। पिछले साल लगभग 550 करोड़ रुपये खर्च करके राज्य सरकार ने अकालग्रस्त पीड़ितों के अंदर सहायता पहुंचाने का काम किया और इस वर्ष भी यही प्रयास किया जा रहा है। पशु शिविर विभिन्न क्षेत्रों में खोले जाने का प्रयास किया जा रहा है। पशुओं के लिये चारा उपलब्ध कराने को सब्सिडी दी जा रही है। पशुओं के लिये पीने का पानी और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के लिए पेयजल उपलब्धि के लिए भी निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

इस सकारात्मक सोच के साथ मैं कि हम अपने अकाल पीड़ित भाइयों-बहिनों को हर तरह से सहयोग देकर इस विपदा से मुक्ति दिलाएं। यह राज्य सरकार की मंशा है, राज्य सरकार की भावना है। मानवीय दृष्टिकोण के साथ बगैर किसी भेदभाव के राज्य की कांग्रेस सरकार अकाल का मुकाबला करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए मैं राज्य सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

मान्यवर, अकाल से मुकाबला करने के लिए बिजली विभाग ने यह प्रयास किया कि चारा उगाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन दिए जाएं। इस योजना को आने वाले दो माह के लिए और बढ़ा दिया गया है ताकि उसी क्षेत्र

(श्री जुगल काबरा)

के अंदर चारा उगाकर पशुओं के लिये चारे का प्रबन्ध किया जा सके। आस-पास के क्षेत्रों में जहां कहीं भी चारा उपलब्ध है, उस चारे को लाने के लिए भी सब्सिडी दिये जाने का इन्तजाम किया जा रहा है।

मान्यवर, आज प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके लिए राज्य सरकार को बधाई दी जानी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य अन्य प्रदेशों के मुकाबले में बहुत पिछड़ गया है, उसको पूरे प्रयासों के साथ देश के अन्य प्रदेशों के मुकाबले आगे लाने के लिए प्रयास किए जाएं। हमारे गांव और ढाणियों में शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं रहा, पिछले आठ-दस सालों में शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, किन्तु इस बार राज्य सरकार ने यह प्रयास किया है कि जिन इलाकों में छोटे-छोटे बालक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, वहां शिक्षा का प्रबन्ध किया जाए। राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं के माध्यम से ऐसे गांव और ढाणियों के बालक-बालिकाओं के लिए शिक्षा का प्रबन्ध किया गया है। इसके साथ ही साथ प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत कर तथा सीनियर सैकण्डरी स्कूल्स खोलकर शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि हमारे प्रदेश के नागरिक अपने बच्चों को सही तरीके से शिक्षा प्रदान कर सकें। शिक्षा की तरफ पिछले सालों में जो अवहेलना की गयी उसका परिणाम यह रहा कि राज्य में शिक्षा की बहुत कमी आयी और पर्याप्त संख्या में विद्यालय नहीं होने के कारण जगह-जगह पर प्राइवेट स्कूलों का बोलबाला हो गया।

सरकार का यह दायित्व बनता है कि शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए सरकारी क्षेत्र के अंदर समुचित प्रबन्ध किए जाएं और गरीब किसानों के बच्चों को, मजदूरों के बच्चों को, अनुसूचित जाति-जनजाति के, आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को सरकारी विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध करायी जाए। आज चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, सभी जगह प्राइवेट स्कूलों का बोलबाला है। प्राइवेट स्कूलों में इतनी अधिक फीस ली जाती है कि आम मध्यमवर्गीय अभिभावक अपने बच्चों को अध्ययन नहीं करवा सकता, शिक्षा नहीं दिलवा सकता। सरकारी विद्यालयों के माध्यम से कम फीस से कोई भी अभिभावक अपने बालक को शिक्षा उपलब्ध कराने में सक्षम हो सकता है। इसलिए राज्य सरकार ने जो फैसला किया है वह स्वागत योग्य है और मैं आशा करता हूं कि इस तरह के प्रयासों से राज्य में शिक्षा का प्रतिशत बढ़ेगा।

महिला शिक्षा की तरफ भी खास तौर से ध्यान दिया गया है। इससे हमारे प्रदेश में स्त्री शिक्षा का, महिला शिक्षा का प्रतिशत बढ़ेगा।

राज्य सरकार ने इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज तथा जनरल कालेज के

(श्री जुगल काबरा)

माध्यम से उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया है। मैं राज्य सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि तीन नये विश्वविद्यालय खोलकर उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। जोधपुर में विधि विश्वविद्यालय पिछले पांच सालों से लंबित था। राजस्थान के विकास में विधि विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। बार कौंसिल आफ इण्डिया के सर्वे के आधार पर राजस्थान के जोधपुर शहर में विधि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना पिछले लम्बे समय से प्रस्तावित था।

पिछली सरकार के पास यह प्रस्ताव था किन्तु सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और उच्च शिक्षा मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने समय की आवश्यकता को समझा और जोधपुर में विधि विश्वविद्यालय स्थापित किया।

इसी तरह से उदयपुर के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने कदम उठाकर उदयपुर को कृषि विश्वविद्यालय दिया, इसके लिए भी मैं राज्य सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

राज्य में संस्कृत शिक्षा के उत्थान के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी, यह भी स्वागत योग्य कदम है।

मैं आशा करता हूं कि इस तरह से जो इंजीनियरिंग कालेज खोले गये हैं, पोलिटैक्निक कालेज खोले जा रहे हैं, मेडिकल कालेज, डेंटल कालेज खोले जा रहे हैं इससे हमारे यहां के नौजवानों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त हो सकेगी और वे इस प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी निभा सकेंगे।

राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुआयामी प्रयास किये हैं। मुख्य मंत्रीजी द्वारा 'मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष' की स्थापना इसी आशय से की गयी है कि गरीब लोगों को असाध्य बीमारी के इलाज का प्रबंध करवाया जा सके। इस कोष की स्थापना से पूर्व गरीब व्यक्ति किसी भी स्थिति में असाध्य रोगों का इलाज करवाने में सक्षम नहीं था।

यदि उसके पास में कोई साधन नहीं था तो वह तिल-तिल कर अपना जीवन पूरा कर देता था किन्तु इस कोष की स्थापना के बाद गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले हरेक व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी तरह की गम्भीर बीमारी से बीमार हो-चाहे कैंसर का रोगी हो, चाहे हृदय रोगी हो, चाहे किसी का ट्रांसप्लांटेशन करने की आवश्यकता हो, इन सभी को इस जीवन रक्षा कोष से वास्तव में बहुत बड़ी राहत मिल सकेगी। गरीबों के प्रति यह कदम सरकार की संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है।

सभापति महोदय, राज्य सरकार ने गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन

(श्री जुगल काबरा)

करने वाले सभी लोगों के लिए मेडी-केयर कार्ड योजना की शुरुआत की है। वह इस आशय से की गयी है कि गरीब व्यक्ति अपना इलाज नहीं करवा पाते थे, छोटी-मोटी बीमारियों के लिए भी उन्हें इधर-उधर भटक-कर इलाज का प्रबंध करना पड़ता था, भीख मांगनी पड़ती थी। इस तरह से उन्हें जलील होना पड़ता था।

इन सारी परिस्थितियों से राजस्थान की नयी सरकार ने उन्हें मुक्ति दिलायी है। अब गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाला हर व्यक्ति फख्र के साथ किसी भी अस्पताल के अन्दर जाकर अपना इलाज करवा सकता है। इस मेडी–केयर कार्ड योजना के माध्यम से वे दवाई प्राप्त कर अपना इलाज करा सकेंगे।

इसके लिए मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे प्रदेश के अन्दर इस योजना को लागू किया है। इसमें कहीं भी कोई भेद-भाव नहीं किया गया है; हर जिले के हरेक अस्पताल में इस तरह की व्यवस्था की गयी है।

सभापति महोदय, चिकित्सा के विस्तार के लिए भी राज्य सरकार बराबर प्रयास कर रही है। यह कोशिश की जा रही है कि जिलों के केन्द्रीय चिकित्सालयों के अलावा अन्य चिकित्सालयों के अन्दर भी पूरी तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवायी जाएं ताकि हर छोटी-मोटी बीमारी के लिए व्यक्ति को केन्द्रीय चिकित्सालय की तरफ नहीं भागना पड़े। अपने गांव में, अपने इलाके में जो भी चिकित्सालय उपलब्ध है वहां जाकर वह अपना इलाज करवा सके।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में और अधिकार प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है, चिकित्सा की सुविधाओं को और अधिक बढ़ाये जाने की आवश्यकता है ताकि जो लोग बीमारी के हालात में रहते हैं उन्हें बड़े अस्पतालों की तरफ नहीं जाना पड़े और वे अपने क्षेत्र के अस्पताल के माध्यम से अपना इलाज करवा सकें। इस तरह का प्रबंध राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए।

सभापति महोदय, विद्युत के क्षेत्र के अन्दर भी राज्य सरकार ने बहुत बड़े कदम उठाये हैं। पिछले 8 सालों में राजस्थान में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हुई जिसके कारण आज पूरे प्रदेश को विद्युत संकट झेलना पड़ रहा है। यदि समय रहते सही फैसले किये जाते, विद्युत उत्पादन के लिए, विद्युत तंत्र के विकास के लिए ठोस कदम उठाये जाते तो आज बिजली की जो अव्यवस्था है वह हमारे सामने नहीं आती।

मैं राज्य की सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उसने शासन तंत्र संभालने के बाद विद्युत उत्पादन के लिए ठोस निर्णय लिये और यह प्रयास किया कि जो परियोजनाएं चल रही थीं उनको शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाए। सूरतगढ़ के अन्दर जो

(श्री जुगल काबरा)

परियोजना जारी थी उसमें विद्युत उत्पादन प्रारम्भ करवाया गया। 250 मेगावाट की पहली यूनिट पिछले साल चालू हो गयी और दूसरी यूनिट में भी इस साल अक्टूबर में उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की संभावना है।

सभापति महोदय, इसी तरह से अन्य क्षेत्रों में भी विद्युत उत्पादन के लिए बराबर प्रयास किया जा रहा है। कोशिश हो रही है कि विद्युत उत्पादन चाहे प्राइवेट सैक्टर में हो या पब्लिक सैक्टर में, नयी परियोजनाओं को प्रारम्भ कर राजस्थान के विद्युत संकट को मिटाया जाए ताकि हम किसानों को सही समय पर पूरी बिजली दे सकें, उद्योगों को भी बिजली दे सकें ताकि हमारे प्रदेश का औद्योगिक विकास हो सके और आम उपभोक्ताओं की समस्याओं का भी निराकरण कर सकें। इसके लिए राज्य सरकार जो प्रयास कर रही है उसके लिए मैं राज्य सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

किन्तु, सभापति महोदय, साथ ही साथ आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार का भी यह दायित्व बनता है कि प्रदेशों के साथ में समदृष्टि से व्यवहार किया जाए। अभी कल की ही बहस में चर्चा चल रही थी कि अंता का जो पावर हाउस है उसमें राजस्थान का हिस्सा घटा दिया गया और राजस्थान को उपलब्ध होने वाली बिजली हरियाणा के चुनाव को देखते हुए हरियाणा को दे दी गयी है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारे यहां से चुने हुए जो प्रतिनिधि लोक सभा में जाएं, वे चाहे किसी भी पार्टी से सम्बन्धित हों उन सबका यह दायित्व बनता है, प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए उन्हें संयुक्त रूप से आवाज उठानी चाहिए। राजस्थान के हिस्से का जब कभी भी सवाल आता है हम सब को सम्मिलित हो कर इस बात का प्रयास करना चाहिए कि राजस्थान के हितों पर किसी तरह का कुठाराघात नहीं हो।

मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान की चाहे जो भी योजनाएं बनें, विद्युत के क्षेत्र में या अकाल से जूझने के लिए धनराशि की आवश्यकता हो इन सबमें हमारे राज्य के प्रतिनिधि पूरी तरह से प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि राज्य के हितों की सुरक्षा हो।

सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार द्वारा पेयजल के सम्बन्ध में किये जा रहे प्रावधानों के लिए भी राज्य सरकार को बधाई देना चाहता हूं। जिन-जिन क्षेत्रों में पानी का संकट है उन क्षेत्रों के अन्दर पेयजल उपलब्धता के लिए जो योजनाएं बनायी जा रही हैं उसके लिए मैं जलदाय मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जयपुर की पेयजल समस्या को समझा। जयपुर जो पेयजल संकट से गुजरता रहा है, उसको बीसलपुर बांध से 11 करोड़ की योजना द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है।

(श्री जुगल काबरा)

अजमेर जिले में भी 42.99 करोड़ रुपये की सहायता से भिनाय और मसूदा क्षेत्रों के लिए पेयजल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है जिससे विजयनगर और गुलाबपुरा क्षेत्र भी लाभांवित हो सकेंगे। अजमेर जिले की अन्य योजनाओं के लिए राज्य सरकार ने 61 करोड़ के लगभग खर्च करने का फैसला किया है, यह भी स्वागत योग्य कदम है। राज्य का पाली जिला भी पानी के संकट से जूझता रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने 31.33 करोड़ रुपये की जो योजना बनायी है उसका मैं स्वागत करता हूं। भरतपुर शहर के लिए चम्बल नदी से पानी पहुंचाने के लिए 166.50 करोड़ की जो योजना बनायी गयी है उस योजना से हम आशा कर सकते हैं कि इन इलाकों के लिए भी पेयजल की आपूर्ति का प्रबंध हो सकेगा और पूरे क्षेत्र के अंदर पेयजल संकट को दूर किया जा सकेगा।

मैं माननीय जलदाय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जोधपुर जिले के पेयजल संकट के निदान के लिए उन्होंने जोधपुर लिफ्ट कैनाल के द्वितीय चरण को प्रारम्भ किया और उसके लिए 149करोड़ रुपये का प्रावधान किया। जोधपुर जिले के गांव जो कि पानी के संकट से जूझते रहे हैं, उन सभी गांवों को इस पेयजल आपूर्ति के द्वारा मुक्ति दिलायी जा सकेगी और जिन इलाकों के अन्दर पानी नीचे चला गया है उन इलाकों के अन्दर पानी की समस्या का निदान हो सकेगा।

(14.20 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अभी बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य सरस्वती नदी की खोज के बारे में चर्चा कर रहे थे, यह बहुत शुभ कार्य है। सरस्वती नदी की खोज के लिए जैसलमेर जिले के क्षेत्र में कोर पद्धति से जो सात परीक्षण नलकूप स्थापित किये गये थे उन के अच्छे परिणाम रहे हैं। इस नदी की खोज से दूसरे क्षेत्रों के अन्दर भी पेयजल आपूर्ति का प्रबन्ध किया जा सकेगा।

साथ ही साथ सिंचित क्षेत्रों के अन्दर जो सेम की समस्या है उसके निदान के लिए राज्य सरकार पूरी तरह जागरूक है और प्रयास कर रही है कि किसानों को इस समस्या से निदान दिलाया जाए। इस के लिए मैं राज्य सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार का उत्तर आज ही है। लिस्ट बहुत लम्बी है; कृपया समय का थोड़ा ख्याल करें। अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जुगल काबरा : जी हां। मान्यवर, पिछली सरकार ने पांचवां वेतन आयोग मंजूर किया किन्तु वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर करते समय केवल कर्मचारियों के वेतनमान बढ़ाये जाने की तरफ ही ध्यान दिया गया, उसकी जो अन्य शर्तें थीं उनकी

(श्री जुगल काबरा)

तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया जिसके कारण आज यह आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है।

कोई भी सरकार हो उसका यह दायित्व है कि वह पूरे प्रदेश के हितों की तरफ ध्यान रखे। कर्मचारियों को खुश करने के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर देने से जो हालात बने हैं, मैं चाहता हूं कि इस तरफ पूरा सदन गम्भीरता से सोचे और राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रयास करे ताकि हमारा प्रदेश आर्थिक संकट से मुक्ति पा सके।

मान्यवर, राज्य सरकार ने कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान अपने संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति के लिए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराये, इसके लिए मैं राज्य सरकार को बधाई देना चाहता हूं। विषम परिस्थितियों के बावजूद भी पूरी पारदर्शिता और जवाबदारी के साथ में इन चुनावों को सम्पन्न कराया गया उससे पूरे देश में हमारी साख जमी है और आम जनता को यह विश्वास हुआ है कि राज्य सरकार चाहे कैसी भी स्थिति आये, अपने दायित्वों से पीछे नहीं मुड़ेगी, पीछे नहीं हटेगी।

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में अतिक्रमण हटाने की चर्चा हो रही है। पिछले कई वर्षों से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बावजूद भी अतिक्रमणों को हटाया नहीं गया किन्तु माननीय अशोक गहलोत साहब के दृढ़ निश्चय में पूरी जवाबदारी के साथ इन अतिक्रमणों को हटाया गया है। जयपुर के बरामदे इस बात के साक्षी हैं। आम जनता के लिए जो बरामदे आवागमन के लिए बनाये गये थे उनको खाली करवाया जाना नितांत आवश्यक था और पूरे जयपुर शहर की जनता इस बात के लिए राज्य सरकार को बधाई देना चाहती है, राज्य सरकार के इस कदम का स्वागत करना चाहती है।

सड़कों के विकास के लिए, नगरों के विकास के लिए जो योजनाएं बनायी जा रही हैं उन योजनाओं में यह कोशिश की जा रही है कि जो ठेला, थड़ी वाले लोग हैं, खोमचे वाले लोग हैं उनके पुनर्वास का पूरा प्रबन्ध किया जाए। राज्य सरकार ने जो निर्देश जारी किये हैं पूरे प्रदेश में उनमें इस बात का खुलासा किया गया है कि जिन लोगों को हटाया जा रहा है उन को चिन्हित किया जाए और उनके पुनर्वास की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि उन के साथ में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आये और वे अपनी रोजी-रोटी आसानी से चला सकें। इस तरह की योजनाएं जो पूरी संवेदनशीलता के साथ मानवीय मूल्यों की रक्षा करते हुए राज्य सरकार ने चलायी है उनके लिए मैं राज्य सरकार और माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रतन लाल ताम्बी।

डा. किरोड़ी लाल : वे दो लोग बोल चुके। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप लास्ट में बोलेंगे इसलिए बुलवा रहा हूं। इन्होंने कहा कि आप लास्ट में बोलना चाहते हैं। इनके बाद बोल लेना।

श्री जुगल काबरा : ... (व्यवधान) इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद; जयहिन्द।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय; महामहिम राज्यपाल महोदय ने कृपापूर्वक अभिभाषण सदन में दिया उसके सम्बन्ध में भीम से आने वाले माननीय सदस्य श्री लक्ष्मण सिंह जी ने धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया और बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य डाक्टर करण सिंह जी ने प्रस्ताव का समर्थन किया। मैं भी उनका समर्थन करता हुआ अपनी बात कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय; करीब सवा साल पहले राजस्थान प्रदेश की जनता ने बहुत ही आकांक्षाओं के साथ एक नौजवान मुख्य मंत्री को नेतृत्व देकर सपने संजाये थे और मैं यह कह सकता हूं कि मुख्य मंत्रीजी विषम परिस्थितियों के बावजूद जनता की कसौटी पर खरे उतरे हैं। राजस्थान को पूर्व भाजपा की सरकार ने जिस हालत में राज्य सौंपा, उसका एक स्वप्नद्रष्टा के रूप में दूर-दृष्टि, पक्का इरादा, दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के साथ हर क्षेत्र में कायाकल्प करने की दिशा में लगातार सरकार ने कदम बढ़ाये हैं।

सवा साल के कार्यकाल में विभिन्न योजनाओं की दृष्टि से उपलब्धियों की मुंह बोलती दास्तान को झुठलाया नहीं जा सकता और यदि कोई झुठलाता है तो सत्य को झूठ के हवाले करना कहा जा सकता है। इस दृष्टि से इस सरकार को आपने-हमने सबने देखा। लोक सभा के चुनावों में कुछ कारण रहे होंगे थोड़े बहुत; परंतु आम राजस्थान की जनता ने शहरों में नगर पालिका चुनावों के माध्यम से और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज चुनावों के माध्यम से सरकार की नीतियों; कार्यक्रमों और उपलब्धियों को एक तरह से मोहर लगायी है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि पिछली सरकार काफी कर्जा छोड़कर गयी और कई विषम परिस्थितियों और अकाल के बावजूद एक इच्छा शक्ति ने यह कर दिखाया है। विपक्ष के लोग जब सत्ता में थे तब यह कहते थे कि कर्जा लेकर विकास करना बुरी बात नहीं है और जब इस सरकार ने थोड़ा कर्जा लेकर विकास की बात मानी और विकास किया तो उसका वे विरोध करते हैं। यह दो तरह की बात करना भाजपा की नीति है जो खलती है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ताम्बी साहब, निवेदन आपसे यह है कि आंकड़ों के साथ बोलें तो आप इस बात को सत्य

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

प्रमाणित कर देंगे? आपने विकास के कामों को घटाकर करने के लिए कर्जा लिया है। थोड़ा दोनों को मिलाकर बोलो तो आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आपके कहने से काम नहीं चलता।

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : हम तो आपके कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए कर्जा ले रहे हैं।

श्री रतन लाल ताम्बी : यह तो आप खुद जान लें। पाँचवा वेतन आयोग, 9-18-27, यह सब आपकी ही देन थी इसलिए यह सारा प्रहार हुआ है। उस सबके बावजूद भी आप स्वयं यह मानकर चलेंगे....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दो बुद्धिजीवी जब आपस में बात करें ना तो अपने को नहीं बोलना चाहिए। इन आंकड़ों की बात आप नहीं समझते। अभी पहली-पहली बार आये हो, समय लगेगा।

श्री रतन लाल ताम्बी : राजस्थान की जनता से कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र के माध्यम से जो वायदे किये उस आधार को लेकर...

श्री जगत सिंह दायमा : दोनों मनुवादी।

श्री रतन लाल ताम्बी : विषम परिस्थितियों के बीच में जो काम किये हैं चाहे राजस्थान का पिछड़ा क्षेत्र लें, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र को लें या ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं को लें विभिन्न क्षेत्रों में जो उपलब्धियां हासिल की हैं वे अपने आप में वर्णनीय कही जा सकती हैं।

मान्यवर, राजस्थान में समाज कल्याण के छात्रावासों में बालकों को खाने-पीने की व्यवस्था का स्तर सुधारने के लिए लगभग पौने तीन सौ रुपये की वृद्धि की है। इसके साथ व्यवसाय कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति और जनजाति का दुगुना प्रतिशत आरक्षित किया गया है। पिछड़े वर्ग को भी 21 प्रतिशत इसमें आरक्षण करना इस सरकार की गरिमा और पिछड़ों के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है।

मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सस्ती राजनीति के लिए या वोट बैंक के लिए जिस तरह से अतिक्रमण को प्रोत्साहन देकर शहरों और गांवों की दुर्दशा की है उसे सुधारने का काम किया है राजस्थान के इतिहास में इतिहास पुरुष के रूप में स्थापित राजस्थान के मुख्य मंत्री की इच्छा शक्ति ने। राजस्थान में स्वायत्त शासन कायम करने की भावनाओं का एक साकार रूप जयपुर में देखने को मिलता है।

जो बरामदे वर्षों से जनता की आवाज बन गये थे उनका वोट बैंक के लिए गलत उपयोग आप लोगों ने करवाया। आपका जो वोट बैंक व्यापारी वर्ग था वह अब आपको कोस रहा है। इसलिए कोसता है कि उसके लाखों रुपये की बर्बादी आपके

(श्री रतन लाल ताम्बी)

कारण से हुई है। इसी कारण यहां पर एक प्रदर्शन किया गया था, तीन-चार हजार व्यक्ति थे उसमें। दस प्रतिशत व्यापारी भी नहीं आये पर गालियां निकाल रहे थे आपको। दर्शक ज्यादा थे। फिर यहां आकर हो-हल्ला मचाया। गलियों में भी अतिक्रमण हटाएंगे, झुग्गी-झोंपड़ियों को तोड़ेंगे, यह कहकर आप इकट्ठा करके लाये। सरकार की यह मंशा नहीं है।

सरकार ने साफ तौर से कहा है कि अतिक्रमण जहां है उसको हटाने के साथ पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाएगी। यह पहली सरकार है जिसने न केवल अतिक्रमण ही हटाया है, पुनर्वास की व्यवस्था भी की है। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

मेरा सरकार को सुझाव है कि तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच पीढ़ी से जो लोग दुकानों और बरामदों में, अन्डर-ग्राउण्ड में अपना व्यापार करके बैठे हुए थे उनके लिए कुछ स्थान निर्धारित करें, वह चाहे सेण्ट्रल जेल हो, चाहे चांदपोल के बहार जिसको पुराना पागलखाना कहा जाता है, शिक्षा विभाग का दफ्तर हो चाहे उधर डेयरी का दूध बेचते हैं टी.बी. अस्पताल की तरफ हो। आठ–दस स्थान ऐसे हैं जहां पर नये बाजार डवलप किये जा सकते हैं। उसके लिए करना कुछ नहीं है। सीधी सीधी बात है....

श्री राजेन्द्र पारिक : या तो जगह है पागलखाने के पास, या जगह है सेण्ट्रल जेल के पास या जगह है टी.बी. अस्पताल के पास। कोई स्वस्थ जगह देखो, क्यों किसी की पीढ़ी बर्बाद कर रहे हो ?

श्री रतन लाल ताम्बी : इसके लिए मेरा यह सुझाव है कि सरकार जो वर्तमान दरें हैं उसके आधार पर भूमि का पैसा ले। पैसा देने को वे तैयार रहेंगे क्योंकि तीन तीन, चार–चार पीढ़ी के लोगों को एक साथ बैठकर व्यवसाय करने में कठिनाई है। जिस उत्साह से उन्होंने बरामदे खाली किये हैं, सरकार को सहयोग किया है सरकार को भी उसी उत्साह के साथ उनको भूमि देकर, नक्शा प्लान देकर वे अपने आप बनाएं, इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि सरकार को एक संवेदनशील सरकार के रूप में माना जाए। इस तरह की योजना से सरकार को भी खजाने में लाभ होगा और उनके व्यापार में भी वृद्धि होगी, ऐसा मेरा मानना है।

मैं इस मौके पर और लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहता हुआ यह कहना चाहता हूं कि अभिभाषण में राजस्थान सरकार की अगले वर्ष की दिशा का संकेत दिया गया है; पिछले वर्ष भी राजस्थान की सरकार ने चाहे शिक्षा के क्षेत्र में लें, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में लें, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में लें बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, गरीब परिवारों को योजनाओं के माध्यम से, विशिष्ट योजना कार्यक्रम के माध्यम से काफी लाभान्वित किया है।

मुख्य मंत्री जी जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब राजस्थान की भा.ज.पा.

(श्री रतन लाल ताम्बी)

सरकार से बराबर मांग करते रहे कि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाओ, उनको अधिकार दो । आपने तो सुना नहीं पर हमारे मुख्य मंत्री जी ने और राजस्थान के पंचायती राज मंत्री जी ने राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं का विकेन्द्रीकरण करके अधिकारों को एक सशक्त स्वरूप देने की जो चेष्टा की है वह निश्चित रूप से सराहनीय है ।

सोलह हजार राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ति विद्यालय खोलकर ढाणी और मजरों में शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है । आजादी के 52 वर्ष में तीस हजार प्राइमरी स्कूल खोले गये थे । यह पहली सरकार है जिसने एक वर्ष में 16 हजार विद्यालय खोले हैं और अगले वर्ष में भी 11 हजार विद्यालयों का प्रावधान किया है । राजस्थान में निरक्षरता को समाप्त करने का एक दृढ़ संकल्प इससे जाहिर होता है ।

राजस्थान की सरकार जहां एक ओर साक्षरता मिटाने की दृष्टि से पूरी ताकत के साथ लगी हुई है और इसको प्राथमिकता दी हुई है; इसी के साथ मेरा एक सुझाव है । राजस्थान भयंकर अकाल से जूझ रहा है, भयंकर पानी की समस्या से जूझ रहा है ।

मैं सुझाव देना चाहूंगा कि चम्बल का पानी जो यमुना में जा रहा है उस पानी का राजस्थान की धरती पर प्यासे लोगों को पीने के पानी के लिए, खेती के लिए, उपयोग हो सकता है । अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर पेयजल की समस्या के लिए चम्बल के पानी की स्थायी योजना बननी चाहिए । बहुआयामी योजना बनाये बिना राजस्थान की जनता की प्यास बुझ नहीं सकती । बीसलपुर का बांध बना उससे जयपुर और अजमेर की पानी की समस्या के हल की आप बात करते हैं ।

मैं सोचता हूं कि इसके लिए भी आपको बहुत सहानुभूतिपूर्वक और संवेदनशीलता से सोचने की आवश्यकता है । बनास नदी के किनारे चाहे भीलवाड़ा जिला हो, चाहे अजमेर जिला हो, चाहे टोंक जिला हो, आज पूरी तरह पानी की समस्या से ग्रसित हैं । वहां के लोगों के सामने से पानी जाए, वे बांध के पानी को देख तो लें लेकिन प्यास नहीं बुझा सकें यह संवेदनशीलता नहीं होगी । इसलिए मेरा अनुरोध है कि समस्या के स्थाई समाधान के लिए चम्बल की एक वृहत पेयजल योजना तैयार करके उस पानी का उपयोग किया जाए । जयपुर की समस्या का समाधान ईसरदा बांध से हो सकता है तो उससे किया जाए ताकि बचे हुए बीसलपुर के पानी का लाभ अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक जिले की जनता को मिल सके ।

मैं माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि अकाल राजस्थान में इस बार भयंकर है और केन्द्र में जो सरकार बैठी है वह संवेदनहीन सरकार कही जा सकती है । पिछले

(श्री रतन लाल ताम्बी)

साल जब भैरोंसिंह जी शेखावत मुख्य मंत्री विराज रहे थे तब उन्होंने साढ़े तेरह सौ करोड़ की मांग राजस्थान के अकाल के लिए की थी। उनके जाने के बाद यह सरकार आयी, 1150 करोड़ के आस-पास इसने मांग की। इसके बाद एक-आध महीना और निकल गया वैसे ही, 950 करोड़ की मांग की थी।

आप बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हो, और भेदभाव कितना करते हो? राजस्थान की जनता के साथ आपने खिलवाड़ किया, रुपया कितना दिया? इक्कीस करोड़। राजस्थान के सीमित संसाधनों में इतनी परेशानी के बाद भी लगभग 550करोड़ रुपया राजस्थान की सरकार ने अन्य योजनाओं का काटकर अकाल में लगाया। आप जोर जोर से कह रहे हैं कि 1000-1100करोड़ रुपया योजना से काट दिया, काटा किन परिस्थितियों में है उन हालतों को भी आप देखने की कोशिश करें।

श्री सांवर लाल : राज्य सरकार ने अपनी योजनाओं का एक रुपया भी अकाल राहत में नहीं लगाया, माननीय सदस्य, जानकारी होनी चाहिए। प्राकृतिक आपदा कोष भारत सरकार का 75 प्रतिशत रुपया वह पैसा आप लगा रहे हो, कोई अहसान नहीं कर रहे हो। 75 प्रतिशत प्राकृतिक आपदा कोष में नियमित रूप से भारत सरकार दे रही है।

श्री रतन लाल ताम्बी : राजस्थान की सरकार को 500 करोड़ रुपया नहीं दिया।

श्री सांवर लाल : आपने एक रुपया भी अपने संसाधनों से नहीं लगाया है अकाल राहत के लिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : हद करके मात्र तीस आदमी यहां आये हो।

श्री सांवर लाल : हमने जो किया वह तो याद रख रही है जनता, वापस जाओगे तब मालूम पड़ेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप इसी तरह चलते रहो इसी श्रोट पर आओगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय का खयाल रखें। आप अपना ही समय कम कर रहे हो।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी सरकार कोई बात करती है उसमें और इस सरकार में बड़ा अंतर है। यह कथनी और करनी की बात को हमेशा मानती है।

आपको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी शेखावत साहब ने कहा था कि राजस्थान में या तो भ्रष्टाचार रहेगा या भैरोंसिंह शेखावत रहेगा, नाकों से निकाल दूंगा। दस साल में भ्रष्टाचार कितना पैदा हुआ? राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने अपना एजेंडा बना लिया भ्रष्टाचार से राजस्थान

(श्री रतन लाल ताम्बी)

को मुक्त करने का। आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर था।

आज अधिकारियों में एक भय पैदा हो रहा है, आज कर्मचारियों में एक भय पैदा हो रहा है। उनकी आज जगह–जगह लिस्टें तैयार की जा रही हैं कि भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी कोई भी हो उसको नहीं बख्शा जाएगा। जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने अतिक्रमण में कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति सिफारिश करने गया होगा, बड़े से बड़े व्यक्ति की जमीन आई होगी, एक की नहीं सुनी इसी तरह राज–स्थान की सरकार का संकल्प है कि राज-स्थान में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को निपटा जाएगा। यह बहुत बड़ी बात है। आप लोग उस समय भ्रष्टाचार की बात करते थे कि नाकों में से निकालेंगे, कहां गया वह भ्रष्टाचार नाकों में से निकलने वाला ? भ्रष्टाचार ही आप राजस्थान में सम्भला कर गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष की स्थापना की गयी जिसमें 50 हजार रुपये की दवा-इयां गम्भीर बीमारियों में देने की बात है मेडी केयर कार्ड के माध्यम से हम गरीबों को जो चयनित परिवार से हैं। यह संवे–दनशील सरकार का एक परिचायक है। गरीबों को दवाइयां मिलेंगी तब मालूम होगा कि यह राजस्थान सरकार कितनी संवेदनशील है। इसी तरह किसान कार्ड की योजना ऐसा कार्यक्रम है जिसमें झोंपड़ों में बैठे गरीबों को जो आये दिन बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, लाभ मिलने की बात है। राजस्थान में आज औद्योगिक क्रांति की दिशा में भी सरकार ने कुछ निर्णय लिया है। एक ही खिड़की पर बैठ कर सारी योजनाओं को निपटाने का समय निश्चित कर दिया गया है। इसके आधार पर औद्यो-गिक विकास होगा।

मैं राजस्थान सरकार को सुझाव देना चाहता हूं, अभी आपका प्रशासनिक खर्चा बहुत है। यद्यपि राजस्थान की यह पहली सरकार है जिसने मंत्रीयों और आफिसरों की कारों में, टेलीफोनों में कटौती की है और ऊपर से शुरुआत की है।

मैं समझता हूं, इसका असर हुआ है। आज धड़ाधड़ बड़े–बड़े आफिसर्स की कारें जमा हो गईं, बहुत खर्चा मिटा है। मैं समझता हूं कर्मचारी भी बहुत बड़ी तादाद में फालतू हैं। कई विभागों को एक साथ सम्मिलित करना, कई विभागों को समाप्त करना यह आवश्यक है। इसके साथ ही बिजली विभाग और पी.एच.ई.डी. में हैल्पर्स और कर्मचारियों की बहुत बड़ी कमी है। जो आपके पास सरप्लस कर्मचारी हैं उनको आप ग्रामीण सुविधाओं में उपयोग करें।

प्रत्येक पंचायत में एक सचिव देने का फैसला इस सरकार ने लागू किया है जिसके माध्यम से गांवों के लोगों का काम समय पर हो सके। पंचायतों को इन्टरनेट से जोड़ने की योजना अपने आप में बहुत महत्व रखती है। गांवों में कर्मचारी रहते नहीं थे,

(श्री रतन लाल ताम्बी)

उसके लिए निगरानी कमेटी बनाकर स्थानीय लोगों को अधिकार दे दिया, यह बहुत बड़ी बात है। उसके आधार पर अब कर्मचारी काम करने लगेंगे और जिन कर्मचारियों को जनता की सेवा के लिए रखा गया है उनका सही तौर से उपयोग हो सकेगा, ऐसा मेरा मानना है।

पंचायत राज को राजस्थान की सरकार काफी महत्व दे रही है, उससे गांवों की जनता में आकांक्षाएं बढ़ी हैं और यही कारण है कि पंचायती राज चुनावों में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ। 145 से ज्यादा प्रधान कांग्रेस के जीते हैं।

मैं इस मौके पर पंचायती राज के लिए थोड़े सुझाव देना चाहता हूं, यद्यपि माननीय मंत्री जी इसके बारे में काफी सजग हैं। प्राथमिक शिक्षा का सारा कार्यक्रम पंचायती राज को एक जगह दिया है और उसमें गुणवत्ता लाने के लिए बहुत प्रयास हो रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज में कुछ विशेषताएं हैं उन विशेषताओं का अध्ययन करवा कर, महाराष्ट्र और गुजरात की विशेषताओं का अध्ययन करवा कर राजस्थान के पंचायती राज को और मजबूत बनाएं।

मैं जानता हूं कि गरीबी की रेखा के नीचे चयनित परिवारों को प्रति व्यक्ति जो गेहूं दिया जाता है वह सही ढंग से वितरण नहीं हो पाता है, उन तक नहीं पहुंच पाता है। इसके लिए निगरानी की पूरी व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को उसका लाभ हो सके।

इस बजट में सिंचाई योजनाओं के लिए भी प्रावधान किया गया है। मैं यह मानकर चलता हूं कि जब तक सिंचाई योजनाओं का एक मास्टर प्लान नहीं बनेगा उन योजनाओं का पूरा सर्वेक्षण करके उन्हें समय पर पूरा नहीं करेंगे तब तक अधूरी योजनाओं का कोई फायदा नहीं होगा। योजनाएं कई वर्षों तक लम्बित रहती हैं उससे रुपया भी बहुत ज्यादा लग जाता है। कृषि मंडी के क्षेत्र में भी इस सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। डेढ़ सौ करोड़ रुपये के आस-पास मंडी की सड़कें बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ा गया है।

इस वर्ष भी इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में मंडी की सड़कों के निर्माण के कार्यक्रम को अपनाना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सड़कें सुलभ हो सकें। वर्तमान सरकार को ऐसी सड़कें मिलीं जिनको पिछली सरकार ने 10-12 साल में मरम्मत नहीं की, उन पर बड़े-बड़े खड्डे हो रहे हैं, टूट रही हैं, फूट रही हैं। उनके लिए भी प्रावधान किया गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि वह अपर्याप्त है। जो भी प्रावधान हो उसमें उन सड़कों को पहले चयनित किया जाना चाहिए जिसमें सर्वाधिक ट्रैफिक है और हालात खराब है।

मेरा यह मानना है कि राजस्थान सरकार सीमित साधनों के बावजूद शिक्षा

(श्री रतन लाल ताम्बी)

के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, सिचाई के क्षेत्र में काम करने के साथ साथ सबसे बड़ा जो काम कर रही है वह है बिजली के क्षेत्र में। बिजली की राजस्थान में कमी है जिसके आधार पर राजस्थान बहुत पिछड़ता चला जा रहा है। सूरतगढ़ में 400 मेगावाट की एक योजना चालू हो गई, दूसरी होना सम्भावित है। राजस्थान में लगभग साढ़े चार हजार मेगावाट बिजली की आवश्यकता है लेकिन इस बिजली की आवश्यकता पूरी करने के लिए पिछली सरकार ने एक भी मेगावाट बिजली पैदा नहीं की।

इस सरकार ने कम से कम प्रावधान करके इस दिशा में प्रगति तो की है। बरसिंह सर की योजना मैं समझता हूं आगे प्रगति करेगी और इस आधार पर राजस्थान आगे बढ़ेगा।

आज गांवों के लोगों के पास रोजगार सुलभ नहीं हैं। कुटीर उद्योगों, छोटे-छोटे उद्योगों के विकास के लिए खादी ग्रामोद्योग बोर्ड और उद्योग विभाग के समन्वय से योजनाएं तैयार की जानी चाहिए और बैंकों के माध्यम से अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उन्हें पूंजी उपलब्ध करायी जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में आज बेरोजगारी बढ़ रही है, नई भर्ती की सम्भावनाएं इतनी हैं नहीं, इसलिए औद्योगिक दृष्टि से लोगों को रोजगार में बढ़ाया जाए। कई जगह सिक यूनिट्स पड़ी हुई हैं, मजदूरों में बेरोजगारी बढ़ रही है, उस के लिए भी योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम को हाथ में लिया जाना चाहिए। राजस्थान में आज गरीबी की रेखा से नीचे बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो पलायन कर जाते हैं अकाल के कारण या दूसरे धन्धों के अभाव में। उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा मुख्य मंत्री रोजगार योजना तैयार की गई है वह सराहनीय है। छोटे-छोटे लोगों को गांवों और शहरों में दुकानें मिलेंगी और उसके लिए बैंकों से पैसा मिलेगा ताकि वे धन्धों में लग सकें। इस कार्यक्रम की मैं सराहना करता हूं।

अभिभाषण में बहुत सारे और संकेत दिये गये हैं। पिछले वर्ष महाविद्यालय खोले गये। बजट प्रावधान था उससे भी अधिक खोले गये। लेकिन इस वर्ष कोई प्रावधान नहीं रखा गया। पिछड़े क्षेत्रों में महाविद्यालय नहीं खोले जाने से लोग शिक्षा से वंचित रहते हैं। मेरा निवेदन है कि जहाजपुर ऐसा इलाका है जो भीलवाड़ा जिले में सबसे दूर है और जहां के 650 लड़के बाहर पढ़ते हैं। उसके लिए इस अभिभाषण में कहीं संकेत नहीं दिया गया। मैं समझता हूं इस दिशा में भी कुछ सोचना चाहिए।

इस मौके पर अंत में मैं यह कहता हुआ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि आय के स्रोत बहुत हैं लेकिन उन संसाधनों में लीकेज बहुत है। राज्य सरकार इस बजट के माध्यम से आय के स्रोत बढ़ा कर जन कल्याणकारी कार्यों को और गति दे, ऐसा मेरा आग्रह है। इस दिशा में बहुत स्कोप है, कुछ सुझाव मैं बजट के मौके पर दूंगा। इस दिशा में ध्यान दिया जाना चाहिए। इस प्रकार यदि हमने ध्यान दिया तो निश्चित

(श्री रतन लाल ताम्बी)

रूप से कल्याणकारी सरकार की जो अव-धारणा राजस्थान में है, उस के प्रति जनता का विश्वास बढ़ेगा। पिछली सरकार कई मामलों में पिछड़ कर रह गई और दिल्ली में ऐसी सरकार बैठ गई जो आज राजस्थान के बारे में उपेक्षा और भेदभाव बरतती है, मेरा ऐसा मानना है।

राजस्थान में अकाल इस बार बहुत भयंकर है, ऐसी स्थिति में मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि राजनीति से ऊपर उठकर बिना किसी भेदभाव के राजस्थान में हजार बारह सौ करोड़ की आज आवश्यकता है उसके लिए आपको भी प्रयत्न करने की आवश्यकता है। यह नहीं कि कांग्रेस सत्ता में बैठ गई इसलिए राजस्थान की अकाल पीड़ित जनता को राहत नहीं मिले। हमारे मुख्य मंत्री, अकाल राहत मंत्रीजी सब प्रयास कर रहे हैं उसमें आपका योगदान मिले। राजस्थान की जनता आज बहुत परेशान हो रही है, जीना दूभर हो रहा है। पेयजल की समस्या हमारे सम्पूर्ण राज-स्थान में हर जिले में, हर गांव में पैदा हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री रतन लाल ताम्बी : हैण्ड पम्प की हालत बहुत खराब है। इन सब मामलों में भी ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि जो योजनाएं चल रही हैं उनसे जनता को लाभ मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने 23 मार्च को यहां पधार कर अपने संवै-धानिक दायित्वों का जो निर्वहन किया उसके लिए तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन अभिभाषण पर भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करता हूं क्योंकि राजस्थान की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनके समाधान का नजरिया इस अभिभाषण में कहीं भी दिखाई नहीं देता, उनका समाधान इस अभिभाषण में कहीं भी नजर नहीं आता।

जहां तक सरकार की प्राथमिकताओं का सवाल है राजस्थान की अकाल पीड़ित जनता को पीने का पानी शुद्ध नहीं मिल रहा हो, उनके लिये प्राथमिकताएं नहीं हैं। जो बेरोजगार दर-दर की ठोकर खा रहा है उसके लिये प्राथमिकता नहीं है। राज-स्थान की सरकार की प्राथमिकताएं शहरों के सौंदर्यकरण की हैं। राजस्थान की सर-कार की प्राथमिकताएं उद्योगपतियों की प्राथमिकताएं हैं। राजस्थान की सरकार की प्राथमिकताएं गरीबों—दलितों की प्राथ-मिकताएं नहीं हैं।

आज अकाल से जो पीड़ित लोग हैं, किसान और गरीब हैं, उनकी सुध लेने का समय राजस्थान की सरकार के पास नहीं है। उनके लिये बहाने किये जा रहे हैं। हमारे मंत्रीजी कह रहे थे कि हड़ताल थी, चुनाव थे इसलिये हम अकाल राहत कार्य शुरू नहीं

(श्री अमराराम)

कर पाये । उनके लिये खजाने खाली होने का बहाना बनाया जाता है ।

राजस्थान के अकाल पीड़ित किसान का जो पशुधन नियमानुसार राजस्थान के पशु मेलों में बेचा जाता है फलोदी में नियमानुसार 1800 बैल–बछड़े बिके । बाहर के व्यापारियों द्वारा उन्हें 40 रेल वैगनों में चढ़ाने के बाद भी उन बछड़ों को वापस साम्प्रदायिक लोगों ने उतारने का काम किया और राजस्थान की सरकार किसान के हितों पर कुठाराघात करने वालों को रोक नहीं पायी । उसका मैसेज यह गया कि इसके बाद जितने भी मेले लगे, कोई व्यापारी नहीं आया। 5000 से लेकर 10,000 तक किसान का बछड़ा बिकता था, अकाल के कारण आधी कीमत रही और आधी कीमत भी देने के लिये किसी भी मेले में व्यापारी आज नहीं आ रहा है ।

राजस्थान की सरकार का जो सबसे बड़ा दायित्व था कानून व्यवस्था को लागू करने का, उसमें वह असफल रही है । अकाल के नाम से उनको सुरक्षा देने का काम राजस्थान सरकार ने नहीं किया है ।

बिजली राजस्थान के आधारभूत विकास की सबसे बड़ी धुरी है । उसके वायदे तो राजस्थान की कांग्रेस पार्टी ने जब 15 महीने, 18 महीने पहले विधान सभा में आयी थी, बड़े-बड़े किये थे कि भारतीय जनता पार्टी के आठ साल के शासन में जो किसान को लूटा गया है नर्सरी के नाम से उसको समाप्त किया जाएगा, जो पोल का चार्ज लिया जा रहा है उसको समाप्त किया जाएगा, रेट्स जो बढ़ायी गयी है उनको कम किया जाएगा ।

लेकिन इस सवा–डेढ़ साल के शासन में जो रेट्स घटाने का काम किया है वह यह किया है कि 9,000 वाला पोल 12,000 में पहुंचा दिया । राजस्थान की सरकार ने नर्सरी को बंद करने का आह्वान किया था लेकिन चन्द्रभानजी ने चोर योजना चालू करके 1250 की बजाय 3,000 रुपये लेने शुरु कर दिये । एस.पी. जो. योजना लागू करके राजस्थान के किसान की लूट को बंद करने का काम किया है ?

दो बजट कांग्रेस सरकार ने रखे हैं । समस्या का समाधान करने की बजाय, राजस्थान का जो अकाल से पीड़ित किसान अकाल का मुकाबला करने के लिये तैयार है उसको बिजली की रेट बढ़ा दी । हमारी सरकार घोषणा करती है कि अकाल का मुकाबला करने के लिये, हरा चारा पैदा करने के लिये किसान को बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा लेकिन आज तक एक कनेक्शन नहीं दिया गया ।

अभिभाषण में कहा गया 25,000 कनेक्शन, विद्युत मंत्रीजी ने विधान सभा सत्र में घोषणा की थी कि 25,000 कनेक्शन प्रायोरिटी के आधार पर मिलेंगे लेकिन उत्तर दें तब बता दें कि जो घोषणा की गयी है, जो महामहिम से कहलवाया गया है उसमें प्राथमिकता के आधार पर

(श्री ग्रमराराम)

कितने कनेक्शन हैं ? किसान 10 ग्रौर 16 से लेकर 18 साल तक इंतजार करता है कि उसका कनेक्शन आने वाला है लेकिन कनेक्शन प्राथमिकता वाले को चला जाता है। पहली बार राजस्थान के इतिहास में एच.पी. का 600 रुपये लगाया है।

एक तरफ पानी गहराता जा रहा है, दूसरी तरफ अकाल है। किसान उससे मुकाबला करने के लिये तैयार है। बिजली पैदा करने की घोषणा में तो पूर्व सरकार ने भी पांच हजार मेगावाट बिजली पैदा करने की बात बार-बार की थी। इस सरकार में भी मंत्री ने खड़े होकर कहा था कि राजस्थान के किसान को 8 घण्टे बिजली दी जाएगी ग्रौर ग्रगर ग्रावश्यकता पड़ी तो 10 और 12 घंटे भी बिजली दी जाएगी।

ग्राज सरकार की ग्रोर से उत्तर देने वाले बताएं कि इस फसल के मौके पर राजस्थान के किसान को कितनी बिजली दी गयी है। मात्र 2 ग्रौर 3 घंटे, ग्रौर वह भी इस स्थिति में दी गयी। एक तरफ किसान को बिजली नहीं देकर फसल जलायी गयी ग्रौर दूसरी तरफ ग्रप एंड डाउन देकर किसान की 5 से लेकर 10 दफा तक मोटर जलाने का काम भी राजस्थान सरकार ने किया है।

कोई सरकार के दर्शन करने के लिये नहीं, दिसम्बर में किसान यहां राजस्थान सरकार के सामने 50,000 की संख्या में निवेदन करने के लिये ग्राया था कि यह ग्रकाल का समय है, सरकार को बिजली की व्यवस्था करनी चाहिये। राजस्थान का मुखिया यह कह दे कि कहीं से भी लाएं हम व्यवस्था करेंगे, लेकिन सरकार ने बिजली नहीं देकर ग्रौर रेट बढ़ाकर किसान के साथ दोहरा व्यवहार किया है। राजस्थान में भा.ज.पा. के 8 साल के शासन में किसान को लूटा गया, उसे इस बार ग्राशा थी लेकिन उसकी भावनाग्रों को इस सवा साल में ठगा गया है।

राजस्थान सरकार सड़कों में खड्डे की बड़ी बात करती है, ग्राज मैं समझता हूं कि राजस्थान के गांव जो सड़क से जुड़ गये हैं लेकिन उनके खड्डे जितने भा.ज.पा. के शासन में थे उससे बढ़ाने का काम हुग्रा है। नेशनल हाइवे ठीक हो सकते हैं, स्टेट हाइवे ठीक हो सकते हैं लेकिन जो गांव को जोड़ने वाली सड़कें हैं, सवा साल के बाद भी मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं वे बता दें कि एक भी गांव की सड़क को ठीक किया हो। क्योंकि गांव प्रायोरिटी पर नहीं है, किसान प्रायोरिटी पर नहीं हैं। पर्यटक, शहर प्रायोरिटी पर हैं। गांव प्रायोरिटी पर नहीं है इसलिये गांव की सड़क ठीक नहीं होगी, गांवों में बिजली नहीं जाएगी।

ग्रभी 23 मार्च को विधान सभा सत्र के साथ ही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम हैं लेकिन राजस्थान का वह विद्यार्थी जो शहर में नहीं रह सकता, शहर का मकान नहीं ले सकता, निजी स्कूल के छात्रावास में नहीं रह सकता, जो 100 से 75 परसेंट गांव में बसता है, वह बिजली की रोशनी में परीक्षा की

(श्री अमराराम)

तैयारी नहीं कर सकता । क्या उसका गुनाह यही है कि वह राजस्थान के गांव में पैदा हुआ है ? गरीब के, किसान के घर में पैदा हुआ है ?

राजस्थान की सरकार की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है ? वही प्रश्न पत्र जो शहर में रहने वाले विद्यार्थी के सामने आएगा वही गांव के विद्यार्थी के सामने आएगा, लेकिन वह रोशनी में नहीं पढ़ सकता । वह चिमनी भी बुझाने का काम हमारे हिन्दुस्तान की सरकार ने किया है पहली बार केरोसिन को 3 रुपये से 6 रुपये करके । इस प्रकार गरीब को मोहताज किया गया है ।

राजस्थान के सामने बिजली और अकाल के अलावा सबसे भयंकर समस्या राजस्थान का वह नौजवान है जो बेरोज-गारी की लाइन को बढ़ाता जा रहा है, जो दर-दर की ठोकरें खा रहा है । राजस्थान सरकार ने चुनाव के वक्त वायदे किये थे कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, पिछले सालों से जो सरकारी नौकरियों पर पाबंदी है उसको हम हटाएंगे ।

लेकिन सरकार के प्रोविजन के बाद भी आज सवा साल में पाबंदी नहीं हटा पाये । नौकरी की बात करते हैं कि हमने स्वर्ण जयंती पाठशालाओं में नौकरी दी है पहली बार 1200रुपये में । केवल पाठशालाओं में ही नहीं, जितने भी ग्राम सेवक चयनित हैं उनको भी 1200 रुपये में नौकरी देने का काम किया है । यह नौकरी नहीं है, बेरो-जगार नौजवानों से उनकी मजबूरी का फायदा उठाने का काम है जिस तरह से किसान के साथ किया जा रहा है उसी तरह राजस्थान के नौजवान के साथ मज-बूरी का फायदा उठाने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है । पूर्ववर्ती सरकार ने जो पाबंदी लगायी थी, सवा साल बाद यह सरकार भी उसको बराबर आगे बढ़ाती जा रही है ।

आज सरकार की ओर से कह रहे हैं हम कर्मचारियों को निकालेंगे, ज्यादा हैं । तो फिर आपने चुनाव के वक्त क्यों कहा था कि हम नौकरी देंगे ? चुनाव में वोट हासिल करने के लिये, उस नौजवान के दिल को ठगने के लिये तो आपने वायदे किये और जब सत्ता में आ गये उसके बाद नौकरी पर लगी हुई पाबंदी हटाने का काम भी नहीं ? मुझे तो सरकार की ओर से उत्तर देते वक्त बता दें ।

शिक्षा के मामले में पिछले साल आपने 178 के करीब सीनियर स्कूल खोले हैं । इससे दो साल पहले भी सीनियर स्कूल खोले हैं लेकिन एक भी स्कूल में लैक्चरर आपने नियुक्त किया हो तो आप जवाब में बता दें । स्कूल खुलेंगे लेकिन स्कूल में मास्टर नियुक्त नहीं किया जाएगा । उच्च शिक्षा में 14 महाविद्यालय खुल गये हैं लेकिन एक भी कालेज लैक्चरर पिछले सवा साल के अंदर नियुक्त नहीं किया गया है ।

(15.00 बजे)

(श्री ग्रमराराम)

महाविद्यालय खोलकर उसमें. केवल एक प्रिंसिपल भेजकर ग्रथवा विद्यालयों में केवल हैडमास्टर भेजकर ग्रामीण विद्यार्थियों के साथ सरकार क्या करना चाहती है ? उनकी परीक्षाएं हो रही हैं ग्रौर स्कूल में लेक्चरार ग्राज तक नहीं भेजे गये हैं। राजस्थान का शिक्षा में आज नम्बर नीचे से है।

राजस्थान के गांवों में बसने वाले 75 प्रतिशत लोगों में दलित सबसे ज्यादा शिक्षा में पिछड़े हुए हैं। हम राजस्थान की स्थापना की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, कल पूर्ण हुई है, देश को ग्राजाद हुए 53 साल हो गये ग्रौर राजस्थान का दलित सबसे पिछड़ा हुग्रा है, सबसे पीछे की लाइन में खड़ा है। ग्राज भी सिर पर मैला ढोने की कलंकित प्रथा राजस्थान के शहरों में विद्यमान है।

राजस्थान का दलित समाज में सबसे पिछड़ा हुग्रा है ग्रौर ग्राजादी के 50-52 साल के बाद भी हम उस कलंक को मिटाने में सफल नहीं हो पाये हैं। ग्राज सबसे प्रमुख सवाल है कि ग्राजादी के 50-52 साल के बाद भी ग्रपनी रोजी-रोटी के लिए मैले को ढोने के लिए मजबूर दलित के लिए हमारी सरकार के पास चिन्ता करने के लिए दो शब्द भी नहीं हैं। 1950 में संविधान लागू होने के बाद नौकरियों में दलितों के लिए 28 प्रतिशत रिजर्वेशन का प्रोविजन हुग्रा था लेकिन ग्राजादी के 50-52 साल के बाद भी राजस्थान की सरकार के निकायों में; सरकार के कार्यालयों में जहां 28 प्रतिशत नौकरी मिलनी चाहिए थी वहां 7 प्रतिशत मिली है।

ग्राज भी उन दलितों के साथ राजस्थान में कैसा व्यवहार हो रहा है ? राजस्थान का वह गरीब दलित जो कि 80 से 90 प्रतिशत गांवों में बसता है, ग्राज उसकी क्या सामाजिक हालत है ? उपाध्यक्ष महोदय, वह ग्राज भी राजस्थान में मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकता है। ग्रगर ग्राज वह मंदिरों में प्रवेश करने की बात करेगा तो उसके सिर ग्रौर पीठ पर लाठियां पड़ेंगी। दलित जिस खेत में जाकर ग्रपना खून पसीना बहाकर पैदावार करता है उसका हिस्सा उनको नहीं मिलता। लेकिन राजस्थान की सरकार उस दलित को सम्मान देने के लिए, उस दलित को ग्रपने खून-पसीने का हिस्सा बराबर मिले इसके लिए कानून बनाने को तैयार नहीं है। महामहिम के इस ग्रभिभाषण में कहीं ग्रापको इस संबंध में दो शब्द नहीं मिलेंगे।

यदि ग्राप ग्रौर हम समाज को बराबरी पर लाना चाहते हैं, ग्रगर समाज से इस भेदभाव को मिटाना चाहते हैं तो जहां वह खून-पसीना बहाता है, जिस खेत की मिट्टी में वह ग्रपना पसीना बहाता है उसमें से उसके परिश्रम का हिस्सा उसे देना होगा। जब तक वह नहीं मिलेगा तब तक न हम शिक्षा में ग्रागे जा सकते हैं, न हम जनसंख्या पर नियंत्रण पा सकते हैं। उसकी ग्राजीविका नहीं बढ़ेगी तब तक हम कितने भी स्कूल खोल दें, कितने भी हम प्रोत्साहन दे दें, कितने ही हम उसके लिए स्कालरशिप स्वीकार कर दें लेकिन वह स्कूल में पढ़ नहीं सकता। ग्राज वह समाज की विषम

(श्री ग्रमराराम)

स्थिति है। ग्राज राजस्थान में 50-52 साल की ग्राजादी के बाद भी दलित ग्रगर घोड़ी पर चढ़कर जाने की बात करे तो....

श्री जगत सिंह दायमा : वह मैं कर लूंगा।

श्री ग्रमराराम (धोद) : सामन्ती लोगों को बहुत बड़ी चिन्ता होती है। हमें समाज को उस ग्रोर ले जाना पड़ेगा। वह सामाजिक स्थिति पैदा करने के लिए ग्राज भूमि सुधार की सबसे बड़ी ग्रावश्यकता है। राजस्थान को ग्रगर विकास की ग्रोर ले जाना चाहते हैं, राजस्थान को ग्रागे बढ़ाना चाहते हैं तो भूमि सुधार लागू करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए एक शब्द राज्यपाल महोदय के ग्रभिभाषण में नहीं है। उस ग्रोर हम नहीं जाएंगे। उलटे राजस्थान किसानों के ग्रान्दोलन के दबाव में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जो कानून लागू किये थे उनको वापस लेने के लिए ग्रागे हैं।

ग्राज शहरी सीलिंग को वापस लिया गया है। ग्राज हमारी सरकार उदारीकरण के लिए जरूर चिंतित है कि उदारीकरण लागू होना चाहिए। लेकिन उदारीकरण से राजस्थान में 80 प्रतिशत जो गांव में बसने वाले हैं, उनका उद्धार नहीं हो सकता। रोजगारविहीन विकास तो जरूर होगा; उत्पादन भी होगा लेकिन वह समाज के 80 प्रतिशत लोगों की जेब में नहीं जाएगा, उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो मैं समझता हूं कि हम राजस्थान की उस जनता के साथ न्याय नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की मूलभूत समस्याएं राजस्थान की जनता के सामने खड़ी हैं। ग्रगर सरकार उनकी ग्रोर ध्यान नहीं देगी तो ग्राने वाला समय बहुत विस्फोटक होगा क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है, मुफलिसी बढ़ रही है, सामाजिक भेदभाव बढ़ रहा है। समाज को ग्रागे बढ़ाने में सरकार को भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए।

इसलिए मैं पुनः ग्रापके माध्यम से सरकार के इस ग्रभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रापने तो कहा था कि....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : स्पीकर ग्रौर ग्रासन के बीच में नहीं ग्राते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मिलेगा, मिलेगा। चिन्ता मत करें।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं सदा ग्राऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर, ग्रार्डर। ग्रापको बोलने का समय मिलेगा।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो धन्यवाद प्रस्ताव सदन के

(श्री शिवनाथ सिंह)

सामने है मैं उसका समर्थन करता हूँ। महामहिम राज्यपाल महोदय ने यह अभिभाषण एक-दो जो परिपाटी थीं, उनसे हटकर दिया, वह लकीर से हटने को मैं अच्छा मानता हूं। सीधे-सपाट तरीके से बोले। सरकार ने एक साल में जो कार्य किये, उनका ब्योरा उन्होंने दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब हमने पिछला बजट पेश किया था, हमने अपने कर्तव्य जनता के सामने रखे थे कि इन-इन कामों को हम करेंगे। हमें खुशी है कि अभिभाषण में महामहिम राज्यपाल महोदय ने उनका विस्तृत विवरण दिया और उनकी क्रियान्विति सरकार ने की। बहुत-से जो कार्य हैं मैं इनको गिनाना नहीं चाहता, लेकिन कुछ उपलब्धियां हैं स्कूल खोलने के बाबत; कालेज खोलने के बाबत, महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी खोलने के बाबत, जो सब इस बात को दर्शाती हैं कि हमारी सरकार का सोच शिक्षा के प्रति कितना गहरा है, राजस्थान का साक्षरता का प्रतिशत देश में बहुत नीचा है उसको हम किस तरह से बढ़ाना चाहते हैं। यह सरकार इन कामों के लिए धन्यवाद की पात्र है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने कठिन परिस्थिति में होते हुए भी कुछ ऐसे कार्य किये जो वास्तव में प्रशंसा के लायक हैं। हमारे यहां स्ट्राइक चली और उसके चलते हुए इस सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव कराये हैं और जिस सफलता से कराये हैं वह वास्तव में प्रशंसा की बात है। लोगों को आशंका थी कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं हो पाएंगे, लेकिन हमें खुशी है आज यह कहते हुए कि चुनाव हुए और बहुत सुंदर ढंग से हुए। चुनाव के बाबत शिकायतें बहुत कम आयीं, यह इस बात से परिलक्षित है कि री-पोलिंग जो आम चुनावों में होता है या पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में होता है, इस बार बहुत कम प्रतिशत री-पोलिंग के हुए। इसका मतलब यह है कि चुनाव में धांधली कतई नहीं होने दी गयी।

इसलिए वास्तव में यह सरकार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने में और उससे पहले शहरी निकाय के चुनाव कराने में और कर्मचारियों की हड़ताल को सुंदर ढंग से; बिना उनको पीड़ा दिये हुए निपटाने में प्रशंसा की पात्र है। कर्मचारियों को कोई पीड़ा नहीं दी गयी; सुन्दर ढंग से मुकाबला किया गया और उनको विश्वास में लिया गया। सरकार में उन्होंने पूरा विश्वास व्यक्त किया और उन्होंने अपनी स्ट्राइक वापस ली। उनको सदबुद्धि आयी; वे भी धन्यवाद के पात्र हैं और सरकार ने इस समस्या से निपटा वह भी धन्यवाद की पात्र है।

उपाध्यक्ष महोदय; बहुत सी बातें हैं जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहीं उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ कह दिया। उन को मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूं। मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं जिनकी तरफ हमारी सरकार को ध्यान देना है। जो हमारे लैप्सेज रहे हैं उनको मैं सदन के सामने

(श्री शिवनाथ सिंह)

रखना चाहता हूं और सरकार से अपेक्षा करता हूं कि उन कमियों को दूर किया जाए।

हमारे यहां स्कूल खुले, पशुओं के औषधालय और उप केन्द्र खुले लेकिन आज तक उनकी क्रियान्विति नहीं हुई। चाहे वह 10 जमा दो हों, चाहे माध्यमिक विद्यालय हों, चाहे उच्च प्राथमिक विद्यालय हों; आज भी उनमें अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो पायी है, चाहे समानीकरण हो, चाहे किसी भी रूप में हो।

आज हमें चिंता होती है कि जिन विद्यार्थीगण को दसवीं की परीक्षा देनी है; जिनको बारहवीं की परीक्षा देनी है, उनको साल भर कोई अध्यापक नहीं मिला अपने विषय का, उन विद्यार्थियों का क्या भविष्य होगा? सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आगे आने वाले बजट में आपने घोषणा की है कि हम स्कूल खोलेंगे।

हम संतोष कर लेंगे यदि आप स्कूल न खोलें। पिछली बार जो आपने खोल दी हैं उनमें पूरी व्यवस्था करने के बाद आपके पास धन बचता है तो आप कीजिए लेकिन पहले उनकी व्यवस्था पूरी कीजिए। उनकी पूरी व्यवस्था किए बिना आप बढ़ते जा रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं मिलता है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, राजीव पाठशालाओं का बड़ा जिक्र हुआ। राजीव पाठशालाएं खोली गईं, यह बात तो साक्षरता के कार्यक्रम में है। दूर-दराज के इलाकों में जहां पहले पढ़ने का, अक्षर ज्ञान करने का हमारे बच्चों को साधन नहीं था, इन राजीव पाठशालाओं के माध्यम से उनको अक्षर ज्ञान करने का एक अवसर मिला लेकिन हमारी जो प्राथमिक शिक्षा थी वह इन राजीव पाठशालाओं के कारण पूरी तरह खतम हो गई और ग्रामीण जनता... (व्यवधान) जिस ढंग से ये पाठशालाएं खोली गईं और उनका भवन निर्माण करवाया गया, हैपहैजर्ड वे में हुआ। सरपंच ने अपनी बहू को, बेटे की बहू को, भाई को; भतीजे को अधिकांश मामलों में वहां मास्टर लगाया, वे किस प्रकार का काम करेंगे?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक साल का समय हमारा पूरा होने आया; आज हम नई पाठशालाएं खोलना चाहते हैं लेकिन इनका सर्वेक्षण होना चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए और कितनी कमियां वहां रही हैं, उनको दूर करके नए ढंग से सोचकर किस माध्यम से राजीव पाठशालाएं खोली जाएं, इसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष जी, जिस तरह से इनमें भवन बनाने की बात आई, आपको आश्चर्य होगा कि एक मास्टर बारह सौ रुपए का, दो कक्षा और तीन कमरे और वे तीन कमरे भी एक महीने के अन्दर तुमको बनाकर देने पड़ेंगे। इनके निर्माण में जो कमियां रही हैं। वह भी जांच का विषय है।

(श्री शिवनाथ सिंह)

माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप इन मामलों को देखें। जिलेवार चाहे माननीय सदस्यों से बात करें, चाहे अपने अधिकारियों से बात करें, इसके जो नतीजे सामने हैं उनसे सीख लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्षजी, पंचायती राज संस्थाओं की बात कहना चाहता हूं। चुनाव हुए, स्वागत योग्य कदम है। सुमित्रा जी प्रसन्न होंगी कि महिलाओं ने इसमें भागीदारी निभाई और 33 प्रतिशत महिलाएं आईं। यह एक राजनीतिक दृष्टिकोण है, लेकिन जो पंचायती राज की कल्पना थी उसको आपने बिलकुल बिगाड़ दिया है। सदन में बहुत-से माननीय सदस्य ऐसे हैं जो जिला प्रमुख रह चुके हैं, प्रधान रह चुके हैं।

एक समय था जब जवाहरलाल जी नागौर आए थे और हमारा नया-नया कानून बना था। उस कानून के अंदर जो अधिकार जिला प्रमुख और प्रधान को थे वे खतम हो चुके हैं। आज नौकरशाही हावी है, विकास अधिकारी सर्वेसर्वा है पंचायत समिति में और सी.ई.ओ. सर्वेसर्वा है जिला परिषद में।

उस वक्त किसी भी अधिकारी का पंचायत समिति से ट्रांसफर होता था तो यहां से जाता था कि फलां आदमी को आप के यहां बी.डी.ओ. लगाना चाहते हैं, आप अपनी सहमति दीजिए, हम फलां एक्सटेंशन आफिसर को यहां से बदलना चाहते हैं, सहमति दें। जरूरी नहीं था कि प्रधान की सहमति को माना जाए लेकिन यह परम्परा थी।

लेकिन आज पता नहीं क्या होता है। आज विकास अधिकारी का कोई भी नियंत्रण पंचायत समिति पर नहीं है। माननीय जाट साहब, विकास अधिकारी पर प्रधान का नियंत्रण नहीं है, इसे आप कई दफा उठा भी चुके हैं। इनका विकास अधिकारी मर्जी आए उसका ट्रांसफर कर देता है, ऊपर के लोगों ने कैंसिल कर दिया। उस विकास अधिकारी को कोई कहने वाला नहीं है कि तुमने यह क्यों किया। उसकी कोई जवाबदेही तो होनी चाहिए। यह एक भिनाय में नहीं है, सब जगह ऐसा ही है।

इसलिए यह जो सरकारी तन्त्र आज हावी हो गया है उसको हटाया जाए। पंचायत समिति का प्रधान और पंचायत समिति की पूरी बाड़ी पंचायत समिति की मालिक है उसका आदेश चलना चाहिए, विकास अधिकारी पर उसका नियंत्रण होना चाहिए। कभी तो समय था जब विकास अधिकारी की सी. आर. प्रधान लिखा करता था। उस वक्त एक आदर्श व्यवस्था थी, उसको हमने चौपट कर दिया कि जिला प्रमुख को डी. आर. डी. ए. का चेयरमैन बना दिया। उपाध्यक्ष जी, मीटिंग के रोज प्रिसाइड कर लो, उसके बाद ?

श्री हरिसिंह (महुवा)(मुख्य सचेतक) : क्षमा चाहता हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा-सा निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समिति में जो सबसे ज्यादा शक्ति

(श्री हरिसिंह)

सम्पन्न और निर्णय लेने की क्षमता है वह प्रशासनिक बाडी की है और प्रशासनिक बाडी का अध्यक्ष प्रधान होता है इसलिए विकास अधिकारी को उस पर किसी भी प्रकार से हावी होने की गुंजाइश नहीं है।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : मुख्य सचेतकजी, पंचायत समिति की जिस प्रशासनिक बाडी ने ट्रांसफर किया; आपकी सरकार ने कहा कि बी.डी.ओ. ने ट्रांसफर किया वह इल्लीगल है; उसके बावजूद वह ट्रांसफर स्टैण्ड कर रहा है।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, जैसा हमारे चीफ व्हिपजी ने कहा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं पूरी तरह जानकारी रखता हूं। आपकी स्टैण्डिग कमेटी प्रशासन की है, उसका कोई भी नियंत्रण विकास अधिकारी पर नहीं है; वह किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता है। वह तो सिर्फ गांव की पंचायत की अपील आई, उसका फैसला इधर कर दिया, उधर कर दिया।

लेकिन पंचायती राज का जो स्टाफ है, चाहे वह अध्यापक हो, चाहे एक्सटेंशन आफिसर हो, उस पर पंचायत समिति का एज ए बाडी नियंत्रण नहीं है, न स्टैण्डिग कमेटी का नियंत्रण है। माननीय हरिसिंह जी साहब, इसको देख लीजिए कि जो कुछ कानून में है, वही मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि प्रधान कितना शक्तिशाली है। (व्यवधान) मैं रहा हूं इसलिए मुझे मालूम है।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। कैसा प्रधान होता है वह तो हमने देखा है कि प्रधान ने विकास अधिकारी को थप्पड़ मार कर बाहर निकाल दिया; पीट दिया और गाड़ी से उतार कर कूट दिया। पहले हमारे यहां एक सदस्य थे चेनारामजी, उनका सब किया हुआ है।

यह तो हम जानते हैं लेकिन कानून में आज के दिन जो है उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था है इसलिए पंचायती राज का जो सर्वनाश आज हुआ है। ऐसा सर्वनाश पहले कभी था नहीं और आइंदा कभी हो भी नहीं सकता। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन संस्थाओं का, आप तो....

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष जी; एक-दो बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर शहर का सौन्दर्यीकरण किया गया, मैं उसका तहेदिल से समर्थन करना चाहता हूं, बिलकुल तहेदिल से समर्थन करता हूं। जौहरी बाजार के बरामदे खाली करवाए गये, ऐसा काम कोई सरकार पहले कर सकी नहीं, चाहे वह कांग्रेस की हो, चाहे बी.जे.पी. की हो। इस सरकार ने दृढ़ता के साथ इस काम को किया।

(श्री शिवनाथ सिंह)

लेकिन जिस प्रकार एक अच्छाई के साथ एक बुराई लग जाती है, आउटर एरिया में धांधली हुई। उस धांधली को रोका जाना चाहिए था। मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं मुख्य मंत्रीजी को कि उनकी जानकारी में आया तो उन्होंने फौरन इस पिक आपरेशन को बन्द किया, फिर आदेश दिया, निर्देश दिया कि कौनसी सड़क चौड़ी होगी, कितनी चौड़ी होगी, इसका हम सब ध्यान रखकर करेंगे।

माननीय उपाध्यक्षजी, इसके साथ ही मैं हमारे स्वायत्त शासन मंत्रीजी का एक स्टेटमैंट छपा है उसकी एक लाइन निवेदन करना चाहूंगा कि सड़कों को चौड़ा करने के झूठे निशान लगा दिए। यह माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का स्टेटमैंट है।

उनका कहना है कि कुछ गलत लोगों ने चाहे बी.जे.पी. के इशारे पर हो, चाहे कोई भी हो, यह धांधली की और गलत निशान लगा दिए। उनका स्टेटमैंट ठीक है, लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष जी, आज तक उन लोगों को जिन्होंने गलत निशान लगाकर लोगों से रुपया हड़पा है, लोगों को तंग किया है, लोगों को डराया–धमकाया है और उनसे न जाने क्या-क्या नाजायज फायदे लिए हैं, उनको चिन्हित करके क्या आपने कार्यवाही की ? बहुत–से लोग जो समाज में दण्डनीय हैं, आपकी सरकार है, आपके सामने सब फैक्टस हैं, उस मामले में यदि एक भी आदमी को आपने चिन्हित किया हो कि फलां आदमी ने गलत निशान लगाये तो हम मानते हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि स्टेटमैंट के ऊपर स्ट्रिक्ट रहें और जिन लोगों ने भी यह गड़बड़ी की है, उन लोगों को दण्डित किया जाना चाहिए।(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष जी, एक-दो मिनट, ज्यादा नहीं कहूंगा।

रिटायरमैंट एज के बाबत हमारे प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय ने कहा। आप तो बहुत पीड़ित हैं, आप भावुक आदमी हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। इन्होंने कहा कि रिटायरमैंट की एज कम करके रिटायर तो कर दिया, लेकिन नये युवकों को भर्ती नहीं किया, उनको रोजगार नहीं दिया।

मैं माननीय कटारिया जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार है, यह एम्प्लायमैंट ब्यूरो नहीं है। सरकार का कर्तव्य है रोजगार के साधन मुहैया कराना। सरकार का कर्तव्य नौकरी देना नहीं है। नौकरी उतने ही आदमियों को देंगे जितना हमारे पास काम होगा। यह तो पिछले दिनों में अनाप-शनाप भर्तियां कर ली गई हैं उसका भुगतान हमको देना पड़ रहा है और हमारा समाज व हम उसको भुगत रहे हैं।

आज जमाना ऐसा आ गया कि कम से कम नौकरियां हों। अधिक काम साइंटिफिक बेस से होता है। माननीय कटारिया साहब, आपको पीड़ा जरूर है, लेकिन

(श्री शिवनाथ सिंह)

सरकारी खजाने को देखिए और हमारे कर्तव्य को देखिए; सरकार को लोग उतने ही रखने पड़ेंगे।

मेरा तो निवेदन इतना है कि सरकार को और भी छंटनी करनी चाहिए। बड़े-बड़े अफसर बैठे हैं जिनके पास दिन भर में पांच फाइलें नहीं आती हैं। बहुत-से बाबू बैठे हैं जिनके पास दिन भर में पांच फाइलें नहीं आती हैं। बहुत-से बाबू बैठे हैं जिनके पास दिन भर में एक घण्टे का काम नहीं है, दिन भर गटरगश्ती करते हैं। इसलिए उनके काम का मूल्यांकन होना चाहिए। प्रशासनिक सुधार आयोग ने कुछ सिफारिशें की हैं उसके आधार पर और भी छंटनी होनी चाहिए। जितना आवश्यक हो उतना ही सेवाओं में हम नौकर रखें; उससे अधिक नहीं रखें।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आखिर में मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा। यह अकाल का समय है और अकाल में सरकार काम कर रही है। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, माननीय वित्त मंत्री महोदय, कि विधायक और एम.पी. कोटे का रुपया काकटेल होने की बात चल रही है। पहला साल खत्म हुआ, इस अमाउण्ट को आप जल्दी रिलीज कर दें ताकि माननीय विधायक अपना काकटेल करना चाहें तो उस रुपये को उसके साथ लगा दें।

यदि इसका इंडिकेशन जिला अधिकारियों को चला जाता है तो उसमें उसका फायदा हो सकता है। दो-तीन महीने बाद में वह जाएगा तो वह समय निकल जाएगा। इसलिए रुपये के प्रावधान का इंडिकेशन चला जाना चाहिए।

माननीय विद्युत मंत्रीजी यहां नहीं हैं, उन्होंने बिजली के मामले में....

श्री उपाध्यक्ष : विद्युत पर अलग से चर्चा होगी जब बोल देना।

श्री शिवनाथ सिंह : वैसा कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे उतना ही बोलूंगा मैं तो, ज्यादा नहीं बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम जी।

श्री शिवनाथ सिंह : इसलिए मैं इस प्रस्ताव को समर्थन देता हूं और मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करना चाहूंगा...

श्री उपाध्यक्ष : अमराराम जी तो बोल लिए। रतनाराम जी।

श्री जगत सिंह दायमा : हमारी पार्टी को समय दें।

श्री उपाध्यक्ष : दे रहे हैं, चिन्ता क्यों कर रहे हो? अभी दे रहे हैं, तुरन्त बाद आपको दे रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : इधर से तीन, फिर आपके एक।

श्री उपाध्यक्ष : आप चिन्ता मत करो।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अमरीका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के रिमार्क को ध्यान में रखें कि हमारे मुख्य मंत्रीजी मोस्ट ब्यूटीफुल हैं, वैरी ब्यूटीफुल हैं। मैं कहूंगा, उनके सदस्य भी बहुत ब्यूटीफुल हैं, भाषण बहुत ब्यूटीफुल है, इसलिए निर्विरोध, सर्वसम्मति से इस धन्यवाद प्रस्ताव को पास करें; मेरा इतना ही निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनाराम जी।

श्री जगत सिंह दायमा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री जगत सिंह दायमा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। ये आपसे पहले खड़े हुए हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, आदमी के लिए ब्यूटीफुल शब्द यूज नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष : आपसे पहले ये खड़े हैं बोलने के लिए।

श्री जगत सिंह दायमा : पहले मैं हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, ये हो गये आपसे पहले।

श्री जगत सिंह दायमा : हैंडसम हो सकता है, ब्यूटीफुल कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना समय खो रहे हो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना-सा माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि उम्र घटाने का मैंने विरोध नहीं किया। आपने कहा कि हम नौकरी देने के लिए उम्र घटा रहे हैं इस बात के लिए मैंने अपनी बात कही थी कि उम्र घटाएं तो नौकरी भी दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतना राम जी।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सदन में माननीय राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया, उनके धन्यवाद का प्रस्ताव श्री लक्ष्मण सिंहजी रावत साहब ने रखा है, उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने हमको समय दिया है इसलिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं।

बात यह है कि सवा साल हुए इस सरकार को आये। पहले आठ साल तक +++ सरकार थी, बहुत समय के बाद हमारी कांग्रेस की सरकार सत्ता में आयी।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रतनाराम चौधरी)

आते ही जनहित में बहुत बढ़िया काम इसने हाथ में लिए, इसलिए हम तो धन्यवाद उनको देते ही हैं, आम जनता भी उनकी सराहना कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, गांवों में, ढाणियों में उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो दूर-दराज के स्कूलों में जा नहीं सकते थे, गांवों के मोहल्लों में ही राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती स्कूल खोलकर पूरे हिन्दुस्तान में बहुत बढ़िया पहल की है। इसके लिए अशोक जी एवं इनकी सरकार के सभी साथी धन्यवाद के पात्र हैं।

यही नहीं, राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती स्कूलों में गांवों में जो पढ़े-लिखे बच्चे ओवरएज हो गये थे, जिनकी नौकरी की आशा छूट गयी थी उन बच्चों को चयन किया गया। बिना ट्रेनिंग किये हुए 16 हजार लड़कों को नौकरियां दिलायीं, इसलिए भी धन्यवाद के पात्र हैं। उसमें 4–6 महीनों में उन बच्चों ने जो मन से पढ़ाया, उस 4-6 महीने में बच्चे किताब पढ़ने के योग्य हो गये। राजीव गांधी पाठशाला में बच्चों व बालिकाओं की 60 से 125 तक की संख्या है। उसमें एक ही शिक्षक काम कर रहा है।

हमारी मांग है कि उसमें एक मास्टर और लगाएं। पंचायत, पंचायत समिति के प्रधान व एम.एल.ए. की कमेटी बनाकर उसमें चयन करके छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक लगाने का आदेश दें जिससे और भी सुचारू रूप से ये स्कूल चल सकें और राजस्थान में शिक्षा की बड़ी भारी कमी दूर की जा सके। इनके भवन की राशि भी इस बजट में शायद कम दी गई है।

पहले प्रत्येक पंचायत में स्कूल खोलते ही भवन बन गये थे, इसके लिए तो धन्यवाद देते हैं, लेकिन उस गांव में दो-तीन स्कूल और खुल गये, वे बिना शाला भवन के हैं। उनमें बच्चे बरसात के समय में, धूप के समय में आकाश के साये के नीचे पढ़ रहे हैं, वृक्षों के नीचे पढ़ रहे हैं। उनके लिए भी भवन की कुछ न कुछ व्यवस्था कराने की कृपा करें।

बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पश्चिमी राजस्थान में भयंकर अकाल है। अकाल में हमारी सरकार ने गत वर्ष भी बहुत बढ़िया काम किया था, केन्द्र में बी. जे. पी. की सरकार होते हुए भी। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया 22–23 करोड़ की मामूली सहायता दी गयी। उसकी एवज में 550 करोड़ रुपये खर्च करके राजस्थान सरकार ने बहुत लोगों को मजदूरी दी, काम दिया इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद के पात्र हैं।

इस साल हमारी सरकार ने नाड़ी खुदाई का काम हाथ में लिया है, परन्तु गत वर्ष कुछ काम अधूरे छूट गये थे जैसे एनीकट हैं, सिंचाई के बांध हैं, बाढ़ बचाव के कार्य हैं उनको हाथ में लेना अति आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। अभी हमारी सरकार ने मिट्टी का काम ही शुरू किया है, बाढ़ बचाव के लिए एनीकट को जो

(श्री रतनाराम चौधरी)

फिनिसिंग चाहिए उसमें पत्थर लगाने की जरूरत होती है। अगर पत्थर नहीं लगेगा तो जो रेती डाली गयी है, रेत की दीवार बनायी गयी है वह आने वाली बरसात में ही बह जाएगी और सारे पैसे बेकार चले जाएंगे इसलिए थोड़ा पक्के कामों के भी निर्माण कार्य करवाने की जरूरत है।

दूसरी बात जो पहले पूर्व वक्ताओं ने भी कही कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के साथ साथ प्रेम के साथ में वास्तविक स्थिति को बताते हुए इस राज्य सरकार ने कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त करवायी और उनका तालमेल बैठाकर सुन्दर वातावरण बनाया; इसके लिए भी राज्य सरकार धन्यवाद की पात्र है। हड़ताल के समय में कई जन प्रतिनिधियों को एवं कई उम्मीदवारों को भी यह भरोसा नहीं था कि चुनाव हो पाएंगे परन्तु अभी शिवनाथ सिंह जी ने भी बताया कि बिना किसी गड़बड़ और किसी प्रकार की कोई दिक्कत के पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव करवाये गये। इसलिए भी यह सरकार धन्यवाद की पात्र है।

काश्तकारों को ऐसे भयंकर अकाल के समय पशुओं के लिए चारे की जरूरत है। दूसरे लोगों ने तो अपने मवेशी छोड़ दिये परन्तु स्वाभिमानी किसान जब तक शरीर में प्राण हैं तब तक अपने पशुधन को बचाये रखना चाहता है। किसान ने अपने घर की सारी आमदनी को बेचकर अपने प्यारे पशुओं को बच्चों की तरह पाला, उनको इस तरह भूखा-प्यासा नहीं छोड़ सकता।

इस तरह से पाले-पोसे मवेशी अभी तक पकड़ रखे हैं, लेकिन अब गर्मी का मौसम है, चारे की बड़ी भारी कमी आएगी इसलिए गौशालाओं को प्रति पशु जो आपने पैसे देने की घोषणा की है, इसी तरह किसान के घर में जो पशु हैं उन पशुओं के लिए भी सरपंच, पटवारी या प्रधान लोगों के प्रमाण पत्र के आधार पर सहायता दी जाए जिससे पशुधन बचाया

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

जा सके। साहब; मैं जल्दी ही समाप्त कर दूंगा।

दूसरी बात; अकाल के समय में बिजली बहुत ही अहम मुद्दा है। किसानों के लिए एक मात्र जीविका का साधन बिजली ही है। गत वर्ष तो 8 घण्टे बिजली दे दी परन्तु इस वर्ष बिजली की कमी रही। हम असत्य बात नहीं कहने के लिए तो विधान सभा में कसम खाये हुए हैं; इसलिए बिजली की व्यवस्था सुधारी जाए। जो हमारे बजट में 33 के.वी. के 100 ग्रिड सब स्टेशन बनाने की बात की गयी है उसके अनुसार बजट मुहैया करवाया जाए।

पहले एक रेवेन्यू अभियान चलता था उसमें एम.एल.ए., प्रधान, सरपंच; तहसीलदार और एस.डी.ओ. ये सारे पंचायत हैडक्वार्टर पर जाते थे और रेगुलराइजेशन जैसे छोटे-मोटे मामलों का मौके पर पंचायत हैडक्वार्टर पर ही निपटारा हो जाता

(श्री रतनाराम चौधरी)

था । मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि विधान सभा सत्र समाप्त होते ही एक ऐसा आदेश जारी करें जिससे सारे जन प्रतिनिधि पंचायत हैडक्वार्टर पर बैठें । गांवों के रेवेन्यू सम्बन्धी मामले, नामान्तरण की छोटी-मोटी समस्याएं इत्यादि का समाधान पंचायत हैडक्वार्टर पर ही हो सकता है ।

हमारे दूरदर्शी और युवा मुख्य मंत्री ने राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं खोलकर केवल राजस्थान में ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान में एक अच्छा संकेत दिया है, उससे राजस्थान की जनता तो खुश है ही, हम जन प्रतिनिधि भी आपके इस काम की कद्र करते हैं । आपकी पूरे हिन्दुस्तान में वाहवाही हो रही है । यही बात कहते हुए मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हमारे लक्ष्मण सिंह जी रावत साहब ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हुआ मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि जनहित में जो आपने कदम उठाये वे बहुत ही सराहनीय हैं और बहुत बहुत धन्यवाद के आप पात्र हैं । जयहिन्द ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगत सिंह जी । माननीय, समय का ध्यान रखें ।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : साहब, दस मिनट तो मेरे दल के हैं और 10 मिनट जनता दल वाले, राष्ट्रीय जनता दल, दोनों ही मेरे पास हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों को पांच-पांच मिनट हैं ।

श्री जगत सिंह दायमा : मिलकर दस मिनट हो गये ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार रखने के लिए जो आपने मुझे समय दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं आज काफी खुश हूं ।

विधान सभा का पहला सत्र चला इससे पहले 6 महीने साल का जो समय बीता तब बाहर गलियारों में ये चर्चाएं थीं कि जो नया सी.एम. पिछड़े वर्ग का बना है वह फैसले लेने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता । उनके बारे में बड़ी फिजूल बातें सुन रहे थे ।

लेकिन आज मैं कह सकता हूं एक साल के बाद में कि हमारे मुख्य मंत्री में काफी क्रांतिकारी मोड़ आया है । ऐसे समय में जबकि हड़ताल चल रही थी कर्मचारियों की और कर्मचारियों से कहा गया कि आज राजस्थान की हालत बहुत कमजोर है, आपकी मांगें मान ली जाएंगी परन्तु वे नहीं माने ।

मैंने भी अपने विचार उनके साथ जोड़ते हुए यह कहा था कि राजस्थान बहुत गरीब, पिछड़ा प्रदेश है, इसमें अगर आप

(श्री जगत सिंह दायमा)

काम नहीं करेंगे तो यह और भी पिछड़ जाएगा। आपको विरोध जताना है जताइये, कोई मांग करनी है कीजिये परन्तु कम से कम काम तो आपको करना चाहिए।

उन्होंने 64 दिन तक हड़ताल की। हड़ताल के दौरान यह कहा जा रहा था कि पंचायतों के चुनाव नहीं होंगे। परन्तु मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसी विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने पंचायतों के चुनाव कराये और पंचायतों के चुनाव कराकर एक बहुत ही सराहनीय काम समय पर किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, पिछली सरकार जब थी उस समय से ही अतिक्रमण की बड़ी चर्चा हो रही थी, बरामदे खाली कराने के लिए बड़ी चर्चा हो रही थी। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने आदेश दिये थे कि जो जनता की जगह है उसको खाली किया जाना चाहिए। परन्तु मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं; उनके इस कदम को एक ऐसा कदम कहा जा सकता है जिसकी तुलना मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से कर सकता हूं। वह इसलिए कर सकता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का राज होता तो उनके घर में अटैची आ जाती और ये बरामदे कभी खाली नहीं होते।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : राज्य सभा हो बहुत है।

श्री जगत सिंह दायमा : राज्य सभा के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी पार्टी को बांधे रखा और बांधे रखकर जो उनका तीन सीटें जीतने का इरादा था वह पूरा किया। हमने भी मदद की। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, यह सब कुछ होते हुए भी थोड़ा दुःख है। वह दुःख यह है कि जब आप मुख्य मंत्री नहीं थे तब आपकी प्राथमिकता यह थी कि दलित वर्ग, पिछड़े वर्ग और महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है....

श्रीमती बीना काक : महिलाओं पर अत्याचार तो बिलकुल खत्म हो गया।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं बताता हूं आपको। कानून व्यवस्था सुधारने की मेरी प्राथमिकता रहेगी। आपने सुधारा, मैं मानता हूं। महिलाओं पर अत्याचार पहले जितने हुए उससे कम हुए, मैं इस बात को मानता हूं। परंतु मेरा मानना कुछ और भी है।

मेरा कहना यह है कि एक भी अपराध होता है तो क्यों होता है? आपकी दृढ़ इच्छाशक्ति होती है उसकी तरफ आप ध्यान देते हैं। आपकी दृढ़ इच्छाशक्ति थी कि मैं बरामदों को खाली कराऊंगा, शहर को सुन्दर बनाऊंगा तो वह आपने करके दिखाया। परन्तु जो आप चुनाव से पहले कह रहे थे कि कानून व्यवस्था मेरी टाप प्राथमिकता पर रहेगी, उसमें आपने निश्चित रूप से कुछ सुधार किया पर पूरे तरीके से ध्यान नहीं दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, बगरू में एक महिला मिली, आठ लोगों ने 5-7 दिन तक बलात्कार किया....

श्री मदन दिलावर : धन्यवाद दे दो।

श्री जगत सिंह दायमा : आप सुनो तो सही। धन्यवाद तो आपको दूंगा जो आप ने कर्म किये हैं।

गौजगढ़ में एस.सी. की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। भांवरा गांव में पुलिस ने तीन महिलाओं को नंगा करके घुमाया। थाना भीम में 26-2-2000 को समुलिया गांव में दूल्हे को घोड़ी से उतारा। पीसांगन में लेठन गांव में 7-3-1999 को फिर एस.सी. वर्ग के लोगों को घोड़ी से उतारा, मनुवादियों ने उतारा। खेड़ली थाने में आड़ोली गांव में भी 20 जून, 1999 को फिर एस.सी. के दूल्हों को घोड़ी से उतारा। मावली थाने के ढूंढला ग्राम में 24-10-99 को दूल्हे और उसके बाप को मनुवादियों ने पेशाब पिला दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम के भाषण दिलाकर आप यह कहते हो इनका कोई मतलब नहीं होता। जिस वर्ग ने सवा साल पहले आप पर विश्वास करके आपको 155 की संख्या में यहां बिठाया, आखिर में उस के लिए आप क्या कर रहे हो ?

अगर भारतीय जनता पार्टी के राज में, और कांग्रेस के राज में दोनों में इसी तरह दलित वर्ग के ऊपर अत्याचार होते रहे तो आखिर दलित वर्ग का कौन रखवाला है ?

मुझे बहुत दर्द है इस बात को लेकर के कि हर व्यक्ति किसान का बेटा हूं मैं, मुझे बात करनी चाहिए परन्तु दलित वर्ग के ऊपर एक लाइन बोलकर अपनी बात पूरी कर लेते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि 155 की संख्या आयी उसमें दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग और माइनोरिटी ने आपका साथ दिया जब जाकर आपको 155 की संख्या आयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो माइनोरिटी सोच ही नहीं सकती थी जिनको एक भी वोट देने की, उस पर क्या हो रहा है ? टोंक में अभी हुआ। एक इमाम अपनी कलन्दरी मस्जिद में बैठा हुआ था उसको मार दिया गया। मैं स्वयं वहां गया। दीवारों पर खून बिखरा हुआ था। मेरे साथी भाई माहिर आजाद जी भी साथ थे। दीवारों पर खून बिखरा हुआ था। कहना चाहिए, कम्बलों पर वे जलाये गये। हालत खराब हो रही है। पैसा इतना खर्च होता है, सब कुछ होता है, पर अगर जान-माल की ही रक्षा हम नहीं कर पाये तो यह पैसा किस काम का है ? यह पहला मौका है जब कि किसी इमाम को किसी मस्जिद में ही मार दिया गया।

फिर यह मुझे बताइये कि क्या हुआ ? कुछ भी नहीं हुआ। जो वर्ग आपके साथ में जी–जान देने के लिए तैयार है, मरने के लिए भी तैयार है, आखिर उसकी रक्षा नहीं हो पा रही है तो हम किसको दोष दें ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा

(श्री जगत सिंह दायमा)

ही ढांचा आपने भी रखा जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के समय में था, तो फिर कोई चेंज होने वाली बात नहीं है। मुख्य मंत्री जी पिछड़े वर्ग के हैं और जो वे सोचते हैं वह करके भी दिखाते हैं।

मैं पूर्ण उम्मीद रखता हूं कि आगे से एक भी दलित वर्ग के दूल्हे को घोड़ी से उतारा जाता है तो उसके लिए पूरी जिम्मेदारी माननीय मुख्य मंत्रीजी की होगी, होम मिनिस्टर की होगी, और किसी की नहीं होगी। वहां के अधिकारी को पाबंद कीजिये, कलेक्टर और एस.पी.को उत्तरदायी बनाइये कि एक भी घटना इस तरह की नहीं होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कानून व्यवस्था के बाद में भ्रष्टाचार की कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : लास्ट बात।

श्री जगत सिंह दायमा : एक बात और फिर लास्ट। कोई ऐसी बात तो है नहीं कि जो बहुत खराब लगी हो। उपाध्यक्ष महोदय, 10 मिनट भी नहीं हुई, चार मिनट हुई है अभी।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले जो हमारे मुख्य मंत्री थे उनके साथ हम10 साल तक घूमते रहे और कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बनाया। माहौल क्या बनाया ? कि वे जगह–जगह कहते थे कि आज गरीबों को पानी नहीं मिल रहा है; आज गरीब लुट रहे हैं, गरीबों के मकान नहीं हैं, गरीबों को रोजगार नहीं है। वे कहते थे कि यह कहां से मिले ? इस राजस्थान में ही नहीं, पूरे मुल्क में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और जब तक यह भ्रष्टाचार की खिड़कियां बन्द नहीं होंगी तब तक आपको न पानी मिलेगा, न न्याय मिलेगा, न आपके बच्चों को पढ़ाई मिलेगी, न बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इस तरह का माहौल उन्होंने 10 साल तक किया।

परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कुछ अधिकारियों की लिस्ट तो बनाई परन्तु उस लिस्ट को बनाकर बैठ गये। उनसे काम लेते रहे, अपना समय पूरा कर लिया और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कुछ नहीं किया। आज 42 भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट यहां पड़ी हुई है, दो बार चर्चा भी हो गई है मंत्रिमण्डल में आखिर कैसी सरकार है। अगर आप उनके ऊपर फैसला नहीं ले सकते तो मैं कह सकता हूं इस बात पर कि फिर कोई ऐसी सरकार नहीं होगी।

मैं तो हो सकता हूं पावरफुल, परन्तु 155 की संख्या, मुझे नहीं लगता कि मेरी भी आएगी। मेरी संख्या 101 हो सकती है; 102 हो सकती है परन्तु 155 की संख्या वाले मुख्य मंत्रीजी भी अगर भ्रष्ट अधिकारियों को, जो 42 अधिकारी हैं उनके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तो कौन लेगा ? आप बार–बार कहते हैं कि यह सरकार अगर कोई काम नहीं कर सकती

(श्री जगत सिंह दायमा)

तो कोई सरकार नहीं कर सकती, तो उन 42 भ्रष्ट अधिकारियों को आप कब सस्पेंड कर रहे हैं या उनको कब बाहर निकाल रहे हैं ? (व्यवधान) बता देना। मेरे भाई अशोक जी ने कहा था कि मेरे घर आ जाना।

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बहुत चरम सीमा पर है। मुख्य मंत्रीजी, आपने कहा था कि जब मेरी सरकार होगी तो मेरे मंत्रिमण्डल के लोग अपनी सम्पति की घोषणा करेंगे, विधायक भी करेंगे पार्टी के। परन्तु आज तक अपनी सम्पत्ति की घोषणा नहीं कर पाये। मैं चाहता हूं कि अगर सम्पत्ति की घोषणा....

अनेक माननीय सदस्य : सब ने कर दी। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : हमारे पास तो कोई परिपत्र पहुंचा नहीं है। आपने अपने घर में की होगी, अपनी पार्टी में की होगी परन्तु सार्वजनिक तौर पर आपने नहीं की है। मैं चाहता हूं कि उस सम्पत्ति का ब्योरा यहां पर विधान सभा में पेश किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : दो मिनट और, मैं समाप्त ही कर रहा हूं। मैं एक अच्छी बात कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब अपनी सम्पत्ति की घोषणा भी कर दो (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप भी अपनी सम्पत्ति की घोषणा कर दो।

श्री जगत सिंह दायमा : सिर्फ लास्ट निवेदन है। मेरी सम्पति की घोषणा यह है। मेरा एक मकान मैंने छोटे-छोटे चार क्वार्टर यू. आई. टी. से लेकर अलवर में बनाया। एक मैंने हाउसिंग बोर्ड का लिया। (व्यवधान) मैं सम्पत्ति की घोषणा कर रहा हूं। एक मकान मेरा हाउसिंग बोर्ड का यहां है, जो स्केलेटन लिया था। मैंने किश्तों में अपना काम किया है। मेरे पास में पौने तीन बीघा जमीन है और मेरे बैंक में आज की तारीख में 8-10,000 बाकी रुपया है। बाकी जो पैसा है वह सरकार का है।

एक माननीय सदस्य : गाड़ी-घोड़ों की भी बता दो।

श्री जगत सिंह दायमा : गाड़ी-घोड़ों की तो बात है, मेरी जो गाड़ी है....

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। श्री ललित भाटी।

श्रीमती सुमित्रा आर्य : इनके जितनी पत्नियां थीं उनको अलग-अलग बांटने के लिए इनके पास कुछ नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित भाटी। समाप्त कीजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, सिर्फ एक निवेदन है मेरे पास जो गाड़ी है वह पार्टी की गाड़ी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : पत्नियों की बात कर रहे हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : वह तो मेरे पास है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को कि आपने मितव्ययता के बारे में ध्यान दिया कि फिजूलखर्ची नहीं होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस तरह का कदम उठाया तो सही। इस सरकार में मुख्य मंत्रीजी और विपक्ष में बैठे हमारे विपक्ष के लीडर माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत और एक हमारे महामहिम इनमें से महामहिम की बात तो मेरी समझ में आती है परन्तु दोनों जन प्रतिनिधि हैं, ये घोषणा करके अगर फिजूलखर्ची दोनों मिलकर करते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा?

आप बताइये दोनों एक ही पलड़े में बैठकर फिजूलखर्ची करते हैं तो फिर क्या कहा जाएगा राजस्थान के लिए? अभी 3-4 महीने पहले इलाहाबाद में एक फंक्शन हुआ, महामहिम के पोता हुआ, उस फंक्शन में हैलीकाप्टर यूज हुआ। मैं महामहिम के लिए कुछ नहीं कह रहा हूं, कुछ नहीं कह रहा हूं, वे यूज कर सकते हैं हैलीकाप्टर। परन्तु हैलीकाप्टर इलाहाबाद गया उनको छोड़ने, फिर वापस आया। फिर यहां से मुख्य मंत्रीजी को और दो–चार लोगों को फिर लेकर गया, फिर वापस आया। फिर माननीय भैरोंसिंह जी के लिए हैलीकाप्टर आया और लेकर गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये। समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां सदन में महामहिम के बारे में किसी भी प्रकार की बात नहीं की जा सकती।

श्री जगत सिंह दायमा : आप फिजूलखर्ची की बात कर रहे हैं, मैं उसकी तरफ निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप थोड़ा बड़प्पन रखिये। समाप्त कीजिये इस बात को। श्री ललित भाटी, आप शुरू कीजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : आप उसको देखकर कि उसमें.... (व्यवधान) आप फिजूलखर्ची को रोकने की बात कर रहे हैं, उसमें विपक्ष का लीडर और पक्ष का लीडर भी शामिल है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा समय नष्ट हो रहा है। ये सारा समय खींच रहे हैं। फिर बाद में

(श्री रामस्वरूप)

आप हमारा मना कर दोगे कि आप नहीं बोलोगे। समय निर्धारित होना चाहिए सभी का।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित भाटी।

श्री जगत सिंह दायमा : ....यह गरीब प्रदेश है, आपके मंत्रिमण्डल के जो लोग हैं उनको साइकिल पर आना चाहिए, उनको कार नहीं देनी चाहिए अगर इस प्रदेश का भला करना चाहते हैं तो। उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित भाटी।

श्री जगत सिंह दायमा : मैंने 4-5 बातों पर आपको विशेष तौर पर कहा है मैं आशा करता हूं कि इनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी अच्छी तरीके से इसके लिए काम करें। उन्होंने अभी काम शुरू किया है, अच्छा कार्य करेंगे तो हम उनके साथ हैं। धन्यवाद।

श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव इस सदन में रखा है उसके समर्थन के ऊपर मैं अपनी अभिव्यक्ति के लिए खड़ा हुआ हूं।

सवा साल पहले हमारी सरकार जनता का विश्वास लेकर इस सदन में आई। मैं आपके माध्यम से इस सदन को बतलाना चाहता हूं कि हमारे से पूर्ववर्ती सरकार जब सत्तारूढ़ हुई तो उसने भय, भूख और भ्रष्टाचार समाप्त करने का बड़ा लोक लुभावना नारा इस प्रदेश की जनता को दिया था, पर उनके ही शासनकाल में यह अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा। समाप्त वे कर नहीं सके और प्रदेश की त्रस्त जनता ने हमारे नौजवान प्रदेशाध्यक्ष की अगुवाई में कांग्रेस को एक ऐतिहासिक जन समर्थन दिया; मैंडेट दिया और 155 की यह संख्या पहुंची है। किसी भी राजनैतिक दल के लिए सबसे बड़ा प्रमाण पत्र अगर किसी के द्वारा दिया जाता है तो इस जनतांत्रिक प्रणाली में जनता के द्वारा दिया जाता है और यह प्रमाण पत्र कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की जनता ने दिया है।

जीतने के बाद पहला बजट इस कल्याणकारी सरकार ने पेश किया है, उसका यह दस्तावेज आज सदन में चर्चा में है। एक साल में जो कल्याणकारी काम, जनहित के काम किये गये हैं उनसे प्रदेश की जनता भी भली-भांति परिचित है और इस सदन के सभी माननीय सदस्य भी परिचित हैं। आते के साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों का मानदेय बढ़ाने की बात सरकार ने की है। वह इस बात का सिंबल है कि जिन्होंने देश की आजादी में इस प्रदेश में योगदान दिया है, हम उनको कम से कम कुछ सम्मानपूर्वक राशि दे सकें। उनका मानदेय हमने 1000 से बढ़ाकर 1500 किया।

जैसा मैंने अपनी बात में कहा, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी ए.सी.आर. जनता

(श्री ललित भाटी)

(16.00 बजे)

सरकारी कर्मचारियों की तो उनके उच्चाधिकारी भरते हैं और उस हिसाब से उन का लेखा-जोखा मान लिया जाता है कि किसका काम संतोषप्रद है और किस का नहीं है। 155 की संख्या यह हुई। उसके बाद दो बार, तीन बार हमें जनता के बीच में जाने का मौका मिला। विधान सभा चुनाव हो जाने के बाद नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव हुए....

श्री ज्ञानदेव आहूजा : लोक सभा के ?

श्री ललित भाटी : उसको आप याद करके बैठो और थोड़ा शांति बरतो।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह अतिक्रमण भी हटाना पड़ेगा, यह भी अतिक्रमण ही है।

श्री ललित भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, नगर पालिका चुनाव में और पंचायत चुनाव में जनता ने पूरा विश्वास कांग्रेस पार्टी के अंदर व्यक्त किया। जो परिणाम सामने आये वह इस बात का अपने आप में खुला चिट्ठा है कि विधान सभा चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से सरकार ने काम करना शुरू किया उससे कांग्रेस के कार्यक्रमों के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा, उसकी आस्था बढ़ी और उन्होंने कांग्रेस के कार्यक्रम को और मजबूती प्रदान करते हुए कांग्रेस के नुमाइंदों को विजयश्री दी, विजय माला उन्हें पहनाई। जिन विषम परिस्थितियों के अंदर मुख्य मंत्रीजी ने और पंचायती राज मंत्रीजी ने चुनाव कराये उसकी सभी ने यहां पर मुक्त कंठ से प्रशंसा की है, वे प्रशंसा के पात्र हैं।

बड़ी संदिग्ध परिस्थितियां बन रही थीं, लग रहा था कि इस संवैधानिक दायित्व को पूरा कर पाएंगे या नहीं, पर इस उत्तरदायित्व को बखूबी और सफलतापूर्वक पूरा किया गया कांग्रेस को मजबूती प्रदान करते हुए। इसके लिए मुख्य मंत्रीजी और पंचायती राज मंत्रीजी साधुवाद और बधाई के पात्र हैं। पंचायती राज का सपना मात्र महात्मा गांधीजी का हो, बात यहीं आकर समाप्त नहीं हो जाती। इस सपने को साकार और सुदृढ़ करने का सपना हमारे लोकप्रिय नौजवान स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने भी देखा था कि यह संवैधानिक उत्तरदायित्व बने ताकि टालमटोल नहीं हो सके।

इसके पहले यह होता था कि पंचायती राज के चुनाव करा लें तो मरजी और नहीं करा लें तो मरजी। लेकिन उसको संवैधानिक रूप से एक ठोस अमली जामा पहनाने का काम स्वर्गीय राजीव गांधी ने किया और 73वां संविधान संशोधन किया गया। तो राजीवजी के सपने को साकार करने का काम जिस तरीके से विषम परिस्थितियों में राजस्थान के अंदर हुआ है, यह अपने आप में एक मील का पत्थर है जिसको आने वाले समय के अंदर एक उदाहरण के रूप में देखा जाएगा कि चाहे

(श्री ललित भाटी)

परिस्थितियां कैसी भी विषम बनी हों, मगर उस उत्तरदायित्व के निर्वहन में मुख्य मंत्रीजी, पंचायती राज मंत्रीजी ने कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही मैंने कहा कि सवा साल के अन्दर हमें तीन बार जनता ने प्रमाण पत्र दिया और एक्सीलेंट का प्रमाण-पत्र दिया। यह इस बात का द्योतक है कि जिस रीति-नीति को लेकर और जिन कार्यक्रमों को लेकर हम चल रहे हैं उनसे प्रदेश की जनता को राहत मिल रही है और जनता का जन समर्थन हमारे साथ में जुड़ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने का काम भी हमारे इस एक साल के अंदर किया गया। पंचायती राज की जो कल्पना की जा रही है, मैं यह मानता हूं कि फिलहाल जिन नौ योजनाओं को अभी ट्रांसफर किया गया है ये नौ योजनाएं हमारे लिए प्रायोगिक तौर पर हो सकती हैं। अगर ये सफल होती हैं तो मैं सोचता हूं कि हमें और योजनाओं को ट्रांसफर उसके अन्दर करना चाहिए। दूर-दराज गांव के अन्दर बैठा हुआ जो दरिद्र नारायण है, जिसके आंसू पोंछने की कल्पना महात्मा गांधीजी ने की थी, कांग्रेस के नेताओं ने की थी, यह तभी जाकर साकार हो पाएगी जब हम उसको सब सुविधाएं, प्रशासन के सारे लाभ वहीं दे सकें। यह पंचायती राज के माध्यम से ही संभव है।

पंचायती राज को जिस तरीके से हम यहां पर राजस्थान के अन्दर सुदृढ़ कर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों के लिए राजस्थान एक मिसाल बनकर सामने आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

पारम्परिक जल स्रोतों के सुदृढ़ीकरण के लिए और उनके रख-रखाव के लिए अक्टूबर के अंदर जो योजना शुरू की गई है यह बहुत अच्छी पहल है क्योंकि नदियों का पानी स्थायी रूप से बारह महीनें मिलता हो, ऐसा हमारे प्रदेश के अंदर नहीं है और न ही बारह महीने बहने वाली बहुत नदियां हमारे प्रदेश में हैं। हमें ज्यादातर तो अपने पारम्परिक साधनों या वर्षा का जो जल होता है, उसी को समेट कर रखना होता है, उसी को संजोकर रखना होता है। उसी से हम अपनी पानी की आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं।

राजीव गांधी पारम्परिक जल स्रोत संधारण कार्यक्रम में हम इस तरीके के महती कार्यक्रम लेवें, जैसे अजमेर का मैं उदाहरण आपको दे सकता हूं। हमारे वहां की टोपोलाजी में चारों तरफ हमारे पहाड़ ही पहाड़ हैं और उन पहाड़ों के बीच में अजमेर शहर बसा हुआ है। अगर इस तरीके की कोई योजना बनाई जाए तो जो वर्षा का पानी आता है उस वर्षा के पानी को एनीकट बनाकर या छोटे-छोटे चैक डैम बनाकर जल संधारण कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो मैं यह मानकर चलता हूं कि हमारे अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो नीचे जाता चला जा रहा है उस

(श्री ललित भाटी)

वाटर लेवल को मेनटेन करने के अंदर हम बहुत हद तक सफल हो पाएंगे।

इस तरीके के कोई भी एक्सपेरीमेंट आप अपने योग्य इंजीनियर्स को दें ताकि इस तरीके से भी हम वर्षा के जल को सुरक्षित रखा जा सके क्योंकि अधिक मात्रा में हमारे यहां उपलब्ध ही वर्षा का जल है। अगर हम इस योजना के अन्तर्गत लेकर उस पानी को स्टोर करने की बात करेंगे तो मैं सोचता हूं कि हम काफी हद तक पानी की जो समस्या अपने प्रदेश के अन्दर है, उसका समाधान कर पाएंगे।

शिक्षा के मामले में बहुत ठोस कदम हमने उठाये हैं। हमने बहुत कालेज खोले हैं, प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक किया है, उच्च प्राथमिक को माध्यमिक किया है और इसी तरीके से सीनियर सैकण्डरी के अंदर हमने क्रमोन्नत किया है। हमारी मानव सभ्यता कह लें या मानव की कमजोरी कह लें, उपाध्यक्ष महोदय, हमें हर पीढ़ी को शिक्षित करना पड़ता है। हम अभी तक ऐसी कोई तकनीक पैदा नहीं कर सके, न विज्ञान इतनी तरक्की कर सका कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को शिक्षित नहीं करना पड़ता हो। तो शिक्षा तो हमारा एक अहम अंग है, इसके बगैर व्यक्तित्व विकास और समाज विकास की कल्पना हम नहीं कर सकते। समाज को शिक्षित करने का इतना महत्वपूर्ण काम जब हम कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा।

आज जिस तरीके का माहौल है उस माहौल में मात्र डिग्री लेकर बच्चा निकल जाए, हम उसको शिक्षित नहीं मान सकते। शिक्षित होने के बाद वह सामाजिक जीवन के अंदर अपने उत्तरदायित्व को निभा सके, इसकी कल्पना भी आज बड़ी दुरूह होती जा रही है। मध्यम आय वर्ग के जो अभिभावक हैं, उन अभिभावकों को इस बदलते माहौल के अंदर, उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी मुश्किल हो रही है।

इतनी प्रतिस्पर्धा का युग है यह कि आज अगर किसी को भी हायर एजुकेशन लेनी है तो उसको मैरिट के ऊपर एडमिशन मिलता है और अब मैरिट भी जिला स्तर की नहीं रह गई है, प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मैरिट बनती है। उस मैरिट के अंदर जब एक मध्यम आय वर्ग के अभिभावक का बच्चा नहीं आता है तो उसके दिल को बड़ी ठेस पहुंचती है।

सीमित साधन होते हुए भी सरकार ने जो स्कूलें खोली हैं, उन स्कूलों में हम किसी भी तरीके से पढ़ाएं लेकिन शिक्षा का स्तर हम एक लेवल के ऊपर लेकर आएं। सरकारी स्कूलों में आज जो मां-बाप कमजोर आय वर्ग के है, वे मजबूरी से जाते हैं। प्राइवेट स्कूल्स जो खुल रहे हैं सारे के सारे अभिभावक वहीं कोशिश करते हैं। एक ठेला चलाने वाला भी इस बात का सपना लेकर चलता है कि उसकी संतान को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, चाहे वह उसको एफोर्ड कर पाता हो या नहीं कर पाता हो।

(श्री ललित भाटी)

उपाध्यक्ष महोदय; कांवेंट का नाम लगाकर, सेंट का नाम लगाकर जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल का यह नया व्यवसाय आज समाज के अन्दर फैल रहा है, हमें इसके ऊपर चिन्तन करना पड़ेगा। जो सरकारी स्कूल हमने खोल रखे हैं उनमें शिक्षा का स्तर इस कदर बढ़े कि प्रदेश का अभिभावक इस बात को गर्व के साथ कहने की हिम्मत करे और प्रयास करे कि मैं गवर्नमैंट स्कूल के अंदर अपने बच्चे को भर्ती कराना चाहता हूं।

आज उसकी पहल प्राइवेट स्कूल के लिए है, गवर्नमैंट स्कूल उसकी प्राथमिकता नहीं है। हमारी शिक्षा नीति के अंदर ऐसे कार्यक्रम हमें तय करने चाहिए जिसमें हम शिक्षा का स्तर अपने प्रदेश में बढ़ा सकें।

गम्भीर रोगों के लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय; मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष की स्थापना की गई है। हमारी संस्कृति में और हमारे शास्त्रों में चार दान माने गये है और उन चार दानों में औषधा दान को महादान माना गया है। पहले तो असाध्य रोग राजा-रजवाड़ों में हुआ करते थे पर अब आम आदमी में भी होने लगे हैं। वे इलाज के अभाव में जिस तरीके से दम तोड़ दिया करते थे उनके लिए प्रदेश में मुख्य मंत्री जी ने जो पहल की है इसकी तो सब जगह पर सराहना की जा रही है और वास्तव में वे साधुवाद के पात्र हैं।

इस तरीके से अब कोई आदमी दम नहीं तोड़ सकेगा कि मैं इलाज नहीं करा सकता। सरकार ने जो यह औषध दान का कार्य किया है उसके लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा।

क्षय नियंत्रण के लिए कार्यक्रम चल रहा है। क्षय रोग के साथ-साथ; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आजकल आपने भी पढ़ा होगा और मैंने भी बहुत पढ़ा है, हैपेटाइटिस'बी' का बड़ा नाम अखबारों के माध्यम से पूरे प्रदेश में जनता के सामने आया है। यह भी वैक्सीनेशन का ही काम है और असाध्य रोगों में इसको डिक्लेयर किया गया है।

डाक्टर यादव साहब ही बताएंगे कि यह है। उन्होंने सहमति में गरदन हिलायी है। हमने पल्स पोलियो का एक सफल अभियान चला रखा है कि राजस्थान में हम आने वाली पीढ़ियों को पोलियोग्रस्त नहीं होने देंगे। इसमें तो एक दिन की उम्र से लेकर सौ साल तक की उम्र के जो है उनको हैपेटाइटिस 'बी' का टीका लगवा चाहिए, ऐसी मान्यता डाक्टर्स की है, वैज्ञानिकों की है। हैपेटाइटिस 'बी' का टीका एक एम.एल. का चार सौ रुपये में मार्केट में मिल रहा है, बहुत कास्टली टीका है।

अगर हम इस स्तर के ऊपर यह योजना बना सकते हैं कि हम इसको भी सरकारीकरण में एक अभियान के रूप में पूरे प्रदेश की जनता को स्वस्थ रखने के लिए, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हम अगर हैपेटाइटिस

(श्री ललित भाटी)

'बी' के टीके को भी गवर्नमैंट के लेवल पर लाने की बात करते हैं तो मैं सोचता हूं कि यह बहुत ही उपयुक्त सुझाव रहेगा और उसके ऊपर सरकार को लोग साधुवाद देंगे।

रहीम का वह दोहा जो लक्ष्मण सिंह जी ने अपनी बात में कहा था, 'रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सून। पानी गये न ऊबरे मोती, मानस, चून।' उपाध्यक्ष महोदय, मैं इससे आपको भी जोड़ना चाहता हूं, इस सदन को भी जोड़ना चाहता हूं। यह सदन पानीदार है, आप पानीदार हैं, मुख्य मंत्रीजी पानीदार हैं, इस सदन में बैठा हुआ हर सदस्य पानीदार है, इन तमाम पानीदारों के बीच मैं अजमेर के लिए पानी की मांग करता हूं।

बीसलपुर की योजना अजमेर की प्यास बुझाने के लिए बनाई गई थी। हमारी प्यास तो बुझ नहीं पाई और अब 1100 करोड़ रुपये खर्च करके बीसलपुर से टोंक और जयपुर को भी जोड़ा जा रहा है। यह हमारे साथ थोड़ा-सा अत्याचार है हमारी अनदेखी है। जब प्रभारी मंत्री जी हर महीने हमारी मीटिंग लेते हैं तो इस बात पर सभी चिन्ता व्यक्त करते हैं।

मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, जलदाय मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं और इस सदन को भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब पानी हमारे जीवन की प्रथम अनिवार्य आवश्यकता है तो हमें ऐसी योजना बनानी पड़ेगी,

पूरे राजस्थान के गांवों से लेकर शहरों तक जो पेयजल की समस्या है उस समस्या के लिए हमें एक नीति बनानी चाहिए। नीति बना करके हम उसको फेजवाइज सार्ट आउट कराते जाएं और लोगों को पेयजल उपलब्ध कराते जाएं। उसके लिए मेरा सुझाव है। जो 12 महीने हमारे प्रदेश में बहने वाली नदियों में जो पानी है उस पानी के आपने समझौते किये हुए हैं। उसके अलावा जो पानी बचता है उस पानी को पेयजल के लिए किस तरीके से काम ले सकते हैं, ऐसी ठोस योजनाएं हमको बनानी पड़ेंगी।

जब गर्मी आती है–चाहे अजमेर की बात हो, चाहे धौलपुर की बात हो या पाली की बात हो, हम कंटिंजेंसी प्रोग्राम बनाते हैं और करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज आप जानते हैं कि वे हैण्डपम्प अगली गर्मी आने तक सूख जाते हैं और वह हमारा व्यय किया करोड़ों रुपया बेकार जाता है।

अगर हम करोड़ों रुपये साथ में इस रूप में भी योजनाएं तैयार करने में लगाएं तो हम ठोस निदान पेश कर सकते हैं। अजमेर की समस्या के लिए चम्बल एक जीवनदायी योजना है, चम्बल का पानी 265 करोड़ रुपये में ही आ सकता है और बीसलपुर जयपुर तलक पहुंचेगी 1100 करोड़ रुपये में।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज इस सदन में जलदाय मंत्री जी को कि हमने

(श्री ललित भाटी)

जब इनका ध्यान आकर्षित किया तो इन्होंने अजमेर में अधिकारियों को इस बात के लिए निर्देशित किया कि वे एक योजना बना करके दें। उन्होंने फौरी तौर पर उसका सर्वे किया है वह मात्र 265 करोड़ का है।

मैं इस सदन के माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस योजना के ऊपर गौर फर्माएं और कोई भी टोकन अमाउण्ट इस बजट में उस योजना के लिए दें जिससे अजमेर का स्थायी समाधान हो जाए और वहां की कृषि, उद्योग और पेयजल इन तीनों आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकें। एक महती योजना जो...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री ललित भाटी : मैं नट-शैल के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, कहता हूं कि एससी./एम.टी. के लोगों को एक विशेष संरक्षण की जरूरत है। वह संरक्षण मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी छाया में प्रदेश के लोगों को मिलेगा, ऐसी सबको अपेक्षाएं हैं, इस विश्वास के साथ वे उनको ओर देख रहे हैं। जिस तरीके से निशांत की मौत हुई चुनाव में, मुझसे तो भुलाये नहीं भूलती। युवा हमारी आशाओं के प्रतीक है, उपाध्यक्ष महोदय।

किन्तु पूर्ववर्ती सरकार ने युवाओं के लिए किंकर्तव्यविमूढ़ जैसा माहौल बना दिया था। न समय के ऊपर कोई परीक्षाएं हो पा रही थीं और न लोग अपने भविष्य की कोई कल्पना कर पा रहे थे। निशांत भारद्वाज की जो मौत उस समय हुई वह इसी बात का एक दु:खद परिणाम सामने आया था कि वह ओवरएज होता चला जा रहा था, रिजल्ट्स निकल कर नहीं आ रहे थे। उसको आत्महत्या करनी पड़ी, पूरे प्रदेश में युवा झकझोर गया इस दु:खद घटना से।

मैं बड़े गर्व के साथ इस बात को इस सदन में कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से युवाओं को रोजगार देने की बात मुख्य मंत्री जी ने की है मेरे ख्याल से उससे निशांत की मौत का निशान मिटेगा और प्रदेश के नौजवान मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देंगे कि उन्होंने उनके अन्दर आशा का दीप जलाये रखा। आपने जो एक योजना बनाई है कि चार लाख गुमटियां बना कर हम लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे, इसकी बहुत–बहुत प्रशंसा जनता के बीच में की जा रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने और कैबिनेट ने उसके लिए टाइम बाउण्ड रखा था, उसमें प्रशासनिक कारणों से देरी हुई है और उस योजना का लाभ नौजवानों को, बेरोजगारों को, विकलांगों को, जो इसकी पात्रता रखते हैं उनको नहीं मिल पाया है। यह काम तेजी के साथ शुरू होना चाहिए, ऐसी नौजवानों की अपेक्षा है, उनकी आशा है ताकि वे रोजगार में लग सकें। कृषि भूमि के ऊपर जो नियमन की बात चल रही है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जयदेव प्रसादजी इन्दौरिया।

श्री ललित भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, आप दो मिनट का समय दे दें, मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : बोलने दें, अच्छी बात कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक मिनट बोलूंगा। मेरे दो मिनट इनको दे दीजिये।

श्री ललित भाटी : मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से कृषि भूमि के ऊपर बसी हुई बस्तियों का नियमन करने की बात आ रही है, सिवाय जयपुर के दूसरी जगहों पर इसका लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है।

यह काम हम तेजी के साथ करवा पाएं और सब जगह एक साथ शुरू हो। जिस दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के चलते यह सम्भव हो पाया उसका लाभ मिलने में अगर देरी आती है, मेरे कहने का अर्थ यह है कि जो कल्याणकारी निर्णय हमने किया है उसमें कहीं अगर प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही आ रही है तो उस लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अफसरों को हमें मुस्तैद करना चाहिए कि हम जो निर्णय ले रहे हैं उन निर्णयों का तुरन्त और त्वरित लाभ हम जनता को दे सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी शासन और शासक दो चीजों के लिये जाना जाता है। शासन जाना जाता है उसकी सुव्यवस्थाओं के लिये और शासक जाना जाता है, याद किया जाता है उसकी नीतियों के लिये, उसकी उदारदिली के लिये।

आज ये दोनों बातें यहां सार्थक होती नजर आ रही हैं। 9 साल का जिस तरीके का शासन प्रदेश की जनता को देखना पड़ा और उस कुशासन में जिस तरीके से जनता ने भोगा, अब जनता में एक विश्वास सरकार के प्रति बन रहा है। लोग देखने लगे हैं कि कोई शासक आया है, कोई बदलाव आया है और इसके लिये बधाई के पात्र हमारे नौजवान मुख्य मंत्री जी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा अभी दायमा जी भी कह रहे थे और कई माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा, मुख्य मंत्री जी के बारे में सोच यह था कि क्या करेंगे, क्या पकड़ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूं कि अब इनकी पकड़ देख कर कइयों ने अपने सिर पकड़ लिये हैं इधर भी और उधर भी, तो गलत नहीं होगा। पकड़ तो बहुत अच्छी साबित हो गई है। इस मजबूत पकड़ के साथ में प्रदेश की जनता लाभांवित होगी और यह नेतृत्व इस जनता को और कल्याणकारी कार्यक्रम देगा, यही आशा है, मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़): "स्वति पंथा मनुचरे म सूर्या चन्द्रमसा: विब पुनर्धघता घन्ता जानता संग में महि।

उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। प्रस्ताव जो आया है वह धन्यवाद का नहीं है, आभार प्रदर्शित करने का है। मेरे से पूर्व जितने भी माननीय सदस्यों ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति प्रकट की है वह धन्यवाद के प्रस्ताव के रूप में की है।

चूंकि उस प्रस्ताव में धन्यवाद शब्द नहीं है इसलिए प्रस्ताव जो रखा है आभार प्रदर्शित करने का, उसके अनुरूप ही मैं अपना मंतव्य प्रकट करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, अब चूंकि मुख्य मंत्री जी यहां विराजमान हैं, सब उन्हीं का भाषण सुनने के इच्छुक हैं।

मैं सदन के माननीय सदस्यों के बीच में और मुख्य मंत्री जी के बीच में कोई व्यवधान उपस्थित नहीं करना चाहता। मैं अपने दो मिनट तो माटी साहब को दे चुका हूं और शेष समय में जब भी आप घण्टी बजाओगे मैं बैठ जाऊंगा।

अभिभाषण में सरकार ने क्या किया और क्या करने जा रही है, इसकी अभिव्यक्ति सदन को विस्तार से दी। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी उसी का मैं यहां वर्णन करूंगा कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले रुग्ण परिवार को राहत पहुंचाने के लिये मुख्य मंत्री सहायता कोष से उसका निःशुल्क इलाज कराया जाएगा। यह बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है और इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी वस्तुतः साधुवाद के पात्र हैं।

मैं 1980 से 1985 में भी इस सदन में उपस्थित रहा था और आप भी उस वक्त इस सदन में उपस्थित थे। मैं एक स्कूल नहीं दे सका, मुझे एक कालेज नहीं मिला और मैं चुनाव हार गया। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि इस सरकार ने शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया। नीति संगत में यह लिखा है 'विद्वान सर्वत्र पुज्यते।' विद्वान की हर जगह इज्जत होती है, कदर होती है।

लेकिन शिक्षा की दृष्टि से हम बहुत पिछड़े हुए थे। मुख्य मंत्री जी ने इसको महसूस किया और दूर-दराज की ढाणियों में जहां 40 छात्र उपलब्ध हैं, वहां भी उन्होंने राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला खोल कर एक अद्भुत कार्य किया है। वह भी कोई एक-दो स्कूल नहीं, 16 हजार स्कूल। जिसमें से कुछ हजार तो चालू ही हो गये और 11, साढ़े 11 हजार के आस-पास शायद अगले सत्र में चालू करेंगे।

कई माननीय सदस्य : वह अलग है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : इसके लिये भी मैं वर्तमान सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूं।

एक प्रश्न जिसकी ओर इंगित किया है माननीय राज्यपाल महोदय ने, अकाल की भयंकर समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, पशुओं को बचाने की समस्या है। मेरे क्षेत्र रतनगढ़ में मैं जानकारी के लिये कह देना चाहता हूं कि पूर्व और

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

पश्चिम में जितने भी आवारा पशु हैं या जो निजी घर वालों की गायें हैं, उनको निःशुल्क चारा अभी उपलब्ध है। पूर्व की ओर गौशाला में अकाल सेवा समिति जन सहयोग से चल रही है। वह सरकार से कोई पैसा नहीं लेना चाहती है, न लिया है।

हजारों गायें उस गौशाला में आज मुफ्त में चर रही हैं, जिसका संचालन रतनगढ़ का ही एक निवासी धनपत कसेरा बहुत तन्मयता से कर रहा है। इसी तरह से पश्चिम की तरफ गोमजी सुनार के कुए के पास हजारों गायों की व्यवस्था है। उनके थान बने हुए हैं, तूड़ी इत्यादि की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था है और हजारों गायें वहां निःशुल्क चर रही हैं।

यदि घर की गाय है तो सुबह वहां पहुंचा दे और शाम को दुहने के लिये अपने घर ले जाए। दूध खुद पीये, बच्चों को पिलाये और उसके बाद उन गायों को वापस सुबह चरने के लिये भेज दे, वहां निःशुल्क व्यवस्था है। उस व्यवस्था को बहुत अच्छे ढंग से संचालित करने के लिये उनके ही प्रपौत्र श्री सत्यनारायण जी मोसूण उस काम में लगे हुए हैं और तन्मयता के साथ उस कार्य का निर्वहन कर रहे हैं।

पीने के पानी की समस्या मेरे क्षेत्र की विकट समस्या है। पानी मूल में खारा है। दक्षिणी हिस्से में सारी जगह पानी खारा है और राज्य के जो पानी के स्रोत हैं वे सही ढंग से संचालित नहीं हो रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है किन्तु कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिल रहा है इसलिए उसमें व्यवधान उपस्थित हो रहा है। आने वाले दो-तीन महीने का समय बहुत भयंकर आएगा, पानी की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी से उसकी व्यवस्था कर लें।

सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जब भी यहां महामहिम अभिभाषण के लिये आये हमारी तरफ से यह प्रस्ताव आता था कि इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए, बिना पढ़े ही पढ़ा हुआ मान लिया जाए लेकिन इस बार ऐसा प्रस्ताव नहीं आया इसलिये माननीय संसदीय मंत्री जी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में अंतिम पंक्तियों में कहा है 'संगच्छध्वं' आपने पढ़ा होगा। 'संगच्छध्वं, संवदध्वं; संवो मनांसि जानताम्। देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते'। उनके अभिभाषण में है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। यह ऋग्वेद की ऋचा है जिसका बहुत ही सुन्दर अर्थ है सब मिलकर काम करो, सब मिलकर परामर्श करो; सब मिलकर साथ चलो। यह उनका उद्बोधन अंतिम है। इसी उद्बोधन के साथ मैं आपको घण्टी बजाने की तकलीफ नहीं दूंगा, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण यहां पर दिया उसके बारे में धन्यवाद का प्रस्ताव पेश हुआ है। इस सदन के अंतर्गत बहुत अभि-भाषण मैंने सुने, पहले भी कई बार यहां पर अभिभाषण हुए। कई बार यह स्थिति आ गई कि सुनना नहीं चाहा लेकिन अब की बार जो अभिभाषण हमको पढ़कर सुनाया राज्यपाल महोदय ने, हमारा सीना गर्व से ऊंचा हो गया।

मैं आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, किसी शायर ने कहा है 'यूं तो जिन्दगी में हर क्षण हर पल आते रहते हैं, लेकिन कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिन को सदियां याद करती हैं'। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको इसीलिये देर से बुलाया है कि मुख्य मंत्रीजी यहां उप-स्थित हैं जब बोलो।

श्री रामस्वरूप : इसके लिये धन्यवाद।

राज्यपाल महोदय ने जो इस अभि-भाषण के अंदर पढ़ा वह बहुत कम है। अब तक कई सरकारें आईं और उन्होंने कार्य किए। पिछली बार इसी सदन में हम विपक्ष में बैठे थे, उस समय भी सरकार ने काम किया था। लेकिन राजस्थान के हमारे युवा हृदय सम्राट माननीय अशोक जी इन्होंने वे कार्य करके दिखाए हैं जिन को अगर हम स्वर्ण युग भी कह दें और उनको अशोक महान की उपाधि भी दे दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। (व्य-वधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब तो इन्हें मंत्री बना दो। (व्यवधान) ऐसे काबिल आदमी इस सदन में हैं, मुख्य मंत्री जी, हमारा निवेदन है... (व्यवधान) प्रतिपक्ष की भी सुनो, ऐसे काबिल आदमी को मौका दो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्य-वधान)

श्रीमती बीना काक : आपने तो इन का पैर तोड़ा था। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खाली जबान से कहने से सब कुछ नहीं हो जाएगा, वह तो कार्य बोलते हैं। राजस्थान के अंदर जिस समय माननीय गहलोत साहब ने शासन सम्भाला उस समय पिछली सरकार क्या करके गयी थी? सारे राजस्थान का दिवाला निकालकर गयी थी।

जाते-जाते चुंगी को समाप्त करके गयी थी। वे इस बात को जानते थे कि कर्म हमारे सामने आएंगे और आगे हमारी सरकार आने वाली नहीं है। माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत भी जानते थे और उसी का परिणाम था कि उन्होंने राजस्थान के खजाने को खाली किया। जनता ने उन को सबक सिखाया। उन्होंने सोचा, आने वाला जो भी मुख्य मंत्री होगा, कांग्रेस की

(श्री रामस्वरूप)

जो सरकार आएगी वह सरकार बदनाम हो जाएगी और बहुत जल्दी टूट जाएगी। लेकिन यह बात गलत निकली। यह हमारा सौभाग्य है, हमारी पार्टी का सौभाग्य है, राजस्थान का सौभाग्य है कि ऐसे महान व्यक्ति को बागडोर मिली जिसने संकट की घड़ियों में भी इस राजस्थान को आगे बढ़ाया।

सबसे पहले आपके सामने समस्या आई घोषणा पत्र की। आपने घोषणा पत्र के अनुसार कार्य शुरू कर दिया। राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव होने जा रहे थे, कर्मचारियों ने हड़ताल की। उनकी वह हड़ताल वाजिब थी कि गैर वाजिब थी लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देकर उनकी हड़ताल को गैर वाजिब करवा दिया। इन लोगों ने उनको समर्थन दिया और हड़ताल का राजनीतिकरण करवाया। लेकिन धन्य हैं माननीय मुख्य मंत्री जो कि अधिकारियों की हड़ताल होते हुए भी, भाजपा का उनको समर्थन होते हुए भी राजस्थान के अंदर पंचायती राज के चुनाव करवाये।

चुनाव ही नहीं करवाये, सारे राजस्थान में कीर्ति स्थापित की। पूरे राजस्थान में कांग्रेस छा गई। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इधर बैठे हुए हैं, मैं इनको अपने जिले का उदाहरण बताता हूं। पंचायती राज के चुनाव में जनता आपके कार्य से इतनी खुश हुई, करौली जिले के अंदर मैं जिला अध्यक्ष हूं इसके नाते भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया। प्रमुख भी हमारा आया, उप प्रमुख भी हमारा आया, सारे प्रधान हमारे आए। इससे पता लगता है कि जनता ने वहां माननीय मुख्य मंत्री जी की नीति को स्वीकार किया।

ऐसी संकट की घड़ियों में आपने दूसरा जो कदम उठाया वह कदम था कि आपने कानून की रक्षा की। माननीय मुख्य मंत्री जी, न्यायालय का फैसला हो चुका था, +++ सरकार पहले बैठी हुई थी लेकिन इन्होंने न्यायालय के निर्णय को नहीं माना। उनको जो अधिकार दिये थे, न्यायालय ने जो आदेश दिये थे उसके अनुसार ये बरामदे खाली नहीं करा सके।

माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं इस बात के लिये सदन की ओर से व मेरी ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने राजस्थान में न्याय की सुरक्षा करके कीर्ति स्थापित की। ये सब मामूली बातें नहीं हैं।

बरामदे खाली हो रहे हैं, इनको पता नहीं लगा। जब बरामदे खाली होने लगे तब ये खुशियां मना रहे थे कि बहुत अच्छा हो रहा है। ये तारिफें कर रहे थे। बाद में पता चला। अन्ना सेठ जिन्होंने इनको चंदा

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामस्वरूप)

दिया है, वे इन्हें गाली देने लगे तो फट ये लोग आ गये आंदोलन करने के लिये; क्योंकि ये लोग तो +++ हैं। इन्होंने सेठों से पैसा लिया था; चन्दा लिया था जब चुनाव लड़ा था। जब इनको पता लगा कि वे लोग हमारे ऊपर नाराज हो गये तो खट इन्होंने आंदोलन रोक दिया। और कह दिया कि हम राजस्थान के अंदर आंदोलन में सहयोग देंगे और निश्चित रूप से इसको राजस्थान में रुकवाएंगे। नहीं तो क्या अतिक्रमण को हटाना ठीक नहीं है? आप इस बात को मानते हो कि अतिक्रमण हटने चाहिये। आपकी सरकार ने पहले इस बात को स्वीकार किया था, लेकिन हिम्मत चाहिये इसके लिये। ऐसी हिम्मत हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी में है जो न्याय के साथ हैं।

वर्तमान की चिंता करते हैं, भविष्य की चिंता नहीं करते हैं। जनता की सेवा में लगे हुए हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, आपने न्याय देकर राजस्थान में अतिक्रमण को हटवाया, सारा राजस्थान आपकी ओर निहार रहा है। जयपुर को तो आपने साफ कर दिया, और साफ कर देना। (व्यवधान) आपने जयपुर के अतिक्रमणों को साफ कर दिया, इसके लिए सारे राजस्थान में तारीफ हो रही है।

मैं सदन के माध्यम से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इसको आप सारे राजस्थान के अंदर लागू करें। गांवों में, नगर पालिकाओं में सभी जगह लोगों ने इस प्रकार के अतिक्रमण कर रखे हैं। ये अतिक्रमण किसी गरीब के नहीं हैं। ये अतिक्रमण उन सेठों के हैं जिन्होंने 3-3 4-4 मंजिल की अपनी बिल्डिंग बना ली हैं। जो करोड़पति लोग हैं उनके मकान ढहाये जा रहे हैं। उन्हीं को नुकसान हो रहा है, गरीब को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। गरीब आपके साथ हैं, गरीब आपको दुआएं दे रहा है। उसकी दुआएं आपके काम आ रही हैं। ये लोग आपका इतना विरोध कर रहे हैं उसके बावजूद आप कीर्ति को स्थापित करते हुए चले जा रहे हैं।

इसके साथ ही आपने जो बड़ा काम किया वह यह कि भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिये काम किया था, आपने उनकी पेंशन बढ़ाई है। आज राष्ट्र के लिये करगिल के अंदर भी लोग शहीद हुए हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधान मंत्री बैठे हैं हिन्दुस्तान के, उनकी गलती के कारण। वे पाकिस्तान की यात्रा कर रहे थे और पाकिस्तान हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा था। चढ़ गया। उनकी गलती के कारण कितनी विधवाएं हुई, कितनी बहनों के भाई गये। माननीय मुख्य मंत्रीजी, 3 शहीद मेरे क्षेत्र के भी हुए थे लेकिन किसी

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामस्वरूप)

ने कभी उनके परिवारों को जाकर नहीं सम्भाला। आपने तीनों शहीदों के घर जाकर उनकी विधवाओं को ढाढस बंधाया, उनके बच्चों को ढाढस बंधाया। आप खुद गये, मेरे क्षेत्र में पैदल चलकर आप गये और आपने जाकर उनके आंसुओं को पोंछा।

आज तक ऐसा मुख्य मंत्री कोई नहीं हुआ जिसने जाकर शहीदों की महिलाओं के लिये, उनके बच्चों के लिये ऐसा काम किया हो। पहले जब हम विपक्ष में बैठते थे, रोते हुए हमारा दिन निकलता था। लेकिन आपकी कीर्ति कर रहे हैं। हम कोई आपकी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, ये सब आपके ही काम हैं जो बोल रहे हैं। गांव में बैठा हुआ गरीब बोल रहा है, गांव में बैठी विधवा बोल रही है, गांव में बैठा हुआ स्वतंत्रता सेनानी बोल रहा है।

इसके साथ-साथ अनुसूचित जाति और जनजाति का भला आपने किया है, हम पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनका आपने भला किया है। मेडिकल और इंजीनियरिंग की संस्थाओं में आपने आरक्षण बढ़वाया, 8 से 16 और 6 से 12 प्रतिशत किया। हम सभी लोग आपके बहुत-बहुत आभारी हैं कि आपने एस.सी. एस.टी. और ओ.बी. सी. के बारे में इस प्रकार से विचार किया।

इसके साथ-साथ हमारे प्रधान मंत्री माननीय राजीव गांधीजी देश के लिये शहीद हो गये। उनका परिवार भी देश के लिये शहीद हुआ था। आज हमको इस बात का गर्व है कि उनके शहीद होने के बाद आपने सारे राजस्थान के अंदर ढाणी-ढाणी में राजीव गांधी पाठशालाएं खोलकर उनकी आत्मा को प्रसन्नता दी है।

ऐसे जो शहीद होने वाले हैं उनका नाम रोशन होना चाहिए। उनका क्या नाम रोशन होगा जिनकी पार्टी में, बता दो कि आज तक कोई शहीद हुआ हो। (व्यवधान)....ये हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। + + + आने की बात है आपको। हमारी पार्टी के अंदर एक से एक शहीद हुए हैं-इन्दिरा गांधी भी शहीद हुई, राजीव गांधी भी शहीद हुए। सारे लोग शहीद होकर चले गये, आप एक का भी नाम बता दें जो शहीद हुए हों।

डा. किरोड़ी लाल : हमारी पार्टी में से रामस्वरूपजी, शहीद होकर कांग्रेस में भाग गये।

श्री रामस्वरूप : आपने राजीव गांधी पाठशालाएं उस ढाणी में जाकर खोलीं जहां इन्होंने 6 हजार स्कूल बंद किये थे। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 12 हजार पाठशालाएं पहले खोलीं और इससे भी ज्यादा राजीव गांधी पाठशालाएं अब खोलने जा रहे हैं। सारा राजस्थान, सारे

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामस्वरूप)

राजस्थान का ग्रामीण और गरीब आपको धन्यवाद देता है कि आपने राजीव गांधी पाठशाला खोलकर हमारे शिक्षा जगत को आगे बढ़ाया। सरस्वती की आपने पूजा की है।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत हो गया, अब समाप्त करें।

श्री रामस्वरूप : माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं अधिक समय नहीं लेता हुआ आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी कार्य गिने जाएं, उतने थोड़े हैं। इतने कम समय में ही आपने इतना विकास करके दिया है, अभी तो समय बाकी है, आप देखे जाओ। आपकी सरकार है दिल्ली के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी वह काम कर रहे हैं कि उन्होंने तेल की कीमतें बढ़ाई, मिट्टी के तेल की कीमतें बढ़ाई, खाद की कीमतें बढ़ाई, रसोई गैस की कीमतें बढ़ाई।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इधर देखिये। माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप : उसके कारण जनता उनको उखाड़कर फेंक देगी लेकिन हमारी सरकार ऐसी स्थाई सरकार होगी जो कभी उखड़ नहीं सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दो निवेदन और करना चाहता हूं। हमारे 14 रत्न जो बैठे हैं, इनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे काम आपने किये हैं लेकिन मेरे यहां सहायक अभियन्ता का कार्यालय के लिए मैं लगातार पुकारता रहा हूं +++तो किया नहीं। टोडाभीम में जलदाय विभाग का सहायक अभियन्ता कार्यालय नांदोती के लिये और एक पी डबल्यू. डी. का कार्यालय जो +++ तोड़ दिया था, उसको खुलवाने के लिये मैंने आपसे निवेदन किया था। इसके अलावा एक कालेज की मैंने कई बार मांग की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करते हुए आशा करता हूं कि इस सरकार में कालेज की मांग और सहायक अभियन्ता कार्यालयों की मांग जरूर पूरी की जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : हां कह दिया उन्होंने, इजाजत दे दी।

श्री रामस्वरूप : अन्त में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आखिरी में संस्कृत के एक उसी श्लोक से जो कि वेदों का है, हमारे शास्त्रीजी ने बताया है, उसके साथ मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा कि इनके अन्दर और हमारे अन्दर, हमारी सरकार और इनकी सरकार में क्या फर्क है। आखिर में मैं यही कहूंगा कि इनकी शक्ति किस काम में आयी और हमारी शक्ति किस काम में आती है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामस्वरूप)

'विद्या विवादाय धनंमदाय
शक्ति परेशां परपीड़नाय
खलस्य साधु विपरीत मेवे
ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय'

अर्थात इनकी विद्या किस काम में आयी ? विवाद के लिये। धन किस काम में आया ? दूसरों को नुकसान करने के लिये। शक्ति किस काम में आयी ? दूसरों को परेशान करने के लिये, मेरी टांग तोड़ने के लिये। 'विद्या विवादाय, धनंमदाय, शक्ति परेशां परपीड़नाय, खलस्य साधु विपरीत मेवे..' लेकिन हमारे साधु जो इधर बैठे हुए हैं; इन्होंने क्या काम में ली अपनी शक्ति ? विद्या को काम में लिया ज्ञान के काम में, अपनी विद्या के द्वारा सारे राजस्थान में समस्याओं का निवारण किया और एक स्वर्ण युग कायम किया। धन को किस काम में लिया ? कम धन होते हुए भी उसको अधिक दिखा कर लिया और संकट से उबारा राजस्थान को। दान किया, जनता के कामों में किया, गरीबों को बांटा। दुखियों को बांट रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जो पैसे खर्च करके इलाज नहीं करा सकते हैं उन का इलाज कर रहे हैं। पूरे राजस्थान की रक्षा कर रहे हैं। श्रीमान, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लालजी।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने मंत्री ऐसे आदमी को बना रखा है जो खोटे सिक्के बंटवा रहा है, रामस्वरूप जी जैसे आदमी हैं उनको लेना चाहिए ना कभी–कभी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष जी, यह बात सही है, इससे तो हम भी सहमत हैं।

डा. किरोड़ी लाल(बामनवास) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विधान सभा में महामहिम का अभिभाषण, जैसा कांग्रेस ने तैयार करके दिया वैसे का वैसा उन्होंने यहां पर पढ़ दिया, लेकिन वह महामहिम का अभिभाषण जो इन्होंने तैयार किया था, सत्य से काफी परे है, उसमें विकास की कोई बात नहीं कही गयी है। विकास के कामों की ओर से अपना ध्यान हटाकर इन 4-6 महीनों में कुछ ऐसे काम माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किये जिसकी वे वाहवाही लूट रहे हैं। कर्मचारियों की हड़ताल, खजाना खाली बापस हो गया, ये उसको अपनी बहुत बड़ी सफलता मानकर चल रहे हैं। पंचायतों के चुनाव करवा लिये, ये बहुत बड़ी सफलता मानकर चल रहे हैं।

इनके मानने के बाद, उपाध्यक्ष महोदय, आपने अभी भाषण सुना है, टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं ये तो अशोक महान हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, कलिंग के राजा से भी बड़े हैं। सामने से और भी जब हम भाषण सुन रहे थे तो ऐसी बातें सुनने को मिल रही थीं कि राजस्थान में एक ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि 'गहलोत नहीं यह तो गांधी है, राजस्थान का गांधी है।' (व्यवधान) इस

(डा. किरोड़ी लाल)

ढंग का वातावरण बनाकर राजस्थान की जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : वास्तविकता को प्रकट करना कोई दोष नहीं है। यह वास्तविकता है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : राजस्थान कोई जंगल नहीं है जो राजस्थान का 'एक ही सिंह, एक ही सिंह' नारा लगाते हैं आप।

श्री जगत सिंह दायमा : इन्होंने ध्याना-कर्षण किया है।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य बोल रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लौह पुरुष। पता नहीं कैसी-कैसी उपमा मुख्य मंत्रीजी को दी जा रही। हैं उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि एक बार स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी के लिये श्री देवकांत बरूआ ने कहा था 'इन्दिरा इज इंडिया' पर उस के बाद में इन्दिराजी का क्या हुआ और कांग्रेस का अधःपतन कितना जबरदस्त हुआ, यह हिन्दुस्तान के रिकार्ड पर है।

श्री रतनाराम चौधरी : वह तो वाजपेयी जी ने यह उपाधि दी थी कि वह देवी है। यह वाजपेयी ने उपाधि दी थी।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, जब सत्तापक्ष से बोल रहे थे तब बीच में इंटरवीन नहीं किया। ये इनकी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं और सब बीच-बीच में..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलने दें इनको।

श्री सांवर लाल : रामस्वरूप जी के भाषण को बहुत शांति से सुना।

श्री जगत सिंह दायमा : डाक्टर साहब, जो अतिक्रमण हटाने का काम हुआ है ...

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, जगत सिंह जी, विराजें।

श्री जगत सिंह दायमा : जो बरामदे खाली करवाने का काम था वह आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया ?

डा. किरोड़ी लाल : वह बताऊंगा मैं।

श्री जगत सिंह दायमा : यह कोई आसान काम नहीं था इसलिये हमने उपमा दी है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : डाक्टर साहब, एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय मुख्य मंत्रीजी के अभिभाषण पर उत्तर के समाप्त होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्य मंत्रीजी का उत्तर समाप्त होने तक बढ़ाया जाए। ...करैक्ट कर दो।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) (महुवा) : हां, वही मैं कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी के उत्तर होने तक समय बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, क्या राजस्थान के मुख्य मंत्री वही गांधी हैं जिनकी प्रतिमा सचिवालय में लगायी गयी है ? वे तो महात्मा थे, संत थे। उन्होंने तो अपना सर्वस्व त्याग कर अपने जीवन का एक मिशन बनाया। नशाबंदी गोरक्षा और गरीब के उत्थान को उन्होंने अपने जीवन का सिद्धान्त बनाया। और यह सरकार क्या कर रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय, यह अभिभाषण पूरा पढ़ा है, इस अभिभाषण में नशाबंदी की कहीं कोई चर्चा नहीं है। आपने गांधी जी की प्रतिमा लगा ली, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमें तो उधर से परमिशन है ही नहीं। हमारे राज में तो खूब जाते थे लेकिन जब से महात्मा गांधी की प्रतिमा सचिवालय में लगी है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जा सकता। शायद आपको भी इजाजत नहीं है। दूसरे गेट से जाओ, गांधीजी के सामने से मत जाओ। लेकिन मुख्य मंत्रीजी उनसे मार्ग दर्शन लेते हैं।

मैं मुख्य मंत्रीजी को आगाह करना चाहता हूं कि जिस ढंग से बड़ी-बड़ी बात कहकर लोग आपको चढ़ा रहे हैं उससे सावधान रहने की जरूरत है। अगर असली गांधीवादी मुख्य मंत्रीजी आप हो तो राजस्थान में नशाबंदी का कार्यक्रम जो गांधीजी का मिशन था, उसको प्रारम्भ करो। अगर आप वास्तव में गांधीवाद हो और गांधीजी के अवतार बनकर राजस्थान की धरती पर अवतरित हुए हो तो मैं आज की तारीख में आपसे यह आश्वासन लेना चाहता हूं कि जो गौ-वध यहां पर हो रहा है इस गौ-वध को अगर रोकोगे। गौ-वंश की आप रक्षा करोगे तो मैं मानूंगा कि गहलोत साहब, आप असली गांधीवादी हो।

अन्त्योदय, गरीब का कल्याण करने की योजना अखबारों में है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, हमने 1977 में करके दिया। असली गांधीवादी तो भैरोंसिंह शेखावत हैं और मास्टर आदित्येन्द्र हैं जिन्होंने हिम्मत से निर्णय लेकर शराबबंदी की, नशाबंदी की और अन्त्योदय का कार्यक्रम चालू किया। गांधीजी कहा करते थे कि गरीबी की रेखा में जो सबसे पीछे खड़ा है उसको उठाकर आगे लाओ। जो बहिनजी कह रहे हैं वे

...राजस्थान ...अनुमति नहीं दी न दिया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा भय राजस्थान की धरती पर आज तक किसी कांग्रेस या भारतीय

श्री जगत सिंह दायमा : अबकी बार मैं मुख्य मंत्री बना तो अतिक्रमण यहां से भी हट जाएगा। मैं कह रहा हूं इस बात को.

(डा. किरोड़ी लाल)

तो+++ मैं बहिनजी से कहना चाहता हूं कि हम +++ हमने तो 1977 से बराबर रखा लेकिन 1980 में यह कांग्रेस सरकार आ गयी; इसने फिर शराबबाजी चालू कर दी। हमने तो चालू नहीं किया।

इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि आप अगर इस ढंग के गांधी हैं जो महात्मा गांधी में विश्वास करते हैं पूरी तरह से तो आप इन चीजों को लागू करो। मेरे को तो लगता नहीं है कि आप महात्मा गांधी हो। इसलिए नहीं लगता कि जिस गरीब की रखवाली करनी चाहिए थी, जिस गरीब को बचाना चाहिए था, जिस गरीब को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से आगे लाना चाहिए था, क्या हुआ उसका? अभी इन्होंने बुलडोजर चलाये। जयपुर में बुलडोजर चला दिये। टोडाभीम से आने वाले विधायक कह रहे थे कि जयपुर का सफाया कर डाला। हम अतिक्रमण की खिलाफत नहीं कर रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय; मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि जो यह महेन्द्र मीणा है....(व्यवधान)

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : जनता आपको माफ नहीं करेगी। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : जनता तो; पता लगेगा; किसको माफ करेगी। वह तो थानागाजी में पता लगेगा आगे जब चुनाव होंगे तो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अतिक्रमण की बात कर रहे हैं। (व्यवधान) थानागाजी की आप क्या बात कर रहे हैं? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, गहलोत साहब का डायनासोर, गहलोत साहब का बुलडोजर गरीबों की बस्ती में गया। उपाध्यक्ष महोदय, हमने महेन्द्र मीणा का मामला उठाया था जिसको इस सरकार ने मृत्यु के लिए मजबूर किया। उसके परिवार में दस लोग, उसकी थड़ी को उजाड़ दिया। जिसके पास जे.डी.ए. का पट्टा, उसकी थड़ी को उजाड़ कर रख गये और उसको मजबूर कर दिया जिसके कारण कुए में कूद कर उसने आत्महत्या कर ली।

उपाध्यक्ष महोदय; अभी एक मामला आपके सामने और आया बीना भाटिया नाम का। बीना भाटिया नाम की महिला, उसने कर्ज लेकर अपनी थड़ी लगायी। लाइसेंसशुदा थड़ी उसके पास थी। थड़ी लगाने के बाद; उपाध्यक्ष महोदय, क्या हुआ? 6 तारीख को नगर-निगम के लोग गये, थड़ी को उजाड़ आये। जिस दिन को थड़ी उजड़ी है उस दिन से आज तक उसके पति दिलीप भाटिया का पता नहीं है।

मुख्य मंत्रीजी; मैंने ये दोनों बातें

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. किरोड़ी लाल)

आपके सामने इसलिए कोट की है कि आप अतिक्रमण तो हटाओ लेकिन गरीब को, बड़ी वालों को, ठेली वालों को, चौपड़ पर बैठने वालों को जो अपने पेट का पालन कर रहे हैं, अगर आप इस ढंग से उजाड़ोगे तो मैं कहना चाहूंगा कि आप महात्मा गांधी नहीं, आप संजय गांधी हो। माननीय मुख्य मंत्रीजी, संजय गांधी ने और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इमरजेंसी में एक काला कानून इस देश की धरती पर लगाया। बाबर और औरंगजेब ने भी नहीं किया, ऐसा लगाया और उससे बढ़कर गहलोत की सरकार ने किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी ललित भाटीजी कह रहे थे कि भय और भ्रष्टाचार मुक्त समाज की व्यवस्था का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा भय राजस्थान की धरती पर आज तक किसी कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्य मंत्री ने नहीं किया या आपातकाल में संजय गांधी का भी नहीं था जितना गहलोत की सरकार के समय अब जनता में भय होगा। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : जब तक अपराधियों में भय नहीं होगा तब तक इस तरह के अपराध होते रहेंगे। उनके ऊपर भय होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अपराधियों की नहीं, जनता की कह रहे हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : महेन्द्र मीणा अपराधी नहीं है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : जनता खूब राजी है इस पर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री जगत सिंह दायमा : बहुत राजी है। मैं विपक्ष में बैठा हूं मैं कह रहा हूं कि इस के लिए जगह-जगह बड़ाई हो रही है। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : और करो सफाया। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अबकी बार मैं मुख्य मंत्री बना तो अतिक्रमण यहां से भी हट जाएगा। मैं कह रहा हूं इस बात को, आपका अतिक्रमण यहां से हटाऊंगा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ये महेन्द्र मीणा की कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, सैंथल से आने वाले माननीय सदस्य गलत समझ रहे हैं। मैं गरीब की बात कर रहा हूं।

श्री चन्द्रशेखर (खैरथल) : मैंने नहीं बोला। बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : हां, बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य। ये राजस्थान की विधान सभा में दलितों की बात ज्यादा करते हैं इसलिए मैं दलितों की बात इनके सामने रख रहा हूं। मेरे को विश्वास है कि ये मनुवादी हमारे नेता एक मात्र इस सदन में हैं, हमारी बात को तसल्ली से सुनेंगे। मनुवादी।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं हो रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी खुश कैसे हों, वे खुश कैसे रहें? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनको खुश करने के लिए हर योजना के साथ राजीव गांधी लगा रहे हैं राजीव गांधी जलग्रहण योजना, राजीव गांधी पाठशाला। इस ढंग की राजीव गांधी पाठशालाएं खोल कर, योजना के साथ राजीव गांधी नाम लगाकर गहलोत जी ने एक ऐसी नब्ज पकड़ ली है जिससे सोनिया गांधीजी दिल्ली में राजी रहती हैं। बाकी से तो चाहे कितनी भी नाराज हो जाएं, इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, सब राजीव गांधी के नाम से इन्होंने कार्यक्रम चला रखे हैं। +++

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार भाषण सुने हैं अशोकजी गहलोत के +++ हैं। कई बार कहते हैं और हृदय से स्वीकार करते हैं कि अफसरशाही में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, हर छठा कर्मचारी काम नहीं करना चाहता है और

(17.00 बजे)

मैं भ्रष्टाचार को मिटाना चाहता हूं। उस के लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन, गहलोतजी, मैं आपको एक बात और भी कहना चाहता हूं, शासन में भ्रष्टाचार है, प्रशासन में भ्रष्टाचार है और मैं आप पर लांछन लगाकर कहना चाहता हूं कि आपके थाने पांच-पांच लाख में बिक रहे हैं।

आपके तहसीलदार पोस्टिंग में पैसे देकर जा रहे हैं, आपका एक्स. ईएन. जा रहा है, बी.डी.ओ. जा रहा है, आर.टी.ओ. जा रहा है। डिजायर पर पैसे लिए जा रहे हैं। डिजायर का जो उद्योग धन्धा चालू कर दिया कांग्रेसियों की जेब गर्म करने के लिए, आपकी बदनामी बहुत हो रही है। मैं इसलिए चिन्तित हूं राजस्थान प्रदेश को....(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप इनकी बदनामी से क्यों चिन्तित हो रहे हो?

डा. किरोड़ी लाल : बहिन जी कह

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(डा. किरोड़ी लाल)

रही हैं कि आप इनकी बदनामी से क्यों चिन्तित हो रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : पिछड़े वर्ग के मुख्य मंत्री हैं इसलिए चिन्तित हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इनके शुभचिन्तक हैं इसलिए चिन्तित हैं।

डा. किरोड़ी लाल : इनकी बदनामी से चिन्तित नहीं हैं, उपाध्यक्ष महोदय। मैं इसलिए चिन्तित हूं कि एक बहुत अच्छा जवान मुख्य मंत्री राजस्थान को मिला है, पिछड़ी जाति का, गरीबों की सोचने वाला, लेकिन इनके रहते गरीबों के साथ अन्याय हो और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिले। भ्रष्टाचार को वे बढ़ावा देते हैं जो इनके अगल-बगल में घूमते रहते हैं, यह सबसे गंभीर बात है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी पसन्द नहीं करेगी कि यह भ्रष्टाचार बढ़े और उसके कारण राजस्थान की जनता लुटे।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी इन्होंने कहा कि गांधीजी का ग्राम स्वराज का सपना था। ग्राम स्वराज का सपना यह था कि पंचायतों को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करेंगे और सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद की जितनी यूनिट्स हैं उनको प्रभावी बनाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, सी.पी. जोशी जी बैठे होंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं 2 अक्टूबर और 26 जनवरी को इन्होंने राजस्थान भर में एक्शन प्लान तैयार करवाया और हर ग्राम पंचायत में, हर गांव में दस-दस कामों की प्रायोरिटी तय की दस-दस गांव की। उस को इन्होंने नाम दिया 'विलेज विजन'।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा तमाशा या मजाक राजस्थान की जनता के साथ आज तक नहीं हुआ। हम गांवों में जाते हैं तो लोग पूछते हैं, साहब, दस-दस काम तय हुए थे, गहलोत जी ने तय कराये थे, वे काम कब चालू हो रहे हैं? इतना जबरदस्त पावर इन्होंने ग्राम सभा को दिया। उपाध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि हमने जिला प्रमुखों को डी.आर.डी.ए. का अध्यक्ष बना दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, स्टाम्प होती है न मोहर, उस रबर स्टाम्प के अलावा जिला प्रमुख कुछ है नहीं। सारे वित्तीय अधिकार कलेक्टर के पास हैं। और हमारे यहां तो क्या किया? एक दिन मैंने भाषण सुना था सी.पी.जोशीजी का, उन्होंने बोला था कि संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल जो 29 विषय हैं, उन पूरे के पूरे विषयों के लिए जिला परिषद को अधिकृत कर दिया जाएगा, उसे अधिकार दे दिये जाएंगे। यहां पूरा सदन बैठा है, एक भी ऐसा अधिकार अभी तक जिला परिषद के पास नहीं पहुंचा जो ग्यारहवीं अनुसूची में हैं और जिसके कारण जिला प्रमुख या जिला परिषद या पंचायत समिति अपना काम कर सके। मैं आपको कहना चाहता हूं कि संवैधानिक अधिकारों का खुल्लम-खुल्ला उलघंन राजस्थान की यह सरकार कर रही है और भेदभाव कर रही है।

(डा. किरोड़ी लाल)

मैं गहलोत जी की एक बात के लिए प्रशंसा करना चाहूंगा, ये भाषणों में कहते हैं अफसरों को कि आप जन-प्रतिनिधियों का सम्मान करें। जन-प्रतिनिधि कोई पत्र लिखें तो उसका जवाब दो और जन-प्रतिनिधियों का सम्मान करो। उदाहरण मैं मेरे जिले का ही बताना चाहता हूं। मेरे जिले में एक शिड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति वहां का जिला प्रमुख बन गया। उसने अपनी पहली साधारण सभा की मीटिंग बुलायी। अपना यू.ओ. नोट भेजा डी.आर.डी.ए. को और एजेंडा निकाल दिया कि जिला परिषद की मीटिंग 22 तारीख को होगी। बाद में कलेक्टर ने यू.ओ.नोट जारी किया और पी.डी.; डी.आर.डी.ए. ने कहा कि साधारण सभा निरस्त की जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, ये गहलोत जी को बदनाम करने में लगे हुए हैं, जो मीटिंग निरस्त की उस आदेश में लिखा है कि कांग्रेस के विधायकों की मीटिंग माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बुलायी है इसलिए साधारण सभा की मीटिंग निरस्त की जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर कांग्रेस के विधायकों की मीटिंग है....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह (महुवा)(मुख्य सचेतक): मैं क्षमा चाहता हूं, उस दिन दोनों ही पार्टियों के विधायक दलों की मीटिंग थी 22 तारीख को और उस परिप्रेक्ष्य में ही हम लोगों ने अनुरोध किया था कलेक्टर साहब को, कि आज हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे इसलिए कोई दूसरी तारीख तय करवा दें।

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : आपकी भी मीटिंग थी और कांग्रेस वालों की भी मीटिंग थी।

डा. किरोड़ी लाल : इस विधान सभा का सत्र नहीं था, कांग्रेस की मीटिंग थी।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : नहीं आपकी भी थी।

डा. किरोड़ी लाल : मुख्य मंत्रीजी मीटिंग बुला रहे हैं, इसलिए उसकी मीटिंग कैंसिल कर दी। साधारण सभा की मीटिंग निरस्त करना साधारण सभा के सदस्यों का अपमान है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कांग्रेस शब्द क्यों लिखा ? वे यूं ही लिखते, विधायकों की मीटिंग होने के नाते, तो भी समझ में आने वाली बात थी। यह बात तो आब्जैक्शनेबल है ही। उन्हें यह नहीं लिखना चाहिए था।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : बात तो उचित है।

डा. किरोड़ी लाल : कलेक्टर का यू. ओ. नोट है। दिनांक 22-3-2000 को कांग्रेस विधायक दल की बैठक माननीय मुख्य मंत्री महोदय के निवास पर रखी गयी है... इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के निर्देश हैं....ऐसी मीटिंग होने के कारण यह स्थगित की जाती है। कलेक्टर या पी.डी.; डी.आर.डी.ए. कौन होता है निर्देश देने के लिए जिला प्रमुख को ? (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय किरोड़ी लाल जी से कहना चाहता हूं, जब-जब सदन चलता है, इस प्रकार के निर्देश जाते हैं कि कोई मीटिंग इस प्रकार की नहीं रखी जाए ताकि विधायकों को कठिनाई न हो। ऐसे निर्देश तो कई बार गये हैं राज्य सरकार से। बी.जे.पी. के राज में भी गये थे। जिलाधीश लेवल पर जो भी मीटिंगें हुई, उसमें सत्र के बीच में कोई भी मीटिंग बुलायी जाती है उसके लिए जनरली निर्देश जाते रहे हैं, कोई नयी बात है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 22 तारीख को सदन नहीं था।

श्री सांवर लाल : यह लिखते कि कांग्रेस के विधायकों की मीटिंग है? (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : आप इसको आधार क्यों बना रहे हो? जनरल इंस्ट्रक्शन हैं ये तो?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उस रोज सदन नहीं था। इनका कहना है उस रोज सदन नहीं था। आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 22 तारीख को सदन नहीं था।

श्री जनार्दन गहलोत : सदन के सत्र की बात हो रही है। हमेशा सत्र के बीच की बात है, यह होता है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : हर विधायक को बजट सत्र के अनिवार्य तौर पर दो दिन पहले आना पड़ता है। हर विधायक यहां दो दिन पहले क्यों आये? कैसे मीटिंग बुला सकते थे 22 तारीख को? 22 तारीख को कोई विधायक वहां रह नहीं सकता था, चाहे इस पार्टी का हो चाहे उस पार्टी का हो।

श्री सांवर लाल : यह लिखते कि विधायकों की बैठक हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई विवाद का विषय नहीं है, आप बैठिये। प्लीज। नहीं, कह दी अपनी बात।

श्री सांवर लाल : यह बात आब्जेक्शनेबल है।

श्री उपाध्यक्ष : अपनी बात कह दी न उन्होंने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कलेक्टर निर्देश जिला प्रमुख को दे रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : वे कह रहे हैं न अपनी बात। Let him say.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कलेक्टर निर्देश दे रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर जवाब आ जाएगा, आप बैठें। आर्डर प्लीज। कह दी न इन्होंने अपनी बात।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी): विवाद इस बात का नहीं है कि मीटिंग क्यों

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कौंसिल हुई, विवाद इस बात पर है कि कलेक्टर अपने आदेश में यह बात लिखे कि कांग्रेस की मीटिंग है। इस बात पर विरोध है, बाकी और विरोध नहीं है। कलेक्टर कांग्रेस का है क्या या कलेक्टर कांग्रेस की पैरवी करने के लिए बैठा हुआ है ? वह यह लिख सकता था, विधान सभा का सत्र आहूत हो गया इसलिए विधायक इसमें नहीं आ सकते अतः इस मीटिंग को आगे किया जाए। तब तो यह समझ में आ सकती है। लेकिन यह अधिकार नहीं है कि वह यह लिखे।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी, उस कलेक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे जिसने इस प्रकार का आदेश निकालकर .. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने अपनी बात कह दी और मुख्य मंत्रीजी अभी बोलेंगे, आप क्यों इंटरप्ट कर रहे हो बीच में।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद जिला प्रमुख जी ने मीटिंग बुलायी और 22-3-2000 को अपना पत्र लिखकर भेजा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार दिनांक 22–3–2000 को जिला-परिषद की साधारण सभा की बैठक में माननीय सदस्य महोदय पधारे हुए हैं, अतः साधारण सभा की मीटिंग में संचालन हेतु आप उपस्थित होवें, सी.ओ. के लिए। सी.ओ. ने मना कर दिया; मैं नहीं आऊंगा।

माननीय गहलोत साहब, प्रमुख साहब का यू.ओ. नोट है, कलेक्टर का यू.ओ. नोट है और यह चपरासी की तस्दीक भी है जिसमें पी.डी. ने मना कर दिया कि मैं इस मीटिंग में नहीं आऊंगा। यह कैसा सम्मान किया जा रहा है जन-प्रतिनिधियों का; इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं। इसका क्या कारण है ? इसका कारण यह है, गहलोत साहब, कि 22-2-2000 को चुनाव हुए और उस दिन चुनाव हुआ तो गड़बड़-घोटाला हुआ। गड़बड़ क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के 11 जिला परिषद के सदस्य जीतकर आए और कांग्रेस के 17 जीतकर आए। मतदान हो गया तो भारतीय जनता पार्टी को 16 वोट मिले और कांग्रेस 13 पर सिमटकर रह गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, सारे के सारे लोग बैठे थे। महुवा से आने वाले माननीय मुख्य सचेतकजी भी थे, लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य भी थे और सिकराय से आने वाले माननीय सदस्य भी थे। महेन्द्रजी ने तो नैतिकता के नाते इस्तीफा दे दिया जिला अध्यक्ष पद से, बाकी के साथ क्या हुआ ? बहुत अच्छा किया इन्होंने इसलिए मैं आपकी प्रशंसा करना चाहूंगा। कांग्रेस हार गयी बहुमत होने के बाद भी इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल आपकी उपस्थिति में मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं; कांग्रेस के जिन चार

(डा. किरोड़ी लाल)

सदस्यों को मारा-पीटा, एक महिला जो सदस्य थी उसके कपड़े तक फाड़ दिये, क्या यह कांग्रेस का अनुशासन है ? और क्यों पीटा ? उनको करैक्ट करने के लिए पीटा।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : यह बिलकुल गलत है, तथ्यहीन है, भ्रामक है। असत्य है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री परसादी लाल (राज्य मंत्री, सहकारिता) : यह बिलकुल असत्य बात है। मैं बोल रहा हूं न। मैं वहां था। किसी के कोई कपड़े नहीं फाड़े।

श्री उपाध्यक्ष : एक बोलो।

श्री परसादी लाल : किसी के कोई अंगुली नहीं लगायी। ये इनकी मन-गढ़ंत बातें हैं। इनकी ऐसी आदत है करने की। जो पहले से करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। आप थे वहां मोजूद ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं एक बात निवेदन कर रहा था।

श्री परसादी लाल : आपका कोई आदमी था वहां मौजूद ? किसी तरह की वहाँ कोई घटना नहीं हुई। किसी महिला के अंगुली नहीं लगायी गयी। कौन कहता है वहां ऐसी घटना हुई ? मिथ्या आरोप लगाना, अपने आपको सुधारो अब तो।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। एक मिनट।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास फोटो है, प्रमाण है। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रमाण देखो ना।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी बोल रहे हैं। आर्डर प्लीज। हां तो बता देना ना, जल्दी क्या है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य यह चार्ज लगा रहे थे, यह आरोप लगा रहे थे कि इन्होंने खरीद-फरोख्त की और उससे जाकर इनकी जिला परिषद बनी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने तो पिछले पांच वर्ष खरीद-फरोख्त से ही पूरा राज किया था राजस्थान में, आप ये बातें कहने का हक भी नहीं रखते।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास फोटो है। जिस समय पिटाई ठुकाई हो रही थी, उस समय का फोटो है। चार सदस्यों को क्रास वोटिंग का दोषी माना, दो पुरुष सदस्यों के साथ जम कर

(डा. किरोड़ी लाल)

मारपीट की, दो महिला सदस्यों से अभद्रता की। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दे डाला।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा। खैर; कांग्रेस का मामला है, मारे-पीटे, किसी का कुछ भी करे लेकिन महिला के साथ बदसुलूकी ठीक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके कारण चिढ़ कर जितने कांग्रेस के वहां पर विधायक हैं या जो मंत्री हैं, या जो मुख्य सचेतकजी हैं इन्होंने....(व्यवधान)

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह रहा हूं महिला के अंगुली भी लगायी हो। आप पूरी सदन की एक कमेटी बना दें कटारियाजी की अध्यक्षता में। या तो ये सच्चे हैं या हम सच्चे हैं। कटारियाजी खुद जांच कर लें।

एक माननीय सदस्य : नहीं, महिला के अंगुली लगाओगे अब। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : ऐसे मनगढ़ंत आरोप लगाना, किसी की पिटाई का आरोप लगाना गलत बात है। यह किस तरह की बात करते हैं आप ? आप थे मौजूद वहां ? आप यह तो नहीं कहते कि हमने पांच-पांच लाख में मेम्बर खरीद कर जिला परिषद बनायी। नैतिकता होती तो आप इस्तीफा दे देते। बहुमत था क्या आपका जिला परिषद में ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

डा. किरोड़ी लाल : फिर जिला प्रमुख कैसे बन गया बहुमत नहीं था तो ?

श्री परसादी लाल : बहुमत क्या था, खरीद–फरोख्त की आपने नैतिकता आपने गिरायी, आपको देना चाहिए इस्तीफा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आर्डर प्लीज।

डा. किरोड़ी लाल : मुख्य मंत्रीजी, आप इन चार–पांच लोगों को बुलाकर प्रताड़ना तो दो कि जहां आपके 17 सदस्य थे और 11 भारतीय जनता पार्टी के थे फिर जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी में कैसे बन गया ?

श्री उपाध्यक्ष : यह उनका मामला है, आप अपनी बात कहो ना। आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, पानी पी लो। पानी पिला दो इनको।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में विकास के काम तो बंद हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : पानी पिलाकर 30 की संख्या में ला दिया।

श्री उपाध्यक्ष : इनकी सेहत थोड़ी कमजोर है, पानी पी लेने दो इनको। पानी पिला दो इनको।

श्री परसादी लाल : उप जिला प्रमुख के चुनाव में क्या हुआ ? आपने पैसे दिये थे, एक वोट के दिये थे; जिला प्रमुख के लिए दिये थे। दूसरे दिन कांग्रेस का उप जिला प्रमुख बना; 17 वोट आये। आपकी अपनी पार्टी की नैतिकता क्या यही है जैसे भैरोंसिंहजी ने पांच साल तक राज चलाया खरीद-फरोख्त करके। आप भी इसी पर चलोगे तो भैरोंसिंहजी की सरकार का जो हाल हुआ वही आप लोगों का होगा।

श्री सांवर लाल : जियालाल बंशीवाल के परिवार की प्रतिष्ठा उस क्षेत्र में है इस लिए लोगों ने वोट दिये हैं। आप गलत आरोप लगा रहे हो। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : (व्यवधान) रुपये दिये इसलिए जीते हैं। उप जिला प्रमुख के चुनाव में कहां गयी वह नैतिकता ?

श्री सांवर लाल : आज तक जियालाल के परिवार के अलावा दौसा से कोई.... (व्यवधान) आज तक। क्या बात कर रहे हो आप ?

श्री परसादी लाल : उप जिला प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस को 17 वोट कैसे मिले ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिका कौन ? कौन बिकाऊ है? कांग्रेस के कार्यकर्ता बिके। बिकने वाला कौन था ?

श्री परसादी लाल : डा. साहब को सब पता है। खरीदने वाले डा. साहब थे, बेचने वाले ये थे। इन्होंने खरीदा है खुद ने ही। यह नैतिकता है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मण्डी में खड़ा कौन था ? मण्डी में नीलामी किस की हो रही थी ?

श्री परसादी लाल : ये कर्म कर लिये; राजेन्द्रजी, इसीलिए यहां बैठे हो। अभी बहुत दिन बैठना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इन्होंने खरीदा और आप बिके। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपकी जानकारी के लिए कह दूं; गंगानगर में आपके बी.जे.पी. के 10 आये थे; 6 बिक गये, यह भी ध्यान रखना।

श्री परसादी लाल : आपके उप जिला प्रमुख में 17 वोट आते जब आप कहते हो कि हमारे आदमी हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : 6 बिके; चार ही रहे। आपके कैंडिडेट चार ही रहे। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : आप तो खरीद-फरोख्त का धन्धा करते हैं, सेठों की पार्टी है। हमारा गरीब आदमी था, आपका पैसे वाला करोड़पति था। यह करोड़पतियों की पूंजीवादी राजनीति आप करते हैं। हमारी पार्टी ऐसी राजनीति नहीं करती। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर।

श्री राजेन्द्र पारीक : कोई मुद्दा इनके पास है नहीं।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा यहां हो क्या रहा है ?

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, यह जिला परिषद की मीटिंग है क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको आधा घंटा हो गया है।

डा. किरोड़ी लाल : अब बोलने नहीं दे रहे।

श्री उपाध्यक्ष : आप एक ही सब्जेक्ट पर इतना बोल रहे हो, दूसरा बोलों ना।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने ट्रांसफर को अपना उद्योग धंधा बना लिया। डिजायर लिखते हैं और ट्रांसफर करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यहां तक हो गया, इस ट्रांसफर के धंधे के कारण या इन डिजायर्स के कारण कर्मचारियों में आतंक फैल गया आपने सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा, शंकरलाल जैन नाम के सेल्स टैक्स के यू.डी.सी. ने सेल्स टैक्स कमिश्नर के आफिस के सामने आत्मदाह कर लिया इस ट्रांसफर के कारण। सांख्यिकी विभाग के क्लर्क अरविंद कुमार ने ट्रांसफर से तंग आकर आत्महत्या कर ली। ये तो छोटे कर्मचारी हैं, उपाध्यक्ष महोदय, छोटे आदमी हैं। डूंगरपुर के एस.पी. कुमार इन्द्र भूषण ने मात्र तीन महीने में ही ट्रांसफर कर दिये जाने के कारण आत्मदाह की धमकी दे डाली थी कि मेरा कारण समझाओ, आपने तीन महीने में ट्रांसफर क्यों किया। यहां पर पुलिस मुख्यालय में बुलाकर डी.जी.साहब ने कमरे में बंद कर लिया। कहां तक हद हो गयी कि आई.पी. एस. लेवल का आदमी ट्रांसफर के मामले को लेकर धमकी मारे आत्मदाह की। इससे बड़ा आतंक कभी नहीं रहा।

श्री राजेन्द्र पारीक : बी.जे.पी. के पार्षद ने आत्मदाह कर लिया था।

श्री राधेश्याम गंगानगर : गंगानगर में बी.जे.पी. के पार्षद ने नाली के लिए आत्मदाह किया, ऐसी हिन्दुस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में कोई मिसाल नहीं। आपकी पार्टी के आदमी ने एक नाली के लिए आत्मदाह किया।

श्री महेश जोशी (उ.मु.स.): और अगली धमकी आपको गुलाब चन्दजी कटारिया से मिलने वाली है जिनके काम पर आप अतिक्रमण कर रहे हो। उप नेता महोदय बैठे हैं और आप नेता के रूप में भाषण दे रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : महेशजी, इतना ज्यादा अपने आपको सुपर बताने की कोशिश मत करो, अपनी ही सीमा में रह कर बात को बोलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : आपको दु:ख गयी क्या बात ? (व्यवधान) आपको चुभ गयी बात ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ज्यादा +++ करने की, आप एक बार आ गये तो इतना ज्यादा +++ की जरूरत नहीं है ।

श्री महेश जोशी : आप जो कह रहे हैं, आप मेरे को डिक्टेट नहीं कर सकते ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ऐसा है, यह कोई छींका टूट गया इसलिए इतना अभिमान मत करो । (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : और आपकी क्या हैसियत है यह आपने मंत्री रहते हुए सिद्ध कर दिया । (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हैसियत को हम समझ लेंगे । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप क्या कहना चाहते हो ? (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : हां, मैं सही कह रहा हूं । (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप क्या कहना चाहते है ? (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : मैं बता रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं । क्या बात कर रहे हो आप ? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या कहना चाहते हैं आप ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य । (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : पहले अपने आपको देख लो । (व्यवधान) समझे न ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या बात करते हैं आप ? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जीत कर आ गये तो कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया है ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ गरिमा तो रहनी चाहिये । औकात की बात कर रहे हैं, यह क्या कह रहे हैं उप मुख्य सचेतकजी ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये । आर्डर, आर्डर ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप इतराओ मत इतना । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++ (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको मर्यादा मालूम नहीं है। लोकतंत्र की कोई गरिमा होती है, औकात बताने की बात करते हो आप। औकात की बात कह रहे हैं, यह क्या कह रहे हैं उप मुख्य सचेतकजी ?

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, मुद्दा तो इनके पास कोई है नहीं, हल्ला-गुल्ला करके बाहर भागना चाह रहे हैं। इनसे कहिये कि बायकाट करें, वाक-आउट करें, जो कुछ करना है कर कराके नक्की करें।

श्री उपाध्यक्ष : इनको समाप्त करने दो न; क्यों टाइम खराब कर रहे हो आप ? (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, दोनों ही पार्टी के तर्क-वितर्क बहुत अच्छे हैं और दोनों ही बी.जे.पी. और कांग्रेस सच बोल रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय; एक मिनट। हमारे सदन के उप नेता के लिए इस प्रकार का शब्द कहना, 'क्या औकात है,' माननीय सदस्य को माफी मांगनी चाहिये।

एक माननीय सदस्य : +++

श्री मदन दिलावर : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। उपाध्यक्ष महोदय, +++ हमारे माननीय उप नेता के लिए ऐसे शब्द कहें जिनको खुद को +++ पता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप; इनको बोलने दो न। काहे को टाइम खराब करते हो ? (व्यवधान) आर्डर प्लीज, इनको समाप्त करने दीजिये।

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या कहना है इसमें ? क्यों बहस में डालते हो इस बात को ?

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय; सदन की गरिमा का प्रश्न होता है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, सदन की गरिमा तो आपको भी रखनी पड़ेगी; इनको भी रखनी पड़ेगी।

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय; मैं कोई बात कह रहा हूं, रिलेवेंट कर रहा हूं।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, लैट हिम स्पीक प्लीज। विराजिये।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि एस.पी. लेवल का अधिकारी आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है, इस ट्रांसफर के आतंक को कम करो। कोई ट्रांसफर की पालिसी निश्चित रूप से सरकार को बनानी चाहिए। वहां सिविल लाइन में शिक्षा मंत्रीजी के घर के आगे आत्मदाह किया होता। ट्रांसफर से आतंकित होकर सिविल लाइन में जाकर आत्मदाह करने की पोजीशन बन रही है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ने जो ट्रांसफर का उद्योग चला दिया है.... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : दलित पर बोलो, पिछड़े वर्ग पर बोलो।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमने महामहिम का अभिभाषण सुना, महामहिम के भाषण में था कि हमने महिला आयोग गठित कर दिया, कानून की व्यवस्था जोरदार कर डाली, महिलाओं पर अत्याचार कम कर डाले।

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस का जो प्रतिवेदन छपा है वह तो इनका खुद का रिकार्ड है। पुलिस के वार्षिक प्रतिवेदन में लिखा है कि महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं और हर रोज करीब 30 स्त्रियों को सताने की वारदातें दर्ज हो रही हैं। यह महिलाओं के साथ इन्होंने किया है।

श्री जगत सिंह दायमा : बलात्कार कम हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंहजी, प्लीज बैठिए।

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, सर।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप बैठिए। एक्सपंज कर दीजिए। अंकित नहीं करें। (संकेत) यह क्या तरीका है आपका ? आप बोलते है जब कोई बोलता हो नहीं है।

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप हर बात पर खड़े हो रहे हैं। आप विराजिए प्लीज। आप कैसे कह रहे हैं यह बात ?

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : क्या बार-बार डिस्टर्ब करते हैं आप ? आप कृपापूर्वक विराजिए।

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : यह तो कह ही रहा हूं।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय; रोजाना चार जनों की हत्या होती है। कितना अपराध बढ़ा है, आप इससे अंदाज लगा लेंगे कि अकेले जयपुर शहर में जनवरी से जून, 99 तक हत्या के 28 प्रकरण हुए हैं और 99 में 42 प्रकरण दर्ज हुए हैं। उन हत्या के प्रकरणों में से पांच में तो एफ.आर. लगा डाली, चार में चालान कर दिया तथा 23 हत्या के मामलों की तफ्तीश अभी तक चल रही है। यह पुलिस की सक्रियता का उदाहरण है कि कितनी संवेदनशील सरकार है, पुलिस कितनी एक्टिव है और कितनी पारदर्शी है कि 23 में तो अभी तक तफ्तीश ही चल रही है और पांच में एफ.आर. लगा डाली।

उपाध्यक्ष महोदय, लूट, नकबजनी, बलात्कार और अन्य अपराध, कुछ अपराध जो जयपुर में हुए वे 98 में थे 3697 और 1999 में पहुंच गये 3992। एफ. आर. लगा दी 1138 में, चालान हुए मात्र 2197 में तथा तफ्तीश जारी है 625 की। यह पुलिस की सक्रियता का बहुत जोरदार उदाहरण है और संवेदनशील सरकार का एक नमूना है।

(17.23 बजे)

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराधों में, अशोक गहलोत मुख्य मंत्री का राजस्थान अव्वल नम्बर पर रहा है। यह तो आल इण्डिया का रिकार्ड है।

श्री राजेन्द्र पारीक : ये अपराध सवाई माधोपुर से चलकर यहां पहुंच गये आपके पीछे-पीछे।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आज इजाजत दी थी। 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया गया था और, अध्यक्ष महोदय, 8 मार्च को ही आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि एक महिला को एक नहीं पांच दिन तक दरिन्दे रौंदते रहे। ऐसी शर्मनाक घटना अगर हिन्दुस्तान में हुई है तो यह राजस्थान की धरती पर हुई है, अशोक गहलोत के राज में हुई है। बेरहमी की हद होती है। अभी बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि गोविन्दगढ़ में एक ऐसी हृदय विदारक घटना हुई। एक एस.सी. की महिला के साथ एक नहीं तीन-तीन आदमियों ने बलात्कार किया। बलात्कार के बाद उस महिला ने तेल छिड़क कर आग लगा डाली। ऐसा जघन्य अपराध कभी नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय, अभी लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि ये बढ़ा-चढ़ाकर कह रहे हैं। हमारे यहां सवाई माधोपुर में एक घटना हुई। पुलिस ने जो बर्बरता की उस बर्बरता में पुलिस अपनी हद पार कर गयी। एक चार हजार की आबादी के गांव को पुलिस ने पूरी तरह खाली करा दिया। एक महीने तक गांव खाली रहा, औरत तथा मर्द सारे भाग

(डा. किरोड़ी लाल)

गये। उनके पशुधन को फेंक डाला, उनके पैसों को लूट लिया, उनके जेवरों को लूट लिया।

माननीय मंत्री महोदय ने उस ज्यादती को स्वीकार किया। मैं लालसोट से माने वाले माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि खुद इन्होंने अपनी आंखों से इस नाटक को देखा है और पुलिस ज्यादती को स्वीकार किया। मैं माननीय गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं कि जब राजस्थान सरकार के एक मंत्री ज्यादती को स्वीकार कर रहे हैं तो पुलिस के खिलाफ ज्यादतियों का मुकदमा अभी तक क्यों नहीं दर्ज हुआ?

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब; अब आप समाप्त कीजिए। 35 मिनट से ऊपर हो गये हैं, मैंने पूछ लिया।

डा. किरोड़ी लाल : अभी कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, नीमकाथाना की घटना.... (व्यवधान) ज्यादा नहीं, दो-चार घटनाएं जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय; नीमकाथाना की घटना आपने सुनी होगी। एक संतरी, अपराधी को न्यायिक हिरासत से अदालत में पेश करने के लिए ले जा रहा था। अपराधी को छुड़ाने के लिए बाकी के अपराधियों ने उस संतरी को मार डाला और उस अपराधी को छुड़ाकर ले गये। आज तक अपराधियों का पता नहीं कहां चले गये। ये दो-चार सरकार के नमूने आपके सामने बता रहा हूं कि बाहुबलियों और बड़े गुण्डों का राज यहां पर चालू हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, आपका जो मेनिफेस्टो है इस बाइबिल में आपका फोटो है। आपका फोटो होने के कारण मेरे को और ज्यादा शर्म आ रही है।

श्री अध्यक्ष : इसका आप कई दफा उल्लेख कर चुके हैं।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, इस बाइबिल में लिखा हुआ है कि मल्ली देवी के साथ जिस डी.आई.जी. ने बलात्कार किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको पकड़ने में विफल रही। मैं अशोक गहलोतजी को कहना चाहता हूं कि आपको तो डेढ़-दो साल हो गये; वह डी.आई.जी. टण्डन कहां है? उसको आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया?

ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब राजस्थान की सरकार के पास नहीं है, मुख्य मंत्री के पास नहीं है। काली देवी का अपहरण हुआ। खेड़ली में हुआ, बड़ी घटना हुई। आदमी मारे गये। मुख्य मंत्रीजी ने यहां लोगों को आश्वासन दिया था कि गिरफ्तार करेंगे। हाई कोर्ट में हम गये। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि उस लड़की को बरामद करके लाओ। आज तक राजस्थान की सरकार; एक साल पहले घटना हुई थी, उसको बरामद करके नहीं ला सकी। अध्यक्ष महोदय, ऐसी शर्मनाक घटनाएं यहां पर हो रही हैं।

श्री अध्यक्ष : इस घटना के बारे में आप यहां पहले कई बार जिक्र कर चुके हैं।

डा. किरोड़ी लाल : कानून नहीं, जंगल का राज चल रहा है।

श्री जगत सिंह दायमा : जंगल का राज जीत गया बिहार में।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था, कई बार मुख्य मंत्रीजी ने कहा भी था और बाकी के सब भाषण देते हैं सभाओं में जाकर तो वे भी कहते हैं कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, लेकिन बेरोजगारों की हालत क्या है? मुख्य मंत्रीजी के यहां पेट के बल यात्रा करते हुए जो युवक जा रहे थे, उनको रोक लिया।

सचिवालय में जो युवक नौकरी मांगने के लिए जा रहे थे, उनको मारा-पीटा। नंगे पैरों से जो जे.ईएन. जा रहे थे उनको रोक लिया। एक टांग से पैदल यात्रा करते हुए पटवारी यहां विधान सभा पर आये थे, उनको रात को पुलिस उठाकर ले गयी। यह कैसा बेरोजगारों को रोजगार? पटवारी रेवेन्यू बोर्ड से सलैक्ट हो चुके, उनको ट्रेनिंग के लिए जाना बाकी है, उनको आज तक ट्रेनिंग के लिए भेजा नहीं। वित्त विभाग ने भी परमीशन दे दी और रेवेन्यू बोर्ड ने भी मान लिया कि हमारे पास पटवारियों की कमी है उसके बावजूद।

मुख्य मंत्रीजी से मैं कहना चाहूंगा कि आप ट्रेण्ड पटवारियों को नौकरी नहीं लगाना चाहते। गत बजट सत्र में आपने कहा था कि एक पंचायत में एक ग्राम सेवक और पदेन सचिव लगाएंगे, आज तक उस बात का क्या हुआ? एक भी ग्राम सेवक और पदेन सचिव को नहीं लगाया गया। यह रोजगार की हालत है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम कोई पद खत्म नहीं करेंगे। ग्यारह हजार हमारे पास रिक्त पद हैं उनको भरेंगे। स्वरोजगार योजनाओं का ढिंढोरा पीटते रहते हैं, उनकी हालत क्या है? टौंक का मामला है, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार में वर्ष 1999–2000 में फरवरी माह के अन्त तक 405.06 लाख रुपये के लक्ष्य आवंटित किये गये थे, उसके विपरीत बेरोजगार युवकों को मात्र 37.7 लाख रुपये के ऋण वितरित किये गये जबकि वित्तीय वर्ष समाप्त हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री रोजगार योजना में जनवरी माह के अन्त तक 362 के लक्ष्य के विपरीत केवल 82 लोगों को ऋण वितरित किये गये। एस.जे.एस.वाई. योजना में 405.5 लाख के लक्ष्य के विपरीत मात्र 38 लाख के ऋण वितरित किये गये। स्वरोजगार योजना में 770 लाख का लक्ष्य तय किया गया जिसमें मात्र 128 को लाभान्वित किया गया। स्वच्छकार पुनर्वास योजना में 161 में से मात्र एक को स्वीकृति दी है।

मैं मुख्य मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि जो योजना आप लागू कर रहे हैं, अधिकारी केवल पर उनके लक्ष्य

(डा. किरोड़ी लाल)

प्राप्त नहीं हो रहे हैं। बेरोजगार भटक रहे हैं, उनको लूट रहे हैं। उनसे पैसे लिये जा रहे हैं। वहां भी माफिया गिरोह है जो बेरोजगारों से पैसे ले-लेकर उनकी योजनाओं को पारित कराने में लगे हैं। उसके बाद भी आपके लक्ष्य पूरे नहीं हो रहे।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, बहुत समय ले लिया आपने।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, प्रशासन की क्या हालत है ? मुख्य मंत्रीजी के आदेश से कलेक्टर्स को फील्ड में जाना है। मुख्य मंत्रीजी, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको रिपोर्ट गलत दे देते होंगे, मैंने तो किसी कलेक्टर को फील्ड में जाकर पब्लिक की समस्या को सुनते हुए या संभालते हुए कभी नहीं देखा। मैंने दो चीजें देखी हैं। एक गोजगढ़ में घटना हुई, तीन दिन तक कलेक्टर वहां पर नहीं पहुंचे। एक भांवरा में घटना हुई, माननीय मंत्री जी पहले पहुंच गये, मैं लालसोट से आने वाले मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन कलेक्टर मंत्री जी के बाद में पहुंचा। संवेदनहीन अधिकारियों की खिंचाई करें; मुख्य मंत्री जी, आपको इस मौके पर कहना मैं उचित समझता हूं। आपने कहा है कि ऐसे मौके पर जाएं, जनता को संभालें।

अध्यक्ष महोदय, यहां इन्होंने एक तुरन्त दल ऐसा नियुक्त किया जो सडन चैकिंग करेगा। दौसा के कालेज में सडन चैकिंग हुई तो 52 व्याख्याता एब्सेंट मिले। ऐसी सडन चैकिंग सवाईमाधोपुर जिले में हुई वहां 15 अधिकारी और 193 कर्मचारी अनुपस्थित रहे। उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

मैं यह बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि सरकार सडन चैकिंग का जो ढोंग रच रही है उसमें प्रशासन को एफिक्टव करने की कोई बात नहीं है और अधिकारी फील्ड में जाकर जनता के दुःख–दर्द को नहीं सुनते।

अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी पाठशाला का ढोल बड़ा तगड़ा बजाया जा रहा है, कई दिन से बज रहा है। हमने राजीव गांधी पाठशाला खोल दी लेकिन उसमें भी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत का अपमान हुआ है। ऐसे तो कई उदाहरण राजस्थान में होंगे मेरे पास एक उदाहरण है पंचायत समिति लालसोट का। पंचायत समिति लालसोट क्षेत्र में दिनांक 23 मार्च 99 रविवार को माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार ग्यारह राजकीय पाठशालाएं खोली गयीं उनमें चयन के निर्देश दिये जाते हैं। ग्राम सभा कहां हुई, अध्यक्ष महोदय ? ये तो मंत्री के आदेश हैं। न ग्राम पंचायत, न ग्राम सभा हुई, न ग्राम की जन सभा हुई।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक जी के इलाके में क्या हुआ है? दसवीं से ज्यादा पढ़ा लिखा महुवा, खेड़ला, खानपुर में कोई नहीं मिला इसलिए दसवीं से कम पढ़े–लिखे को

(डा. किरोड़ी लाल)

आप इसमें नियुक्ति दे डालो। इन्होंने नियुक्ति दे डाली। आपको जल्दी लग रही है, मैं भी आपकी बात समझ रहा हूं क्योंकि मुख्य मंत्री जी को जवाब देना है।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): श्रीमान वे सैकण्डरी पास हैं।

डा. किरोड़ी लाल : मैं कहना चाहता हूं कि जो लड़के लगाये हैं वे हमारे लड़कों का भविष्य खराब करने के लिए लगाये हैं। बी.एड और एच.टी.सी. ट्रेण्ड लड़के उपलब्ध हैं तो उनको क्यों नहीं लगाया? हमारी नींव ऐसी रखना चाहती है कांग्रेस कि हमारा बच्चा पांचवी तक पढ़ने के बाद बोर्ड को तो फेस करेगा नहीं और फेस करेगा तो दर्जनों बार फेल हो जाएगा। गांव का व्यक्ति आगे बढ़कर नहीं आ सकता, वहीं रह जाएगा। बेरोजगार रहेगा, ऐसी व्यवस्था कांग्रेस ने अपने राज में की है।

श्री सी.पी. जोशी : पच्चीस हजार बिहार से फर्जी डिग्री वालों को नौकरी लगाने वाले आदमियों को यह कहने का अधिकार नहीं है। पच्चीस हजार आदमियों को नौकरी लगायी है बिहार की डिग्री वालों को और आज हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। शिक्षाकर्मी में तीन हजार आदमियों को लगा रखा है जो आठवीं पास हैं और हमसे पूछ रहे हैं किस तरह का अपाइन्टमैंट कर रहे हैं। अपनी बात कहने से पहले अपने जो मंत्री रहे हुए हैं उनसे जानकारी लेकर भाषण दें तो ठीक रहेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने सदन में इस बात को स्वीकारा है कि 25 हजार लोग फर्जी डिग्री के आधार पर सरकार में नियुक्त हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया इसके लिए तो चाहे आप जांच समिति बना लें पर, मंत्री महोदय, आपने सदन में जिस चीज को स्वीकारा है क्या उसके लिए कार्यवाही करके उन्हें नौकरी से निकाला है क्या?

श्री सी.पी. जोशी : कार्यवाही यह की है कि भविष्य में नौकरी नहीं लगें। दसवीं पास लड़का है राजस्थान का उसको शिक्षा में जोड़ने का काम किया है। नकली डिग्री लेकर आने वालों को इसमें काम नहीं दिया यह व्यवस्था की है हमने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने माना है कि पच्चीस हजार टीचर राजस्थान में नकली डिग्री के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ये पच्चीस हजार टीचर कौन हैं, उनको निकालो।

श्री सी.पी. जोशी : वे 25 हजार आदमी हैं जो मिले हुए हैं। पैसा खाकर आर.एस.एस. के नाम पर नौकरी लगे हैं। उनको किस मुंह से कहना चाहते हैं आप। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उन पच्चीस हजार को क्यों नहीं निकाल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब मंत्री महोदय कह रहे हैं कि 25 हजार बिहार से डिग्री होल्डर हैं तो क्या उन्होंने उनकी जांच की ?

श्री हरिसिंह (महुवा)(मुख्य सचेतक) : आप विराजिये, बोलने दीजिये माननीय सदस्य को।

श्री सांवर लाल : माननीय मंत्रीजी ने जांच कर ली क्या कि 25 हजार बिहार से डिग्री लिये हुए फर्जी हैं ? ये वास्तव में फर्जी हैं, आपने जांच-पड़ताल कर ली क्या ? अगर फर्जी हैं तो क्या कार्यवाही करने जा रहे हो ?(व्यवधान) या आप केवल बातें ही कहने जा रहे हो ?

श्री सी. पी. जोशी : जो कार्यवाही करनी चाहिए वह कार्यवाही कर रहे हैं। आपने भिनाय में अकाल के काम नहीं करवाये। कार्यवाही जो की है वह राजस्थान के हित में कार्यवाही की है।

श्री सांवर लाल : हमारे को धमकाने और यूं करने की जरूरत नहीं है, मंत्रीजी +++

श्री सी. पी. जोशी : आप सर्टिफिकेट दोगे क्या मुझे ? आपका सर्टिफिकेट चाहिए क्या मुझे ? वे काम मैंने नहीं किये जो आपने किये हैं। (व्यवधान) सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपका। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी करना हमारा अधिकार है। मंत्री महोदय ने इस सदन में कहा, 25 हजार बिहार के फर्जी डिग्री वाले हैं तो क्या वास्तव में आपने जांच कर ली ? अगर कर ली है तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रहे हो ?

श्री राजेन्द्र पारीक : वे सारे आर. एस.एस. के कार्यकर्ता थे।

श्री मदन दिलावर : कार्यकर्ता थे तो निकालो ना। फर्जी थे, किसके कार्यकर्ता थे तो निकालो। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मंत्री बन गये बिहार में सब लालू यादव के साथ।

श्री जगत सिंह दायमा : लालू यादव जीतकर आया है, किसी की मेहरबानी से नहीं आया है, यह और सुन लीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह छोटी-मोटी बात नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री जगत सिंह दायमा : सारी सरकार एक तरफ, मैं कैसे बैठ जाऊं इस बात पर। यादव पिछड़े वर्ग का आदमी है, मैं बोलूंगा आप चिढ़ते हो, मनुवादी हो। (व्यवधान) पूरी बी.जे.पी., प्रधान मंत्री एक तरफ और

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जगत सिंह दायमा)

लालू यादव एक तरफ। क्या बात करते हो।

श्री सांवर लाल : क्या कन्सेप्ट चल रहा है मनोवादी का।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि यह छोटी–मोटी घटना नहीं है। इस सर्वोच्च सदन में आपकी उपस्थिति में राजस्थान के शिक्षा मंत्री यह कहते हैं कि राजस्थान में 25 हजार शिक्षक ऐसे हैं जिनके पास बिहार की फर्जी डिग्री है।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री स्तर का आदमी इस बात को स्वीकार करे तो मैं समझता हूं आपने निश्चित तौर पर पच्चीस हजार के आंकड़ों पर पहुंचने से पहले कोई जांच करवायी होगी।

अध्यक्ष महोदय, पच्चीस हजार शिक्षक चाहे पूर्ववर्ती सरकार के समय में लगे हों चाहे इस सरकार के समय में लगे हों, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि फर्जी डिग्री के आधार पर हमारे शिक्षालयों में पच्चीस हजार ऐसे लोग नौकरी कर रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, शिक्षा मंत्री जी, आंकड़ों पर पहुंच कर आपने उन्हें चिन्हित कर दिया तब ही तो 25 हजार की आपने संख्या गिनायी है। अब हमने किया है कि नहीं किया है, अलग बात है। मैं आपसे बड़ी नम्रता से पूछ रहा हूं कि आप क्या करने जा रहे हैं? क्या 25 हजार फर्जी डिग्रीधारी शिक्षक इस राजस्थान के शिक्षा जगत के अंदर यूं ही बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे या उनको आप नौकरी से निकलवाने की मंशा रखते हैं? आप बताइये।

श्री सी. पी. जोशी : पहले खुद फैसला कर लो कि जुलूस लेकर नहीं आओगे, फिर फैसला कर लूंगा। अतिक्रमण हटाया तो आंदोलन लेकर आ जाएंगे, निकाला तो आंदोलन लेकर आ जाएंगे। (व्यवधान) पहले पार्टी फैसला करके आ जाए, फिर मैं फैसला ले लूंगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप डरते हो क्या जुलूस से ? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सरकार की जानकारी में आने के बाद अगर मंत्री महोदय इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो यह राजस्थान की जनता के लिए चिन्ता की बात है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : क्या जुलूस से डरकर सही काम नहीं करोगे ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या आप हमारे कहने से चलोगे ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, हमें फैसला नहीं करना है, फैसला उनको करना है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज ।

श्री मदन दिलावर: अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर मामला है, पच्चीस हजार लोग यहां फर्जी डिग्रियां लेकर आये हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस सरकार का मामला नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री सांवर लाल जी, बैठिये आप । (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यह बिहार से डिग्रियों का मामला है । (व्यवधान) मंत्री जी किस तरीके से बात कर रहे हैं ? फर्जी डिग्री वाले हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करना चाहते हैं, इनको स्पष्ट करना पड़ेगा । अध्यक्ष महोदय, यह दस वर्ष का मामला नहीं है, कोई भी व्यक्ति हो..

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय; सर्वोच्च सदन में शिक्षा मंत्री ने इस बात को स्वीकारा है, मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि आप उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं ?

श्री सांवर लाल : आपने कोई जांच भी की है या अपनी मर्जी से ही बता रहे हो ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या फर्जी डिग्री वालों को आप नौकरी से निकाल रहे हैं, यह बता दें यहां पर ।

श्री सी. पी. जोशी : कानून सम्मत सब कार्यवाही की जाएगी, आप अपनी पोलिटिकल फिलोसोफी को ठीक कर लें । जब हम कार्यवाही करेंगे तब डंडा लेकर मत आना, पहले से फैसला कर लें । कानून सम्मत सब कार्यवाही की जाएगी ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : या तो फर्जी लोगों को नौकरी से निकालो, नहीं तो यह सरकार +++ है । या तो फर्जी डिग्री वालों को नौकरी से निकालो, नहीं तो यह सरकार +++ है । इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोला है तो आप कार्यवाही करिये, फर्जी डिग्री वालों को निकालिये । आपने चिन्हित किया 25 हजार हैं, कार्यवाही करिये, नहीं तो सरकार+++ है, फर्जी लोगों के साथ मिली हुई है । बिहार में फर्जी मुख्य मंत्री के साथ मिले हुए हैं तो आगे कार्यवाही करें, नहीं तो यह सरकार फर्जी कार्यवाही करने वाली +++ सरकार है ।

श्री अध्यक्ष : ज्ञानदेव जी, बैठिये ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह सारी चीज रिकार्ड पर आयी है । इतनी बड़ी बात शिक्षा मंत्रीजी बोल गये और उसके बाद कार्यवाही करें नहीं । क्यों नहीं कार्यवाही कर रहे हैं ?

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया के नियमों के अन्तर्गत आप इस मामले को उठा सकते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह छोटी बात थोड़े ही है, बहुत गम्भीर बात है। सदन के अंदर शिक्षा मंत्री जी ने स्वीकार किया कि ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : पच्चीस हजार लोग फर्जी डिग्रियां लेकर यहां आये हैं.... (व्यवधान) और ये उसके बाद टुकर-टुकर देख रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने किस प्रक्रिया के तहत यह जानकारी दी, पहले यह हमें स्पष्ट करें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ऐसी फर्जी डिग्री वाले हैं तो शिक्षकों का अपमान है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह बात कही कि पच्चीस हजार लोग फर्जी डिग्री लिये हुए यहां पर शिक्षा विभाग के अंदर अध्यापन कार्य कर रहे हैं और यह भी कहा कि उनका संबंध आर.एस.एस. से है। अब यह भी कहा है कि अगर आप जुलूस लेकर नहीं आए तो हम हटा देंगे। तो क्या आप इनसे डरते हैं क्या ? इस तरह के लोग अवैध डिग्री लेकर हमारे बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं आपसे मांग करता हूं सभी की तरफ से कि चाहे इन्होंने किया हो, इस पाप में आप भागीदार मत बनिये। अगर ऐसे लोग हैं जो अवैध डिग्री लेकर नौकरी कर रहे हैं तो मेरा हाथ जोड़ कर आपसे निवेदन है कि आप उनको तत्काल नौकरी से निकाल दीजिए। वर्ना आप भी इस पाप में भागीदार बनने जा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप सारे के सारे +++ सो पूरे राजस्थान की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर के अंदर हमारे किसानों के बच्चे दरभंगा यूनिवर्सिटी से पास करके आये थे, उनकी डिग्रियों की जांच की गई। अलवर के थे उनको नियुक्ति दे दी गई, जैसलमेर में दे दी गई, बाड़मेर में 157को आर्डर देने के बाद में 100 पद वहां से हटा दिये गये।

श्री सी. पी. जोशी : यह बिहार के पक्ष में बोल रहे हैं, बोल लो। यह फैसला कर लो, बिहार के पक्ष में बोल रहे हैं, आपके माननीय सदस्य बिहार के पक्ष में बोल रहे हैं। आप बोलिये, खड़े होकर बोलिये। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : 100 पोस्टें हटा दी गईं जबकि बाड़मेर के अन्दर अध्यापकों का अभाव नहीं है। (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

एक माननीय सदस्य : अपने आप कह कर अपने जाल में फंस गया।

श्री अमराराम चौधरी : बिहार में डिग्री मिलती होगी। (व्यवधान) पंचायत समितियां अलाट कर दी गई हैं वहां पर। (व्यवधान) जिनको डिग्रियां सही पाई गई हैं उन लोगों को अभी तक नियुक्तियां नहीं दी गई हैं।

श्री सी. पी. जोशी : बोलने दो ना। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : समितियां अलाट कर दी गई हैं उसके बावजूद भी उनको नियुक्तियां नहीं दी गई हैं।(व्यवधान) वहां पर पोस्टें खतम कर दी गईं। इनके निदेशक महोदय ने जो आदेश जारी किये, बाड़मेर के लड़कों के साथ यह सौतेला व्यवहार किया गया। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, ये फर्जी नहीं हैं, +++ तो कांग्रेसी हैं। यह फर्जी भर्ती है इसलिए इनको निकालना नहीं चाहते। बहाना हमारा लेना चाहते हैं कि हम आंदोलन करेंगे। +++ तो कांग्रेसी हैं।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है इस कांग्रेस के बाइबल में लिखा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की वर्तमान नीति में आ रही कठिनाई को दूर किया जाएगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित पदों को केवल सम्बन्धित वर्ग से सीधी भर्ती के द्वारा ही भरा जाएगा तथा पदोन्नति सहित आरक्षण सम्बन्धी पिछले कोटे को निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा।

गत सत्र में आश्वासन दिया था, अध्यक्ष महोदय, कि 31 मार्च, 1999 तक सेवा-निवृत्ति से हुए रिक्त पद जो करीबन 25 हजार बनते हैं, उन 25 हजार के बैकलाग को निश्चित सीमा में भर देंगे, जो आज तक नहीं भरा। वेतन शृंखला 1 से 6 में नियुक्तियां शुरू की जाएंगी, जो आज तक भी नियुक्ति शुरू नहीं की। बैकलाग को भरने में समय प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, लेकिन उसके बाद किया क्या?

अध्यक्ष महोदय, कार्मिक विभाग ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मामले में जो 10-2-95 को हुआ था, 5 वर्ष बाद गहलोत साहब की सरकार जो एस.टी., एस.सी. की शुभचिन्तक बनती है, पदावनति के आदेश निकाल दिये।

अध्यक्ष महोदय, इस बात का आपको अफसोस होगा, सोनिया जी कह रही हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रही हैं कि एस.टी.,

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(डा. किरोड़ी लाल)

एस.सी. के जो हाई कोर्ट के मामले पड़े हैं इनमें से पांच सर्कुलर पहले निकाले हैं, उन सबको निरस्त करो और इनका बैकलाग पूरा भरो।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। इन्होंने जल्दबाजी की। गहलोत साहब जल्दबाजी नहीं करते एस.टी.; एस.सी. और ओ.बी.सी. के मामले में, मुझे लगता है कोई न कोई अधिकारी इनके पीछे जरूर है। इनसे आदेश निकलवा दिये। हमारे प्रधान मंत्री ने कहा कि एस.टी.; एस.सी. का जितना बैकलाग है उसको भरेंगे, इस मामले में जितने भी कोर्ट के आदेश आये उन कोर्ट के आदेशों को निरस्त करेंगे और एक विशेष भर्ती अभियान चलाएंगे। अगर यह कहा तो हमारे देश के प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा। ट्रेजरी बैंच के लोग कहते हैं कि वे एस.टी., एस.सी. के विरोधी हैं, लेकिन इतना बड़ा फैसला हिन्दुस्तान की धरती पर उनकी केबिनेट ने लिया है।

अध्यक्ष महोदय, आर.एस.ई.बी. की बात चल रही थी। विद्युत मंत्रीजी यहां हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

चाहता हूं कि मामला किसानों का है। घोषणा पत्र में लिखा है कि हम 8 घंटे अबाध रूप से बिजली देंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह घोषणा पत्र का ही कमाल है कि अबकी बार 2 या 3 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिली किसानों को। हमारे राज में सात सौ से नौ सौ मेगावाट बिजली हम लाते थे उसके कारण 8 घंटे अबाध रूप से बिजली मिली, पर अबकी बार उनको बिजली नहीं दी।

अध्यक्ष महोदय, बिजली क्यों नहीं दी? इन्होंने कंगाली दिखा दी। मुख्य मन्त्रीजी ने कहा खजाना खाली है, हम पैसा कहां से लाएं? पैसा नहीं तो बिजली नहीं मिलेगी। पंजाब ने कह दिया कि पैसा नहीं है तो बिजली नहीं देंगे और सेन्ट्रल पूल ने भी कह दिया कि पैसा नहीं है तो बिजली नहीं देंगे। इनके पास पैसा नहीं है, इन्होंने कंगाली का पिटारा खोल दिया।

अध्यक्ष महोदय; किसानों को अबकी बार इन्होंने ऐसा चौपट किया है कि किसानों को बिजली बराबर नहीं मिली। दो या तीन घण्टे से ज्यादा नहीं मिली और उनकी फसल पूरी तरह से चौपट हो गई। ये कहते हैं, हमने नर्सरी योजना खतम कर दी। तो चोर बिजली योजना क्या है? कांग्रेस सरकार की चोर बिजली योजना, चोरी करो बिजली पाओ लेकिन बिजली मंहगे में पाओ। पहली बार हम मंहगी बिजली दे रहे हैं चारा योजना के द्वारा। इस सरकार ने उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम 5 साल में 5 हजार यूनिट बिजली पैदा करेंगे, एक साल निकल गया, सवा साल निकल गया एक हजार मेगावाट बिजली पैदा की क्या?

मैं पूछना चाहूंगा ऊर्जा मंत्रीजी से?

(डा. किरोड़ी लाल)

कोई बिजली पैदा नहीं की। एक बात जरूर है, अध्यक्ष महोदय, कि जैसे टैक्स का लीकेज हो रहा है वैसे ही मेरे को लग रहा है कि गहलोतजी के राज में बिजली का करंट भी लीक हो रहा है। अशोक महान के राज में चमत्कार हुवा में करंट की तरह फैल रहा है। अधिशासी अभियंता विद्युत मण्डल द्वितीय एम.एल. गुप्ता ने बताया कि करंट की शिकायत पर वे मौके पर पहुंचे, उन्होंने करंट की जांच की, ग्रिड स्टेशन की बिजली बंद की। बगीचे में शाम साढ़े छह बजे के बाद में हुवा में करंट आने की शिकायत पर टेस्टरों से जांच की गई तो टेस्टर का बल्ब जल गया। कितना बड़ा चमत्कार ऊर्जा मंत्रीजी और गहलोत जी ने किया है, हुवा में बिजली जल गई और किसान को बिजली नहीं मिली।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : आप यह कहां की खबर दे रहे हैं? हुवा से बिजली पैदा करने का काम किया है हमने तो, आप कहां की बातें कर रहे हो? पवन ऊर्जा परियोजना चल रही है सफलतापूर्वक दूसरी चालू हो जाएगी 31 मई को। ऐसी कोई अखबार में खबर आ गई उसको आप पढ़ रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं पवन ऊर्जा की बात नहीं कर रहा हूं। मंत्री जी गलत समझ गये, मैं पवन ऊर्जा की बात नहीं कर रहा हूं। मैं गहलोतजी से निवेदन कर रहा हूं, जैसे आपका टैक्स लीकेज हो रहा है एक्साइज का, सेल्स का उसको आप चैक नहीं कर पा रहे हैं, वैसे ही चन्द्रभानजी की बिजली ट्रान्सफार्मर्स से लीक हो रही है। जब तक आप इसको बंद नहीं करोगे, इस राजस्थान के किसानों का कल्याण नहीं होने वाला।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिए 45 मिनट हो गये हैं आपको बोलते हुए।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष : बहुत बोल लिया, 45 मिनट से ऊपर बोले हैं आप।

डा. किरोड़ी लाल : इन्होंने कहा हम शिक्षा में प्रगति कर रहे हैं, राजस्थान में नई–नई स्कूलें खोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में....

श्री राजेन्द्र पारीक : आपकी पार्टी के लोग बोर होकर उठ-उठ करके जाने लग गये, अब तो रहम करो।

डा. किरोड़ी लाल : आप तो बोर हुए नहीं। सीकर से आने वाले माननीय सदस्य बड़े प्रसन्न हो रहे हैं मैं बोल रहा हूं तो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्कूल के खोलने में किसी प्रकार का कोई भेद-भाव नहीं बरता है, माननीय शिक्षा मंत्रीजी बोल रहे थे। मैं उदाहरण देना चाहूंगा मेरे विधान सभा क्षेत्र का। अनेक विधान सभा क्षेत्र हैं जिनमें एक भी सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं खोली। मेरे चार

(डा. किरोड़ी लाल)

प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया उच्च प्राथमिक विद्यालय में-गढ़ूतोली, बामनवास; मावड़ बामनवास, हमो; बोली, भोराला बोली। 3-8-99 का आदेश है, अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपने खोले थे क्या ? जो खोले थे उसके लिए 5–5 लाख रुपये हमने दिये थे तब खोले थे।

डा. किरोड़ी लाल : आप सुन लो। अध्यक्ष महोदय, 3-8-99 को एक आदेश निकलता है। 11 स्कूल खोले थे और मेरे इलाके के 4 स्कूलों को एक इस आदेश से क्रमोन्नत किया गया। तीन महीने तक बच्चे पढ़े स्कूल में और तीन महीने बाद वह स्कूल जो क्रमोन्नत की थी, उसको खतम कर दिया, चारों स्कूलों को।

अध्यक्ष महोदय छात्र और उनके परिजन मेरे पास आये, कहने लगे हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा अब तीन महीने बाद हम कहां पर जाएं। अध्यक्ष महोदय, भेद-भावपूर्ण जो कार्यवाही कर रहे हैं रंजिशपूर्ण, पक्षपातपूर्ण वह बड़ी +++ है। मुख्य मंत्रीजी को मैंने यह बात इसलिए बताई है कि जहां बामनवास जैसे पिछड़े इलाके में चार स्कूल खुल गये उन चार स्कूलों को निरस्त कैसे किया। यह क्या भेदभावपूर्ण कार्यवाही नहीं है ? अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये आपको कहना चाहूंगा..

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट का रिव्लाई करवाएं अब, काफी बोल लिये।

श्री अध्यक्ष : अब आप बोल लिये, 45 मिनट से ऊपर समय हो गया आपको।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, थोड़ा–सा और। शहीदों वाला मामला और सड़कों का, मैं दस मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष : 50 मिनट से रहे हैं आप।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे को लकीली भैरोंसिंहजी आथोराइज्ड करके गये थे और मेरे को मुख्य सचेतकजी ने यह कहा था कि आप तो खूब बोलना।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : एक घण्टा और चार मिनट हो गया, रिकार्ड पर है, देख लो। एक घण्टा और चार मिनट बोल गये आप।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, इस पूरे बोलने में कम से कम 25 मिनट तो शोर-शराबा हुआ, मेरे को बोलने नहीं दिया।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(डा. किरोड़ी लाल)

अध्यक्ष महोदय, पेयजल का मामला अभी अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य उठा रहे थे। जयपुर शहर को बीसलपुर बांध से पेयजल उपलब्ध कराने के लिये 1100 करोड़ की महती परियोजना से जयपुर को पानी लाएंगे।

मैं यह कहना चाहता हूं कि कोटा के डाउन स्ट्रीम से लेकर धौलपुर तक जो चम्बल का पानी जा रहा है डेढ़ सौ किलो मीटर तक, वह पानी बेकार जा रहा है। उसमें एक प्रोजेक्ट तैयार हुआ। मैं 89 में पार्लियामेंट में भी बोला था, उससे पहले यहां पर भी बोला था। उस पर एक सर्वे हुआ और उस सर्वे के आधार पर मैं आपको यह कह सकता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी, 800 करोड़ का प्रोजेक्ट बना है। उस चम्बल के पानी को जो रामेश्वर घाट से आएगा, सवाई माधोपुर को दे सकते हैं। दौसा को पानी दे सकते हैं, बयाना को पानी दे सकते हैं, जयपुर में ला सकते हैं। सिंचाई भी कर सकते हैं, पीने का पानी भी दे सकते हैं। धौलपुर में भी दे सकते हैं। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है।

800 करोड़ की सिंचाई भी हो जाए और पीने का पानी भी मिल जाए, ऐसी महती योजना हमारे यहां लम्बित है। केन्द्रीय जल आयोग से वह योजना क्लीयर भी हो गयी है। मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं जो भाई ललित भाटी बोल रहे थे, अगर आपने इस बात को पहल की तो यह योजना केवल जयपुर जिले के लिये नहीं अनेक जिलों की जनता के लिये बहुत फायदेमंद होगी।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने फ्लोराइड युक्त गांव को पीने के पानी के लिये कोई योजना बनायी। मुख्य मंत्रीजी राजधानी की नाक के नीचे सांगानेर में 80 गांव ऐसे हैं, सांगानेर ज्यादा दूर नहीं है, जिसमें फ्लोरोसिस्ट की जबरदस्त बीमारी है। लोग कूबड़ के कारण मर रहे हैं, कई की मौत हो गयी लेकिन यह सरकार अभी तक उस पर ध्यान नहीं दे रही है। फ्लोराइड की ज्यादती के कारण जो बीमारी हो रही है उस पर यह सरकार आज ध्यान देगी, मैं ऐसा कहना चाहता हूं।

सड़कों के बारे में, कहते हैं कि हमने तो पैच खूब भरे, खूब सड़कें बनायीं। अध्यक्ष महोदय, सड़कों में कोई पैच नहीं भरे। 120 करोड़ सड़क मार्केटिंग बोर्ड से सैंक्शन हैं फर्स्ट फेज में। दूसरी सड़क के 58 लाख सैकंड फेज में सैंक्शन हुए। सैंक्शन कागज में हैं, एक किलोमीटर सड़क का भी काम नहीं हुआ। अब क्या हो रहा है ? फर्स्ट फेज में 120 करोड़ की सड़क निकली थी उसमें 80 परसेंट पैसा तो सरकार को देना था और 20 परसेंट पैसा बोर्ड को देना था।

माननीय सदस्य बैठे हैं यहां पर जिन की अभी सड़कें सैंक्शन हुई हैं 28 करोड़ की, उनको मैं कहना चाहता हूं कि 28 करोड़ की रोड को इसलिये रोक दिया कि सरकार ने यह कह दिया, सरकार ने यह मन बना लिया कि 58 लाख का पूरा का

(डा. किरोड़ी लाल)

पूरा अगर मार्केटिंग बोर्ड देगा तो हम उन सड़कों को सैंक्शन करेंगे। उनके टेंडर हो गये, उनके वर्क आर्डर हो करके 58 लाख का एक तो फेज आप निकाल दो और दूसरे फेज को ब्लाक कर दो, यह घोर अन्याय है, यह घोर पक्षपात है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं कहना चाहूंगा कि जब एक फेज आपने क्लीयर कर दिया तो दूसरे फेज को भी क्लीयर करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, डा. साहब।

डा. किरोड़ी लाल : विरोध तो कर दूं दो मिनट में। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह सारी बात इसलिये कही है कि +++ सत्य से परे, विकास की जगह विनाशपूर्ण पुलिंदा, जो यह बोला था, मैंने इस मौके पर गहलोत साहब का ध्यानाकर्षण करने की कोशिश की है। हम तो चाहते थे कि सारी चीजें उजागर हों। मैं मानकर चलता हूं कि गहलोत साहब उनको गम्भीरता से लेंगे। मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं 'हम तो चाहते हैं हर घर में चिराग जले, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं अभी अंधेरी रात रहे'।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में जिन सदस्यों ने भाग लिया पक्ष के, विपक्ष के, उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने-अपने सुझाव दे कर सरकार का मार्गदर्शन किया। जो भी सुझाव सरकार को दिये गये हैं उन सबका जवाब तो एक साथ देना संभव नहीं होगा परंतु मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी सुझाव दिये गये हैं उन सबको नोट किया गया है, सरकार का प्रयत्न रहेगा कि उन तमाम सुझावों पर कार्यवाही करे जिससे कि जनहित में राजस्थान को आगे बढ़ाया जा सके।

आप सब जानते हैं, अध्यक्षजी, कि अकाल की स्थिति है राजस्थान के अंदर। यही कारण था कि जब सत्र की शुरूआत हुई उस वक्त इस मुद्दे को उठाया गया था।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार के सीमित साधन होने के बावजूद सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी कि हम अकाल में रोजगार दे सकें, पीने के पानी का प्रबंध कर सकें, चारे का प्रबंध कर सकें। हमने कुछ कार्यवाही शुरू की है और उम्मीद है कि इस महीने में, अगले महीने में हम मजदूरों की संख्या बढ़ा सकेंगे जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके।

सीमित साधनों की बात मुझे बार-बार कहनी पड़ती है। मुझे भी अच्छा नहीं

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री अशोक गहलोत)

लगता है पर मजबूरी है। मुझे कहने में संकोच नहीं होता है क्योंकि हमने कहा कि हमारी सरकार संवेदनशील होगी, पारदर्शी होगी, जवाबदेह सरकार के रूप में हम काम करना चाहेंगे। ये सारी बातें सदन के माननीय सदस्यों के सामने आनी चाहिये, राजस्थान की जनता के सामने आनी चाहिये यही सोच कर बराबर राजस्थान की वित्तीय स्थिति को ले कर जनता को एजुकेट करने की बात भी की गयी।

हालांकि कुछ लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगी थी कि खजाना खाली बताने का क्या फायदा है। पर मैंने कहा कि बात को छिपाने का क्या फायदा है। आज 21वीं सदी में हम आ चुके हैं। विज्ञान का युग है, इनफार्मेशन टैक्नोलोजी का जमाना है, तमाम फाइनेंशल इंस्टीट्यूशंस को मालूम है कि इस प्रदेश की क्या हालत है, किस संस्था की क्या हालत है। इस प्रकार की बात की जब सबको जानकारी है तो मैं समझता हूं कि हर बात जनता के सामने रखी जानी चाहिये तभी हम जनता को विश्वास में ले कर आगे बढ़ सकते हैं।

मैं समझता हूं कि जो कुछ किया गया उसके परिणाम हमारे सामने हैं। राजस्थान के अन्दर अकाल पड़ा हुआ है। एक तरफ अकाल से जूझना पड़ रहा है, दूसरी तरफ हमारे कुछ कर्मचारी भाइयों ने हड़ताल कर रखी है। उनको हमने कोशिश की समझाने की कि सरकार की माली हालत ठीक नहीं है, जब ठीक होगी तो उनको हम डी.ए. भी देंगे, अन्य सुविधा भी देंगे। वे हड़ताल पर चले गये। हम जानते थे कि पीने के पानी का संकट है, अकाल की स्थिति है, बिजली को लेकर किसान की मांग बढ़ती जा रही है। इन बातों के बावजूद भी संवैधानिक दायित्व को पूरा करना था।

चुनाव की घोषणा हो गयी और, अध्यक्षजी, मैं कहना चाहूंगा कि करीब 90 परसेंट कलेक्टर्स ने लिख कर भेज दिया। कलेक्टर्स ने कहा कि हमारे लिये चुनाव कराना संभव नहीं होगा। सरकार के सामने एक ही सवाल था कि हमें संवैधानिक दायित्व को पूरा करना चाहिये चाहे स्ट्राइक हो। उसके बाद जनता कोई भी फैसला करे वह हमें मंजूर होगा, पर जनता के बीच में हमें जाना चाहिये।

मुझे कहते हुए खुशी है कि जनता ने जो सरकार की स्पष्टगोई थी, उसको समर्थन दिया। सरकार ने शुरू में ही कहा था कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा। हमने चुनाव के पहले अगर वायदे किये हैं मेनिफेस्टो के माध्यम से तो हमारी नीयत रहेगी कि हम उनको पूरा करें।

मुझे बहुत प्रसन्नता है कि किरोड़ी लालजी मीणा जब बोल रहे थे अपनी बात तो आधे घण्टे से अधिक उन्होंने कांग्रेस के मेनिफेस्टो पर हाथ रखा। जैसा कि हमारा मकसद था, चुनाव जीतने के बाद में मेनि-फेस्टो पहली बार चीफ सेक्रेटरी को दिया गया इस देश के अन्दर और यह कहा गया कि यह हमारी कार्य योजना का अंग होगा,

(श्री अशोक गहलोत)

सरकार के कामों का अंग होगा।

मुझे प्रसन्नता है कि पहला प्रयोग हमने किया। क्योंकि हमेशा सरकार बनती है, मेनिफेस्टो पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं करते हैं। सत्ता पक्ष भी नहीं करता है, विपक्ष भी भूल जाता है। लेकिन हमने कहा कि हमारी कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिये। यह दिखाना चाहते थे हम जनता को। चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्षी दलों के लोग हों, सबके सहयोग से हम कोशिश करना चाहते हैं। कितना संभव होगा वह समय बताएगा लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम किसी

(18.00 बजे)

भी प्रकार से मेनिफेस्टों में किये हुए वादों को राजस्थान के हितों को ध्यान में रखते हुए पूरा करें। जब हमने यह बात कही को फाइनेंशल स्थिति ठीक नहीं है तो जनता को हमने विश्वास में लिया। उसका परिणाम यह रहा कि हड़ताल के बावजूद भी हमने यह कहा कि हम चुनाव करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन को हमने आग्रह किया कि सरकार की मंशा है, संकल्प है आप विश्वास करें हम चुनाव कराकर रहेंगे।

मुझे कहते हुए प्रसन्नता है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान की जनता को भी, कर्मचारियों को भी जिन्होंने चुनाव संपन्न करवाने में सरकार का साथ दिया। चुनाव इस प्रकार से संपन्न हुए कि जब स्ट्राइक नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी चुनाव हुए, मैं समझता हूं उन चुनावों में जितनी शिकायतें आयी थीं, जितने मर्डर हुए थे, जितनी री-पोलिंग हुई थी उस से आधी से भी कम शिकायतें इस बार दर्ज हुई और किसी राजनैतिक पार्टी को चाहे वह मुख्य विपक्षी दल बी.जे.पी. हो, चाहे अन्य दल हों, शिकायत करने का मौका नहीं मिला। इन चुनावों में किसी प्रकार की धांधली नहीं होने दी गयी है।

मैं समझता हूं यह बहुत बड़ी ताकत थी जो हमारे प्रदेश के लोगों ने सरकार को दी है। उन्होंने सरकार की स्थिति को समझा। वे जानते थे कि अकाल पड़ा हुआ है, सरकार काम नहीं कर पा रही है, पीने के पानी का संकट है, बिजली नहीं दी जा रही है। इन सब बातों के बावजूद भी अगर मेनडेट कांग्रेस को मिले तो मैं समझता हूं कि यह लोकतंत्र में स्पष्ट संकेत है, उसको विपक्षी दलों को समझने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष जी, हालात सबके सामने हैं। हमने जब सत्ता संभाली थी तब भी हमने कहा था और पानी की समस्या, बिजली की समस्या, कानून व्यवस्था की स्थिति, भ्रष्टाचार और पंचायतों को अधिकार देने की बात हम बार-बार कहा करते हैं। हमने उसके लिये आंदोलन भी शुरू किये थे। सरकार इसी को आधार बनाकर चलना चाहती है। मेनिफेस्टो में आपने कुछ बिन्दुओं को बताया कि मेनिफेस्टो में लिखे हुए हैं और वे काम नहीं हो पा रहे हैं।

(श्री अशोक गहलोत)

मैं उसके दूसरे पक्ष को भी रखना चाहूंगा कि मेनिफेस्टो में लिखी हुई बातों के जो हमने फैसले लिये हैं वे भी ऐतिहासिक फैसले हैं।

हमने पहली बार सत्ता संभालते ही महिला आयोग का गठन किया एक संदेश देने के लिये, अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया एवं हाल ही में मानवाधिकार आयोग का भी गठन कर दिया गया है। ये मामूली फैसले नहीं थे। कई प्रकार की चर्चा थी कि यह गठित होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए।

हमारे कई विपक्ष के नेताओं ने भी कहा और लोगों ने भी कहा कि अगर ह्यूमन राइट्स कमीशन बनेगा तो पुलिस का मोरल डाउन हो जाएगा, उसको नहीं बनाना चाहिए। महिला आयोग बनेगा तो उससे कई तरह की समस्याएं सामने आएंगी परन्तु क्योंकि मेनिफेस्टो में हमने लिखा था, मीणा साहब, इसलिए हमने उनको निभाने के लिए यह किया।

यह बात सही है; हमें इसके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए, कोई मोरल डाउन नहीं होगा। हम चाहेंगे कि पारदर्शिता रहे, संवेदनशीलता रहे और जवाबदेही के रूप में हम काम कर सकें। इसलिए हमने कैबिनेट में ये फैसले किये। तमाम आयोग बन चुके हैं; आपकी जानकारी के अंदर हैं।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा में के क्षेत्र आप सबको मालूम है, दुर्भाग्य से राजस्थान सबसे पीछे है देश के अन्दर। यहां पर 38.5 परसेंट शिक्षा है और महिलाओं की शिक्षा है 22 परसेंट। शिड्यूल कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स की तो खाली 6 परसेंट महिलाएं शिक्षित हैं। यह देश के लिए दुर्भाग्य है और राजस्थान के लिए कलंक की स्थिति है। अगर हम शिक्षा को नहीं अपनाएंगे तो मैं समझता हूं कि राजस्थान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। पिछली 30 मार्च को जब राजस्थान के 50 वर्ष पूरे हुए, स्वर्ण जयन्ती वर्ष था, हमने एक संकल्प किया है कि अगले पांच सालों में कैसे राजस्थान को संपूर्ण साक्षर करने की तरफ आगे बढ़ सकें।

अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको मालूम होगा उस वक्त भी कहा था। अमर्त्य सेन की बात मुझे मालूम है, जब उनको नोबेल पुरुस्कार मिला तो वह इसी बात के लिए मिला था कि केवल आर्थिक विकास को ही विकास नहीं माना जा सकता है कि आर्थिक रूप से हम विकसित कितने हो गये हैं। उन्होंने यह बात कही कि जब तक ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं बनेंगे, मानव को केन्द्र बिन्दु रखकर अगर विकास की कल्पना नहीं की जाएगी तब तक यह देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। दुनिया में जो गरीब मुल्क हैं, जो डवलपिंग कंट्रीज हैं वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे।

मानव को केन्द्र बिन्दु रखने का मतलब है कि उसमें शिक्षा का कितना प्रतिशत

(श्री अशोक गहलोत)

बढ़ा है, उसमें स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, उसका पोषण और पीने के स्वच्छ पानी की स्थिति क्या है। तीन बातों को उन्होंने रखा था। यही धारणाएं सामने रखते हुए हमने यह बात उठायी है कि राजस्थान को कैसे अन्य प्रदेशों की तरह, केरल की तरह हम भी क्यों नहीं 80 प्रतिशत, 85 प्रतिशत तक आगे ले जाएं जिससे हमारे यहां पर भी मानव संसाधन विकसित हो सके और हमारा प्रदेश भी किसी मामले में पिछड़ा हुआ नहीं रहे।

बार-बार कहा जाता है राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला, मैं समझता हूं सबके लिये प्रसन्नता की बात होनी चाहिए। वे हमारे देश के प्रधान मंत्री रहे हुए हैं। कुछ कारणों से उनका नाम हिस्ट्री में जोड़ा जा रहा है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारी धारणा है, हमारा विश्वास है। वे इस देश को 21 वीं सदी में ले जाने की बात कहा करते थे। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि इस मुल्क को जब हम 21वीं सदी में प्रवेश करें तो इस प्रकार से तैयार करना चाहिए अपने आपको विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, कम्प्यूटर के क्षेत्र में, इन्फार्मेशन तकनीकी के अंदर, सब चीजों के अंदर जिससे कि हमारा दुनिया के दूसरे मुल्कों से बहुत ज्यादा गैप नहीं हो जाए।

इसलिए अगर हम किसी योजना को उनके नाम से समर्पित करते हैं तो मैं समझता हूं यह हमारी उनके प्रति आस्था है; उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। ऐसे कामों के लिए पक्ष और विपक्ष की बात नहीं होनी चाहिए। इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। कैसे एक-एक बालक–बालिका राजस्थान में शिक्षित हो सके, यह हमारी कोशिश होनी चाहिए। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है।

मैं आह्वान करना चाहता हूं सभी पक्षों के लोगों को कि हमारा एक ही अभियान होना चाहिए कि हम कैसे जहां कहीं गांवों में, ढाणियों में जाकर यह सुनिश्चित करें कि एक-एक बालक-बालिका, कोई भी परिवार शिक्षा से वंचित नहीं रहे। उसको पढ़ाया जाना चाहिए।

आपने सुना होगा, कई जगह मैंने स्पीच में कहा है कि पहले इन्फ्रास्ट्रक्चर बन जाए, सब जगह गांवों में, ढाणियों में स्कूल खुल जाएं। उसके बाद में सरकार की कोशिश रहेगी कि हम यह बात कह सकें आपको विश्वास में लेकर कि इस प्रदेश में सरकार शिक्षा को अनिवार्य करना चाहती है। हमें लोगों में इस बात का भय पैदा करना पड़ेगा। उनको अहसास कराना पड़ेगा कि अगर हमने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया तो यह सरकार जो इन्सेंटिव देती है, सब्सिडी देती है उसको हम उनके परिवारों को कम कर सकते हैं। इस प्रकार का भय उनमें पैदा करना पड़ेगा। उसकी तैयारी मेरी रहेगी, मेरी सरकार की रहेगी, यह मैं कहना चाहता हूं। यह उनके हित में रहेगा।

अगर हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेंगे; अगर हम लोग शिक्षा को

(श्री अशोक गहलोत)

आधार नहीं बनाएंगे तो राजस्थान कभी भी नहीं बढ़ सकता है। न सामाजिक रूप से बढ़ सकता है और न विकास कर सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में लोक जुम्बिश, शिक्षा कर्मी, डी. पी. ए. पी., कई तरह की योजनाएं साथ-साथ चल रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, चार सालों में इन पर करीब 1024 करोड़ रुपया खर्च होगा। मैंने कोशिश की है कि इन सब योजनाओं को मिलाकर के इस प्रकार से करेंगे कि एक योजना दूसरे को सप्लीमैंट करे जिससे कि वास्तव में उस पैसे का सदुपयोग हो सके। इससे गांवों में और ढाणियों में स्कूलों का विकास हो सकता है और यह सुनिश्चित हो सकता है कि राजस्थान में जो सरकार का उद्देश्य है उसको पूरा करने की तरफ हम लोग आगे बढ़ें।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अमर्त्य सेन की बात सामने आती है कि जब तक हम उन गरीबों की तरफ नहीं देखेंगे जिनको वास्तव में स्वास्थ्य की जरूरत है। अगर उनको मालूम पड़ जाए कि उन्हें हार्ट अटैक की बीमारी है या किडनी फेल हो गयी है या हार्ट का वाल्व खराब हो गया है तो दहशत के अंदर ही वह आदमी मर जाता है कि मुझे दो जून का खाना नहीं मिलता है तो मैं कहां से पैसा लाऊंगा, इस पर 50 हजार रुपये खर्च होंगे, एक लाख रुपये खर्च होंगे वाल्व चेंज कराने के लिए, दो लाख रुपये खर्च होंगे बाई-पास कराने के लिए। एक अभिनव प्रयोग हुआ राजस्थान के अंदर मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष के माध्यम से कि चाहे एक लाख रुपये खर्च होंगे, चाहे दो लाख रुपये खर्च होंगे या ढाई लाख रुपये खर्च होंगे, पूरा का पूरा पैसा सरकारी खजाने से मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, यह योजना बी.पी.एल. फैमिली के लिए नहीं है, बी.पी.एल. फैमिली के 22 लाख परिवार राजस्थान के अंदर सर्वे हो चुके हैं। उन सबके लिए मेडिकल स्कीम बनी है, उनके कार्ड बनाये गये हैं। इनीशियली कोई अड़चन आ रही है, इसकी मुझे जानकारी है, कुछ सदस्यों ने भी उसकी तरफ ध्यानाकर्षित किया है।

मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक एक अस्पताल के अंदर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिसके पास कार्ड है उसका वहां फ्री इलाज हो सके, फ्री दवाइयां मिल सकें, इस प्रकार की व्यवस्था वहां हो। मुझे आशा है कि इस योजना के माध्यम से उन गरीबों को जो प्राइवेट अस्पताल में जाकर इलाज नहीं करवा सकते, बहुत बड़ा भला हो सकेगा।

अध्यक्षजी, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पेयजल हमारी सबसे प्राथमिकता वाली समस्या है क्योंकि पीने का पानी आज भी राजस्थान के कई गांवों के अंदर उपलब्ध नहीं है। आपको तो जानकारी है कि स्वच्छ पानी नहीं मिलता है, कहीं फ्लोराइड है तो कहीं नाइट्रेट है तो कहीं दूषित वाटर मिलता है। अभी हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे, वे भी इस स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे थे।

(श्री अशोक गहलोत)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सरकार ने निर्णय किया है कि किस प्रकार से हम इस समस्या से छुटकारा पा सकें। आजादी के 50 साल के बावजूद भी हम सब जानते हैं कि हर गांव में, ढाणी में पानी पहुंचा है, पानी की स्कीम पहुंची है, लेकिन कभी वास्तविक रूप से पानी नहीं पहुंच पाया है। कहीं स्कीम फेल हो जाती है, कहीं हैण्डपम्प या ट्यूबवैल का वाटर लेवल नीचे चला जाता है और पानी नहीं मिल पाता है। इसके लिए पिछली सरकार के वक्त प्रायोरिटी खतम हो गई थी।

मुझे याद है, मैं जब पी.एच.ई.डी. मंत्री था राजस्थान के अंदर तब से बीसलपुर से पानी लाने की बात की जा रही थी। दस साल निकल गए, सारी योजनाएं ठप्प हो गईं। मानसी वाकल को लोग भूल गए, भरतपुर वाले चिल्लाते रह गए, कोई तो योजना नहीं बन पाई। जयपुर कैपिटल है, उसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया।

मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि सरकार बनने के बाद में जयपुर की बीसलपुर योजना का शिलान्यास हो चुका है, करीब 1100 करोड़ रुपए की योजना है। भरतपुर को चम्बल से पानी आएगा, करीब 166 करोड़ रुपए की योजना है, उसकी शुरूआत हो चुकी है। मानसी वाकल के ऊपर कार्यवाही चल रही है।

मैं उम्मीद करता हूं कि वहां जल्दी ही काम शुरू होगा। जोधपुर में लिफ्ट योजना के सैकण्ड फेज का काम शुरू हुआ है। धीरे-धीरे हम चाहेंगे कि पूरे राजस्थान के अन्दर जहां–जहां भी पीने के पानी की समस्या है, उस का समाधान शीघ्र हो सके।

अकाल के अन्दर जो कण्टिजेंसी प्लान बनना है, उसमें हैण्ड पम्प और ट्यूबवैल ठीक किए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस गर्मी के वक्त को हम किसी ढंग से निकाल पाएंगे क्योंकि पीने के पानी की समस्या फिर दूसरे साल अकाल लगातार पड़ने से एक बहुत भारी समस्या हमारे सामने बन चुकी है।

अध्यक्ष जी, एक बिन्दु हमारा था करप्शन को लेकर, जिसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। करप्शन एक बीमारी है वैसे दुनियाभर के अन्दर है, दूसरी बात है। हमारे देश के अन्दर भी है, प्रदेश के अंदर भी है। अध्यक्षजी, करप्शन को लेकर पिछली बार भी मैंने कहा था, विपक्ष के नेता आज मौजूद नहीं हैं, पता नहीं वे कहीं चले गए हैं।

मैं तो समझता हूं कि उनका आज नहीं बोलना इस बात का द्योतक है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को उन्होंने पहले ही एण्डोर्स कर दिया इसलिए किरोड़ीलालजी मीणा को उन्होंने खड़ा कर दिया ऐसे ही बोलने के लिए। वे पहले ही एण्डोर्स कर चुके थे इसलिए बहस की कोई गुंजाइश रही ही नहीं अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के अंदर।

(श्री अशोक गहलोत)

पिछली बार मैंने कहा था कि तमाम जिन्दगीभर विपक्ष में रहे और नाकों से निकलवा दूंगा, जैसा जगत सिंह दायमाजी कह रहे थे, क्या–क्या जुमले कसते थे। सारे बोलते रहे, पर जब सत्ता में आए, दूसरी बार उनको मौका मिला, तीसरी बार उनको मौका मिला; उनकी जुबान से ही शब्द गायब हो गया भ्रष्टाचार।

मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह इतनी बड़ी बीमारी है, जब तक सभी पक्षों में सहयोग न हो, सब मिलकर संकल्प न लें तब तक आप कितना ही कर लीजिए, यह बीमारी जाने वाली नहीं है।

अध्यक्षजी; मैंने पिछली बार भी इस हाउस में कहा था, एक तरह से हमने शुरूआत की है कि मंत्रिमण्डल के सदस्य अपनी–अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा पेश करेंगे मुख्य मंत्री को, जिस प्रकार से केन्द्र सरकार में होता है।

आपको जानकर खुशी होगी कि तमाम मंत्रियों ने वे ब्यौरे पेश कर दिए हैं। साथ में मैंने आपको यह भी निवेदन किया था कि आप अगर चाहें तो विपक्षी दलों से बात कर लें, विपक्ष के नेता से बात कर लें, सबकी सहमति हो कि जैसे ही विधान सभा का चुनाव जीतकर आएं; तमाम विधान सभा के सदस्य अपने आप ही अपनी सम्पत्ति को घोषणा विधान सभा पटल पर कर सकते हैं, लिखकर दे सकते हैं आपको लिखकर दे सकते हैं। यह मैंने सुझाव दिया था। इस दिशा में शायद मैंने आपको एक पत्र भी लिखा है एक महीने पहले; ऐसा मेरी याद्दाश्त में है।

मैं चाहता हूं कि इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। सम्भव हो, सब लोग मिलकर रहें। क्योंकि जब तक हम लोग खुद जो एम.एल.ए. हैं या एम.पी. हैं, सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे हैं, खुद ही शुरू नहीं करेंगे तो हम कैसे उम्मीद करेंगे करप्शन को मिटाने की।

मैं समझता हूं कि उस पर रोक लग सकती है, अंकुश लग सकता है पर उसे समाप्त करना संभव नहीं होगा। प्रधान मंत्रीजी ने अभी हाल ही में कहा कि मैं खुद कटघरे में खड़ा हूं करप्शन को लेकर। जो हालात हैं, जिस प्रकार की व्यवस्था है; कटघरे में खाली प्रधान मंत्री खड़े नहीं हुए हैं, कटघरे में हिन्दुस्तान का चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे मुख्य मंत्री हो; चाहे एम. एल. ए. हो, चाहे एम. पी. हो, चाहे राजनीतिक जमात का कोई बड़ा नेता हो; जो चुनाव लड़ते हैं वे तमाम करीब-करीब कटघरे में खड़े हैं।

हमें सच्चाई को समझना चाहिए; हमें अपनी आत्मा में झांकना चाहिए और सोचना चाहिए कि वास्तव में इस बीमारी को खतम करना है तो किस प्रकार से कदम उठाए जाएं। यह देश अफोर्ड नहीं कर पाएगा इस प्रकार के करप्शन को। 50 साल हो गए, 40 साल हो गए सुनते-सुनते कि देश में ब्लैक मनी को पैरेलल इकॉनॉमी चल रही है। ब्लैक मनी की इकॉनॉमी इसलिए चल रही है कि हर चुनाव के अन्दर चुनाव लड़ने वाले को लोग चंदा देते हैं। हम नहीं पूछते हैं कि एक नम्बर का दे रहे

(श्री अशोक गहलोत)

हैं या दो नम्बर का दे रहे हैं। चैक से कोई चंदा नहीं दे रहा है। सबको मालूम है कि दो नम्बर का पैसा दिया जा रहा है। शुरूआत होती है चुनाव के अंदर, चुनाव जीतकर जाने वाले सत्ता सम्भालते हैं, उनसे कैसे उम्मीद करेंगे जब तक वे खुद ही अपने ऊपर यह नहीं सोचेंगे कि वास्तव में हमें कोई शुरूआत करनी चाहिए इस देश के हित के अंदर।

रूस कितना शक्तिशाली मुल्क था दुनिया का, हिन्दुस्तान को भी उस पर गर्व था, पर रूस के टुकड़े हो गए। उसका मुख्य कारण था कि वहां की अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई, चाहे वह करप्शन से हुई हो चाहे और कारणों से हुई हो। करप्शन की बात जब की गई है तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर हम लोगों ने शुरूआत की है।

राइट टू इन्फोर्मेशन, सूचना का अधिकार देने की भी शुरूआत की गई है। इसी सत्र में हम चाहते हैं कि कानून बने। विधान सभा के अंदर बिल पेश किया जा रहा है। अभी हमने चर्चा की सचिवालय के अंदर सचिवों के साथ, उनको हिदायत दी गई है। एक कमेटी बनाई गई है। उसके आधार पर चाहूंगा कि किसी प्रकार से राजस्थान में करप्शन पर अंकुश लग सके।

एण्टी करप्शन ब्यूरो को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी लेवल की कैसी भी सिफारिश आए, न मानी जाए और किसी भी कीमत पर करप्शन पर अंकुश लगाया जाए। सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्षजी, आप जानते हैं कि मैंने करीब दो महीने पहले मंत्रिमण्डल के साथियों के साथ बैठकर कुछ प्रायोरिटी तय की थी। राजस्थान के लिए मेरी इच्छा है सम्पूर्ण साक्षरता की बात की। परम्परागत रूप से किसी जमाने में गांवों में बावड़ी, तालाब आदि एक बहुत बड़ा सोर्स होते थे जिससे पीने के पानी की समस्या काफी हद तक कम होती थी।

सरकार की मंशा है कि उनको वापस रिवाइव करे। यह प्रायोरिटी हम लोगों के लिए है। साथ–साथ मैं यह भी चाहता हूं, जैसा चैन्नई में किया गया है, हम कम्पलसरी करें कि जो नई बिल्डिंग बने वर्षा के पानी की एक-एक बूंद बचाने की बात हम करते हैं तो कम्पलसरी करके उसमें वाटर स्टोरेज बनाएं। हर बिल्डिंग में अनिवार्य कर दें कि जो भी नई बिल्डिंग बने, चाहे वह गांव में बने चाहे शहर में बने, वह वर्षा के पानी को बचा सके। इस प्रकार का कानून बनाने के लिए हम लोग विचार कर रहे हैं; यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

मुख्य मंत्री रोजगार योजना की प्राथमिकता हमने रखी है, जिसके माध्यम से गुमटियों का काम शुरू हुआ है। मैं समझता हूं कि इस काम को तेज गति से बढ़ाएंगे, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके क्योंकि

(श्री अशोक गहलोत)

रोजगार की समस्या राजस्थान में एक बहुत बड़ी समस्या है। हमने सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 58 साल की, सोचकर यह कि इससे किसी प्रकार से राजस्थान की आर्थिक स्थिति ठीक हो, रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।

सभी लोग अगर सरकार के ऊपर निर्भर रहेंगे तो सरकार के लिए, वह चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो, सम्भव नहीं है कि वह सबको नौकरी दे सके। नौकरी के अवसर प्राइवेट सैक्टर में हों वह तभी होगा जब उस प्रदेश का विकास तीव्र गति से हो सके, उद्योग-धंधे वहां पर आ सकें, उद्योग-धंधे आने के लिए वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके, माहौल बन सके। इस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं।

इसलिए हमने पिछली बार एक साल में जैसा कि माननीय सदस्यों को जानकारी है, करीब 31 हजार लोगों को नौकरियां दी हैं। उसमें 12 हजार राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला का चाहे अलग कर लिया जाए, उसको सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मानदेय मिलता है, उसके बावजूद बड़ी संख्या में नौकरियां दी गई हैं। सरकारी मंशा है कि चाहे कियोस्क देकर उनको रोजगार दे सकें या उद्योग-धंधे लग सकें प्राइवेट सैक्टर में, पर उनको रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकें।

अध्यक्ष महोदय, मैं सामाजिक सुरक्षाओं की बात कहना चाहूंगा। आपको जानकारी है कि पिछली बार हमने विधवाओं के लिए, निःशक्त व्यक्तियों के लिए, वृद्ध पुरुषों के लिए, वृद्ध स्त्रियों के लिए, हमने पेंशन की व्यवस्था की थी।

आपको जानकर प्रसन्नता होगी, अध्यक्ष महोदय, मैंने कलेक्टर्स की मीटिंग बुलाकर सबको निर्देश दिया कि 2 अक्टूबर को राजस्थान प्रदेश के किसी गांव में, किसी ढाणी के अंदर जो भी पेंशन पाने का अधिकारी है, चाहे वो ओल्डएज पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे कोई अपंग भाई-बहन हो, सबको पेंशन मिलनी चाहिए। सर्वे कंप्लीट हो चुका था लेकिन कुछ अड़चन आयी उसके कारण से सबको पेमेंट शुरू नहीं हो सका। इस बात का मुझे दुःख भी रहा कि जो इतनी बड़ी योजना मैंने बनायी उसमें कुछ सर्वे गलत हो गया। कुछ कम उम्र के लोगों ने भी अपना नाम लिखा दिया, उसकी इंक्वायरी में कुछ टाइम लग गया।

लेकिन मैं कहना चाहूंगा, अपंग भाई-बहनों और विधवा बहनों के लिए पेंशन का जो सर्वे हुआ था उसकी हमने शुरूआत करा दी है और उनको पेंशन मिलने लग गई है। जो बाकी और हैं ओल्डएज पेंशन के, उसकी भी जल्दी ही इंक्वायरी पूरी होकर उन सबको मिलने लग जाएगी। (व्यवधान) यह पेंशन की राशि 200 की गयी है, वह सबकी जानकारी में है।

पंचायती राज को सशक्तिकरण करने का प्रोसेज शुरू हुआ है। मैं यह नहीं कह सकता कि हमने सब कुछ उनको दे दिया

(श्री अशोक गहलोत)

है या आदेश जारी कर दिये हैं, लेकिन एक शुरूआत की गई है। जब आप सत्ता में थे तब बहुत कोशिश की गई; मुख्य मंत्रीजी ने भी घोषणा की थी कि हम जल्दी से जिला प्रमुखों को डी.आर.डी.ए. का अध्यक्ष बना देंगे।

आप यह कह सकते हैं कि उनको पूरे अधिकार नहीं मिले हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो शुरूआत हुई है तो उनको अधिकार भी मिलेंगे। उनको जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जिले में बैठकर सारी योजना बनायी जाएगी। आज अगर मैंने अमर्त्य सेन की बात की है तो मैं आपकी जानकारी में एक बात कहना चाहूंगा कि हर जिले में जिला विकास बोर्ड बनाया गया है जिसके चेयरमैन जिला प्रमुख होंगे। ह्यूमन डवलपमैंट रिपोर्ट तैयार की जा रही है राजस्थान के लिए। अभी देश के अन्दर मध्य प्रदेश ने जारी की है, एक प्रदेश ने और जारी की है, तीसरा प्रदेश राजस्थान होगा जो यू.एन.डी.पी. के माध्यम से यहां पर ह्यूमन डवलपमैंट रिपोर्ट बना रहा है। वह जल्दी ही आपके सामने आएगी।

मैं समझता हूं उसके माध्यम से तस्वीर आपके सामने रहेगी कि किस प्रकार की स्थिति राजस्थान के अंदर है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उस रिपोर्ट के आधार पर जिला आयोजना बोर्ड में बैठकर जिला प्रमुख की अध्यक्षता में रिपोर्ट बनेगी, उसमें चर्चा हो सकेगी और अपने-अपने जिले की, अपनी-अपनी तहसीलों की, अपनी-अपनी पंचायत समितियों की, अपने-अपने गांवों की प्रायोरिटी तय हो सकेगी कि किस गांव में कौनसा काम पहले किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं यह एक नयी शुरूआत होगी।

ऊर्जा के क्षेत्र में आप लोगों ने तो, हमने पहले भी कहा था कि एक मेगावाट बिजली पैदा नहीं की। सूरतगढ़ में बिजलीघर लगाने की शुरूआत जरूर हुई थी। वह भी आपको जानकारी है कि जब कांग्रेस का शासन था तब शुरूआत हो चुकी थी। उस काम को जरूर आप लोगों ने किया। पिछले साल 250 मेगावाट का बिजलीघर जो लगा, पहली इकाई प्रारंभ हुई थी।

आपको जानकारी में लाना चाहूंगा, मैं समझता हूं कि जानकारी मिल गयी होगी समाचार-पत्रों के माध्यम से कि 250 मेगावाट की दूसरी इकाई जो पहले अक्टूबर में आने वाली थी उसका टार्गेट हमने जुलाई का रखा। उसका मार्च के अंदर प्रोडक्शन शुरू हो गया है। यह एक प्रकार से बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं।

इसके कारण से आर.एस.ई.बी को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि समय के पहले इन्होंने 250 मेगावाट की यूनिट को शुरू कर दिया है। दो इकाइयां 250-250 मेगावाट की हैं उनका काम भी शुरू हो चुका है। उनके ऊपर 2200 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मैं समझता हूं जो टार्गेट हमने 2003 का रखा है उसके पहले-पहले वे

(श्री अशोक गहलोत)

इकाइयां आ जाएंगी, यह मैं सदन के माननीय सदस्यों को, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

हमें एक बात का दुःख भी है। जब हम सत्ता में आये थे तो पूरे आठ घण्टे बिजली किसान को मिलेगी, यह कहा था। किसान को इस बात की तसल्ली हुई कि एक लम्बे अर्से के बाद आठ घण्टे पूरी बिजली मिली है। सरकार की मंशा वही इस साल भी थी। धन की कमी नहीं थी, हमने पूरा पैसा आर. एस.ई.बी. को दिया, हमने कहा सुनिश्चित करें कि आठ घण्टे बिजली पूरी मिलनी चाहिए।

मुझे मालूम है कि उसके बावजूद भी पूरे आठ घण्टे तो मिली है अधिकांश जगहों पर, लेकिन नियमित रूप से नहीं मिली है। इसलिए शिकायत रही। कहीं छह घंटे, कहीं 7 घण्टे, कहीं आठ घण्टे मिली।

उसका कारण था; अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के अंदर चुनाव आ गये। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अन्दर है, बी.जे.पी. और ओमप्रकाश चौटाला साहब ने मिलकर चुनाव लड़ा। हमारे हिस्से की जो बिजली थी वह काटकर उन्होंने उस प्रदेश को दी, क्योंकि चुनाव आने वाले थे और वहां उनको बिजली देनी थी। इस साल भी पूरी बिजली पैसा खर्च करने के बावजूद भी हम लोगों को नहीं मिल पा रही थी।

नम्बर दो, जुलाई-अगस्त के अंदर पावर प्लांट का रिपेयर वर्क बंद करके चलता है, लेकिन क्योंकि लोक सभा का चुनाव आ गया था उस वक्त उनके रख-रखाव के लिए उनको बंद नहीं करके चुनाव के बाद में उनको बंद किया गया। उसके कारण से प्रोडक्शन कम हुआ; वह बिजली हम लोगों को नहीं मिल पायी। यह भी एक बहुत बड़ा कारण था, यह मैं कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष जी, इसके बावजूद भी मैं कहना चाहूंगा कि मेनिफेस्टो में जो हमने वादे किये हैं कि हम आठ घंटे बिजली देना चाहते हैं; सरकार की मंशा है किस प्रकार से बिजली पैदा हम खुद करें। हमने पहले भी कहा प्राइवेट सैक्टर आये तो उसका स्वागत है, पर प्राइवेट सैक्टर का अनुभव आपका भी अच्छा नहीं रहा है और हम भी उसके भरोसे नहीं रहना चाहते हैं। हमने छूट दे रखी है। कैप्टिव पावर प्लांट की स्कीम उनकी नीति थी, हमने नयी नीति बनायी जिसके कारण प्राइवेट सैक्टर में तीन पावर प्लांट आ रहे हैं। वे कैप्टिव पावर प्लांट होंगे। मैंने हमने यह कहा है कि हम स्टेट सैक्टर में भी पावर प्लांट लगाना चाहेंगे। पावर रिफार्म्स की बात भी हमने की है, उसमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं।

साथ में हम यह भी देखना चाहते हैं कि देश के अन्य राज्यों में जहां पावर रिफार्म्स हुए हैं उनका अनुभव क्या रहा है। उनके अनुभव का हम लाभ लेना चाहते हैं और उस ढंग से आगे बढ़ना चाहते हैं जिससे राजस्थान के हितों की रक्षा की जा सके। इस प्रकार के पावर रिफार्म्स हम करना चाहते हैं।

(श्री अशोक गहलोत)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सदस्यों को जानकारी देना चाहूंगा; जनजातीय विकास को लेकर हमने जो फैसले किये हैं वे ऐतिहासिक फैसले हैं। जहां हमारे आदिवासी भाई-बहन हैं वहां पर हमने महाराष्ट्र पैटर्न को अपनाने का फैसला किया। कुछ विभागों का आठ प्रतिशत बजट ट्राइबल एरिया डवलपमेंट के माध्यम से खर्च करने का बहुत बड़ा निर्णय पहली बार हुआ है। यह नीतिगत फैसला था जो हमने किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि उससे ट्राइबल एरिया डवलपमेंट तेज गति से हो सकेगा।

हमने कंप्यूटर व तकनीकी शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए अभी हाल ही में आई. टी. पालिसी डिक्लेयर की है। मैं आशा करता हूं कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे और राजस्थान आई. टी. पालिसी को लेकर तेज गति से आगे बढ़ सकेगा।

इसके साथ ही; अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने फैसला किया है और बजट के अंदर भी मुझे जानकारी है कि पांच करोड़ रुपया रखा गया है; बड़े-बड़े शहरों के अंदर तो कंप्यूटर कंपनियां आ चुकी हैं, वहां बच्चों को सुविधा मिली हुई है, पर ग्रामीण बच्चे पीछे रह न जाएं। एक बार पीछे रह गया तो उसको बराबरी में लाने में बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

इसलिए हमने फैसला किया है कि तमाम प्रदेश के अंदर गांव की स्कूलों में भी बच्चों को कम्प्यूटर ट्रेनिंग दिलायी जाए। इस दिशा में हम लोग प्राइवेट सैक्टर को भी लाना चाहते हैं और सरकारी क्षेत्र में भी हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं जिससे कि ग्रामीण बच्चे भी पीछे न रह जाएं।

अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी है कि मेनिफेस्टो में जो पाइंट लिखे गये थे उनके अंदर एक आरक्षण की मांग थी और आरक्षण की बात को लेकर आंदोलन भी शुरू कराये गये। उसमें हमारे बी.जे.पी. के साथियों ने जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, मुख्य विपक्षी दल है उसने आग में घी डालने में कमी नहीं छोड़ी। आग में घी डालने का काम करने की कोशिश की थी कि राजस्थान के अन्दर जो हमारा सामाजिक ताना–बाना मजबूत है, 36 ही कौम साथ-साथ चलती हैं, गांव में रहती हैं; मिल जुलकर रहती हैं, उनमें दरार पैदा की जाए। कोई कसर नहीं छोड़ी गयी।

हमने वादा किया था लेकिन बिना कमीशन हम आरक्षण दे नहीं सकते थे। इस बात को जानते हुए भी आन्दोलन को भड़काया गया; उसको हवा दी गयी। मालूम था कि लोक सभा के चुनाव आ रहे हैं, राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की गयी। कितना मिल पाया उसमें मैं जाना नहीं चाहता पर इतना मैं कह सकता हूं कि हमने जो वादा किया था उसको निभाया है और करीब 18 जातियों–जाट, विश्नोई;

(श्री अशोक गहलोत)

मेव, कायमखानी, इन सभी को हमने आरक्षण दिया है ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य मंत्री महोदय, हमने आपके भाषण में कहीं नहीं टोका पर सत्य तो बोलो । यह आरक्षण का मामला तो केन्द्र सरकार का था ।

श्री सांवर लाल : यह तो आपकी अन्तरात्मा भी जानती है कि मजबूरी में आपको फैसला लेना पड़ा । (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, हमने कच्ची बस्तियों का नियमन करने की बात की है । आपने गिनाया कि मेनिफेस्टो में इतने-इतने काम नहीं हुए, पर आपने यह नहीं गिनाया है कि एक साल के अर्से के अन्दर कौन कौन से वादे पूरे कर दिये गये । जो मैं अभी बोल रहा था, अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का हमने वादा किया था, हमने घोषणा की उसको बनाने की। पिछड़े वर्ग के वित्त और विकास निगम की स्थापना करने का हमने जो वादा किया था उसको भी हम पूरा करने जा रहे हैं ।

इसी प्रकार से 18 साल के बाद में 15 अगस्त, 98 तक की कच्ची बस्तियों का नियमन करने का काम राजस्थान में शुरू हो गया और मैं उम्मीद करता हूं जल्दी ही वह पूरा होगा । लाखों परिवारों को इसका लाभ मिल सकेगा, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं । सबसे बड़ा फायदा तो उनका है जो कृषि भूमि पर लम्बे अरसे से बैठे हुए लोग थे । जो कालोनियां बस गयी थीं उनके लिए हमने जे. डी. ए. एक्ट में, म्युनिसिपैलिटी एक्ट में, रेवेन्यू लाज में सब में अमेंडमेंट करके एक बहुत बड़ा निर्णय किया जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश के अन्दर और विशेष रूप से जयपुर के अन्दर तमाम बस्तियों का नियमन करने का काम शुरू हो चुका है ।

साथ में किसानों को छूट दी है, पहली बार कि किसान चाहे तो अपनी खुद की ज़मीन पर कालोनी बसा सकता है; उसको किसी भू-माफिया के या सोसाइटी के माध्यम से काम करने वाले लोगों को बेचने की जरूरत नहीं है । जे.डी.ए. के माध्यम से या यू.आई.टी. के माध्यम से उसको सभी तरह का सहयोग मिलेगा । मैं समझता हूं कि इससे किसान को कृषि का लाभ मिल सकेगा ।

हमने वादा किया था महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने का, वह वादा हमने पूरा किया है । न्यूनतम मजदूरी का वादा किया था, 44 रुपये थे उसको 60 रुपये का वादा था मेनिफेस्टो में, वह वादा पूरा हुआ । बल्कि मैं यह भी कहना चाहूंगा कि प्रकाश के अन्दर भी जो बात चल रही थी, उसके अभी आदेश जारी हो चुके । आप सब की जानकारी में है कि 44 की बजाय 60 रुपये को आधार मानकर उनको मजदूरी मिल सकेगी ।

श्री जगत सिंह दायमा : मुख्य मंत्रीजी, यह किसान और उद्योगपति के बीच से रीको को हटा लीजिये, जिसको जरूरत

(श्री जगत सिंह दायमा)

होगी वह डाइरेक्ट किसानों से खरीदेगा। यह हमारे भिवाड़ी क्षेत्र में बहुत हो रहा है और शोषण है। 60–60 हजार रुपये बीघा में रीको ले लेती है वह तीन-तीन लाख में, चार-चार लाख में नहीं मिलती है।

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में उद्योग धंधे किस प्रकार से स्थापित हो सकें, मैंने पहले भी यह बात कही थी। राजस्थान के बारे में एक इम्प्रेशन पूरे देश के अन्दर बना हुआ है कि उद्योगपति आना नहीं चाहते हैं क्योंकि आते हैं तो जो सुविधा मिलनी चाहिए वह मिलती नहीं है।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय किये हैं। सिंगल विंडो की बात तो बहुत की जाती है वर्षों से पर हम लोगों ने रीयल सेंस में सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया। तमाम डिपार्टमैंट्स के रूल्स आफ बिजनेस में चेंज किये गये और पहली बार सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से हम लोगों ने अधिकार दिये कलेक्टर को। तीन करोड़ के प्रस्ताव आएंगे वहां पर एक कमेटी बनायी गयी है, उनको वह खुद अपने लेवल पर मंजूर कर सकता है। 3 करोड़ से 25 करोड़ तक के प्रस्ताव होंगे वह चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है उस कमेटी में प्रस्ताव पेश किये जाएंगे। कमेटी एप्रूव कर देगी उसके बाद में उन उद्योगपतियों को किसी भी डिपार्टमैंट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तमाम डिपार्टमैंटस उसमें बाध्य होंगे और वह अपना काम शुरू कर सकेगा। 25 करोड़ से ज्यादा के जो प्रस्ताव होंगे वह मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में बनी कमेटी के माध्यम से एप्रूव होंगे। इस प्रकार से एक नयी शुरूआत हम राजस्थान में करने जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का स्वर्ण जयन्ती वर्ष चल रहा है। कल वित्त मंत्री जी ने एक घोषणा की है कि हम एक साल के लिए समारोह को और मनाएंगे जिससे कि राजस्थान के स्वर्ण जयन्ती वर्ष के माध्यम से राजस्थान के लोगों को हम आकर्षित कर सकें और राजस्थान की जन समस्याओं को हम आगे बढ़ा सकें कि किस प्रकार से उनको हल करना है।

इसके माध्यम से देश और दुनिया में जितने भी राजस्थानी हैं, चाहे उद्योगपति हैं, चाहे लेखक हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में उन्होंने काम किया हो, राजस्थान का नाम ऊंचा किया हो, उन सब की एक राजस्थान कांफ्रेंस सितम्बर में हम करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं उसके माध्यम से हम यहां बैठकर राजस्थान के भविष्य की कल्पना कर सकेंगे।

मैं समझता हूं कि कोई भी क्षेत्र हो सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि हम जानते हैं कि राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है। आज हम 150-155 जीतकर आये हैं सदस्यों के रूप में। मैंने पिछली बार भी कहा था, माननीय अध्यक्ष जी, भारी बहुत मिला है इस सरकार को।

(श्री अशोक गहलोत)

तीन चौथाई से ज्यादा बहुमत आज तक किसी सरकार को नहीं मिला।

यह सरकार अगर ऐसे फैसले नहीं कर पाएगी जो जनता के हित में हों तो फिर कोई सरकार नहीं कर पाएगी। हमको मैंडेट मिला है इसके पीछे मंशा यही है कि हम आप सब को विश्वास में लेकर ऐसे कड़वे फैसले करें जिससे कि राजस्थान में जो आर्थिक रूप से एक संकट चल रहा है उस संकट से हम पार पा सकें। अगर हम पार नहीं पाएंगे तो जिस तेज गति से राजस्थान का विकास होना चाहिए, विकास हो नहीं पाएगा।

हालात बहुत ही गम्भीर हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अकाल पड़ा हुआ है और अपने सीमित साधनों से हम काम करना चाहते हैं। आपको मालूम है, पिछली बार 960 करोड़ की मांग की गयी केन्द्र सरकार से और मात्र 21 करोड़ रुपये मिले थे। इस बार भी 1144 करोड़ रुपये की मांग की गयी और मात्र 102 करोड़ रुपये मिलने की सम्भावना बनी हुई है। इससे काम चलने वाला नहीं है क्योंकि हालात बहुत ही गम्भीर हैं अकाल के। पिछली बार भी करीब पांच सौ करोड़ रुपये खर्च करने पड़े।

इस बार दूसरे साल अकाल पड़ा है; पीने के पानी का हो, चाहे चारे के प्रबन्ध की बात हो, रोजगार की बात हो, सीमित साधनों से हम काम करना चाहते हैं, वह सम्भव नहीं है। प्रधान मंत्री जी को मैंने पत्र लिखा है कि 102 करोड़ से काम चलने वाला नहीं है। मेरी कोशिश है कि आप सब की भावनाओं को मैं केन्द्र तक पहुंचाऊं ताकि अधिक से अधिक हमें सहयोग मिल सके। केन्द्र सरकार से जितना सहयोग मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार कैसे सहयोग करे, इसमें आप लोगों को आगे आना चाहिए।

श्री सांवर लाल : माननीय मुख्य मंत्री जी, एक मिनट इंटरवीन करना चाहता हूं। आपने फर्माया कि राज्य सरकार के सीमित साधन होते हुए लगभग 500 करोड़ रुपये गत वर्ष खर्च किये। मैं एक जानकारी चाहता हूं कि प्राकृतिक आपदा कोष के अलावा क्या राज्य सरकार ने अपने बजट से एक भी रुपया अकाल राहत में चारे में, पानी में या लोगों को रोजगार के लिए खर्च किया ?

दूसरा, जो भारत सरकार ने 103 करोड़ रुपये दिये, मेरे ख्याल में आपकी जानकारी में भी है कि हिन्दुस्तान में किसी भी क्षेत्र में जहां पर अकाल पड़ा हो, 103 करोड़ रुपये आज तक किसी को नहीं मिले हैं क्योंकि प्राकृतिक आपदा कोष सेन्टर का है उसका बैलेंस लिमिटेड है।

श्री अशोक गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय; वह तो अकाल की गम्भीरता किस प्रदेश में कितनी है उस पर निर्भर करता है। 1144 करोड़ मांगे और 102 करोड़ दिये, क्या इसको आप उचित मानते हैं ?

(श्री अशोक गहलोत)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता था कि हालात बहुत गम्भीर हैं। मैं हमारे प्रतिपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों से, प्रतिपक्ष के नेता महोदय आज नहीं हैं, कि उनको आगे आकर सहयोग करना चाहिए क्योंकि केन्द्र में उनकी सरकार है। सहयोग आप कितना करते हैं वह तो आप पर निर्भर करता है।

जिस प्रकार का माहौल पिछली बार बनाया गया, वित्त मंत्री को दिल्ली में जाकर कहा गया कि राजस्थान की सरकार तो 1010 करोड़ जो आपने दिये हैं लोन के रूप में, वह सारा पैसा राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं पर खर्च कर रही है, 16 हजार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वहां पर टीचर बना दिया है।

इस प्रकार अगर आप सहयोग करोगे तो अगले लोक सभा चुनाव में हमारा सफाया हो जाएगा। कृपा करके यह करना आप बन्द करो तो कम से कम हमको फायदा मिले और राजस्थान के हित में हम कुछ कर सकें। अकाल में स्थिति बड़ी गम्भीर है, राजस्थान का विकास जिस तेज गति से होना चाहिए, वह साधनों की कमी की वजह से नहीं हो पा रहा है। आपके शासन से जो हमको कर्ज मिला वह तो बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि वह तो कागजों के अंदर आप खुद छोड़ कर गये हो।

आज हालत यह हो गयी है कि आप के छोड़े हुए 23 हजार करोड़ के कर्ज और 2200 करोड़ रुपये के ब्याज को चुकाने के लिए भी हमको कर्ज लेना पड़ रहा है। कर्ज लेकर ब्याज चुका रहे हैं। जिस प्रकार गांवों के अंदर कोई आदमी साहूकार से कर्ज लेता था और फंस जाता था, उसी प्रकार राजस्थान की सरकार को आप छोड़कर गये हो। तो कृपा करके मेहरबानी रखो और दिल्ली में जाकर सही बात कहो।

राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला में एक भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को लगाने की किसी भी स्तर पर कोशिश नहीं की गयी, उसके बावजूद भी इस प्रकार की बातें वहां जाकर की गयीं, मैं समझता हूं वह बात राजस्थान के हित में नहीं थी। एक साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं इस आर्थिक संकट से निकलने के लिए, मैं समझता हूं कि अब आपको इलैवन्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट का इन्तजार करना पड़ेगा। कितना वे राज्य को मदद करते हैं यह समय बताएगा, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं। पूरे देश के अंदर हर राज्य को मिलाकर जो डैफिसिट है, 44 हजार करोड़ की जरूरत है। जो अन्तरिम रिपोर्ट इलैवन्थ फाइनेंस कमीशन ने दी है उसमें करीब 11,500 करोड़ के प्रस्ताव सामने आये हैं।

मैं समझता हूं कि यही हालत रही अन्तिम रिपोर्ट में तो पता नहीं राज्यों में क्या होगा। खाली राजस्थान ही नहीं बल्कि आज देश में करीब-करीब सभी राज्यों में

(श्री अशोक गहलोत)

आर्थिक संकट बहुत भयंकर हो गया है। पंजाब के अंदर तो जो बिजली फ्री देने की बातें किया करते थे या दे रहे थे, अपनी बिल्डिंगें मोरगेज करके वहां कर्मचारियों को तनख्वाह चुका रहे हैं। यह उनकी स्थिति बन गयी है। आसाम की ट्रेजरी तीन बार बन्द हो चुकी है। महाराष्ट्र और गुजरात के हालात भी अच्छे नहीं हैं जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग स्टेट माने जाते थे। आन्ध्र हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, जो राज्य सरकारें केन्द्र के साथ में एलायंस में शामिल हैं उनको इस बात का लाभ मिल जाता है, उनको किसी न किसी रूप में इमदाद मिल जाती है और वे संकट के दौर से निकल जाते हैं।

हमारी हालत यह होती है कि बार-बार हम ओवरड्राफ्ट में आते हैं। बार-बार ओवरड्राफ्ट में आने का मतलब आप समझ सकते हैं कि यह राज्य के हित में नहीं है। इन सब हालातों को देखते हुए समय की मांग है, राजनीतिक मतभेद तो अपनी जगह रहेंगे, पर कुछ ऐसे भी काम हैं जहां मिल करके कर सकते हैं और राजस्थान को इस संकट के दौर से बाहर निकाल सकते हैं। इसमें मैं आपका, तमाम विपक्षी दलों का सहयोग चाहूंगा।

कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु हैं जिनको मैं आपको कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा और जिसमें हम लोग आपस में मतभेद भुलाकर काम कर सकते हैं। एक तो राज्य की जनसंख्या में बढ़ोतरी को रोकने के प्रयास के अंदर, एक कानून और व्यवस्था बिगाड़ने वाले तत्वों पर सख्ती से निर्णय करने के काम के अंदर और एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में। हमने कहा कि हम कंपलसरी रिटायरमेंट करना चाहेंगे उन कर्मचारियों का जो भ्रष्ट हैं, कामचोर हैं या निकम्मे हैं।

मैंने यह बात भी कही थी, वह बात मैं रिपीट करना चाहूंगा, हमारे माननीय सदस्य सुरेन्द्र व्यास जी ने भी यह सवाल उठाया था। मैंने कहा कि वर्षों से यह परिपाटी चली आ रही है, मैंने यह नहीं कहा कि यह आपके राज में ही शुरू हुई है। वर्षों से यह परिपाटी चली आ रही है कि कोई बुरा नहीं बनना चाहता। ए.सी.आर. लिखी जाती है लिहाज के अन्दर। जो आदमी जितना ज्यादा भ्रष्ट है या जितना ज्यादा निकम्मा है या जितना ज्यादा कामचोर है वह उतनी ही अच्छी अपनी ए.सी.आर. लिखाने में कामयाब हो जाता है, आउट–स्टैंडिंग। इसका अन्त होना चाहिए।

श्री जगत सिंह दायमा : मुख्य मंत्रीजी, एस.सी. और एस. टी. के जो अधिकारी पहले थे उनकी ए.सी.आर. जानबूझकर जो मनुवादी अफसर थे, उन्होंने बिगाड़ी है। क्या आप पुनः उनकी जांच कराएंगे ?

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब माननीय सदस्य समझ चुके होंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि समय आ गया है कि हमें इन बातों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा

(श्री अशोक गहलोत)

कि किस प्रकार से जो ईमानदार और कुशल लोग हैं....

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, दैनिक भास्कर जिसका इतना बड़ा सर्कुलेशन है, उसके 27 तारीख के अंक में जोधपुर की डेटलाइन से यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि आपने हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए यह कहा, जिसको आप दुबारा पुनरावृत्ति कर रहे हैं। बाकि यह तो ठीक बात है कि आप उस पर स्टैण्ड कर रहे हैं कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनकी ए.सी.आर. कभी खराब नहीं लिखी जाती।

आपने यह भी कहा कि उनकी अलग से गोपनीय रिपोर्ट अब बनवाई जाएगी। मुख्य मंत्री जी, अगर आपने कहा है तो ठीक है, लेकिन आप बनवा सकते हैं क्या ? कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 311 में प्रोटेक्शन है उनको। एग्जिस्ट है या नहीं है, प्रश्न यह है।

मैं इस बात के लिए आपका ध्यानाकर्षित इसलिए कर रहा हूं, मुख्य मंत्री जी, कि आप राज्य के मुख्य मंत्री हैं। निश्चित रूप से भ्रष्ट कर्मचारी हैं उनको आपको रिटायर करना चाहिए। यह सर्विस रूल्स में प्रोवाइडेड हैं, कंपलसरी रिटायरमैंट का प्रावधान है।

आपने बहुत सफलतापूर्वक स्ट्राइक को काल आफ करवाया है। लेकिन गवर्नमैंट के एम्पलाई आपके अविभाज्य अंग हैं। इनके ऊपर आप यदि विजेता का भाव लेकर चलते हैं और वह गैप ज्यादा बढ़ता है तो स्टेट का नुकसान होगा। यह भ्रांति आप दूर कर दें। थोड़ा कर्मचारियों को आप कांफीडेंस में लें, इसलिए मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं। इसको क्लियर कर दें, स्पष्ट कर दें आप।

श्री अशोक गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कर्मचारी हमसे अलग नहीं हैं, वह हमारी पूरी सरकार के परिवार के सदस्य हैं। स्ट्राइक किन कारणों से हुई और कैसे उससे निपटा गया, वह दूसरी बात थी। वे हमसे अलग नहीं हैं। जिस प्रकार से एक मछली पूरे तालाब को गन्दा कर देती है उसी तरह भ्रष्ट कुछ लोग होंगे, पर वे सबको बदनाम करते हैं। पर मैं नहीं मानता, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो आप कह रहे हैं कि मैंने जोधपुर में क्या कहा कि मैं वापस उनकी ए.सी.आर. को ओपन करवाऊंगा। ऐसी कोई बात वहां पर हुई नहीं थी।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है। मैंने यह कहा कि अगर हरेक की ए.सी.आर. आउटस्टैंडिंग लिखी जाती है और ऐसे लोगों का आप कंपलसरी रिटायरमैंट करते भी हैं तो वे कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में ए.सी.आर. देखी जाएगी। आउटस्टैंडिंग है तो वापस उनको

(श्री अशोक गहलोत)

बहाल कर देते हैं। यह समस्या रहती है; मैंने यह बात कही थी। इसलिए मैंने कहा कि लिखने वाले अधिकारी को चाहिए कि वह लिखते समय सत्यता को सामने रखे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसका मतलब रिपोर्टिंग गलत हुई है।

श्री अशोक गहलोत : हां। अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे मेरी मंशा यह भी है कि जो ईमानदार और कुशल कर्मचारी हैं उन में निराशा की भावना पैदा हो जाती है। वे देखते हैं कि हम पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं, हमारी प्रतिबद्धता है काम करने की, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। आप सब लोगों को जानकारी है कि आज कई लोग तो मजबूरी में भ्रष्ट बनते जा रहे हैं। वे देखते हैं कि हमारे पड़ोस के बच्चे इंग्लिश स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। मुझसे जुनियर लेबल का अधिकारी है या कर्मचारी है उसके बच्चे अच्छे कपड़े पहनते हैं, स्कूटर से जाते हैं, इंगलिश स्कूलों में पढ़ते हैं और उसकी हालत खराब हो जाती है जो आदमी ईमानदारी से काम करता है।

मैं समझता हूं, उसको तो कई बार स्थिति ऐसी भी हो जाती है जब वह घर में घुसता है तो उसके बच्चों का, उसकी पत्नी का ऐसा मूड खराब देखता है कि उसका खाना खराब हो जाता है। लगता है कि वास्तव में उसके लिए तो यह एक प्राब्लम बन गई है कि मैं ईमानदार हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी स्थिति घर में ऐसी बन जाए। मजबूरी में कई लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए यह जरूरी है कि ए.सी.आर. सही लिखी जाए। मेरे कहने का मतलब इतना ही था, मैं समझता हूं; व्यासजी इस बात को समझ गये होंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं इससे सहमत हूं, रिपोर्टिंग गलत हुई है।

श्री अशोक गहलोत : पर हमने यह बात जरूर कही है। दो दिन का एक चिंतन शिविर किया मंत्रिमण्डल के साथियों का; उसमें हमने तय किया है कि कंपलसरी रिटायरमेंट करने का जो प्रावधान है उसको आधार बनाकर कार्यवाही होनी चाहिए। वह कार्यवाही होती नहीं है साधारणतया।

अध्यक्षजी, इसी के साथ एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा क्योंकि मैंने कहा कि हालात बड़े गम्भीर हैं। इसलिए मैंने सभी का सहयोग मांगा है कि आप लोग इस दिशा में क्या कर सकते हैं।

स्थिति ऐसी आ सकती है जो हालात नजर आ रहे हैं मुझे उसमें कि हमें केन्द्र के पास जाकर बात करनी पड़ेगी, प्रधान मंत्रीजी से बात करनी पड़ेगी, राष्ट्रपतिजी से बात करनी पड़ेगी कि ये हालात चलने वाले नहीं हैं राज्यों के अंदर। अगर ये

(श्री अशोक गहलोत)

चलते रहेंगे, लोग ओवरड्राफ्ट करते रहेंगे तो पिछली बार भी हमें प्लान कम करना पड़ा। 1200 करोड़ रुपये की प्लान साइज हमको कम करनी पड़ी। आपने कहा कि अकाल के अंदर पैसा खर्च किया तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कि पिछली बार भी 500 करोड़ रुपये खर्च हुए थे।

आप तो अकाल मंत्री रहे हुए हो, आपको मालूम है कि सी.आर.एफ. में कितना पैसा आता है। उसके बावजूद भी पैसा खर्च हुआ और इस बार भी पैसा खर्च हो रहा है। वह खाली सी.आर.एफ. के पैसे से ही काम नहीं चलेगा। एन.सी. आर.एफ. का पैसा है, उसकी बात की जा रही है। वह सिर्फ 102 करोड़ रुपये हमें अभी तक मिले हैं और जो अकाल की सीवियरिटी है उससे इस पैसे से काम नहीं चलने वाला है, इसलिए हमारी मांग है कि और अधिक पैसा मिलना चाहिए।

अन्त में, अध्यक्ष जी, एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं मैं उन सब पाइंट्स को रिपीट नहीं करना चाहूंगा। कानून व्यवस्था की बात की गई, उसमें मैं इतना ही आपको कहना चाहूंगा कि घटनाएं हुई हैं। घटनाएं आपके राज में हुई थीं, घटनाएं बाद में भी हुई हैं। पर घटना होने के बाद में, मेरे पास आंकड़े हैं, लिखित में है; आप कहें तो मैं उनको सबको सुना सकता हूं कि चाहे बैंक की डकैती हुई हो; चाहे बलात्कार हुआ हो; चाहे तिब्बती बच्ची के साथ बलात्कार हुआ हो, आपके राज में और हमारे राज में इतना ही फर्क रहा कि जिस तत्परता से पकड़े गये हैं अपराधी; वह आपके राज में नहीं हुआ कभी। (व्यवधान) और अब भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि सरकार की प्राथमिकता है....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। पूर्व में जिस पुलिस उप महानिरीक्षक टंडन साहब का घोषणा पत्र में आपने जिक्र किया था कि भाजपा के शासन में फरार हो गया और आप शासन में आते ही गिरफ्तार कर लेंगे, उसका क्या हुआ? हाई कोर्ट ने जिन मामलों में आपको डाइरेक्शन दिये हैं चाहे वह कालीदेवी का मामला हो, चाहे दूसरे हों, उनका आपने क्या किया? उनका क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्षजी, माननीय सदस्य एक घटना का जिक्र कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि उस घटना में अभी तक कामयाबी नहीं मिली है लेकिन सरकार की मंशा स्पष्ट है कि ऐसे अपराधी को जितनी जल्दी हो सके; पकड़ में आना चाहिए। मैं इस बात से सहमति प्रकट करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि धन्यवाद प्रस्ताव को पास करने का कष्ट करें।

धन्यवाद प्रस्ताव का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री लक्ष्मण सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत किया गया धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 3 अप्रेल, 2000 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.55 बजे सोमवार, 3 अप्रेल, 2000 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

———

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 153 का विवरण)

परिशिष्ट–'1'

खण्डवाईज खरीफ 2000-2001 के लिए प्रमाणित/उन्नत बीज की मांग

(इकाई क्विन्टल में)

क्र.सं.	खण्ड का नाम	खाद्यान्न	तिलहन	कपास	ग्वार	अन्य	योग
1.	जयपुर क्षेत्र	21488	2054	1470	3192	45	28249
2.	भरतपुर क्षेत्र	11284	224	955	700	535	12998
3.	कोटा क्षेत्र	1446	3596	—	100	4	5146
4.	भीलवाड़ा क्षेत्र	7545	4325	795	960	50	13675
5.	उदयपुर क्षेत्र	6065	1460	205	200	160	7890
6.	जोधपुर क्षेत्र	28833	5792	4935	4500	—	44060
7.	श्री गंगानगर क्षेत्र	3338	2555	40362	4151	—	50406
	योग	79999	20006	48722	13803	794	163324

परिशिष्ट-'2'

DISTRICTWISE FERTILIZER DISTRIBUTION TARGET FOR THE KHARIF, 2000

(Qnt. In M. T.)

DISTRICT	UREA	DAP	CAN	SSP	AS	MOP	20;20;0	12;32;16	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ajmer	19000.00	21000.00	253.00	1270.00	0.00	100.00	512.00	339.00	42474.00
Jaipur	23000.00	18000.00	1591.00	5400.00	91.00	550.00	1416.00	438.00	50486.00
Dausa	15000.00	12000.00	1473.00	5000.00	30.00	82.00	900.00	94.00	34579.00
Sikar	6000.00	3000.00	202.00	890.00	0.00	18.00	162.00	79.00	10351.00
JhunJhunu	5000.00	2000.00	81.00	10.00	0.00	0.00	131.00	0.00	7222.00
JAIPUR REGION	68000.00	56000.00	3600.00	12570.00	121.00	750.00	3121.00	950.00	145112.00
Alwar	23000.00	11000.00	1481.00	800.00	45.00	210.00	320.00	622.00	37478.00
Bharatpur	16000.00	13000.00	1602.00	950.00	230.00	120.00	505.00	114.00	32521.00
Dholpur	8000.00	3500.00	309.00	890.00	2284.00	50.00	300.00	40.00	15373.00
S. Madhopur	22000.00	15000.00	351.00	11200.00	227.00	65.00	636.00	188.00	49667.00
Karoli	5000.00	6000.00	33.00	5000.00	68.00	50.00	100.00	50.00	16301.00
BHARATPUR REGION	74000.00	48500.00	3776.00	18840.00	2854.00	495.00	1861.00	1014.00	151340.00
Churu	1500.00	400.00	0.00	450.00	0.00	3.00	31.00	78.00	2462.00
Bikaner	1500.00	400.00	0.00	50.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1951.00
Hanumangarh	42000.00	11000.00	0.00	7800.00	0.00	230.00	288.00	318.00	61636.00
Ganganagar	28000.00	3500.00	0.00	2650.00	0.00	120.00	125.00	103.00	34498.00
IGNP Bikaner	27000.00	5000.00	0.00	940.00	0.00	70.00	300.00	200.00	33510.00
G. NAGAR REGION	100000.00	20300.00	0.00	11890.00	0.00	424.00	744.00	699.00	134057.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jodhpur	10000.00	10000.00	390.00	1000.00	5.00	350.00	586.00	562.00	22893.00
Jaisalmer	3800.00	500.00	0.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7600.00
Jalore	10000.00	4500.00	0.00	250.00	0.00	20.00	967.00	365.00	16102.00
Barmer	2500.00	1500.00	0.00	20.00	0.00	0.00	60.00	84.00	4164.00
Nagaur	12000.00	10000.00	11.00	500.00	0.00	30.00	1088.00	388.00	24017.00
Pali	10000.00	10000.00	44.00	500.00	0.00	20.00	1166.00	452.00	22182.00
Sirohi	5000.00	1400.00	12.00	50.00	0.00	3.00	303.00	332.00	7100.00
JODHPUR REGION	53300.00	37900.00	457.00	5620.00	5.00	423.00	4170.00	2183.00	104058.00
Kota	27000.00	25000.00	0.00	6000.00	0.00	320.00	1457.00	1025.00	60802.00
Baran	15000.00	7000.00	0.00	6400.00	0.00	80.00	2108.00	200.00	30788.00
Bundi	20000.00	12000.00	0.00	700.00	0.00	350.00	1179.00	1075.00	35304.00
Jhalawar	19000.00	16000.00	0.00	30000.00	0.00	128.00	345.00	1119.00	66592.00
Tonk	17000.00	16000.00	76.00	4500.00	0.00	150.00	1033.00	273.00	39032.00
KOTA REGION	98000.00	76000.00	76.00	47600.00	0.00	1028.00	6122.00	3692.00	232518.00
Banswara	18700.00	1800.00	0.00	500.00	0.00	160.00	486.00	354.00	22000.00
Dungarpur	7000.00	1200.00	0.00	180.00	0.00	0.00	423.00	106.00	8909.00
Udaipur	10000.00	2300.00	19.00	3000.00	0.00	40.00	1198.00	118.00	16675.00
UDAIPUR REGION	35700.00	5300.00	19.00	3680.00	0.00	200.00	2107.00	578.00	47584.00
Bhilwara	16000.00	6000.00	69.00	800.00	15.00	180.00	915.00	161.00	24140.00
Chittorgarh	27000.00	8000.00	2.00	18500.00	5.00	480.00	528.00	666.00	55181.00
Rajsmand	3000.00	2000.00	1.00	500.00	0.00	20.00	432.00	57.00	6010.00
Total	46000.00	16000.00	72.00	19800.00	20.00	680.00	1875.00	884.00	85331.00
Grand Total	475000.00	260000.00	8000.00	120000.00	3000.00	4000.00	20000.00	10000.00	900000.00

परिशिष्ट-'3'

Districtwise Physical and Chemical P.P. Targets For Kharif; 2000

Area In 000 Hectare
Chemical in TGM (MT)

S.N.	Name of Districts	Area	Chemicals
1	2	3	4
Jaipur Division			
1.	Ajmer	120	40
2.	Jaipur	185	55
3.	Dausa	70	10
4.	Sikar	110	10
5.	Jhunjhunu	110	10
	Total	595	125
Bharatpur Div.			
6.	Alwar	100	11
7.	Bharatpur	80	10
8.	Dholpur	30	4
9.	Karauli	55	8
10.	Sawai Madhopur	45	7
	Total	310	40

1	2	3	4
Ganganagar Div.			
11.	Bikaner	30	5
12.	Churu	35	6
13.	Ganganagar	480	130
14.	Hanumangarh	500	120
15.	Bikaner IGNP	520	124
	Total	1565	385
Jodhpur Div.			
16.	Jodhpur	150	17
17.	Jaisalmer	15	3
18.	Jalore	110	10
19.	Barmer	40	5
20.	Nagaur	175	22
21.	Pali	145	18
22.	Sirohi	60	5
	Total	695	80
Kota Division			
23.	Kota CAD & Bundi CAD	120	22
24.	Kota NCAD	70	12
25.	Bara	70	10
26.	Bundi NCAD	30	6

1	2	3	4
27.	Jhalawar	125	15
28.	Tonk	80	10
	Total	495	75
Udaipur Div.			
29.	Banswara	45	5
30.	Dungarpur	25	5
31.	Udaipur	45	5
	Total	115	15
Bhilwara Div.			
32.	Bhilwara	145	20
33.	Chittorgarh	155	25
34.	Rajsamand	30	5
	Total	330	50
	Grand Total	4100	800

TGM : Technical Grade Material

परिशिष्ट-2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

मेवाड़ काम्प्लेक्स को आवंटित राशि से करवाये गये विकास कार्य

158. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में महाराणा प्रताप से संबंधित ऐतिहासिक स्थलों के विकास हेतु मेवाड़ काम्प्लेक्स योजना का प्रारूप कब तैयार किया गया है और उक्त योजना के तहत कहां-कहां, कितनी-कितनी राशि कब कब व्यय की गई ?

(2) दिसम्बर, 1998 के पश्चात् सरकार ने मेवाड़ काम्प्लेक्स योजना के अन्तर्गत कितनी राशि किन-किन स्थलों के विकास हेतु आवंटित की तथा आवंटित राशि में से कितनी-कितनी राशि किस–किस अवधि में क्या-क्या विकास कार्य पूर्ण करवाये गये ?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1977-78 में उक्त योजना का प्रारम्भ हुआ ? यदि हां, तो वर्ष 1980 से 1990 के मध्य तक इस योजना पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? उक्त अवधि में क्या–क्या कार्य करवाये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) महारणा प्रताप से संबंधित ऐतिहासिक स्थलों के विकास हेतु मेवाड़ काम्पलेक्स योजना का प्रारूप वर्ष 1980-81 में बनकर तैयार हुआ था। योजना में सुधार किया जाकर सलाहकार एवं विशेषज्ञों द्वारा वर्ष 1995-96 में इसे अन्तिम रूप दिया गया। योजना के तहत करवाए गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) वर्ष 1998-99 में राष्ट्रीय स्मारक निर्माण हेतु रु. 150.00 लाख की राशि आवंटित की गई, जिसमें से रु.45.00 लाख का व्यय किया गया। उक्त राशि में से चावण्ड में समाधि स्थल हेतु रु. 14.46 लाख तथा हल्दीघाटी में 34.54 लाख रु. चेतक मगरी पर अप्रोच रोड़ ओपन एयर थियेटर निर्माण, पानी की टंकी निर्माण आदि कार्यों पर व्यय की गई।

(3) मेवाड़ काम्पलेक्स योजना के नाम से इस योजना को 1980–81 में केन्द्रीय पर्यटन विभाग के सहयोग से तैयार किया गया था। इसमें और सुधार हेतु सलाहकार विशेषज्ञ की सेवायें ली गई और 1995-96 में इसे अंतिम रूप दिया गया। कुल योजना 12.44 करोड़ रु. की बनाई गई। जिस पर अब भी कार्य चालू है। वर्ष 1980 से 90 के मध्य व्यय राशि का विवरण निम्न प्रकार है:–

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

	कार्य	व्यय राशि (लाख रुपये)	वर्ष
1.	हल्दीघाटी का विकास कार्य	1.00	1983-84
2.	रक्त तलाई क्षेत्र का विकास एवं संरक्षण कार्य	4.65	1989-90
3.	चेतक समाधि स्थल का विकास	2.75	1989-90
4.	चावण्ड का विकास कार्य	7.11	1989-90
5.	गोगुन्दा में रोड़ एवं विकास कार्य	5.38	1989-90

परिशिष्ट–'क'

मेवाड़ कॉम्पलेक्स के विकास कार्यों का विवरण

क्र. सं.	कार्य का विवरण	व्यय राशि (लाख रु.)	वर्ष	कार्यकारी एजेन्सी
1	2	3	4	5
1.	हल्दीघाटी का विकास कार्य	1.00	1983–84	ग्रामीण विकास अभिकरण एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग
2.	रक्त तलाई क्षेत्र का विकास एवं संरक्षण कार्य	4.65	1989–90	ग्रामीण विकास अभिकरण एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग
3.	चेतक समाधि स्थल का विकास	2.75	1989-90	ग्रामीण विकास अभिकरण एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग
4.	चावण्ड का विकास कार्य	7.11	1989-90	ग्रामीण विकास अभिकरण एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग
5.	गोगुन्दा रोड़ एवं विकास कार्य	5.38	1989–90	ग्रामीण विकास अभिकरण एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग
6.	हल्दीघाटी मॉडल निर्माण	0.11	1991–92	ग्रामीण विकास अभिकरण एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग

1	2	3	4	5
7.	गोगुन्दा में विकास कार्य	3.00	1992–93	ग्रामीण विकास अभिकरण एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग
8.	मेवाड़ कॉम्पलेक्स विकास कार्य	30.00	1994-95	ग्रामीण विकास अभिकरण एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग
9.	मेवाड़ कॉम्पलेक्स विकास कार्य चावण्ड में पुल निर्माण व रोड़ बनाना; समाधी के चारों तरफ प्लेट फार्म निर्माण	92.12	1995–96	सार्वजनिक निर्माण विभाग; सलूम्बर/उदयपुर
10.	मेवाड़ कॉम्पलेक्स (हल्दीघाटी बाईपास निर्माण एवं हल्दीघाटी को मूल स्वरूप में लाना तथा चावण्ड में सड़क, पुल आदि का कार्य)	64.38 119.50	1996-97 1996-97	सार्वजनिक निर्माण विभाग; राजसमन्द/उदयपुर
11.	मेवाड़ कॉम्पलेक्स योजना के कार्य चेतक मंगरी का विकास, लैण्ड स्केपिंग रोड़ आदि का निर्माण एवं राष्ट्रीय स्मारक का मॉडल निर्माण	123.26	1997–98	सार्वजनिक निर्माण विभाग; राजसमन्द
12.	मेवाड़ कॉम्पलेक्स; चावण्ड में समाधि स्थल के चारों ओर पाथवे निर्माण,	14.46 30.54	1998-99	सार्वजनिक निर्माण विभाग; सलूम्बर

1	2	3	4	5	6
	घुमटियों का निर्माण, सपोर्टिंगवाल निर्माण, वृक्षारोपण 4.50 लाख का व्यय राणा पूंजा की मूर्ति निर्माण व मचिन्द में स्थापित करने हेतु व्यय				
13.	राष्ट्रीय स्मारक विकास कार्य, चेतक मंगरी, हल्दीघाटी के कार्य, थियेटर, लैण्ड स्केपिंग आदि । चावण्ड के कार्यों के लिए वर्ष 1999-2000 में 11.00 लाख रु. का प्रावधान किया गया था, जिसमें से बजट कटौति के कारण 3.77 लाख कर लिया गया और सा.नि.वि., सलूम्बर ने व्यय किया ।		53.63 3.77	1999-2000	सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजसमन्द

गंग/भाखड़ा एवं इन्दिरा गांधी नहर की असिंचित भूमि

159. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

गंग/भाखड़ा एवं इन्दिरा गांधी नहर (प्रथम स्टेज) में असिंचित भूमि को सिंचित भूमि में शामिल करने की क्या सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो सरकार उसे कब तक लागू करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां। वर्तमान में आदेश क्रमांक प. 7 (15) सि / मा. क./95 दिनांक 12-1-96 एवं संशोधन दिनांक 18-7-96 तथा 9-5-97 द्वारा गंग, भाखड़ा एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (कि.मी.0 से 74 तक) में अनकमाण्ड भूमि को कमाण्ड भूमि घोषित करने की प्रक्रिया जारी है।

मंदिरों में भोग हेतु दी जा रही राशि में बढ़ोतरी

160. श्री रामस्वरूप (टोडामीम) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) मंदिरों में भगवान को सेवा पूजा एवं भोग के लिए दी जाने वाली राशि कितनी–कितनी है ? क्या उक्त राशि पर्याप्त मात्रा में है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त राशि को बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक।

(2) उक्त मंदिरों से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष कुल कितनी आय प्राप्त हो रही है ? वर्ष 1998 से 2000 तक की अवधि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मंदिरों में से कितनी मूर्तियां गहने एवं अन्य वस्तुओं की चोरी हुई है ? उक्त में से अब तक कितनी चोरियां बरामद हो चुकी हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान एवं राजस्थान से बाहर देवस्थान विभाग के 390 प्रत्यक्ष प्रभार एवं 204 आत्म निर्भर कुल 594 मंदिर/संस्थान हैं। जिनकी सम्पत्ति 652 आवासीय मकानात, 1514 व्यवसायिक दुकानें व 63 भवनों में राजकीय कार्यालय हैं एवं 37,348–03 बीघा कृषि भूमि है। सम्पत्ति की विस्तृत सूची परिशिष्ट–1 सदन की मेज पर रख दी गई है।

विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित मंदिरों को सेवा पूजा एवं भोगराग के लिए वर्ष 1999–2000 के लिए स्वीकृत राशि निम्न प्रकार है:–

मंदिरों की श्रेणी		स्वीकृत राशि
1. प्रत्यक्ष प्रभार	—	87.00 लाख
2. आत्म निर्भर	—	40.00 लाख
		127.00 लाख

(देवस्थान मंत्री)

मंदिरों को सेवा पूजा हेतु दी जा रही राशि वर्तमान में पर्याप्त है ।

(2) उक्त मंदिरों से विभाग को प्राप्त आय का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है:–

वर्ष	प्राप्त आय (लाखों में)		
	प्रत्यक्ष प्रभार	आत्म निर्भर	कुल आय
1997-98	28.62	222.88	251.50
1998-99	33.92	278.73	312.65
1999-2000	25.00	275.00	300.00 ×

× अनुमानित 31 मार्च, 2000 तक

(3) उक्त मंदिरों में से 65 मूर्तियां, 250 आभूषण एवं 315 अन्य वस्तुओं की चोरी हुई है। उक्त में से अब तक 13 मूर्तियां 25 आभूषण एवं 16 अन्य वस्तुएं बरामद हो चुकी हैं । विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2 सदन की मेज पर रख दिया गया है।

परिशिष्ट–'1'

राजस्थान राज्य व राज्य से बाहर देवस्थान विभाग की सम्पत्ति का विवरण :–

प्रदेश	संभाग का नाम	मंदिर श्रेणीवार			सम्पत्ति का विवरण				कृषि भूमि
		प्रत्यक्ष प्रभार	आत्म निर्भर	योग	आवासीय	व्यवसायिक	सरकारी विभाग	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राजस्थान	जयपुर	41	19	60	120	214	24	358	22-19
	भरतपुर	08	59	67	193	321	04	518	—
	जोधपुर	11	09	20	90	178	10	278	192-05
	बीकानेर	105	20	125	29	141	03	173	18461-02
	उदयपुर	59	46	105	63	178	16	257	7656-15
	ऋषभदेव	88	07	95	23	166	02	191	2498-08
	कोटा	42	17	59	47	172	04	223	7285-14
	अजमेर	11	11	22	—	36	—	36	1193-15
		365	188	553	565	1406	63	2034	37340-18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राज्य से बाहर	उत्तर प्रदेश	15	16	31	86	108	—	194	7·05
	महाराष्ट्र	08	—	08	—	—	—	—	—
	गुजरात	01	—	01	1	—	—	1	—
	दिल्ली	01	—	01	—	—	—	—	—
	योग :–	25	16	41	87	108	—	195	7.05
	महायोग :-	390	204	594	652	1514	63	2229	37348·03

"परिशिष्ट–'2'

देवस्थान विभाग मन्दिरों से चोरी गए सामान का विवरण एवं उसकी बरामदगी की सूचना

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	चोरी गया सामान				बरामदगी			
		मूर्ति	आभूषण	बर्तन	अन्य	मूर्ति	आभूषण	बर्तन	अन्य
1.	उदयपुर	—	19	3	10	....	....	....	....
2.	ऋषभदेव	—	3	....	4	....	....	....	....
3.	बीकानेर	5	87	26	110	....	13	4	4
4.	जयपुर	2	33	4	....	....	5	....	....
5.	कोटा	21	95	46	107	3	7	5	3
6.	भरतपुर	37	13	3	2	10	....	....	....
7.	जोधपुर	....	....	....	....	....	....	....	....
8.	अजमेर	....	....	....	....	....	....	....	....
9.	वृन्दावन	....	....	....	....	....	....	....	....
	योग :	65	250	82	233	13	25	9	7

उपकोषागार कुशलगढ़ में लेखाकार के रिक्त पद पर नियुक्ति

161. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बांसवाड़ा के उपकोषागार में लेखाकार के कितने पद रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ उपकोषागार में लेखाकार का पद लम्बे समय से रिक्त है ? उक्त पद को अब कब तक भर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में उपकोषाधिकारी का कोई पद वर्तमान में रिक्त नहीं है। जिले में लेखाकार के 6 पद रिक्त हैं। सूची संलग्न है।

(2) कुशलगढ़ सब ट्रेजरी में उपकोषाधिकारी का एक पद स्वीकृत है जिस पर उपकोषाधिकारी दिनांक 20-12-99 से कार्यरत है। उपकोषालय में लेखाकार का कोई पद सृजित नहीं है।

लेखाकार के रिक्त पद

क्र.सं.	विभाग/कार्यालय का नाम	पदों की संख्या	कब से पद रिक्त है
1.	उपनिवेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण (N.K.D.P) बांसवाड़ा	1	12/99
2.	कलेक्टर (राजस्व) बांसवाड़ा	1	10/99
3.	कोषालय, बांसवाड़ा	1	02/99
4.	राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा	1	10/96
5.	मुख्य अभियन्ता, माही बजाज सागर परियोजना, बांसवाड़ा	1	10/96
6.	जिला परिषद, बांसवाड़ा	1	10/96
	कुल रिक्त पद	6	

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में हृदय इकाई हेतु क्रय की गई मशीनें

162. श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित सवाई मानसिंह चिकित्सालय की हृदय इकाई में विभिन्न मशीनों के क्रय में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था ? क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ? यदि हां, तो कब ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त रिपोर्ट में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या तथा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(2) प्रकरण की जांच विशिष्ट शासन सचिव, वित्त विभाग द्वारा की गई थी। वर्तमान में जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के यहां विचाराधीन है।

उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा झण्डारोहण में की गई लापरवाही

163. डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या दिनांक 15 अगस्त, 1999 को उपखण्ड अधिकारी ब्यावर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे ? यदि हां, तो क्या उन्होंने निर्धारित समय पर झंडारोहण किया।

(2) क्या झण्डारोहण विलम्ब से किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या उपखण्ड अधिकारी का यह आचरण दुराचार व घोर लापरवाही की श्रेणी में आता है ?

(4) क्या इस संबंध में सरकार को कोई शिकायत मुख्य मंत्री कार्यालय में प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो अब कब तक इस पर कार्यवाही कर ली जायेगी ?

उत्तर

(1) यह सही है कि 15 अगस्त, 99 को उप खण्ड अधिकारी, ब्यावर मुख्य अतिथि के रूप में राजकीय ध्वज फहराने के लिए आमंत्रित थे। इस समारोह में उन्होंने 8-9 मिनट विलम्ब से झण्डारोहण किया।

(2) राजकीय वाहन के स्टार्ट नहीं होने के कारण वह समारोह में समय पर नहीं पहुंच पाये थे। इस कारण झण्डारोहण विलम्ब से हुआ।

(3) उपरोक्त कारण से विलम्ब को दुराचार, की श्रेणी में नहीं माना जा सकता।

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

(4) उप खण्ड अधिकारी, ब्यावर के विरुद्ध राष्ट्रीय ध्वज फहराने के संबंध में प्राप्त शिकायती पत्र की प्रति जिला कलेक्टर अजमेर को भेज कर रिपोर्ट चाही गई है। जिला कलेक्टर, अजमेर से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

रेगिस्तानी क्षेत्रों में परीक्षण नलकूप

164. श्री अमीन खान (शिव) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भू-जल विभाग अब केवल जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की स्वीकृति के आधार पर नलकूप खुदवाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्व में भू-जल विभाग में परीक्षण नलकूप खुदाने का प्रावधान होता था ? यदि हां, तो कब से प्रावधान बन्द किया है ?

(3) क्या परीक्षण बिना डिटेल भू–जल का पता लग सकता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में परीक्षण नलकूप खुदवाने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि पूर्व में जो परीक्षण नलकूप खोदे गए हैं वे केवल उस वक्त की सड़कों वाले गांवों तक ही खुदे हैं ? क्या सरकार रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी डिटेल सर्वे परीक्षण नलकूप खुदाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

(1) जी नहीं। भू-जल विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अलावा अन्य संस्थानों, निजी क्षेत्र आदि सभी के लिये नलकूप बनाता है।

(2) जी हां। भू–जल विभाग में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत परीक्षण नलकूप बनाये जाते रहे हैं। यह प्रावधान बन्द नहीं किया गया है।

(3) जी नहीं। परीक्षण के बिना डिटेल भू-जल का पता लगाना सम्भव नहीं है। भविष्य में भी विस्तृत सर्वेक्षण कार्य हेतु परीक्षण नलकूप खोदने का कार्यक्रम प्रस्तावित है।

(4) जी नहीं। पूर्व में जो परीक्षण नलकूप खोदे गये हैं वे कार्य की आवश्यकतानुसार न केवल सड़कों के किनारे बल्कि अन्दरूनी क्षेत्रों में भी खोदे गये हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी डिटेल सर्वेक्षण हेतु विभाग द्वारा परीक्षण नलकूप निर्मित किये गये हैं एवम् आवश्यकता होने पर आगे भी निर्मित किये जा सकेंगे।

सिंथेटिक दूध के परीक्षणों हेतु निरीक्षकों को उपकरणों की उपलब्धता

165. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(डा. किरोड़ी लाल)

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1991-92 में डेयरी महासंघ की दुग्ध संग्रह की मात्रा लगभग 3 लाख लीटर प्रतिदिन थी और वर्तमान में 10 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सिथेटिक दुग्ध नाम के जानलेवा मिश्रण के कारण बेतहाशा दुग्ध संग्रह बढ़ा है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) क्या खाद्य मिलावट रोकने के लिए निरीक्षकों को ब्यूरों रिफैक्टोमीटर वाडिप किट्स उपलब्ध कराई गई है ? यदि हां, तो सिन्थेटिक दूध के कितने प्रकरण कहां-कहां, कब-कब पकड़े गये और उसमें क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1999-2000 में अब तक औसत दुग्ध संकलन लगभग 7.70 लाख लीटर प्रतिदिन है। इस वर्ष जनवरी माह में दुग्ध संकलन 11 लाख लीटर प्रतिदिन से अधिक रहा था।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। निरीक्षकों को ब्यूटरो रिफ्राक्टो मीटर उपलब्ध नहीं कराई जाती है। सिन्थेटिक दूध के नाम से कोई दूध नहीं होता है। यह एक मिसनोमर है। भारत सरकार के महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवायें नई दिल्ली के पत्र संख्या : 15025/105/96 पी.एच/ (एफ) दिनांक 12-8-96 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे दूध के निर्माण हेतु वनस्पति तेल, शैम्पू, सोडा, यूरिया, सफेद पेस्ट, सफेद पेंट, लिक्विड डिटेरजेन्ट, हाइड्रोजन पर आक्साइड, अरण्डी का तेल, फार्मेलिन, सोडियम सल्फेट आदि पदार्थ प्रयोग में लिये जाते हैं। वर्ष 1999 में राज्य में दूध के कुल 426 नमूने जांचे गये जिनमें से सिर्फ अलवर जिले में ही 9 नमूनों में यूरिया वनस्पति तेल एवं सोडा पाया गया है।

मिलावटियों के विरुद्ध चालान न्यायालय में पेश कर दिये गये हैं।

शिक्षित बेरोजगारों को देय न्यूनतम वेतन में वृद्धि

166. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) 30 अप्रेल, 1999 से 29 फरवरी, 2000 तक सरकार द्वारा राज्य में कुल कितने शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार पर लगाया गया ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में जिन शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को नौकरी पर लगाया गया उनको मासिक कितना वेतन दिया जा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि न्यूनतम वेतन एक दिन का 60 रुपये है ? यदि हां,

(श्री अमराराम चौधरी)

तो क्या जो व्यक्ति 40 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से काम पर लगे हुए हैं उनका वेतन सरकार 60 रुपये प्रतिदिन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

(1) 30 अप्रेल, 1999 से 29 फरवरी, 2000 तक रोजगार विभाग द्वारा राज्य में कुल 3431 शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार पर लगाया गया। जिलेवार सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) विभाग द्वारा सूचना संकलित नहीं की जाती है।

(3) यह सही है कि अकुशल श्रमिक को न्यूनतम वेतन 60 रुपये प्रतिदिन देय है। जी हां, अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 60/- रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है जो दिनांक 16-11-99 से लागू है।

परिशिष्ट—'अ'

30 अप्रेल, 1999 से 29 फरवरी, 2000 तक

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल शिक्षितों को रोजगार दिलाया गया	क्र.सं.	जिले का नाम	कुल शिक्षितों को रोजगार दिलाया गया
1	2	3	1	2	3
1.	अजमेर	182	7.	भीलवाड़ा	582
2.	अलवर	34	8.	बीकानेर	81
3.	बांसवाड़ा	355	9.	बूंदी	31
4.	बारां	6	10.	चित्तौड़गढ़	49
5.	बाड़मेर	166	11.	चूरू	—
6.	भरतपुर	63	12.	दौसा	6

1	2	3	1	2	3
13.	धौलपुर	48	24.	पाली	164
14.	डूंगरपुर	109	25.	राजसमन्द	98
15.	हनुमानगढ़	5	26.	सवाईमाधोपुर	47
16.	जयपुर	256	27.	सीकर	44
17.	जैसलमेर	63	28.	सिरोही	12
18.	जालौर	3	29.	श्रीगंगानगर	62
19.	झालावाड़	149	30.	टोंक	60
20.	झुंझुनूं	126	31.	उदयपुर	306
21.	जोधपुर	224			
22.	कोटा	100		योग	3431
23.	नागौर	–			

विधान सभा क्षेत्र दानपुर के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

167. श्री नाथू जी (दानपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र दानपुर में कितनी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कितने अध्यापकों के पद हैं तथा उनमें से कितने पद रिक्त हैं और रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र दानपुर के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है ।

नियमानुसार पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण होने एवं सीधी भर्ती पर प्रतिबंध हटने के उपरांत उक्त पदों को भरा जा सकेगा ।

परिशिष्ट–'क'

विधान सभा क्षेत्र, दानपुर में अध्यापकों के रिक्त पदों का स्थिति :

विद्यालय का स्तर	संख्या	पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
प्राथमिक विद्यालय	228	तृतीय श्रेणी अध्यापक	675	19
उच्च प्राथमिक विद्यालय	81	द्वितीय श्रेणी अध्यापक	81	12
		तृतीय श्रेणी अध्यापक	493	50
माध्यमिक एवम् उच्च माध्यमिक विद्यालय	08	व्याख्याता	45	07
	+11	द्वितीय श्रेणी अध्यापक	129	05
	19	तृतीय श्रेणी अध्यापक	75	05
कुल योग	328		1498	98

चूरू जिले में निर्मित ट्यूरिस्ट बंगले का संचालन

168. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या सरकार ने पर्यटन विभाग द्वारा लगाये जाने वाले पर्यटन मेले पर्यटन विभाग द्वारा संचालित होटल, विश्रामालय निजी कंपनियों को ठेके पर दिए जाने का नीतिगत निर्णय ले लिया है ? यदि हां, तो कितनी कंपनियों के प्रस्ताव प्राप्त हो गये और उनमें से कितने प्रस्तावों को स्वीकार किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) वर्ष 1998-99 की तुलना में वर्ष 1999-2000 में राज्य में कितने विदेशी व देशी पर्यटक आये व उनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

(3) क्या यह सही है कि एक वर्ष पूर्व पर्यटन विभाग द्वारा चूरू में ट्यूरिस्ट बंगले का निर्माण किया गया था ? यदि हां, तो ट्यूरिस्ट बंगला संचालित क्यों नहीं किया ? विलम्ब के लिए कौन दोषी है ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित मेलों को निजी कम्पनियों को ठेके पर दिये जाने का नीतिगत निर्णय नहीं लिया है । राजस्थान पर्यटन विकास निगम की कुछ अलाभकारी इकाइयों को ठेके पर दिया गया है । अब तक ठेके पर दी गई 18 इकाइयों की सूची परिशिष्ट-'क' (i) एवं निकट भविष्य में ठेके पर दी जाने वाली संभावित इकाइयों की सूची परिशिष्ट--'क' (ii) पर उपलब्ध है ।

(2) राज्य में वर्ष 1998 में 6403310 देशी तथा 591369 विदेशी व वर्ष 1999 में 6675528 देशी तथा 562685 विदेशी पर्यटक राज्य में आये । विदेशी मुद्रा अर्जन की सूचना विभाग द्वारा संकलित नहीं की जाती है ।

(3) जी हां । चूरू में पर्यटक विश्राम गृह को लीज/लाईसेन्स पर देने के लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा मई, 99 एवं नवम्बर, 99 में निविदाएं आमन्त्रित की गई थी । परंतु कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण विश्राम गृह संचालित नहीं किया जा सका है । इस प्रयोजनार्थ दिनांक 21-3-2000 को निविदाएं पुनः आमन्त्रित की गई है । चूंकि इसमें किसी अधिकारी/कर्मचारी का व्यक्तिगत दोष नहीं है । अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं है ।

परिशिष्ट–'क' (i)

राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा लाईसेन्स/लीज पर दी गई इकाइयों की सूची–

क्र.सं.	इकाइ का नाम व स्थान
1	2
1.	मिडवे देवली, टोंक
2.	होटल चन्द्रावती, झालावाड़
3.	कैफेटेरिया, मेनाल, भीलवाड़ा
4.	मिडवे, बाप; जोधपुर
5.	पर्यटक विश्राम गृह, हनुमानगढ़
6.	कुरजा, नागौर
7.	यात्रिका, सालासर, चूरू
8.	मिडवे बालोतरा, बाड़मेर
9.	मिडवे, ढेचू, जोधपुर
10.	कैफेटेरिया ओसियां; जोधपुर
11.	मिडवे, फलौदी, जोधपुर
12.	मिडवे, डीग, भरतपुर
13.	कैफेटेरिया तालवृक्ष; अलवर
14.	मिडवे; गोगुन्दा; उदयपुर
15.	रेस्ट हाऊस; हल्दीघाटी; राजसमन्द

1	2
16.	पर्यटक विश्राम गृह, जयसमन्द, उदयपुर
17.	केफेटेरिया अपोली, मा. आबू, सिरोही
18.	सरोवर केफेटेरिया, मा. आबू, सिरोही

परिशिष्ट–'क' (ii)

ठेके पर देने हेतु प्रस्तावित इकाइयां

क्र.सं.	होटल/मिडवे का नाम
1.	मिडवे मेड़ता, नागौर
2.	मिडवे, पिण्डवाड़ा, सिरोही
3.	ट्यूरिस्ट बंगलों, चूरू
4.	केफेटेरिया, मेहनसर, झुन्झुनूं
5.	कियोस्क मण्डावा, झुन्झुनूं
6.	मिडवे, सीकर
7.	मिडवे, देवली
8.	ट्यूरिस्ट बंगलों, जयसमन्द
9.	यात्रिका कैलादेवी, करौली

विधान सभा क्षेत्र रूपवास के बारेठा बांध से प्राप्त राजस्व

169. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र रूपवास के बारेठा बांध की कुल कितने क्यूसेक पानी की क्षमता है ? उक्त बांध से कितना क्यूसेक पानी भरतपुर के पीने के काम में लिया जाता है ? सरकार को पेयजल आपूर्ति में कितना राजस्व प्रति वर्ष प्राप्त होता है ?

(2) उक्त बांध का कितना पानी सीपेज से कुकन्द नदी में व्यर्थ जाता है और उससे कितना क्षेत्रफल बिना बुवाई के रह जाता है ? सरकार उसके बचाव के लिए क्या कोई उपाय करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या बारेठा बांध से सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई हैं ? यदि हां, तो कितनी ? उक्त नहरों से कितने वर्ग क्षेत्रफल में सिंचाई होती है तथा कितनी राजस्व वसूली प्रतिवर्ष होती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या उक्त बांध से मछलियों का ठेका होता है ? यदि हां, तो वर्ष 1990 से 2000 तक कितने रुपये का प्रतिवर्ष ठेका दिया गया है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रूपवास के बारेठा बांध की कुल भराव क्षमता 1860 मिलियन घनफुट है । जिसमें से लगभग 700 मिलियन घनफुट पानी भरतपुर के लिए पेयजल हेतु उपलब्ध कराया जाता है । पेयजल आपूर्ति से लगभग रुपये 5.60 लाख प्रति वर्ष राजस्व प्राप्त होता है ।

(2) जी नहीं । बारेठा बांध से जल का रिसाव नगण्य होने से कुकन्द नदी में पानी व्यर्थ में नहीं जाता है । अतः बचाव के लिए कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है ।

(3) जी हां, बारेठा बांध से तीन नहरें निकाली गई हैं जिनसे 7000 एकड़ सिंचाई प्रस्तावित थी, परन्तु बांध से अब 700 मिलियन घनफुट पानी पीने के लिए सुरक्षित रखने के कारण यह सिंचाई क्षेत्रफल घटकर 4000 एकड़ रह गया है । प्रतिवर्ष राजस्व वसूली का विवरण प्रपत्र 'अ' सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(4) जी हां, परन्तु ठेका मत्स्य विभाग द्वारा दिया जाता है इसलिए सिंचाई विभाग के मद में कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता है ।

प्रपत्र–'अ'

बारेठा बांध से होने वाली सिंचाई कर मांग एवं वसूली का विवरण

वर्ष	सिंचाई एकड़ में	मांग (रु. लाख)	वसूली (रु. लाख)
1995–96	4846	0.99	0.58
1996–97	4616	0.80	0.41
1997–98	3377	1.31	0.81
1998–99	3901	1.64	1.47
1999–2000	3776	अपेक्षित है	

प्रश्न संख्या-170

(स्थगित)

विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा में संचालित देशी/अंग्रेजी मदिरा के अवैध ठेके

171. श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा में कुल कितने देशी/अंग्रेजी शराब के ठेके कहां-कहां चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या देशी/अंग्रेजी शराब के ठेके धार्मिक स्थलों, विद्यालय भवनों, आश्रम छात्रावासों, पंचायत मुख्यालय, चैक पोस्ट आदि जगहों पर खोलने की सरकार ने खुली छूट दे रखी है ? यदि नहीं, तो सरकार ने उक्त क्षेत्र में उक्त स्थानों से ठेके हटाने हेतु क्या प्रयास किये हैं ? अब तक के प्रयास असफल होने के क्या कारण हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा में निम्न स्थानों पर देशी एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की दुकानें स्वीकृत हैं :-

(आबकारी मंत्री)

देशी मदिरा	आ'नि.वि.म.
1. बागीदौरा	1. बागीदौरा
2. आनन्दपुरी	2. आनन्दपुरी
3. मोड़वाड़ा	3. फलवा
	4. गांगड़तलाई
	5. मोनाडूंगर

(2) प्रश्न के प्रथम भाग में उल्लेखित स्थानों पर स्वीकृत दुकानें धार्मिक स्थलों एवं विद्यालयों से निर्धारित दूरी पर स्थित हैं। नियमों एवं अनुज्ञापत्र शर्तों में आश्रम छात्रावास, पंचायत मुख्यालय, चैक पोस्ट आदि के समीप मदिरा की दुकान खोलने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। दुकानें आपत्ति-रहित स्थल पर संचालित होने से उन्हें हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

लाखेरी चिकित्सालय की चारदीवारी निर्माण

172. श्री घासीराम मेघवाल (पाटन) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि लाखेरी चिकित्सालय हेतु सरकार द्वारा भूमि आवंटित की गई ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त चिकित्सालय की भूमि पर सीमेन्ट फैक्ट्री के ट्रक खड़े रहते हैं तथा ट्रक ड्राईवरों द्वारा शराब पीकर उक्त परिसर में उत्पात मचाया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि ट्रक ड्राईवरों द्वारा चिकित्सालय के लेब बॉय एवं कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की जाती है ? यदि हां, तो क्या कभी मारपीट की रिपोर्ट थाने में कर्मचारी द्वारा दर्ज कराई गई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाई की गई ?

(4) क्या सरकार चिकित्सालय के चार दीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लाखेरी के लिए जिला कलेक्टर बून्दी के द्वारा पुराने खसरा संख्या 2333 जिसके नये खसरा संख्या 898 में से 4 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी भूमि आवंटित की गई है।

(2) जी हां, उक्त भूमि पर सीमेंट फैक्ट्री के ट्रक खड़े रहते हैं, ट्रक ड्राईवर शराब पीते रहते हैं, कभी कभार परिसर में उत्पात भी मचाते हैं।

(3) जी हां, ट्रक ड्राईवरों द्वारा एक बार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ड्यूटी पर तैनात वार्ड बाय के साथ मारपीट की गयी, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

गई थी। उक्त रिपोर्ट पर कार्यवाही पुलिस द्वारा की जा रही है।

(4) बजट उपलब्ध होने की स्थिति में विचार किया जावेगा।

सांसदों/विधायकों से व्यवहार हेतु निर्धारित प्रोटोकाल

173. श्री मदन दिलावर (अटरू) व श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मा. विधायकों, सांसदों के साथ सरकार द्वारा तय प्रोटोकाल के तहत व्यवहार किया जाता है ? यदि हां, तो प्रोटोकाल के तहत किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए ?

(2) मा. विधायकों एवं सांसदों को किसी जिला कलक्टर या अन्य अधिकारियों के पास पहुंचने पर प्रोटोकाल अनुसार अगवानी व जाते समय कैसा व्यवहार करना चाहिए ?

(3) क्या सभी अधिकारियों को सरकार द्वारा तय प्रोटोकाल की जानकारी है ? यदि हां, तो फिर बारां जिला कलेक्टर प्रोटोकाल के तहत क्यों नहीं व्यवहार करते तथा प्रोटोकाल की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त अधिकारियों को इसका स्मरण कब तक दिया जावेगा।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा माननीय विधायकों एवं सांसदों के लिए कोई औपचारिक प्रोटोकाल नियम जारी नहीं किये गये हैं।

(2) प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (अनु.-1) विभाग के पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक प.16(2) प्र.सु./अनु.-1/94 दिनांक 28-2-94, प. 10(2) प्र.सु./1/96 दिनांक 2-11-96 एवं नवीनतम परिपत्र क्रमांक प. 10(2)प्र.सु./1/सम/96 दि. 21-1-99 के अनुसार समस्त जिला कलक्टरों को जन प्रतिनिधियों के साथ विनम्रता एवं सम्मानपूर्वक व्यवहार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। प्रतिलिपियां संलग्न हैं।

(3) उक्त परिपत्र की प्रति कलक्टर, बारां सहित सभी सम्बन्धित अधिकारियों को प्रेषित की गई। बारां कलक्टर प्रोटोकाल के तहत ही व्यवहार करते हैं। प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) उपरोक्तानुसार आदेश जारी किये हुए हैं। अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग—I) विभाग

क्रमांक : प. 16 (2) प्र. सु./अनु.-1/94 जयपुर, दिनांक 28-2-94

परिपत्र

संसद सदस्य व विधायक अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे नागरिकों की सार्वभौम सत्ता का विधायिका में निर्वहन करते हैं। जनहित एवं विकास कार्यक्रमों की योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने, जन समस्याओं से संबंधित कार्यों के निस्तारण, में उनका विशेष योगदान रहता है। इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 13 (28) प्र.सु./अनु.-1/81 दिनांक 9-9-81 एवं परिपत्र क्रमांक प. 16 (31) प्र.सु./अनु.-1/87 दिनांक 28-12-87, 13-4-88, 26-8-89 एवं 30-1-92 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि किसी भी संसद सदस्य/विधायक द्वारा जनहित के कार्यों के बारे में किसी भी विभाग से पत्राचार किया जावे तो उस विभाग द्वारा उन्हें उनके पत्रों का उत्तर अवश्य भेजा जाय तथा मामले की प्रगति से भी उनको समय-समय पर अवगत कराया जावे।

सरकार के ध्यान में लाया गया है कि उक्त निर्देशों के बावजूद भी कई विभाग सांसदों/विधायकों से प्राप्त पत्रों का उत्तर देने, समय-समय पर मामले की प्रगति से अवगत कराने तथा पत्रों की पावती भिजवाने आदि के बारे में उन्हें अवगत नहीं कराते हैं। यह बात चिन्ताजनक है।

अतः समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों का ध्यान उक्त परिपत्रों की ओर पुनः आकर्षित कर निर्देश दिये जाते हैं कि जब कभी भी संसद सदस्य/विधायकों द्वारा जनहित कार्यों के लिए राजकीय विभागों से पत्र व्यवहार अथवा सम्पर्क किया जाये तो उनके साथ विनम्रता एवं सम्मानजनक व्यवहार किया जाये तथा उनके पत्रों का उत्तर एवं पावती अवश्य भेजी जाये। यदि उनके द्वारा उठाये गये मामले लंबित हों तो, मामलों की प्रगति से भी उन्हें समय-समय पर अवश्य अवगत कराया जावे। जनहित एवं गोपनीयता की दृष्टि से यदि उनके पत्रों का उत्तर दिया जाना उचित नहीं हो तो भी उन्हें इस आशय का उत्तर अवश्य भिजवाया जाय। नियुक्ति अथवा स्थानांतरण के

पत्रों के बारे में केवल पावती पत्र ही भेजा जाय। ऐसे मामलों में निरन्तर पत्र व्यवहार करना आवश्यक नहीं है।

विशेषत: पुलिस एवं परिवहन के क्षेत्र में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि रेलों/बसों में यात्रा के दौरान एवं जनहित के कार्यों हेतु सम्पर्क के दौरान उनसे किसी प्रकार की अभद्रता नहीं हो।

उपरोक्त निर्देशों की कड़ाई से पालना की जाय तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

ह0

(एम. एल. मेहता)

मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

(अनुभाग-1)

क्रमांक : प. 10 (2) प्र.सु./अनु.-I/समन्वय/96 जयपुर, दिनांक 2-11-96

परिपत्र

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न आदेश/परिपत्र जारी कर संसद सदस्यों एवं विधायकों के पत्रों पर समुचित कार्यवाही कर उनका उत्तर एवं पावती भिजवाने के निर्देश दिये हुये हैं। परिपत्र क्रमांक प. 16 (2) प्र.सु./अनु.-1/94 दिनांक 28-2-94 एवं 7-4-94 द्वारा सांसदों एवं विधायकों के पत्रों में उनके द्वारा उठाये गये मुद्दों एवं राज्य सरकार द्वारा उनके क्षेत्र में स्वीकृत किये गये/चलाये जा रहे विकास एवं अकाल राहत कार्यों की सूचना एवं प्रगति से भी उन्हें समय-समय पर अवगत कराये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

सांसदों/विधायकों के पत्रों पर त्वरित कार्यवाही हो एवं इसमें किसी किस्म

को शिथिलता न बरती जाय, इस हेतु परिपत्र क्रमांक प. 10 (2) प्र.सु./अनु.-1/समन्वय/96 दिनांक 16-2-96 जारी कर पत्रों के निस्तारण में विशिष्ठ प्रक्रिया अपनाते हुए विशिष्ठ पत्रावली शीर्षों का निर्धारण कर, अलग से नई पत्रावली खोलकर कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये हुए हैं।

सांसदों एवं विधायक जनता के प्रतिनिधि हैं जिन्हें अपने क्षेत्र की बिजली, पानी, सड़क, यातायात, अकाल राहत, विकास योजनाओं के निर्माण, क्रियान्वयन एवं विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित शासकीय विभागों से पत्र व्यवहार एवं सम्पर्क करना पड़ता है। सांसदों/विधायकों से समय-समय पर राज्य सरकार को शिकायती पत्र प्राप्त होते रहते हैं कि सम्बन्धित विभाग/शासकीय संस्थान द्वारा उनके पत्रों पर न तो समुचित कार्यवाही की जा रही है और ना ही उनके पत्रों का समय पर उत्तर दिया जा रहा है। विधान सभा सत्रों के दौरान भी मा. विधायकगण अपनी अपेक्षा की तरफ शासन का ध्यान आकर्षित करते रहते हैं। सरकार की संवेदनशीलता एवं लोक कल्याणकारी छवि के लिए यह स्थिति अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है।

अतः समस्त राजकीय विभागों/बोर्डों/निगम कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निर्देश दिये जाते हैं कि जब कभी भी संसद सदस्यों/विधायकों द्वारा राजकीय विभागों/बोर्डों से पत्र व्यवहार अथवा सम्पर्क किया जाय तो उनके साथ विनम्रता एवं सम्मानजनक व्यवहार प्रदर्शित किया जाय तथा उनके पत्रों का उत्तर एवं पावती अवश्य भेजी जाय। यदि उनके द्वारा उठाये गये मामले लम्बित हों तो, मामलों की प्रगति से भी समय-समय पर उन्हें आवश्यक अवगत कराया जावे एवं इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि उनसे सम्पर्क के दौरान किसी प्रकार की अभद्रता न हो। समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि इन निर्देशों की सभी स्तरों पर कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाय और जहां भी इस संबंध में शिथिलता एवं लापरवाही बरती जाय दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

ह0
(टी. आर. वर्मा)
शासन सचिव

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (अनु.--I) विभाग

क्रमांक : प. 10 (2) प्र.सु.-1/सम./96 जयपुर, दिनांक 21-1-99

परिपत्र

शासन द्वारा सांसदों एवं विधायकों से प्राप्त पत्रों की पावती भेजने तथा उनमें उठाये गये मुद्दों पर वांछित कार्यवाही कर उन्हें पत्र का उत्तर भिजवाने के संबंध में निर्देश जारी किये हुए हैं।

सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान एवं सरपंच जनता एवं शासन के बीच की कड़ी है तथा जन प्रतिनिधि होने के नाते इन्हें अपने क्षेत्र के विकास एवं राहत से संबंधित विभिन्न जनसमस्याओं के निराकरण हेतु समय–समय पर संबंधित शासकीय विभागों से पत्र व्यवहार एवं सम्पर्क करना पड़ता है। अतः यह आवश्यक है कि सभी अधिकारी/विभाग उनके द्वारा प्रेषित पत्रों को उचित महत्व दें तथा उनके विषय में शीघ्र कार्यवाही कर उन्हें की गई कार्यवाही से अवगत भी करावें ताकि सरकार की संवेदनशील, कल्याणकारी एवं जन मैत्रीय छवि जनता के समक्ष स्थापित हो एवं जन प्रतिनिधियों को सरकार की ओर से यथोचित सम्मान व सहयोग मिले।

इस संबंध में समस्त विभागों/निगमों/बोर्ड/संस्थाओं के अधिकारियों का सांसदों/विधायकों/जिला प्रमुखों/सरपंचों के संदर्भ में पुनः ध्यान आकर्षित करते हुए उन्हें निर्देशित किया जाता है कि :–

1. जन प्रतिनिधियों के साथ विनम्रता एवं सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाय तथा उनके द्वारा बताई समस्या/सुझाव पर विशेष ध्यान देते हुए शीघ्र यथोचित कार्यवाही की जावे।

2. जन प्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों के निस्तारण को विशेष प्राथमिकता देवें तथा उनके पत्रों की पावती से तत्काल उन्हें सूचित करें।

3. इस प्रकार के पत्रों के पंजीकरण/निस्तारण के लिए अलग से पंजिकाएँ/ पत्रावलियां संधारित की जाय एवं प्रत्येक माह की 7 तारीख तक पत्रों की समीक्षा कर मासिक विवरण प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग को प्रेषित किया जावे। पदस्थापन/स्थानांतरण से संबंद्ध पत्रों पर यह व्यवस्था अपनाना जरूरी नहीं है।

4. जन प्रतिनिधियों को उनके क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न विकास कार्यो/योजनाओं तथा राहत कार्यों से अवगत करावें तथा इस बारे में कार्यों की प्रगति एवं स्वीकृतियों से भी अवगत कराया जावे।

5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव एवं विभागाध्यक्ष अपने कार्यालयों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में उपरोक्त व्यवस्थाएं कड़ाई से लागू किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इन निर्देशों की पालना नहीं करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जावे।

ह०

(अरूण कुमार)

मुख्य सचिव

मेवात विकास बोर्ड को आवंटित राशि में वृद्धि

174. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1999-2000 में मेवात विकास बोर्ड द्वारा कितनी राशि किन-किन कार्यों पर व्यय की गई ? पंचायत समिति वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार मेवात विकास बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कार्यों के लिए बोर्ड को राशि बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1999–2000 में माह फरवरी, 2000 तक मेवात क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत अलवर द्वारा 39.08 लाख रुपये एवं भरतपुर द्वारा 19.54 लाख रुपये इस प्रकार कुल रुपये 58.62 लाख व्यय किये गये। पंचायत समितिवार एवं कार्यवार व्यय की सूची परि.—1 पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुये वर्तमान वित्तीय वर्ष में मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम हेतु बजट बढ़ाने का विचार नहीं है।

परिशिष्ट–'1'

मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में पंचायत समितिवार एवं कार्यवार व्यय की सूची

जिला—अलवर

क्र. सं.	कार्य का नाम	वर्ष 1999-2000 में व्यय की गयी राशि
1	2	3
1.	पंचायत समिति कठूमर :—	
1.	सड़क निर्माण, इन्द्रावली से मथुराहेड़ा	7.30
2.	सड़क निर्माण, रेटा रोड से हुनीपुर	2.00
3.	सार्वजनिक कूप निर्माण हनुमानवास	0.55
2.	पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ :—	
1.	सड़क निर्माण, गोविन्दगढ़ रोड से सेमलाखुर्द	2.55

1	2	3
	2. सभा भवन निर्माण कन्या सीनियर सेकण्डरी विद्यालय, लक्ष्मणगढ़	0.60
	3. सड़क निर्माण; भरतपुर रोड से पीपलखेड़ा	4.98
	4. सार्वजनिक कूप निर्माण हरिजन बस्ती, मारकपुर	0.54
3. पंचायत समिति तिजारा:—		
	1. हैण्ड पम्प निर्माण; शादीपुरा	0.15
	2. हैण्ड पम्प निर्माण दमदमा	0.05
	3. डब्लू बी एम सड़क जैरोलीरोड से	0.16
	चावण्डी कला	1.33
	4. डब्लूबीएम सड़क निर्माण तिजारा, भिवाडी रोड से महेसरा	1.12
	5. सड़क निर्माण बिलाहेडी	2.04
	से कोहराना	0.11
	6. सड़क निर्माण टपूकड़ा से नाखनोल	2.00
	7. सड़क निर्माण तिजारा रोड से चामरोदा	
	8. सड़क निर्माण हिम्बाहेड़ा से जलालपुरा	
4. पंचायत समिति रामगढ़:—		
	1. सड़क निर्माण, सड़क निर्माण मस्ताबाद से गुगडोद जुगरावर	5.02
5. पंचायत समिति मुण्डावर:—		
	1. सड़क निर्माण ततारपुर चौराहे से पेहल तक	7.18
6. पंचायत समिति उमरैण:—		
	1. पशु चिकित्सा भवन; बख्तपुरा	0.50
	2. आयुर्वेदिक औषधालय निर्माण निठारी	0.90
	योग	39.08

जिला—भरतपुर

क्र. सं.	कार्य का नाम	वर्ष 1999-2000 में व्यय की गयी राशि
1	2	3
1.	पंचायत समिति कामां:—	
1.	उप स्वास्थ्य केन्द्र धीमरी	0.10
2.	उप स्वास्थ्य केन्द्र पलचाना	0.33
3.	ग्राम पंचायत जोतरूहुल्ला	0.40
4.	प्राथमिक शाला भवन कनवाडी	0.25
5.	उप स्वास्थ्य केन्द्र जोतरीपीपल	1.50
6.	उप स्वा. केन्द्र सहुसन	0.30
7.	ग्राम पंचायत गांवडी	0.05
8.	ग्राम पंचायत उचेडा	0.50
9.	प्राथमिक शाला भवन नौगावां	0.20
10.	प्राथमिक शाला भवन विलोंद	1.36
11.	उच्च प्राथमिक शाला; गढी मीलपट्टी	0.40
12.	उच्च प्राथमिक शाला गांवडी	1.06
13.	उच्च प्राथमिक शाला, गाधानेर	1.00
14.	उच्च प्राथमिक शाला, विलोंद	0.30
15.	उच्च प्राथमिक शाला; कनवाडा	0.39
16.	कूप निर्माण; तिलकपुरी	0.40
17.	कूप निर्माण सहाबुद्दीन बस्ती	0.17
2.	पंचायत समिति डीग :–	
1.	उप स्वास्थ्य केन्द्र; जुल्हेरा	1.40
3.	पंचायत समिति नगर :–	
1.	पशु चिकित्सालय, पालका	0.90
2.	ग्राम पंचायत भवन; जयश्री	0.22
3.	प्राथमिक विद्यालय, बियारी	0.60
4.	उच्ची उप स्वास्थ्य केन्द्र पेंडका	1.80 0.53
5.	ग्राम पंचायत भवन; गंगोरा	0.53
6.	ग्राम पंचायत भवन; तरोडर	0.63

1	2	3
7.	ग्राम पंचायत भवन, खण्डेवला	0.53 0.30
8.	ग्राम पंचायत भवन, थून	1.00
9.	प्राथ. विद्यालय; जगडका	1.00
10.	प्राथमिक विद्यालय; तेरकी	
11.	प्राथमिक विद्यालय; गांधी शाला; सीकरी	0.60 0.27
12.	उच्च प्राथमिक शाला;, रसिया	0.27
13.	कूप निर्माण; सिरथला	0.25
14.	कूप निर्माण, डाबक	
15.	कूप निर्माण; लाडमका	
	योग	19.54

जेठाना (अजमेर) में हवाई अड्डे हेतु उपलब्ध भूमि

175. **श्री रमजान खान (पुष्कर) :** क्या नागरिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 21 जनवरी, 1997 को भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा अजमेर हवाई अड्डे के निर्माण के लिए दो स्थानों का सर्वे किया गया था ? यदि हां, तो कहां कहां ?

(2) क्या सराधना में हवाई अड्डा निर्माण करने हेतु काश्तकारों की 829 बीघा खातेदारी की भूमि अवाप्त करनी पड़ेगी ?

(3) क्या यह सही है कि जेठाना में पर्याप्त सिवाई चक भूमि एवं चरागाह भूमि उपलब्ध है ? यदि हां; तो खातेदारी भूमि अवाप्ति करने की क्या आवश्यकता है ?

(4) क्या यह भी सही है कि ग्राम सराधना के पास बड़े-बड़े पहाड़ हैं और जेठाना के 15 किलोमीटर दूरी पर कोई पहाड़ नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार काश्तकारों के हित में हवाई अड्डा भूमि हेतु उपयुक्त स्थान जेठाना को चिन्हित कर भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को सिफारिश करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं । दिनांक 15-1-97 से 31-1-97 तक हवाई अड्डे निर्माण के लिए अजमेर जिले के गांव सराधना, नाहरपुरा, केसरपुरा एवं जेठाना का भ्रमण कर भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा सर्वे किया गया था । इन गांवों की सीमाएं आपस में मिली हुई हैं । इसके अलावा सर्वे दल ने अन्य किसी स्थान का सर्वे इस अवधि में नहीं किया था ।

(नागरिक उड्डयन मंत्री)

(2) सराधना में हवाई अड्डा निर्माण करने के लिए उपरोक्त चारों ग्रामों की 829-18-10 बीघा खातेदारी की भूमि अवाप्त करने की कार्यवाही विचाराधीन है।

(3) ग्राम जेठाना में चरागाह भूमि उपलब्ध नहीं है किन्तु पीसांगन रोड पर अलग-अलग आठ खसरा नम्बरों की 381-15-10 बीघा एवं बारडा रोड पर नौ खसरा नम्बरों की 934-10-00 सिवाय-चक भूमि उपलब्ध है।

(4) यह सही है कि ग्राम सराधना के कुछ दूरी पर पहाड़ हैं, किन्तु भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने यहां हवाई अड्डे हेतु भूमि का चयन करते समय इन पहाड़ियों को अपने ध्यान में रखकर ही उक्त भूमि को हवाई अड्डे के लिए उपयुक्त माना है। ग्राम जेठाना के आसपास पहाड़ नहीं हैं।

जिला कोटा में किसानों के अतिक्रमणों का नियमन

176. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला कोटा की विभिन्न तहसीलों में राजस्व भूमि पर कितने किसानों के अतिक्रमण के मामले वर्तमान में लम्बित हैं? तहसीलवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि लम्बे समय से भूमि आवंटन के कैम्प नहीं लगाने के कारण उक्त समस्यायें चल रही हैं?

(3) क्या सरकार भूमि आवंटन का कैम्प लगाकर ट्रेसपासर (अतिक्रमी) व्यक्तियों को भूमि नियमित कर राहत दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) कोटा जिले की विभिन्न तहसीलों में राजस्व भूमि पर किसानों के अतिक्रमण के मामले वर्तमान में 2750 लम्बित हैं। जिनका तहसीलवार विवरण निम्न प्रकार है :—

1. तहसील लाडपुरा	638
2. तहसील दीगोद	491
3. तहसील पीपल्दा	385
4. तहसील सांगोद	478
5. तहसील रामगंजमण्डी	46
6. ना. तहसील मण्डाना	156
7. ना. तहसील कनवास	467
8. ना. तहसील चेचट	89

(2) वर्ष 1999-2000 की अवधि के दौरान माह मई-जून, 1999 में आवंटन

(राजस्व मंत्री)

हेतु शिविर आयोजित कर जिले में 372 व्यक्तियों को 691 एकड़ भूमि आवंटित की गई।

(3) माह मई-जून में आवंटन हेतु संबंधित समिति की बैठक आयोजित करने अथवा नियमन योग्य भूमि होने पर नियमित करने हेतु जिला कलक्टर्स को निर्देशित कर दिया गया है। माह अप्रेल में इस निमित्त संबंधित पूर्व व्यवस्थायें कर लेने के भी निर्देश दे दिये गये हैं। अतिक्रमण हटाये जाने के लिए निरन्तर ही कार्यवाही करते रहने की व्यवस्था भी कायम है।

जिला सीकर में शराब की अनधिकृत दुकानें

177. श्री अमराराम (धोद) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर में देशी/अंग्रेजी शराब की दुकानें कहां-कहां स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में अधिकृत ठेकेदार द्वारा अनधिकृत कितनी दुकानें चलाई जा रही हैं?

(3) गत एक वर्ष में सरकार को अनधिकृत दुकानों की कितनी शिकायतें मिली तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सीकर में देशी मदिरा की 201 एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की 25 दुकानें स्वीकृत हैं। स्वीकृत दुकानों की सूची परिशिष्ट-'अ' के रूप में संलग्न है।

(2) अधिकृत ठेकेदार द्वारा कोई अनधिकृत दुकान नहीं चलाई जा रही है।

(3) गत एक वर्ष में जिला आबकारी अधिकारी सीकर को अनाधिकृत दुकानों बाबत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-'ब' के रूप में संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कोटपूतली (जयपुर) के उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर पदस्थापन

178. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली जयपुर में उप स्वास्थ्य केन्द्र पंडितपुरा, सांगटेड़ा, फेरोड़ी पर

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

जब से खोले गये हैं एक दिन भी ए.एन.एम. पदस्थापित नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) उक्त क्षेत्र में कितने स्वास्थ्य केन्द्र हैं ? कितने उप केन्द्रों पर ए.एन.एम. नर्स पदस्थापित हैं और कितने उप केन्द्रों में पद रिक्त हैं।

उत्तर

(1) जी नहीं, उप केन्द्र, केरोड़ी में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर के आदेश क्रमांक 115 दिनांक 29-1-99 तथा 475 दिनांक 19-4-99 एवं 1098 दिनांक 15-10-99 एवं 1318 दिनांक 5-11-99 के द्वारा ए. एन. एम. का पदस्थापन किया गया तथा उप केन्द्र, सांगटेड़ में श्रीमती संतोष का पदस्थापन किया जा चुका है। वर्तमान में पंडितपुरा उप केन्द्र पर ए. एन. एम. पदस्थापित नहीं है, जिसे राज्य सरकार द्वारा नवीन नियुक्ति की स्वीकृति प्राप्त होने पर भरा जाना संभव हो सकेगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में 14 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 40 उपकेन्द्र स्वीकृत हैं, जिनमें से 11 उप केन्द्र पर ए. एन. एम. के पद रिक्त हैं तथा नो उप केन्द्रों पर नर्स श्रेणी द्वितीय के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से एक पद रिक्त है। अतः 29 उप केन्द्रों पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा 8 नर्स श्रेणी द्वितीय पदस्थापित हैं।

प्रश्न संख्या-179

(स्थगित)

जिला झुंझुनूं के क्रमोन्नत विद्यालय

180. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला झुंझुनूं में वर्ष 1999-2000 में कुल कितने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले/क्रमोन्नत किये गये ?

(2) क्या उक्त स्कूलों को खोलने के कोई मानदण्ड तय किये हुए हैं ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या बिना नियम/आधार के ही विद्यालय खोले गये हैं ? क्या कई ग्राम पंचायतों में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाला है फिर भी पाठशालायें खोली गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1999–2000 में कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले गये।

(पंचायती राज मंत्री)

जिला झुंझुनूं में 32 प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, 17 उ. प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालयों में एवं 11 माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किए गए।

(2) जी हां। मानदण्ड की प्रति संलग्न है। परिशिष्ट 'क'।

(3) जी नहीं। राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं स्थानीय आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायत द्वारा खोली गई हैं।

परिशिष्ट--'क'

विद्यालय खोलने/क्रमोन्नत करने हेतु निर्धारित मानदण्ड

प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने हेतु मानदण्ड

मानदण्ड	सामान्य क्षेत्र	रेगिस्तानी क्षेत्र
1	2	3
1. ग्राम की जनसंख्या	1000	500
2. कक्षा-5 की छात्र/छात्रा संख्या	20	15
3. कक्षा 1-5 तक की कुल छात्र संख्या	100	75
4. फीडर प्राथमिक विद्यालय	2	2
5. 2 कि.म. परिधि में अन्य उच्च प्राथ. विद्यालय की सुविधा का नहीं होना		

उपरोक्त मानदण्डों के आधार पर तथा जन प्रतिनिधियों की मांग के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते रहे हैं।

1	2	3
2. उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने हेतु :-		
जनसंख्या (1991) छात्र विद्यालय	2500	2000
छात्रा विद्यालय	3000	2500
छात्र संख्या कक्षा–8 छात्र विद्यालय	30	20
छात्रा विद्यालय	20	20
फीडर विद्यालय	2	2
दूरी (कि.मी.)	राज्य सरकार के प्रस्तावों के अनुरूप	
3. माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने हेतु :--		
जनसंख्या 1. छात्र विद्यालय	4000	3000
2. छात्रा विद्यालय	5000	4000
छात्र सं. कक्षा--10 छात्र संख्या	50	30
छात्रा संख्या	40	25
फीडर विद्यालयों की संख्या	2	2
दूरी (कि.मी.)	08	08

अन्य आधार बिन्दू

1. उपलब्ध वित्तीय प्रावधान ।
2. प्रशासनिक आधार ।
3. क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकताएं ।
4. भौगोलिक परिस्थितियां ।
5. माध्यमिक एवं सी. उ. मा. विद्यालय का अनुपात ।

उपरोक्त मानदण्डों एवं बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते हैं ।

जिला दौसा के समस्या समाधान शिविर

181. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि जिला दौसा में वर्ष 1999 में जिला कलेक्टर द्वारा अलग-अलग विभागों के समस्या समाधान शिविर लगाये गये हैं ? यदि हां, तो कब-कब ? शिविर में कुल कितनी समस्याओं की शिकायतें प्राप्त हुई ? उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ? प्रत्येक विभाग की शिकायतों के समाधान की सूची विधान सभा क्षेत्रवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि समस्या शिविर लगाये जाने से आम जनता को राहत मिली है ? यदि हां; तो क्या-क्या और नहीं; तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी; हां। शिविरों की तारीखवार कार्यक्रम की सूची परिशिष्ट-'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

शिविर में कुल 16137 समस्याओं/आवेदन प्राप्त हुए। जिनकी पंचायत समितिवार व विभागवार विवरण संलग्न है। सूची परिशिष्ट-'ब' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी; हां।

परिशिष्ट–'म'

विकास शिविर कार्यक्रम

क्र. सं.	पंचायत समिति मुख्यालय का नाम	प्रथम शिविर तिथि	द्वितीय शिविर तिथि	तृतीय शिविर तिथि	चतुर्थ शिविर तिथि	पंचम शिविर तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1.	दौसा	1-4-99	3-6-99	5-8-99	1-10-99	2-12-99
2.	लालसोट	8-4-99	10-6-99	12-8-99	8-10-99	9-12-99
3.	सिकराय	15-4-99	17-6-99	19-8-99	15-10-99	16-12-99
4.	बांदीकुई	22-4-99	24-6-99	25-8-99	22-10-99	23-12-99
5.	महुवा	29-4-99	30-6-99	31-8-99	29-10-99	30-12-99

परिशिष्ट-'ब'

पंचायत समिति दौसा

क्र. सं.	विभाग का नाम	निस्तारण
1	2	3
1.	तहसीलदार दौसा	208
2.	विकास अधिकारी, दौसा	132
3.	जलदाय विभाग	158
4.	विद्युत विभाग	107
5.	न. पा.	63
6.	उपखण्ड अधिकारी दौसा	33
7.	रोडवेज	11
8.	सा. नि. विभाग	47
9.	चिकित्सा विभाग	18
10.	भू-संरक्षण	10
11.	जिला परिषद	2
12.	सिचाई विभाग	16
13.	डाकघर विभाग	4
14.	जिला ग्रा. वि. अभि.	33
15.	श्रम कल्याण अधिकारी	2
16.	समाज कल्याण	[illegible]
17.	आयुर्वेद विभाग	5
18.	जिला परिवहन अधिकारी	2
19.	जिला शिक्षा अधिकारी	5
20.	कृषि उपज मण्डी	5
21.	थाना नांगलराजावतान	3
22.	जिला रसद अधिकारी	5
23.	पशु पालन विभाग	4
24.	बाल विकास विभाग	3
25.	अनु. जाति/अ.ज.जा. निगम	6
26.	जिला उद्योग अधिकारी	5
27	लीड बैंक दौसा	3
28.	भूमि विकास बैंक	1
29.	अन्य	144
	योग	1045

ह०
जिला कलेक्टर
दौसा

परिशिष्ट—'ब'

पंचायत समिति लालसोट

क्र. सं.	विभाग का नाम	निस्तारण
1	2	3
1.	पंचायत समिति लालसोट	233
2.	ए. सी. एम. लालसोट	1272
3.	सी. डी. पी. ओ.	7
4.	वन विभाग	6
5.	रसद	2
6.	रीको	1
7.	नियोजन	1
8.	पुलिस	3
9.	सा. नि. वि.	8
10.	सिंचाई	3
11.	सी. एम. एच. ओ.	125
12.	शिक्षा	1
13.	पशुपालन	1
14.	समाज कल्याण	131
15.	कृषि उपज मण्डी	3
16.	तहसील	795
17.	न. पा.	83
18.	विद्युत	427
19.	जलदाय	201
20.	डी. टी. ओ.	1289
21.	उद्योग	5
	योग	4583

ह०
जिला कलेक्टर
दौसा

परिशिष्ट–'ब'

पंचायत समिति महुवा

क्र.सं.	विभाग का नाम	निस्तारण
1	2	3
1.	राजस्व विभाग	358
2.	रा. रा. वि. मं.	159
3.	जलदाय विभाग	123
4.	विकास विभाग	428
5.	चिकित्सा विभाग	11
6.	वन विभाग	1
7.	आयुर्वेद विभाग	3
8.	दूर संचार विभाग	13
9.	सार्व. नि. वि.	28
10.	रसद विभाग	7
11.	उद्योग विभाग	16
12.	सी. डी. पी. ओ.	3
13.	पशुपालन विभाग	1
14.	शिक्षा विभाग	10
15.	पुलिस विभाग	46
16.	पंचायत विभाग	3
17.	बैंक	7
18.	सिंचाई विभाग	1
19.	कृषि उपज मण्डी	1
20.	अल्प बचत	1
21.	समाज कल्याण छात्रवृति व अन्य	184
22.	नियोजन बेरोजगार पंजीयन	184
23.	परिवहन विभाग लनिंग लाइसेंस	1151
24.	मूल निवास प्रमाण पत्र	85
25.	जाति प्रमाण पत्र	131
26.	विविध प्रा. पत्र	732
	योग	3742

ह०
जिला कलेक्टर
दौसा

परिशिष्ट–'ब'

पंचायत समिति सिकराय

क्र.सं.	विभाग का नाम	निस्तारण
1	2	3
1.	जलदाय विभाग	167
2.	विद्युत विभाग	98
3.	राजस्व विभाग	414
4.	परिवहन	418
5.	पंचायत समिति	178
6.	समाज कल्याण	111
7.	चिकित्सा विभाग	55
8.	राजस्व	--
9.	कोषाधिकारी	--
10.	डी. आर. डी. ए.	14
11.	जिला परिषद	14
12.	पथ परिवहन	9
13.	अनु. जाति/जन जाति निगम	7
14.	एस. एच. ओ. मानपुर	2
15.	टेलीफोन	–
16.	उप वन संरक्षक दौसा	1
17.	सा. नि. वि.	11
18.	महिला एवं बाल विकास	8
19.	एस. डी. ओ. बांदीकुई	9
20.	उप पुलिस अधिक्षक बांदीकुई	–
21.	ए. सी. एम.	1
22.	पी. डी. रेटा	–
23.	रसद	2
24.	वन विभाग	--
25.	आयुर्वेद	--
26.	पशु चिकित्सा	2
27.	कृषि विभाग	3
28	डेयरी	1
29.	नियोजन विभाग	3
30.	शिक्षा विभाग	1
31.	एक्शन ए. डी. पी.	1
32.	कृषि उपज मंडी	1
33.	शिक्षा विभाग	1
34.	भू-संरक्षण विभाग	1
35.	अन्य	1526
	योग	2681

ह०
जिला कलेक्टर
दौसा

लेखाकारों/कनिष्ठ लेखाकारों की प्रतिनियुक्ति हेतु निर्धारित अवधि

182. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) लेखा सेवा संवर्ग के लेखाकारों/कनिष्ठ लेखाकारों के सचिवालय स्तर पर प्रतिनियुक्ति पर रहने की अधिकतम अवधि क्या है ? प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी आदेश/नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि एक ही विभाग में अधिक समय ठहराव के कारण उक्त लेखाकर्मियों द्वारा अनियमितताएं की जाती है ?

(3) वर्तमान में विभिन्न सचिवालयों में कौन-कौन कनिष्ठ लेखाकार/लेखाकार कब-कब से कहां-कहां पद स्थापित हैं ? क्या सरकार उक्त लेखा कर्मियों के स्थानान्तरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) सचिवालय में लेखा सेवा संवर्ग के लेखाकारों/कनिष्ठ लेखाकारों को प्रतिनियुक्ति पर नहीं लगाया जाता है । अतः उन पर प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी आदेश/नियम लागू नहीं होते हैं । लेखा सेवा संवर्ग के कर्मचारियों का सचिवालय में पदस्थापन विभिन्न विभागों में स्वीकृत पदों पर किया जाता है ।

(2) जी नहीं, अनियमितताओं का कम या अधिक समय ठहराव से कोई सीधा संबंध नहीं है ।

(3) वर्तमान में विभिन्न सचिवालयों के विभिन्न विभागों में कार्यरत लेखाकारों/कनिष्ठ लेखाकारों का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है । स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर किये जाते हैं ।

परिशिष्ट–'म'

सचिवालय में कार्यरत लेखाकारों की सूची

क्र. सं.	विभाग का नाम	कार्यरत लेखाकार का नाम	कार्यग्रहण तिथि
1	2	3	4
I.	राज्यपाल सचिवालय	श्री हनुमान प्रसाद अग्रवाल	7-1998 से
II.	मुख्य मंत्री सचिवालय	श्री वेद प्रकाश चिमनानी	19-12-1994 से
III.	शासन सचिवालय		
1.	वरिष्ठ लेखाधिकारी कार्मिक/ग-I/विभाग	श्री राजकुमार तनेजा	18-1-1997 से
2.	वरिष्ठ लेखाधिकारी, कार्मिक/ग-2/	श्री सत्यनारायण विजय	7-12-1996 से
3.	कार्मिक/ग/विभाग	श्री ऋषिकेश माथुर	4-3-1998 से
4.	वित्त/बजट/विभाग	श्री महेश चन्द गुप्ता	2-3-1995 से
5.	उपरोक्त	श्री विष्णु नारायण माथुर	6-1–1997 से
6.	उपरोक्त	श्री अरुण कुमार गुप्ता	16-5-1998 से
7.	वित्त/अंकेक्षण/विभाग	श्री विनोद कुमार शर्मा	10-2-1999 से
8.	वित्त/मार्गोपाय/ विभाग	श्री मदन लाल	21-11-1995 से
9.	उपरोक्त	श्री मनमोहन गुप्ता	9–10–1995 से
10.	उपरोक्त	श्री लेखराम मीणा	4-6-1998 से
11.	वित्त/व्यय-III/विभाग	श्री भवानी सिंह राजपूत	1-11-1994 से
12.	वित्त/सा.वि.ले.नि./ विभाग	श्री रमेश चन्द भारद्वाज	18-7-1998 से
13.	वित्त/व्यय–चतुर्थ/विभाग	रिक्त पद	4-11-1999 से
14.	उपरोक्त	श्री गिरधारी लाल गुप्ता	21–11-1996 से

1	2	3	4
15.	वित्त/व्यय-चतुर्थ/विभाग	श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता	2-11-1996 से
16.	वित्त/नियम/विभाग	श्री प्रेम प्रकाश छकड़ा	10-6-1997 से
17.	गृह/ग्रुप-II/विभाग	श्री जयराम सांवरिया	27-6-1998 से
18.	विधि विभाग	श्री दुर्गा लाल तिवाड़ी	26-8-1998 से
19.	विधि रचना संगठन	श्री मदन लाल वर्मा	22-8-1998 से
20.	विशिष्ठ योजना संगठन एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग	श्री राम बाबू शर्मा	19-5-1998 से
21.	उपरोक्त	श्री मालूराम विजय	16–11-1999 से
22.	उपरोक्त	श्री हरिनारायण प्रजापति	27-8-1998 से
23.	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	श्री नवल किशोर गुप्ता	2-1995 से
24.	उपरोक्त	श्री कैलाश चन्द यादव	17-11-1994 से
25.	सामान्य प्रशासन/ग्रुप-4/ विभाग	श्री कन्हैया लाल गुप्ता	3-1-1997 से
26.	उपरोक्त	श्री बजरंग लाल रावत	15-11-1997 से
27.	राज्य सम्पर्क अधिकारी शिक्षा/4-ध/विभाग	श्री सत्यनारायण शर्मा	20-12-1999 से
IV.	राजस्थान विधान सभा सचिवालय		
1.	उपरोक्त	श्री कन्हैया लाल कारनानी	15-2-2000 से
2.	उपरोक्त	श्री लक्ष्मण प्रसाद	11-1996 से
	कुल योग		31

सचिवालय में कार्यरत कनिष्ठ लेखाकारों की सूची

क. सं.	विभाग का नाम	कार्यरत कनिष्ठ लेखाकार का नाम	कार्य ग्रहण तिथि
1	2	3	4.
1.	सहकारिता विभाग	श्री गोपाल लाल/ 401/88	27-2-1992 से
2.	शिक्षा उच्च एवं तकनीकी विभाग	श्री मजीजुल हसन	21-7-98 से
3.	शिक्षा	श्री गिरधारी लाल गुप्ता	1-97 से
4.	पर्यावरण विभाग	श्री सर्वेश पाठक	1-1-2000 से
5.	उप शासन सचिव वित्त ग्राहिट विभाग	श्री राजेश कुमार शर्मा	
6.	,,	श्री विजय कुमार संघी	4-6-97
7.	,,	श्री ललित कुमार	5-93
8.	,,	श्री शान्तुन चटर्जी	11-95
9.	,,	श्री आज्ञाददत्त माथुर	6-87
10.	,,	श्री तारा चन्द जांगिड	7-98
11.	उप शासन सचिव वित्त आबकारी विभाग	श्री शिवचरण गुप्ता	2-99
12.	,,	श्री प्रेम प्रकाश गुप्ता	24-7-89
13.	उप शासन सचिव वित्त व्यय-4 विभाग	श्री हीरालाल खटीक	11-11-94
14.	सचिवालय सामान्य प्रशासन विभाग ग्रुप-4	श्री श्रीराम शर्मा	20-10-97
15.	उप शासन सचिव 11 वां वित्त आयोग	श्री जितेन्द्र सिंह चौहान	2-5-98
16.	,,	श्री मुकेश कुमार अग्रवाल	12-6-98

1	2	3	4
17.	राज्यपाल सचिवालय	श्री शोभाराम बोराण	12-99
18.	मुख्य विद्युत निरीक्षक	श्री प्रदीप कुमार नागर	12-92
19.	"	श्री गोपाल विजय	10-90
20.	"	श्री जुगल किशोर शर्मा	9-93
21.	"	श्री विजय कुमार अग्रोल	4-94
22.	"	श्री कमलेश कुमार वर्मा	8-92
23.	"	श्री राकेश कुमार	4-95
24.	"	श्री मुंजुल कुमार शर्मा	4-95
25.	सिंचाई विभाग	श्री रामानन्द गर्ग	2-2000
26.	राजस्थान विधान सभा	श्री रविन्द्र कुमार शर्मा	8-93
27.	"	श्री गिरधारी लाल	15-9-93
28.	"	श्री सुभाष चन्द गुप्ता	27-8-94
29.	"	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव	5-1-91
30.	आयोजना विभाग	श्री गंगाशरण गुप्ता	25-2-95
31.	"	श्री सुनील कुमार पारीक	2-8-95
32.	"	श्री विनोद कुमार गुप्ता	16-7-90
33.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	श्री आनन्द सिंह चौहान	6-96
34.	वरिष्ठ लेखाधिकारी कार्मिक की विभाग	श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा	4-10-95
35.	राजस्व विभाग	श्री गोविन्द नारायण राव	2-97
36.	पुर्नवास विभाग	श्री शिव सहाय मीणा	7-5-93
37.	विशिष्ठ योजना संगठन एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग	श्री सर्वजीत सिंह सूदन	9-98
38.	"	श्री हिम्मत सिंह देवल	9-98
39.	"	श्री सावन्त राम	2-12-95

1	2	3	4
40.	विशिष्ट योजना संगठन एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग	श्री मांगी लाल जांगीड़	20-7-98
41.	,,	श्री करतार सिंह	3-7-93
42.	,,	श्री गोपाल कृष्ण शर्मा	8-7-99
43.	,,	श्री नरेन्द्र सिंह	6-98
44.	,,	श्री संजय कुमार जैन	15-3-99
45.	,,	श्री माधव दास वाधवानी	10-9-97
46.	,,	श्री चन्द्र महेश गुप्ता	10-97
47.	,,	श्री मांगी लाल सोलंकी	24-8-98
48.	,,	श्री रामलाल बुनकर	22-7-98
49.	जन जाति क्षेत्रीय विकास	श्री सत्यनारायण दायमा	29-9-93
50.	,,	श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता	26-7-99

परिशिष्ट-3

(अतारांकित प्रश्न संख्या-214 की सूची)

परिशिष्ट--'ब'

कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) बूंदी

पटवार मण्डल खानपुरा तहसील नैनवां में वर्ष 1,997 में सीमाज्ञान हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों की सूची

क.सं.	आवेदक का नाम	आवेदन की दि.	सीमाज्ञान करवाये जाने का दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री बरधा पा0 हजारी हरिजन खानपुरा	1-3-97	--
2.	श्री मांग्या, बजरंगा पा. भवाना माली खानपुरा	3-4-97	--
3.	श्री कल्याण पा. जग्गा कुम्हार खानपुरा	17-6-97	--
4.	श्री भंवर लाल पा. मूलीलाल धाकड़ खानपुरा	24-6-97	--
5.	श्री कजोड़, जगदीश, महावीर पि. किसर दास बैरागी, मानपुरा	26-6-97	--
6.	श्री मेवा, मोजा पि. कालू गूजर खानपुरा	30-6-97	--
7.	श्री राधेश्याम पा. धमरा खाती नि.-नैनवां	11-7-97	--

1	2	3	4
8.	श्री लक्ष्मण सिंह पा. भूरसिंह राजपूत, कोरमा	17-7-97	17-8-97
9.	श्री मांगीलाल पा. केसरा कीर कीरों का झोपड़ा	17-9-97	--
10.	श्री बद्रीलाल पा. भंवर लाल नाई कोरमा	19-9-97	27-9-97
11.	श्री कृष्ण गोपाल पा.भंवर लाल ग्रा. नि. नैनवां	13-11-97	--
12.	श्री रामनारायण पा. हीरा गूजर टोंपा	2-12-97	--

ह0
जिला कलक्टर (भू.प्र.)
बून्दी

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-217 का विवरण)

परिशिष्ट–'1'

क.सं.	पदनाम	कुल संख्या	कब से	कब तक	संख्या	वर्तमान में उपस्थिति स्थान
1.	उप निदेशक	4	मार्च-2000	लगातार	1	कोटा
			मार्च-2000	लगातार	1	जोधपुर
			मार्च-2000	लगातार	2	जयपुर
2.	सहायक कृषि अभियन्ता	18	जून-99	लगातार	8	कोटा
			जनवरी-2000	लगातार	5	जयपुर
			जनवरी-2000	लगातार	3	जोधपुर
			जनवरी-2000	लगातार	1	उदयपुर
			जनवरी-2000	लगातार	1	बीकानेर

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-221 की सूची)

परिशिष्ट–'अ'

उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय, भीलवाड़ा

सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार प्राप्त आशार्थियों की वर्षवार सूचना

(सरकारी विभाग)

क्र.सं.	पद	1995	1996	1997	1998	1999	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अध्यापक	85	215	203	70	105	678
2.	नर्स	01	53	01	27	18	100
3.	पी.टी.आई.	15	82	72	05	—	174
4.	टाईपिस्ट	03	—	—	04	01	08
5.	चपरासी	03	08	—	01	04	16

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	प्रहराधिकारी	01	....	—	....	....	01
7.	डाक शोर्टर	02	....	2	02	....	06
8.	शाखा डाकपाल	02	02	01	05	07	17
9.	पुस्तकालयाध्यक्ष	02	....	01	01	....	04
10.	प्रयोगशाला सहायक	02	....	....	—	....	02
11.	मिडवाइफ	01	....	....	42	19	62
12.	वायरमैन	02	....	01	....	02	05
13.	वाटरवाय	08	13	01	06	06	34
14.	हरिजन	01	07	....	01	....	09
15.	पशुधन सहायक	01	08	....	03	—	12
16.	वाहन चालक	03	08	....	04	....	15
17.	कनिष्ठ लिपिक	06	14	01	....	04	25
18.	ऑपरेटर परमाणु भट्टी	....	03	....	....	....	03
19.	स्टेनोग्राफर.	....	01	....	....	01	02
20.	वार्डबाय	....	15	01	....	....	16
21.	महिला सुपरवाइजर	....	06	02	01	04	13

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	रसोईया	....	01	....	....	....	01
23.	चौकीदार	....	01	02	....	....	03
24.	रेडियोग्राफर	....	01	....	13	06	20
25.	मजदूर	....	....	07	01	....	08
26.	फीटर	....	....	01	....	01	02
27.	छपबंध	....	....	01	02	01	04
28.	डाक छटनी सहायक	....	....	01	....	....	01
29.	चिकित्सक	....	....	02	03	08	13
30.	सेनेटरी इंसपेक्टर	....	....	....	01	....	01
31.	मैसेन्जर	....	....	....	01	....	01
32.	विद्युतकार	....	....	....	03	01	04
	योग :	138	438	300	196	188	1260

स्वावलम्बी संस्थाओं में रोजगार प्राप्त प्रार्थियों की सूचना

क्र.सं.	पद	1995	1996	1997	1998	1999	योग
1.	अध्यापक	03	145	16	—	219	383
2.	बागवान	....	01	....	....	....	01
3.	वायरमैन	01	....	....	....	....	01
4.	हरिजन	—	03	....	....	....	03
5.	कनिष्ठ लिपिक	....	01	....	....	....	01
	योग :	04	150	16	....	219	389
	महायोग :	142	588	316	196	407	1649

परिशिष्ट–'ब'

रोजगार कार्यालय भीलवाड़ा में वर्ष 1999 में किये गये पंजीयन का संख्या विवरण

कुल पंजीकृत आशार्थियों की संख्या	4878
अनुसूचित जाति	863
अनुसूचित जनजाति	325
अन्य पिछड़ा वर्ग	539
महिलाएं	698
विकलांग	066

परिशिष्ट–6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-229 की प्रति)

जांच विरुद्ध सरपंच ग्राम रींगस पंचायत भवन को तोड़कर पुनः निर्माण के सम्बन्ध में

मैं सुखदेवाराम कार्यवाहक विकास अधिकारी पं. स. लाडनूं ने श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नागौर के टेलीफोन निर्देशानुसार पंचायत भवन रींगस को तोड़कर पुनः निर्माण की जांच पत्रावली के आधार पर करने पर निम्न कमियां पायी गई :—

1. पत्रावली के साथ मरम्मत एवं तोड़ने का तकमीना का अभाव पाया गया।

2. प्रस्ताव व स्वीकृति के अनुसार भवन की मरम्मत होना बताया गया लेकिन पत्रावली के अध्ययन से प्रमाण सहित स्पष्ट हो रहा है कि भवन को तोड़ा गया है।

3. पुराने भवन की पट्टियां निलाम कर दी गई थी लेकिन नये भवन हेतु पट्टियां क्रय नहीं की गई है इसलिये पट्टियां कहां से आई स्पष्ट नहीं हो रहा है ।

4. सरकारी भवन तोड़ने का अधिकार राज्य सरकार को है, बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के ही भवन तोड़ दिया गया है, जो कि गलत है ।

5. JRY राशि का उपयोग JRY राशि से सृजित परिसम्पत्तियों पर ही उसकी लागत का नियमानुसार 107/- ही राशि खर्च की जा सकती है । लेकिन पंचायत भवन रींगस को तोड़कर नये बनवाने में लगभग 1,00,000 रु. राशि का दुरुपयोग करके सरपंच, उप पंच एवं कनिष्ठ अभियन्ता ने अनियमितता की है ।

ह०
विकास अधिकारी
28-3-99

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-231 की सूची)

बकाया अग्रिम प्रपत्र 1985 से 1999 तक की सूची

परिशिष्ट-'अ'

पंचायत समिति का नाम—हिण्डौन   जिला—करौली

क्र. सं.	वर्ष	अग्रिम किसे दिया गया	कब दिया गया	देने का उद्देश्य	राशि	समायोजन		बकाया		समायोजन के किये गये प्रयास
						दिनांक	राशि	राशि	कारण	
1.	1985 से 1988	श्री नथोलीराम सरपंच ग्रा. पं. मण्डावरा (मण्डावरा)	1985 से 1988	विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु	48000/-	—	—	48000/-		सभी पूर्व सरपंचों को राशि जमा कराने हेतु समय-समय पर नियमित रूप नोटिस वसूली हेतु जारी किये गये तथा ग्रा. पं. अलीपुरा के पूर्व सरपंच के खिलाफ FIR पुलिस हिण्डौन में दर्ज करवाई गई है। पूर्व सरपंच मण्डावरा के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जा रही है। शेष का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
2.	1996	श्रीमती आनी सरपंच ग्रा. पं. लहचौड़ा	27-5-96	आंगनबाड़ी केन्द्र लहचौड़ा	35000/-	16-5-98	17400/-	17600/-		
3.	1996	" "	21-6-96	" चंदीला	35000/-	16-5-98	17400/-	17600/-		
4.	1996	श्री रतन लाल सरपंच ग्रा. पं. अलीपुरा	4-12-96	" अलीपुरा	48000/-	15-7-99	9000/-	39000/-		
5.	1998	श्री दरब सिंह सरपंच ग्रा. पं. बरगंमा	26-2-98	राज. प्रा. शा. बरगंमा	45000/-	—	—	45000/-		
6.	1998	श्री भरत लाल सरपंच ग्रा. पं. वाईजट	26-3-98	" धुरसी	86400/-	22-2-99	48000/-	38400/-		
7.	1998	श्रीमती आनी सरपंच ग्रा. पं. लहचौड़ा	5-12-98	रा. प्रा. वि. शंकर की ढाणी	1,77,300/-	20-5-99	99200/-	78100/-		
8.	1998	श्री कल्याण जाट सरपंच ग्रा. पं. शेरपुर	5-12-98	रा. प्रा. वि. शेरपुर	48500/-	—	—	48500/-		
9.	1999	श्रीमती सुरेशी मीना सरपंच ग्रा. पं. दानालपुर	24-3-99	नवीन तालाब दानालपुर	50000/-	—	—	50000/-		
10.	1999	श्रीमती विमला सरपंच ग्रा. पं. महावीरजी	24-3-99	" " अकबरपुर	50000/-	—	—	50000/-		
11.	1999	श्री रामकिशन सरपंच ग्रा. पं. जटनंगला (जटनंगला)	24-3-99	सामु. भवन जटनंगला	1,32,300/-	16-8-99	73500/-	58800/-		

ह०
विकास अधिकारी
पं. स. हिण्डौन (स. मा.)

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या–235 का विवरण)

परिशिष्ट–'1'

हिण्डोन इकाई द्वारा वर्ष 1995–96 से 1998-99 तक यूजर्स कमेटी/जलग्रहण कमेटी द्वारा करवाये गये कार्यों की वित्तीय प्रगति का ब्योरा

क्र.सं.	योजना का नाम	जलग्रहण क्षेत्र	स्वीकृत वर्ष	कुल स्वीकृत क्षेत्रफल	कुल लागत	जलग्रहण क्षेत्र में आने वाले ग्रामों की संख्या एवं ग्रामों के नाम	95-96 से 98-99 तक कराये गये कार्यों के अन्तर्गत ग्रामों की संख्या एवं ग्रामों के नाम	वर्ष 1995-96 से 1998-99 तक व्यय राशि				साइट प्रभारी का नाम एवं पद
								95-96	96-97	97-98	98-99	
1.	राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र कार्यक्रम	चिनायता (पं.स. हिण्डोन)	1995	2971	103.99	(24)नांगल दुर्शशी, खेडी,हैवत सामली, चिनायता, जगर, जट-वाड़ा, भुकरावली, खोहरा; सायटा, रारासायपुर; कंसाने का नंगला, शेरपुर ह्राडोली; कैरों का पुरा, आलावाडा; कारवाड; बजेडा, दोघाटी, घूसटी, कारवाडी, अटक, दमन-पुरा; बदनपुरा, लीलोटी, मंगों	(19) नांगल दुर्शशी, खेडी, हैवत; सामली, चिनायता; जगर;जट–वाड़ा; भुकरावली, खोहरा, सायटा; रारासायपुर, कंसाने का नंगला, शेरपुर ह्राडोली, कैरों का पुरा, आलावाड़ा; कारवाड; बजेडा, दोघाटी, घूसटी; कारवाडी	25.95	26.83	9.01	22.12	श्री राजेश्वर सिंह क.प.
		महस्वा बिलई (पं.स. टोडाभीम)	1995	3137	109.795	(14)विलई, उरद्दैन; चंदवाड; विचपुरी; लुहारखेडा, बाढ़, कारवाडी; रानोली; आखा-वाड़ा; पहाडी, कुटीला, शेखपुरा मोटवाडा, फिरवाडा	(9) विलई, उरद्दैन; चंदवाड, विचपुरी; लुहारखेडा; बाढ; कारवाडी; रानोली, आखावाड़ा	1.55	13.61	7.79	14.11	श्री मन्नालाल मीणा क.प. (95–96)श्री आर.डी.सैन क.प.(96-97 से 97-98) श्री रामकिशोर मीणा क.प. (97-88) श्री महेन्द्र शर्मा क.प.(98-99)
		सुल्तानपुरा; खातीपुरा (पं. स. गंगापुर)	1995	888	42.315	सुल्तानपुरा; खातीपुरा	सुल्तानपुरा; खातीपुरा	7.83	—	—	—	श्री किशन लाल शर्मा
		डोरावली	1995	1382	48.37	डोरावली	डोरावली	2.5	0.37	—	—	श्री मन्नालाल मीणा क.प. (95-96) श्री आर.डी.सैन क. प. (96-97)
		चैनपुर वरिया	1995	1232	43.12	बरीफ; वरिया; हुरजनपुर; महमदपुर; मडवया; मांडई; दलीलपुर, पैंटोली; बिजलपुर	वरीफ; वरिया; हुरजनपुर; महमदपुर; मडवया	17.37	—	—	—	श्री पी.के.गौड़
							कुल योग (रा.ज.वि.परि.)	55.20	40.81	16.80	36.23 = 149.04	

क्र.सं.	योजना का नाम	जलग्रहण क्षेत्र	स्वीकृत वर्ष	कुल स्वीकृत क्षेत्रफल	कुल लागत	जलग्रहण क्षेत्र में आने वाले ग्रामों की संख्या एवं ग्रामों के नाम	95–96 से 98-99 तक कराये गये कार्यों के अंतर्गत ग्रामों की संख्या एवं ग्रामों के नाम	वर्ष 1995-96 से 1998-99 तक व्यय राशि 95-96	96-97	97-98	98-99		साइट प्रभारी का नाम एवं पद
2.	जे.आर.वाई.	दंदरोली	1995	140	4.90	दंदरोली	दंदरोली	0.24	—	—	—		किशन लाल शर्मा
		खेलियान का पुरा	1995	140	4.90	खेलियान का पुरा	खेलियान का पुरा	1.52	—	—	—		राजेश्वर सिंह
		माधोपुरा	1995	140	4.90	माधोपुरा	माधोपुरा	1.43	—	—	—		मन्ना लाल मीणा
		मेढ़ का पुरा	1995	140	4.90	मेढ़ का पुरा	मेढ़ का पुरा	0.86	—	—	—		किशन लाल शर्मा
		नक्टी पुरा	1995	—	2.65	नक्टी पुरा	नक्टी पुरा	2.65	—	—	—		श्री पी. के. गौड़
		कोटरा पुरा	1995	142	4.99	कोटरा पुरा	कोटरा पुरा	1.05	—	—	—		श्री पी. के. गौड़
							कुल योग (जे. आर. वाई.)	7.75	—	—	—	= 7.75	
3.	मांडा	दंदरोली 1	1995	140	4.90	दंदरोली 1	दंदरोली 1	0.25	—	—	2.19		किशन लाल शर्मा
		सिघान मीणा	1995	142	4.99	सिघान मीणा	सिघान मीणा	3.33	—	—	—		राजेश्वर सिंह
							कुल योग (माडा परि.)	3.58	—	—	2.19	= 5.77	

क्र.सं.	योजना का नाम	जलग्रहण क्षेत्र	स्वीकृत वर्ष	कुल स्वीकृत क्षेत्रफल	कुल लागत	जलग्रहण क्षेत्र में आने वाले ग्रामों की संख्या एवं ग्रामों के नाम	95–96 से 98-99 तक कराये गये कार्यों के अंतर्गत ग्रामों की संख्या एवं ग्रामों के नाम	वर्ष 1995-96 से 1998-99 तक व्यय राशि				साइट प्रभारी का नाम एवं पद
								95-96	96-97	97-98	98-99	
4.	ई. ए. एस. पं.स. हिण्डौन	काचरोली	1996	408	16.32	काचरोली	काचरोली	....	0.9	1.2	3.04	राजेश्वर सिंह
		फूलवाडा 1	1996	500	20.00	फूलवाडा 1	फूलवाडा 1	....	0.69	0.96	2.17	राजेश्वर सिंह
		फूलवाडा 2	1996	500	20.00	फूलवाडा 2	फूलवाडा 2	....	0.84	1.07	2.72	राजेश्वर सिंह
		दोघाटी	1996	335	13.40	दोघाटी	दोघाटी	....	0.56	0.57	3.97	राजेश्वर सिंह
		खोहुरा	1996	500	20.00	खोहुरा	खोहुरा	....	0.84	1.31	1.52	राजेश्वर सिंह
	पं. स. टोडाभीम	माता सूला	1996	405	16.20	माता सूला	माता सूला	....	....	1.2	2.28	ग्रार. डी. सैन व मन्ना लाल मीणा
		मेरडा	1996	270	10.80	मेरडा	मेरडा	....	....	0.49	1.91	ग्रार. डी. सैन व मन्ना लाल मीणा
		खेडी	1996	500	20.00	खेडी	खेडी	....	....	1.65	4.01	ग्रार. डी. सैन व मन्ना लाल मीणा
		जैसनी	1996	416	16.64	जैसनी	जैसनी	....	....	0.76	2.9	ग्रार. डी. सैन व मन्ना लाल मीणा
		मांचडी	1996	500	20.00	मांचडी	मांचडी	....	....	1.98	5.26	ग्रार. डी. सैन व मन्ना लाल मीणा
		मंडारी	1996	500	20.00	मंडारी	मंडारी	....	....	0.88	4.98	ग्रार. डी. सैन व मन्ना लाल मीणा
							कुल योग (ई.ए.एस.)	....	3.83	12.07	34.76	= 50.66

ह०
उप निदेशक
जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण
सवाई माधोपुर

ह०
सहायक ग्रभियन्ता
जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण
हिण्डौन सिटी कोड सं. 3021
जिला–करौली